खण्ड-255, अंक-9
गुरूवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1887
(25 मार्च, 1965 ई0)

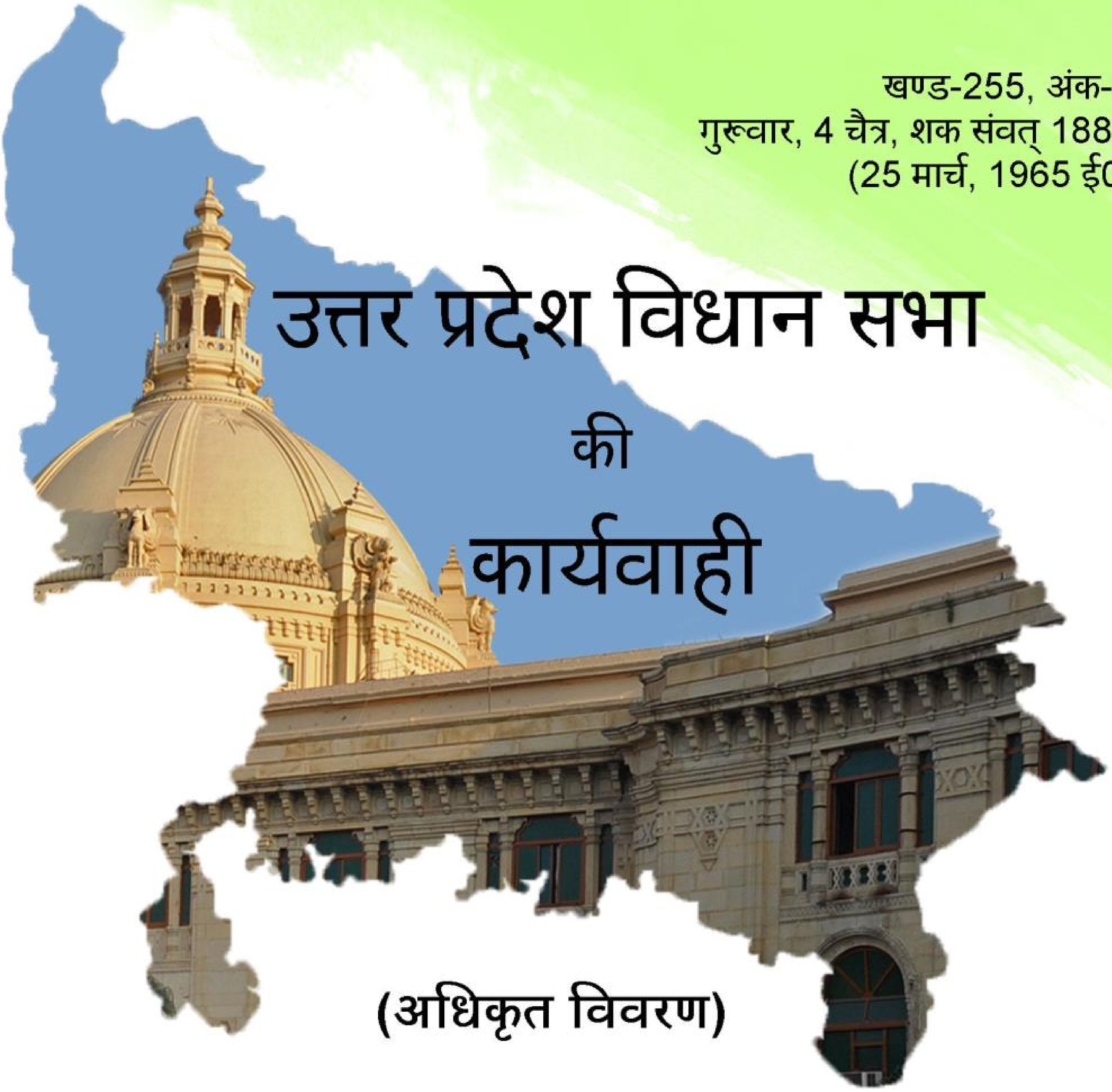

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९११–९१५
प्रश्नोत्तर	९१५–९५६
विविध जानकारी	९५६
प्रदेश के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	९५७–९५८
बर्मा से विस्थापित भारतवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९५८–९५९
२ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२–१४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९५९
कतिपय विषय (जारी)	९५९–९६०
स्टेट हेल्थ बोर्ड के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	९६०
कतिपय विषय	९६१
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०––आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत)	९६१–१०२४
नत्थियां	१०२५–१०४४

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्ण, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जगवीरसिंह श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह ,श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकट सिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह श्री, (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर,
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हपंद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोबिन्दसिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नेशनल इण्टर कालेज, लखनऊ के हरिजन विद्यार्थी की फीस

**१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री जगन्नाथ राव, (जिला जौनपुर), श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ मार्च, १९६५ को नेशनल इण्टर कालेज, लखनऊ के एक विनोद कुमार छात्र हरिजन विद्यार्थी को जनवरी सन् १९६४ से जून, सन् १९६४ की शिक्षा फीस का ५६ रु० ९७ पैसे न देने के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां, प्रिंसिपल ने जनवरी, १९६४ से जून, १९६४ तक का बिल बनाकर जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया है और बिल खजाने गया है। शीघ्र ही रुपयों का भुगतान कर दिया जायगा।

**२—श्री मन्नालाल, श्री जगन्नाथ राव, श्री सुखदेवप्रसाद, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि ऐसे कालेज जो कि हरिजन छात्रों के प्रति इतनी उदासीनता करते हैं उनकी राजकीय सहायता बन्द करने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मन्नालाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह बिल किस तारीख को बना और किस तारीख को पास कराया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

११-३-६४ को लड़के ने प्रधानाचार्य को सूचना दी। उसके तुरन्त बाद ही कार्यवाही हुई और बिल बन गया।

श्री मन्नालाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब लगभग इस बात को भी एक साल पूरा होने जा रहा है फिर भी इस बच्चे को अभी तक रुपया न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

द्वितीय वर्ष में पहली बार यह छात्र फेल हो गया था और फेल होने के बाद जब वह सेकिन्ड ईयर में दूसरी बार में प्रवेश किया तो इस छात्र ने डाइरेक्टर को फीस माफी की दरख्वास्त दी। इसके फेल होने के कारण छात्रवृत्ति देने का तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन डाइरेक्टर ने फीस माफी का आदेश दिया। जुलाई, १९६३ से दिसम्बर, १९६३ तक के शिक्षा शुल्क का धन समय से निकाल लिया गया, किन्तु जनवरी, १९६४ से जून, १९६४ तक का रह गया है जो अब दे दिया जायगा।

श्री मन्नालाल---

जो पहला बिल बना था, उसमें प्रिंसिपल ने यह लिखा था कि यह लड़का फेलियर था और फिर वह लापरवाही की गयी है तो मैं नहीं समझता हूं कि लड़के को सूचना देने की क्या आवश्यकता थी। क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जब यह लड़का फेल हो गया तो छात्रवृत्ति का तो अधिकारी नहीं रहा। प्रश्न यह रहा है कि शुल्क माफ किया जाय। फेल होने के साल का रुपया बकाया था।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके निर्देश हैं कि हरिजन विद्यार्थियों से फीस नहीं लेनी चाहिये ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य ने इस विद्यार्थी से हरिजन होते हुये भी फीस ली ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रधानाचार्य के पास निदेशक, हरिजन समाज कल्याण के आदेश हैं कि विद्यार्थियों से फीस न ली जाय। लेकिन शिक्षा संहिता में यह कमी रह गयी है कि छात्रवृत्ति का धन मिलने पर फीस की रकम तो ली जाय, और इस प्रकार से फीस देने के लिए बाध्य न किया जाय। इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानाचार्य ने जो फीस ली है। जैसा मैंने पहले बतलाया ६ महीने की फीस उस छात्र से नहीं ली गयी थी और शेष ६ महीने की ले ली गयी थी। उस छात्र के द्वारा ध्यान न दिलाने पर और लिपिक के बिल न बनाने पर प्रधानाचार्य ने उस से फीस ले ली लेकिन जैसे ही विदित हुआ, उसका बिल बन गया और खजाने में से रुपया निकाला जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब सरकार का यह भी विभागीय आदेश है कि १ वर्ष हरिजन छात्र फेल हो जाता है और प्रधानाचार्य ने उस आदेश को न मान कर फीस ली तो कौन सी कार्यवाही वह करने जा रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने इतना विवरण दे दिया कि इस छात्र के असफल हो जाने के उपरान्त भी एक वर्ष के लिए फीस न लेने के आदेश गये थे और इस हेतु जुलाई से दिसम्बर तक ६ महीने की फीस उसको मिल भी चुकी थी। केवल ६ महीने की शेष थी जिसके कारण यह प्रश्न उठा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले में नरभक्षी शेर

*१—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल की तराई में आदमखोर शेर ने जो पांच व्यक्तियों की हत्या कर डाली है और जिससे सारे तराई के क्षेत्र में एक भयंकर वातावरण फैल गया है तथा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कठिन हो गया है उक्त शेर के मारने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये और क्या-क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

आदमखोर शेर द्वारा केवल एक आदमी की हत्या हुई है। इस शेर को मारने के लिए जिलाधीश, नैनीताल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी है किन्तु अभी तक उक्त शेर के मारने की सूचना नहीं मिली है।

*२—श्री देवेन्द्रसिंह—

इस बात को देखते हुये कि प्रति वर्ष तराई भाग में इस प्रकार के आदमखोर शेर कई हत्यायें करते हैं, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे इस प्रकार के शेरों को मारा जा सके या कम किया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार इन आदमखोर शेरों को मारने के लिए सतर्क है तथा शिकारियों को इन आदमखोरों को मारने के लिए भेजा जाता है तथा उन को निर्धारित दरों से पारितोषिक की व्यवस्था पहले से है।

श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)—

प्राइवेट फार्म पर भी शेर मारने के लिये फारेस्ट रूल्स लागू होते हैं अथवा नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

शेर मारे जाने के रूल्स हैं। जहां भी शेर होंगे वहां वे लागू होंगे।

श्री देवेन्द्रसिंह—

उत्तर में कहा गया है कि जिलाधीश, नैनीताल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यक कार्यवाही में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

एक तो यह कि शिकारियों से कहा गया है कि शेर को मारें और दूसरे इनाम देने के लिये कहा गया है। यही कार्यवाही होती है।

श्री देवेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि लालकुआं के पास सरकार ने सेंक्चुअरी बनाई है जिसमें शेर मारने की मुमानियत है। उसी की वजह से आदमखोर शेर बढ़ते हैं। क्या मंत्री जी इसको खत्म करने की कृपा करेंगे जिससे आदमखोर शेर पैदा न हो सकें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

साधारणतया शेर वही आदमखोर होते हैं जिनके गोली लग जाय या जिनके बच्चे मार दिये जायं। अगर लोग शिकार खेलना बन्द कर दें तो शेर आदमी को न मारे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बतायेगी कि आदमखोर शेर को मारने के लिये क्या इनाम रखा गया है? दूसरे यह कि क्या कोई खास आदमी शेर को मारने के लिये नियत किया गया है या नहीं ? शेर को मारने के लिये कब-कब और किस-किस ने कोशिश की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

साधारणतया आदमखोर शेर को मारने के लिये २०० रुपये इनाम है और वह रखा गया है। लेकिन यदि कोई ऐसा शेर हो जो ज्यादा नुकसान करने लगे तो उसको नोटीफाइ कर दें और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह ५०० रुपये तक इनाम दे सकते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यदि शेर किसान के खेत में पहुंच जाय और वह उसको मार दे तो कोई कार्यवाही होगी या नहीं ?

श्री शांन्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसा कोई सवाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन.....

श्री अध्यक्ष--

कहिये नोटिस की आवश्यकता है, आपको सूचना नहीं है।

(श्री भानुप्रतापसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपका हाईपोथेटीकल सवाल है।

श्री भानुप्रतापसिंह--

जी नहीं, बिलकुल नहीं है। शेर अक्सर आया करता है, यदि स्पष्टीकरण कर दें तो बात साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

उनको मालूम नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरा सवाल था कि सरकार ने क्या किसी शिकारी को शेर मारने के लिये नियत किया हुआ है ? जहां तक मेरा परिचय है पहले इस बात के लिये

एक शिकारी नियुक्त था और उसका यह काम था। उसको बेतन भी मिलता था। क्या यह प्रथा जारी है या बन्द हो गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

साधारणतया जहां आदमखोर शेर होते हैं, उनकी शायद खबर कम आती है। लेकिन जब खबर आई तो जिलाधीश ने परगनाधीश से कहा कि आप शिकारियों को कांटैक्ट कीजिये और उनसे कहिये कि वे शेर को मारने की व्यवस्था करें। उन्होंने कई शिकारियों से कांटैक्ट किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेर के शिकार के शौकीन हैं। इस बात का प्रयास जारी हैं कि शेर मारा जाय।

श्री देवेन्द्रसिंह--

मान्यवर, इस शेर को मारने के लिये हमारी विधान सभा के एक सदस्य, माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह, जाने के लिये तैयार हैं। क्या मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नैनीताल को उचित आदेश देने की कृपा करेंगे कि वहां हाथी वगैरा की व्यवस्था कर दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमने तो शेर को मारने के लिये २०० रुपये इनाम रखा है। वह मारें तो इनाम भी देंगे।

चीनी मिलें बन्द रहना

*३--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि सन् १९६४ के दिसम्बर और जनवरी व फरवरी, १९६५ में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, बिजनौर, देहरादून और मुरादाबाद में चीनी मिलें गन्ना न मिलने के कारण बन्द रहीं ? यदि हां, तो कितने-कितने दिनोंबन्द रहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, जिलेवार व मिलवार ब्योरा संलग्न तालिका "क" में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२५-१०२६ पर)

*४--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इन मिलों के बन्द होने से चीनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इन जिलों के बन्द रहने व रुक-रुक कर चलने के कारण चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। लगभग ५०,००० मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन में कमी की संभावना है।

*५--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इनमें से कितने मिलों ने गन्ना न मिलते देख रेट बढ़ा कर गन्ना खरीद शुरू कर दी है? यदि हां, तो फी क्विन्टल कितना रेट बढ़ाया है तथा अलग मिल ने क्या रेट बढ़ाया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

प्राप्त सूचनानुसार २२ मिलों ने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है जिसका संपूर्ण विवरण संलग्न तालिका "ख" म दिया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो तालिका दी उसमें मिल बन्द होने का कारण गन्ने का अभाव बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गन्ने के अभाव के कारण बन्द हुई या इसलिये बन्द हुई कि उस क्षेत्र के किसानों ने मांग की थी कि साढ़े सात रुपये क्विंटल के दाम देंगे तो हम गन्ना देंगे और उन्होंने हड़ताल कर दी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बात दोनों एक ही है। अगर गन्ना मिल के बाहर है और मिल को नहीं दिया है तो वह भी तो गन्ने का अभाव ही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

अभाव के माने तो यही होंगे कि उस क्षेत्र में कमी थी. . . . .

श्री अध्यक्ष---

आपकी बात तो मान ली गयी, आप प्रश्न कीजिये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी मिल मालिकों के फेडरेशन को लिखकर भेजा है कि ५ रुपये ४ पैसे और ५ रुपये ३६ पैसे क्विंटल जहां दाम नहीं मिलते हैं वहां वे दाम बढ़ा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन सरकार ने लिखकर मना कर दिया, ऐसी बात तो नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

सरकार कभी दाम बढ़ाने को मना नहीं करती। कम से कम दाम फिक्स करती है सरकार, लेकिन अगर कोई ज्यादा दे तो दे कम उससे नहीं दे सकता। जहां तक काश्तकारों की बात है, वह जरूर ज्यादा दाम मांगते हैं और जब ज्यादा दाम नहीं मिलता है तो कभी कभी हड़ताल कर देते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

यह जो ५० हजार टन की कमी है यह प्रदेश के समूचे उत्पादन में इतनी कमी है या इन फैक्टरियों में उत्पादन में इतनी कमी हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह तो इन फैक्टरियों के बन्द होने की वजह से हुआ जो वह ५० हजार टन अधिक बनातीं, नहीं बना सकीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों के गन्ने का रेट तो ५ रुपये ४ पैसा और ५ रुपये ३६ पैसा क्विंटल मुकर्रर है तो फूलबाग के गन्ने को मिल मालिकों ने किस रेट पर लिया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

रेट जो है वह तो वही है लेकिन अगर मिलों ने कुछ ज्यादा देना मंजूर किया है तो उसे हम रोकते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी कहते हैं कि कम से कम दाम हम मुकर्रर करते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा ले या दे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

नहीं, यह फूलबाग का गन्ना सरकार का है, क्या उसके लिये मिलों से ज्यादा दाम लिया गया और काश्तकारों को बढ़ाकर दाम देने से मना कर दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप तालिका देखेंगे तो यह मिलमालिकों की मर्जी पर है। वह चाहें तो दाम बढ़ाकर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मंजूरपुर को देखें तो वहां १ रुपये १६ पैसे अपनी मर्जी से ज्यादा बढ़ाया है। तो वह काश्तकारों का बढ़ा है न कि सरकार का।

श्री भानुप्रतापसिंह—

जो मिल मालिकों ने ज्यादा पैसा दिया सरकारी फार्म, फूलबाग के गन्ने को क्या उसी समय किसानों को कम मूल्य दिया गया या उसके बराबर दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फूलबाग के आसपास का गन्ना जितना था वह सब एक ही रेट पर गया चाहे वह सरकारी फार्म का या दूसरे लोगों का रहा हो।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस मुकर्रर रेट के अलावा अगर किसान डिमान्ड करते हैं कि इतनी ज्यादा कीमत गन्ने को दी जाय और मिल मालिक नहीं देते हैं तो इस बिना पर किसान हड़ताल कर देता है और मिलों को गन्ना नहीं देता है तो फिर सरकार उन हड़तालियों को क्यों गिरफ्तार करती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पीसफुल हड़तालियों को सरकार कभी गिरफ्तार नहीं करती है।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के मिलों में जब गन्ने की कमी पड़ी तो मालिकों ने कहा कि हम ज्यादा कीमत देना चाहते हैं लेकिन मंत्री जी ने मना कर दिया कि ज्यादा न दो नहीं तो यह बीमारी सब जगह फैल जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही ही नहीं है, बल्कि सही से भी बहुत दूर है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह बात सही है कि सरकार मिनिमम रेट मुकर्रर कर देती है लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान मिनिमम रेट पर गन्ना देने से इन्कार कर देता है जिससे फैक्टरी बन्द हुई और यह ५० हजार टन चीनी का नुकसान हुआ और जो कारखाने के मालिक हैं वह इस बात पर जोर देते हैं कि मिनिमम रेट पर गन्ना फैक्टरी को मिले और किसान उसके लिये तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में मिल मालिक का नुकसान होता है, चीनी का उत्पादन कम होता है और सरकार का भी नुकसान होता है, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेगी कि अगले साल से ७॥ रुपया क्विन्टल जो किसान की मांग है वह रेट मुकर्रर किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी स्थिति तमाम सूबे में नहीं है। जो रेट हैं वह इस बात पर निर्भर करते हैं कि गुड़ का भाव दूसरी जगह क्या है। आज गुड़ का भाव गिर गया है और जो काश्तकार पहले कम दिया करते थे अब ज्यादा गन्ना देने लग गये हैं और जो मिल बन्द होने लगी थीं वे अब फिर चालू होने लगी हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९६४--६५ के सीजन में जो निशाना रखा गया था तीसरी योजना के हिसाब से कि इस सीजन में यहां पर १५ लाख टन चीनी पैदा होगी लेकिन जब यह छोटी सी हड़ताल होने से ५० हजार टन चीनी का नुकसान हो गया तो ऐसी स्थिति में जब पूरा गन्ना नहीं मिलेगा तो सरकार का निशाना पूरा होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

१५ लाख टन का निशाना कभी नहीं था ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मिनिमम जो रेट होता है वह सरकार तय करती है और मैक्सिमम मिल मालिक जितना चाहें दे सकते हैं, तो खांडसारी के लिये जो विधेयक यहां पर लाये और जिन पर टैक्स बढ़ाया तो उससे किसानों के गन्ने के मूल्य को घटाने की कोशिश क्यों की गई ? इस तरह के दो विपरीत जबाब हैं, उनमें से कौन सा सही है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

गन्ने का मूल्य घटाने की कोशिश नहीं की गई। जो मिनिमम रेट है वह इस प्रान्त में पहले से है कि इतने पर गन्ना मिलेगा। वैसे दूसरे हिस्सों में इतना गन्ना है कि मुश्किल से मई, जून तक समाप्त होगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी शुगर की कमी को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि यह जो मिल मालिक मिनिमम रेट रखना चाहते हैं और किसान ज्यादा मांगते हैं तो इसके बीच का कोई रास्ता दोनों पार्टी को बुलाकर निकालेंगे ताकि यह शक्कर की कमी का मसला हल हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

गन्ने के दाम भारत सरकार तय करती है। वह इस बात को देखती है कि चीनी का दाम क्या हो। अगर गन्ने के दाम बढ़ाती है तो चीनी के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिये उसी हिसाब को देखकर चीनी के दाम रखे गये हैं और गन्ने के दाम निश्चित किये जाते हैं ।

अंग्रेजी का प्रयोग

*६--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान मन्डल में होने वाले कार्य को छोड़कर अन्य सभी सरकारी स्तरों पर २६ जनवरी, १९६५ के बाद किन-किन विषयों में अंग्रेजी में अभी भी कार्य होता है और क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

निम्नलिखित मदों में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई है--

(१) एकाउन्टेन्ट जनरल से पत्र व्यवहार और वे मामले जो आडिट में उनके सामने आ सकते हों ।

(२) कानूनी (जुडीशियल) और अर्द्ध कानूनी (क्वासी जुडीशियल) मामले, और

(३) ऐसा कोई मामला जिसमें प्रक्रियागत बाध्यता (प्रोसीजरल आब्लीगेशन्स) के कारण अंग्रेजी इस्तेमाल करनी पड़े। एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। इस कारण उपर्युक्त (१) और (२) के विषय में अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई है। (३) के संबंध में कारण स्पष्ट है। इन मदों को छोड़कर और सभी मदों में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग हो रहा है।

*७—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री बेदराम तथा श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आफ़ीशियल लैंगुवेज ऐक्ट, १९५१ की धारा २ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उसी धारा की उपधारा (बी) के लिये कोई तिथि हिन्दी में कार्य करने के लिये निर्धारित की थी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो फिर अब उपरोक्त ऐक्ट के बनने के दिनांक से एक वर्ष बाद भी अंग्रेजी में क्यों कार्य हो रहा है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उत्तर प्रदेश आफीशियल लैंग्वेजेज ऐक्ट, १९५१ की धारा २ की उपधारा (ख) के अन्तर्गत किसी विज्ञप्ति द्वारा सरकारी कामों में हिन्दी के प्रयोग की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। इस कारण ऐक्ट लागू होने के एक साल बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग उक्त उपधारा (ख) से सम्बद्ध मामलों में हो सकता है। फिर भी शासन की नीति यही रही है कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक हो।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९६५ के बाद जब संविधान के द्वारा अपने प्रदेश की राजभाषा हिन्दी घोषित हो चुकी है और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह गयी है तो जिन मदों में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है वह किन नियमों के अधीन है और किस आधार पर?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा, एकाउन्टेन्ट जनरल और हाई कोर्ट दोनों ऐसे हैं कि जिनका संबंध भारत सरकार से भी है और उनके संबंध में ही अंग्रेजी का प्रयोग करने की बात है। दूसरी जगह के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

प्रश्न ६ के उत्तर के अन्त में कहा गया है कि इनके अतिरिक्त और मदों में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। तो २६ जनवरी, १९६५ के बाद यथासंभव शब्द का प्रयोजन क्या है? क्या इसके माने हैं कि उनमें अभी भी अंग्रेजी चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का स्पष्ट आश्वासन देगी कि राजकीय कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में किया जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बहुतों को अंग्रेजी की आदत होती है। २७ जनवरी, को सरकार ने आदेश निकाला कि अंग्रेजी को छोड़ कर सारा काम हिन्दी में हो। अब अगर आदत है और जैसे कभी-कभी आप भी अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हम पकड़ लेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

असंभव की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में खास कर पंचायत राज से जो सरकुलर या परिपत्र जाते हैं ग्राम प्रधानों और जिला दफ्तरों में वह अंग्रेजी में क्यों जाते हैं ? और वह कब तक बन्द होंगे और सरकारी कचहरियों में अफसर कब से हिन्दी में काम करना शुरू कर देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हमने तो यहां से यह आदेश जारी कर दिये हैं कि तमाम काम इन मदों को छोड़ कर हिन्दी में हों और हम इस बात के प्रयास में हैं कि इन आदेशों का पालन हो ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि राज्य के किस-किस विभाग में अभी यथासंभव अंग्रेजी चल रही है ? उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि कहीं नहीं चल रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

अभी उन्होंने कहा कि जनवरी में उन्होंने एक ऐसा परिपत्र निकाल दिया है । तो श्रीमन, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि १ जुलाई, १९६१ को मुख्य सचिव ने एक परिपत्र इसी तरह का निकाला था जैसा कि मंत्री जी ने निकाला था और ठीक वही चीजें उसमें भी हैं । उसके पैरा ६ में कुछ चीजें ऐसी दी गई थीं जिसमें कहा गया था कि इन विषयों में तो अनिवार्यतः हिन्दी का ही प्रयोग होगा और वह विषय १७ थे । तो १९६१ से वह परिपत्र चल रहा था और जनवरी में भी आपने जो परिपत्र निकाला उसमें केवल दो चीजें और जोड़ी हैं वरना वही १७ हैं और "अनिवार्यतः शब्द भी निकाल दिया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन १७ में से पत्रावलियों के शीर्षक आदि का भरा जाना यदि कसी विशेष कारण से अंग्रेजी में लिखा जाना आवश्यक हो तो उसके आगे कोष्टक में हिन्दी में लिखा जायगा---यह अनिवार्य सूची में एक है, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इस १७वें नम्बर की मद में उस परिपत्र के अनुसार कितने परसेंट पत्रावलियों में हिन्दी में शीर्षक लिखे जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने तो यह कहा कि हमने तो आदेश दे दिये कि इन-इन विषयों को छोड़ कर सब काम हिन्दी में ही हो ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जो पत्रावलियां आज हैं उनमें कितने प्रतिशत पत्रावलियों के शीर्षक हिन्दी में लिखे जा रहे हैं और अगर नहीं लिखे जा रहे हैं तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने कहा कि हमारे आदेश हो चुके हैं कि सब का सब हिन्दी में हो । इसकी सूचना नहीं है तो बात दूसरी है, हमारा काम तो हिन्दी में होगा और होना चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

२१० धारा जो संविधान की है उसमें यह है कि आर्टिकिल ३४८ के सबजेक्ट से हिन्दी का आदेश होगा कि सब काम हिन्दी में हो, और ३४८ में यह निश्चित है कि इंगलिश में हाईकोर्ट वगैरह काम करेगा और इंगलिश वर्जन करेक्ट होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सही मानों में आप

चाहते हैं कि सब काम हिन्दी में हो तो क्या आपने केन्द्रीय सरकार को इस बात की सिफारिश की है कि ३४८ में कोई संशोधन इस बात का किया जाय कि हाईकोर्ट का काम भी इंगलिश के बजाय हिन्दी में किया जाय और जो नियम वगैरह छपाये जायें उसमें इंगलिश वर्जन के बजाय हिन्दी का सही माना जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह विषय तो इस में है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

भाषा के सिलसिले में जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उसमें माननीया मुख्य मंत्री जी का जो स्टैंड था उसको कुंवर श्रीपाल जी की पार्टी ने बड़ा समर्थन दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि क्या अभी भी उनके मातहत गवर्नमेंट सेक्रेटरीज़ सारी फाइल्स के ऊपर, सारे जी०ओज० और सारे सर्कुलर्स अंग्रेजी में जारी किये हुये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

२७ जनवरी को जो आदेश निकाला गया है उसके अनुसार जिन महकमों को इजाजत दी है अंग्रेजी में काम करने की, उसके अलावा सारे महकमों को हिन्दी में काम करना है और मैंने इसके अलावा सारे मिनिस्टर्स को अलग-अलग चिट्ठी लिखी है कि आप खासकर निगरानी रखें कि जो आपके महकमे का काम हो वह हिन्दी में हो। चूंकि २०० साल से अंग्रेजी में काम करने की आदत चली आ रही है, इसलिये यह बात सही है कि मेरे पास कुछ चिट्ठियों के ड्राफ्ट अंग्रेजी में आते हैं । मैं उनको हिन्दी में तजुर्मा करके भेजने के लिये लौटा देती हूं। मैं यह नहीं मानती कि १०० फीसदी काम हिन्दी में हो रहा है। लेकिन १०० फीसदी काम हिन्दी में करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

एक जून, १९६१ को, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह लिखा था कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों को या सभा सचिवों को अपनी पत्रावलियों में नोट हिन्दी में ही लिखना चाहिये और अपने हस्ताक्षर भी हिन्दी में करना चाहिये । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने मंत्री ऐसे हैं जो हिन्दी में ही नोट आदि लिखते हैं और यदि नहीं लिखते हैं तो क्या माननीया मुख्य मंत्री जी उनसे जवाब तलब करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

करीब-करीब सभी मंत्री हिन्दी में काम करते हैं किसी को दिक्कत है, जैसे अलीजहीर साहब हैं, वे हिन्दी में कार्य नहीं कर सकते । तो थोड़ा-सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

२६ जनवरी के बाद हिन्दी में सारा काम होने के बाद भी मेरे पास १ फरवरी, ६५ को जो श्रम विभाग से पत्र आया है वह अंग्रेजी में आया है, फिर १० मार्च, ६५ को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिजनौर से भी एक पत्र अंग्रेजी में ही प्राप्त हुआ है जिससे सरकारी आदेशों की अवहेना हुई है । तो क्या जिन विभागों को यह आदेश दिये गये हैं वहां से अंग्रेजी टाइपराइटर्स हटा लिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अगर अंग्रेजी के टाइपराइटर्स मांग लेंगे तो शायद नतीजा यह होगा कि बहुत काम बन्द हो जायेगा । उसके लिये भी एक कार्यक्रम बन रहा है कि धीरे-धीरे सब काम हिन्दी में ही हो जाय । जब तक इसका इन्तजाम न हो जाय, हमारे सामने यह ख्वाइश है कि चाहे हिन्दी में काम करो,

चाहे काम बन्द कर दो । अब एक रास्ता निकालना है, धीरे-धीरे हिन्दी के टाइपराइटरों को उपलब्ध करना है, हिन्दी टाइपिस्टों को भी बनाना है । यह सब कार्यक्रम चल रहा है । कुछ समय तो लगेगा ही ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

मड़ियाहूं तहसील में कालीन उद्योग के लिये ऋण

*१—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ से ६४ तक मड़ियाहूं तहसील में जिला जौनपुर में कालीन उद्योग के लिये कितना-कितना धन दिया गया और कहां-कहां उद्योग प्रारम्भ हुआ ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

१६ व्यक्तियों को ६३,५०० रु० दिया गया जिसकी सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है । तहसील के काजीपुर, दरगाह, शेखपुर, गोपालपुर, रानापुर ग्रामों में उद्योग आरम्भ हुआ ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०२७–१०२८ पर)

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५९–६० में जो ४८ हजार का ऋण दिया गया जिसमें से ३५ हजार रुपये का प्रयोग नहीं हुआ, तो सरकार ने क्या कदम उस रुपये को वसूल करने के लिये उठाया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो ६३,५०० रुपये दिये गये थे उसमें से २८ हजार रुपये का मिसयूटिलाइजेशन हुआ है । इस में से १३,७५० रुपये वसूल हो गये हैं । दो पार्टियों पर कोई वाजिब नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि कालीन उद्योग मड़ियाहूं और भदोही के पूरे क्षेत्र में और बनारस तहसील में, थोड़े से मिर्जापुर के इलाके में, बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और इनके कारण पांच करोड़ के करीब विदेशी मुद्रा मिलती है, क्या सरकार एक वृहत् योजना बनायेगी जिस से इस उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रार्जन में सहायता मिल सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सरकार उन सभी प्रयत्नों पर विचार कर रही है और कालीन के विषय में, जैसा कहा गया, विदेशी मुद्रा में इस से सहायता मिलती है, हम प्रयत्नशील हैं ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अधिकांश रुपया जो लघुउद्योग विभाग को दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को देखते हुये ऐसी व्यवस्था करेगी कि आपके टैक्नीकल हैंड रहें और स्वयं उद्योग पहले आरम्भ करें जिस से इस उद्योग को बढ़ावा मिले ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, स्वयं उद्योग करना कहां तक संभव होगा । जो अधिकारियों द्वारा किया जाता है वही हम करते हैं ।

फतेहपुर जिले में विभिन्न अपराध तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

३१ अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न ६० के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री प्रश्न कर्त्ता के २९ जुलाई, १९६३ के पत्र को सदन की मेज पर रखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की गई।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्नकर्त्ता महोदय के २९ जुलाई, १९६३ के पत्र की प्रति संलग्न है। इस पत्र में अंकित आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई।

*३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या प्रश्न संख्या ६१, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ के उत्तर के संदर्भ में गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोतवाली फतेहपुर और बिन्दकी थानों की ८ डकैतियों में से ३ व १८ कत्लों में से २ और ८२७ चोरियों में से ३८ के अतिरिक्त सब की नाकामयाबी और थाना थरियाव की ८ डकतियों एवं १० कत्लों तथा १७६ चोरियों में से केवल ३ चोरियों के अलावा सभी की नाकामयाबी का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०२९–१०३१ पर)

*४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

प्रश्न संख्या ६२, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ से शहर फतेहपुर के अन्दर कुल कितनी चोरियां हुईं तथा किन व्यक्तियों के कितने कत्ल हुये एवं इन सब में अलग-अलग कुल कितने मामले पकड़े व कामयाब बनाये गये तथा रोकथाम व सुरक्षा के लिये कब से Disc system patrolling चालू की गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

फतेहपुर शहर में १ अप्रैल, १९६२ से १५ फरवरी, १९६५ तक चोरी की ५९५ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। इन में से ६३ मामले न्यायालय भेजे गये जिनमें २९ सजायाब हुय। इस अवधि में कत्ल की केवल एक घटना हुई। मृतक का नाम बाबा रामसरन दास था। जांच से यह मामला लापता रहा।

डिस्क सिस्टम पैट्रोलिंग २५ अगस्त, १९६३ से चालू की गई है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २९ जुलाई, १९६३ के पत्र में आरोप जब स्वयं पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के खिलाफ थे तो उनसे इन शिकायतों की जांच कराने का क्या मकसद था और उन्होंने कब किसकी उपस्थिति में क्या जांच की और जांच का क्या फल निकला ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें पुलिस अधीक्षक के खिलाफ क्या चार्जेज थे, उसमें माननीय सदस्य ने लिखा है कि उनके यहां चोरी हो गई। चोरी का माल, सामान पकड़ा नहीं गया। इसमें दूसरा पैरा लिखा है कि वह बगैर दस्तन्दाजी पुलिस थी। दूसरे दिन साहबजाने ने लिखा था, उसकी जांच की गई तो कोई गवाही नहीं मिली, लिहाजा कोई जांच नहीं हुई। एक पड़ोसी ने टीन डाला, उसमें ही झंझट हुआ। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी ?

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि प्रश्न ३ में कथित अधिकतर कत्लों, डकैतियों और चोरियों में पुलिस द्वारा अधिकतर सही मुजरिमों के बजाय गलत आदमियों को फंसाने के कारण गवाही नहीं मिलती और अदालतों को इसका अभास होने से ये मुकदमे अधिकतर छूट गये हैं ? यदि हां, तो इन कत्लों की बाढ़ को रोकने के लिये मंत्री जी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सही गवाह नहीं मिलने से मुकदमे अदालतों से छूट जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सच्चे से सच्चे गवाह मिल जावें और अगर नहीं मिलते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी मेरी इस बात को प्राइमाफेसी सही मान कर कि डकैतियों में, ३९९ में, प्रायः सभी निर्दोष व्यक्ति पकड़े जाते हैं और सही जांच नहीं होती है, जल्दबाजी कर दी जाती है जिस से निर्दोषों को सजा हो जाती है, इसलिये जांच के लिये आप कोई विजिलेंस कमीशन या किसी वरिष्ट व्यक्ति को भेज कर जांच करावेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब इस सदन में आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि विरोधी पक्ष का सदस्य कुछ कहेगा और मंत्री जी दूसरी बात कहेंगे तो मंत्री जी का सही माना जायेगा, तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि फिर इधर का कोई सदस्य यह कैसे कह सकता है कि मेरी बात को सही मान कर.....

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपने कल भी उठाया था। मैं स्पष्ट कर दूं। जिस प्रकार से माननीय काशीनाथ जी यह आशा करते हैं कि जो सूचना वह यहां पर दें उसे असत्य न कहा जाय इसी तरह यही अधिकार हर सदस्य को देना होगा। मैंने यह नहीं कहा था कि मंत्री जी की बात सही मानी जाय। मैंने यह कहा था कि किसी आदरणीय सदस्य की कही हुई बात को यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह असत्य कह रहे हैं। अपनी सूचना के अनुरूप प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि उसे सही मान कर वह उसे व्यक्त करे। यही परम्परा वाक्-स्वतंत्रता की मौलिक सिद्धान्तों के अनुरूप है। अपनी सूचना के अनरूप आप यहां अपनी बात कहते हैं और उनकी सूचना के अनुरूप वह कहते हैं। दोनों बातें सदन के सामने आ गईं। उसके ऊपर आप सदस्यगण सत्यता की परीक्षा करने के लिये २,४ प्रश्न कर सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बात नहीं है। हमारा यह कहना है कि विरोधी पक्ष के लोग अपनी देखी या जानकारी के आधार पर बात कहते हैं। मगर सरकार आई० सी० एस०, आई० ए० एस० वालों की बात कहती है। तो इसमें आप किसकी तरजीह देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

एक नियम आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपके पास सबूत इस बात का है कि जो आपने कहा है वह सही है और मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है तो उस सबूत के साथ आप मुझे पत्र भेज सकते हैं या मंत्री जी को भेज सकते हैं। माननीय मंत्री जी का और मेरा कर्तव्य होगा कि आपके भेजे सबूत के सम्बन्ध में हम जांच करें कि क्या सही बात है। जो भी अधिकारी गलत सूचना देने का दोषी हो, उसके ऊपर कार्यवाही मंत्री जी करें। यह हम चाहते हैं।

दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास विश्वसनीय तथ्य हैं तो आप नियम ५० के अन्तर्गत उस प्रश्न को उठा सकते हैं। उस पर मौका दिया जायगा इस आधार पर कि आपके पास पत्र मौजूद हैं जिसके आधार पर आप कहते हैं कि गलत सूचना दी गई।

तहसीलदार, घाटमपुर के विरुद्ध आरोप

*५—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास कितने विधायकों ने तहसीलदार, घाटमपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें अप्रैल, सन् १९६४ में भेजी हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार ने की तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक प्रार्थना-पत्र जिसमें तहसीलदार घाटमपुर के विरुद्ध भी कुछ आरोप लगाया गया था प्रश्नकर्त्ता महोदय के पत्र के साथ अप्रैल, ६४ में प्राप्त हुआ था।

तहसीलदार, घाटमपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि घाटमपुर तहसीलदार के विरुद्ध मुख्य-मुख्य किन आरोपों की जांच कराई गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पहला आरोप तो यह था कि पट्टेदारों से दाखिल खारिज की दरख्वास्त होने पर रुपया चाहा और दूसरा यह था कि एन० डी० एफ० का रुपया उन्होंने स्वयं इस्तेमाल कर लिया।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी सूचना देंगे कि जांच के समय आरोपकर्त्ता की गवाही ली गई या नहीं ? यदि हां, तो किन लोगों की ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

एन० डी० एफ० का रुपया जमा हुआ और उसकी रसीद भी उनको दे दी गई थी। इसलिये उसमें गवाही की बात नहीं पैदा हुई। पट्टे के दाखिल खारिज का सवाल एस० डी० एम० के यहां था, तहसीलदार के यहां नहीं था।

श्री उग्रसेन—

क्या शिकायत करने के बाद रुपया जमा हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हमें खुद शक हुआ और हमने पूछा है कि कब रुपया जमा हुआ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतावेंगे कि क्या यह सही है कि जब तहसीलदार ने देखा कि शिकायत हो गई है और अब फंस रहे हैं तो उन्होंने खजाने में रुपया जमा किया ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे।

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

चायल तहसील में नर्वदा आश्रम को अनुदान

*७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील चायल में स्थापित नर्वदा आश्रम को साबुन आदि बनाने के लिये गत तीन वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा कितन कर्ज, अनुदान तथा सहायता दी गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नर्वदा आश्रम को साबुन उद्योग के लिये खादी एवं ग्रामीण उद्योग की योजना के अन्तर्गत कुल १०,२५० रुपये ऋण तथा ६,१५० रुपये अनुदान के रूप में केवल १९६१—६२ में दिये गये थे ?

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नर्वदा आश्रम, जिसके अधिष्ठाता श्री एच० एन० बहुगुणा जी और श्रीमती बहुगुणा जी हैं, उनको इन अनुदान और कर्ज के अलावा कृषि औजार और हल बैल के लिये भी कोई अनुदान या कर्ज दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने तो पूछा है कि नर्वदा आश्रम को साबुन आदि बनाने के लिये गत तीन वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा कितना कर्ज, अनुदान तथा सहायता दी गई । अब क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री नाथराम शिक्षक—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह अनुदान, कर्ज के अलावा हल, बैल और कृषि औजारों के लिये भी दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास इस समय जो सूचना है उसके अनुसार सोप के लिए और आयल प्रेसिंग यूनिट के लिये दिया गया है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

१९६२—६३ में साबुन, खादी आदि बनाने के लिये या उससे और किसी प्रकार के ग्रामोद्योग चलाने के लिये कोई अनुदान या कर्जा दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

इस नर्वदा आश्रम के पदाधिकारी कौन हैं, जो इस को चलाते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

अगर दूसरी सूचना आपके पास नहीं है, तो क्या इस बात की सूचना है कि नर्वदा आश्रम के मालिक बहुगुना जी को साबुन और तेल घानी लगाने के लिये जितना अनुदान दिया गया था, उसका सही खर्च न करके, उसका दुरुपयोग किया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास यह सूचना है कि जो १० हजार रुपया उनको ऋण और सहायता के रूप में दिया गया था, उसमें से थोड़ा उन्होंने पेमेंट किया है और शेष जब ड्यू होगा, वसूल किया जायगा।

श्री उग्रसेन—

रुपया जिस काम के लिये लिया गया था, वह काम किया या नहीं, इसकी मंत्री जी क्या जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

सरकार की ओर से लगभग १७ हजार रुपया दिया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी कुल पूंजी कितनी है, क्या मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सारी सहायता–खादी कमीशन नियमानुसार देता है, जब वे रुपया देते हैं, तब इन सब बातों को देखते हैं। वह एक इंडिपेंडेंट बाडी है। इसलिये हमें यह सूचना नहीं है कि उनका कितना कैपिटल लगा हुआ है। यह सूचना है कि खादी कमीशन ने इतना रुपया दिया।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि इस पर ५० (१) में बहस करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह आप मुझे लिखकर दे दीजिये, मैं देख लूंगा।

सिकन्दरा ग्राम का कथित कत्ल

*८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरा में सन् १९६४ के उत्तरार्द्ध में कोई कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई और इस कत्ल तथा थाना सिकन्दरा एस० ओ० के विरुद्ध बदमाशों को प्रश्रय देने के सम्बन्ध में गृह मंत्री को १ दिसम्बर से १५ दिसम्बर, १९६४ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम सिकन्दरा में वर्ष १९६४ में कोई कत्ल नहीं हुआ है अतः उस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

१ दिसम्बर से १५ दिसम्बर तक ग्राम सिकन्दरा से सम्बन्धित १ गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सहारनपुर व देहरादून चीनी मिलों में चीनी का भाव

*९—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, देहरादून की शुगर मिल्स को मुजफ्फरनगर, मेरठ इत्यादि जिले में चीनी के मूल्य से आठ रुपये प्रति क्विंटल कम भाव मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। सहारनपुर व देहरादून की चीनी मिलों को मेरठ, मुजफ्फरनगर व बुलन्दशहर की चीनी मिलों से चीनी का मूल्य आठ रु० प्रति क्वींटल कम मिलता है। चीनी का मूल्य Tariff Commission की सिफारिश के अनुसार चीनी मिलों की रिकवरी (recovery) तथा सीजन की लम्बाई (duration) पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलंदशहर की चीनी मिलों की तुलना में सहारनपुर तथा देहरादून की चीनी मिलों की रिकवरी (recovery) तथा सीजन की लम्बाई (duration) अधिक है।

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस वर्ष पश्चिमी जिलों में जब से शुगर मिल्स चलती हैं चीनी की रिकवरी की दर कब-कब, क्या-क्या रही और क्यों तथा इस कम रिकवरी के कारण शुगर मिल्स को जो घाटा हुआ और उत्पादन में कमी हुई उसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पश्चिमी जिलों की चीनी मिलों की पाक्षिक रिकवरी (recovery) का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है। गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े भी दिये हुये हैं, रिकवरी विशेषतः निम्नलिखित कारणों से कम रही है:—

(१) गन्ने की फसल के जलमग्न (water logged) होने तथा काना (Red rot) बीमारी के प्रकोप से चीनी परता में भारी कमी।

(२) देर में बारिश होने से गन्ना देर में पका (delayed maturity)

(३) गुड़ के अच्छे भाव के कारण गन्ना कृषकों द्वारा अधिक मात्रा में गुड़ बनाने के लिये अच्छा गन्ना पेरा जाना तथा चीनी मिलों को घटिया गन्ना देना।

(४) गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने के अधिक मूल्य की मांग पर हड़ताल करना जिसके कारण कुछ चीनी मिलों को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा गन्ना नहीं मिलता था और वे रुक-रुक कर चलती रहीं उन्हें इकट्ठा किया हुआ गन्ना पेरना पड़ता था जिसके सूखा व बासी होने के कारण चीनी परता में कमी रही।

आशा है कि सीजन के अन्त पर भारत सरकार चीनी के भाव पर पुनः विचार करेगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०३२–१०३३ पर)

कृषि, उद्योग, सिंचाई योजनाओं पर व्यय

*११—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय योजना के १९६४–६५ में कृषि, उद्योग (छोटे और बड़े), सिंचाई इन तीनों योजनाओं पर कितना–व्यय हुआ है और कितना धन निर्धारित था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश की तृतीय योजना के १९६४–६५ में कृषि कार्यक्रमों के लिये २४.४५ करोड़ रुपये उद्योग (छोटे और बड़े) के लिये ५.६७ करोड़ रुपये और सिंचाई के लिये १२.७५ करोड़ रुपया निर्धारित था। वर्ष के लिये व्यय की राशियां, मार्च १९६५ के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगी।

नोट—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समाप्त हो गया।

शाहजहांपुर में खादी उद्योग के अन्तर्गत दुकान

*१२—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में राजकीय खादी उद्योग विभाग को सेल डिपो खोलने के लिये दुकानें २४ मार्च, १९६४ को किराये पर ली गयीं ? यदि हां, तो क्या उसमें दो-ढाई हजार रुपये का फर्नीचर भी लगाया गया है ? यदि हां, तो अब तक दूकानें खुली क्यों नहीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विभाग द्वारा केवल एक दुकान दिनांक २४-३-६४ को सेल डिपो खोलने हेतु किराये पर ली गई। इसमें लगभग दो हजार तीन सौ रुपया शो केस व फर्नीचर आदि में खर्च हुआ। दुकान मौके की होने के कारण कुछ पहले ले ली गई थी क्योंकि हो सकता है कि बाद में इतनी अच्छी दुकान न मिल सके। कुछ समय दुकान को सजाने के लिये भी आवश्यक था। दुकान में बिक्री दिनांक १८.१२.६४ से चालू हो गई है।

*१३—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या यह सही है कि दूकान के मालिक को अब तक कोई किराये का पैसा नहीं दिया गया है जबकि मालिक दूकान प्रति माह जिला उद्योग अधिकारी, शाहजहांपुर को पत्र लिखते रहते हैं जिनका उत्तर भी नहीं दिया गया ? सविवरण सदन की मेज पर सरकार रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण दुकान मालिक को सम्पूर्ण किराये के भुगतान करने में विलम्ब हुआ परन्तु जनवरी, १९६५ तक का पूरा किराया अदा कर दिया गया है। दुकान मालिक को जिला उद्योग अधिकारी द्वारा समय समय पर किराये के भुगतान की स्थिति बता दी गई थी।

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[६ ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवगढ़ जैन मन्दिर की सुरक्षा

*१५—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कुछ दिन पूर्व झांसी जिले के ऐतिहासिक देवगढ़ जैन-मंदिरों से मूर्तियों के कलापूर्ण तथा सिरों की चोरी के बाद उन मंदिरों-मूर्तियों की सुरक्षा के लिये उसकी ओर से कौन उपाय किये गये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

युद्ध सेवा के लिये सुविधायें

*१६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सरकार (३-९-६४) के लिये निर्धारित श्री विजय सिंह द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न १ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान संकट-काल और द्वितीय महायुद्ध में युद्ध सेवा में गये अस्थायी कर्मचारियों को जो युद्ध सेवा काल का लाभ दिया गया है वह क्या राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को समान रूप से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विभेद को मिटाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। गत महायुद्ध में डाक्टरों को और वर्तमान संकटकाल में डाक्टरों और इंजीनियरों को कुछ विशेष सुविधायें दी गयी हैं। ये सुविधायें उन्हें फौज में उनकी अत्यन्त कमी के कारण देनीं पड़ी।

डाक्टरों व इंजीनियरों को ऊपर वर्णित विशेष परिस्थितियों में विशेष सुविधा दी गई थी। अन्य कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई विभेद है ही नहीं जिसे मिटाने की आवश्यकता हो।

*१७—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार इस बात की जानकारी करने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने अपने उक्त प्रकार के कर्मचारियों को वरीयता तथा पेंशन आदि में उनके युद्ध—सेवा—काल का लाभ प्रदान किया है, तो राज्य सरकार भी वरीयता तथा पशन आदि की मदों में वह लाभ देने में तत्पर होगी और इस प्रश्न पर राज्य सरकार पुनः विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत सरकार से जानकारी की गयी। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को वरीयता तथा पेंशन आदि में कोई लाभ नहीं दिया है। अतः प्रश्न में वांछित राज्य सरकार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

गोरखपुर जिले में पवह नाले पर पुल न बन सकना

*१८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बरडाड़ गांव के टोला मध्धूजोत के निकट पवह नाला पर जो पुल बनने वाला था तथा जिसके बनने के लिये गिट्टी बालू आदि कई महीनों से पड़ा हुआ है उसका क्या प्राक्कलन है तथा कब तक कार्य शुरू हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर जिले के बरडाड़ गांव के टोला मध्धू जोत के निकट पवह नाला पर पुल बनाने का तखमीना १,११,३०० रुपये का था पर पुल निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि लाभान्वित संस्थाओं ने उक्त लागत का समुचित भाग देना स्वीकार नहीं किया। जो सामान एकत्रित है वह शिकार गढ़—बरडाढ़—बरघपुर सड़क बनाने के लिये है, पुल के लिये नहीं।

लखनऊ म रवीन्द्रालय निर्माण का ठेका

*१९—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित रवीन्द्रालय निर्माण में कितना रुपया प्रदेशीय सरकार द्वारा तथा कितना रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

रवीन्द्रालय के निर्माणहेतु प्रदेशीय सरकार द्वारा ११,४६,००० रुपये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा २,५०,००० रुपये दिये गये।

*२०—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि यह रुपया जो इसको दिया गया वह मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट को दिया गया था और उसी ने अपने देख-रेख में यह रवीन्द्रालय बनवाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। रुपया मोती लाल मेमोरियल सोसायटी को दिया गया था। उन्होंने रवीन्द्रालय के निर्माण का कार्य मुख्य अभियंता, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में कराया है।

*२१—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इसका कान्ट्रैक्ट किसको दिया गया था और जो रुपया इसको दिया गया वह पूरा व्यय हो चुका है अथवा शेष बचा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका कन्ट्रैक्ट विभिन्न ठेकेदारों को संलग्न सूची के अनुसार मोती लाल मेमोरियल सोसायटी द्वारा दिया गया था। १३,९६,००० रुपये के अनुदान में से १२,०१,२९९ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि का भुगतान सोसायटी के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३४ पर)

आगरा कलेक्टरी से राइफलों की चोरी

*२२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में आगरा की कलेक्टरी कचेहरी मे जिला सहायता एवं पुनर्वासन के कमरे से २२ बोर की तीन रायफलें चोरी चली गयीं ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सत्य है कि आगरा की कलेक्टरी कचेहरी में जिला सहायता एवं पुनर्वास कार्यालय के कमरे से २२ बोर की तीन अनुपयोगी (Unserviceable) रायफलें २६/२७ दिसम्बर १९६४ की रात्रि में चोरी चली गईं। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस की तफतीश के दौरान में चोरी गई हुई तीनों रायफलें मथुरा जिले के थाना सादाबाद के अन्तर्गत पुलिस तथा बदमाशों में हुई मुठभेड़ दिनांक ५/६-१-६५ को रात्रि में मृतक लच्छी और इकबाल से प्राप्त हुईं। अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सबूत के अभाव में पुलिस ने उक्त मामले की फाइनल रिपोर्ट सं० १७ दिनांक ११-२-६५ सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जो कि २-३-६५ को स्वीकृत की गई। सम्बन्धित कर्मचारीगण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

आजमगढ़ जिले में विमुक्त जातीय छात्रों को सहायता

*२३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सरकार विमुक्त जातियों के बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिये कौन-कौन सुविधायें दे रही है ?

डाक्टर सीताराम—

विमुक्त जाति के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिये छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता शासन द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त आश्रम पद्धति की पाठशालायें भी चलाई जा रही हैं। जिसमें निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त मुफ्त भोजन, वस्त्र एवं आवास आदि की व्यवस्था है।

*२४—श्री उमाशंकर—

क्या उत्तर प्रदेश में समाज—कल्याण (हरिजन, पिछड़ी जातियां एवं अन्य उपेक्षित-वर्ग) १९६१—६२ नामक पुस्तिका, जो निदेशालय, हरिजन तथा समाज—कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित हुई है, उसके परिशिष्ट ४ पेज ४८ पर उल्लिखित आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर और गोरखपुर भर के विद्यार्थियों के लिये कौन—कौन सी सुविधायें सरकार ने प्रदान की हैं ?

डाक्टर सीताराम—

शासन द्वारा छात्रवृत्ति अनावर्ती सहायता तथा आश्रम पद्धति पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने का प्राविधान है ।

*२५—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार एक सूची मेज पर रखेगी जिसमें आजमगढ़ के किन—किन विमुक्त जातियों के किन—किन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उनको विमुक्त जाति होने के कारण मिलती है, दी हो ?

डाक्टर सीताराम—

वांछित† सूचना संलग्न है ।

[२५ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गन्ना विकास विभाग में आडिटरों का वेतन-क्रम

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग में गाड़ी आडीटर की ग्रेडेशन लिस्ट पर १९४८ से निरन्तर आडीटरों द्वारा की गई अपीलों के बावजूद अब तक कोई भी सुधार न हो सका और उसी के अनुकूल पदोन्नति होती रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास विभाग में आडीटरों की ग्रेडेशन लिस्ट बनाने में आडीटरों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण नियमों में संशोधन करने पड़े । अन्तिम बार यह संशोधन दिसम्बर १९६४ में किये गये और अब इन स्वीकृत नियमों के अनुसार गन्ना आयुक्त के कार्यालय में आडीटरों की अस्थायी ग्रेडेशन लिस्ट फिर बनाई जा रही है ।

आडीटरों के संवर्ग में पदोन्नति समय-समय पर तत्कालीन ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर ही की गई है ।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समान वेतन पर कार्य करने वाले गन्ना विकास विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति तथा चुनाव का आधार एक-सा ही है अथवा भिन्न-भिन्न है ? यदि भिन्न हैं तो क्या और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास विभाग में समान वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के कई संवर्ग हैं, प्रत्येक संवर्ग के पदों के चुनाव तथा पदोन्नति के नियम भिन्न-भिन्न हैं । यह भिन्न नियम पदों के लिये अलग-अलग आवश्यक योग्यताओं पर निर्भर हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

थाना कोतवाली, फतेहपुर में जमा चोरी के जेवर में गड़बड़ी

*३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न ३ के उत्तर के संदर्भ में क्या यह सही है कि थाना इंचार्ज ने अपनी मोहर के बजाय श्री हसनउद्दीन हेड कान्सटेबिल की मोहर से बण्डल सर्व मोहर करा कर उसी के सुपुर्दगी में ही बण्डल व मोहर डेढ़ माह तक तीनों जेबरात गायब कराने की नीयत से रखवाया और १८ मई, १९६२ से ३० मई, १९६२ तक कोतवाली के दैनिक मुआयने में दोनों की साजिश से दर्ज नहीं कराया गया ? ये आरोप दोनों पर दफा ७ की कार्यवाही में भी लगाये गये हैं ? यदि हां, तो फिर इन दोनों को मुअत्तिल व बरखास्त न करके क्रमशः बैड इन्ट्री व ६ माह की तरक्की १२ रुपये करके बख्शने का मकसद क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि थाना इंचार्ज ने अपनी मोहर के बजाय श्री हसनउद्दीन हेड कान्सटेबिल की मोहर से आभूषणों के बण्डल को सर्व मोहर किया था और वह बण्डल थाना कोतवाली के मालखाने में रखवाया और १८-५-६२ से ३०-५-६२ तक थाने के मालखाने के दैनिक मुआयने में दर्ज नहीं किया जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध दफा ७ की कार्यवाही में आरोप लगाये गये किन्तु यह सिद्ध नहीं हो सका कि ऐसा उक्त थाना इंचार्ज एवं हेडकांस्टेबिल द्वारा जेवरात गायब करने की नीयत से किया गया। उक्त हेड कांस्टेबिल को छः महीने के लिये तनख्वाह एक ग्रेड नीचे कर देने का दण्ड दिया गया था उसे बढ़ा कर उनकी एक वर्ष के लिये कांस्टेबुल के पद पर अवनति कर दी गई है। थाना इंचार्ज को दिया गया दण्ड पर्याप्त है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

*४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब अदालत से सी० आई० डी० की रिपोर्ट से और दफा ७ की कार्यवाही से २२ माह तक मुअत्तल रखा जाने वाला हेड कान्स्टेबिल मालखाना सदर सिद्ध हुआ तथा पूर्व दोषी उक्त दोनों कर्मचारियों के फैसले के भी ८ माह बाद सवेतन बहाल किया गया तो उसकी चरित्रपंजी में दुश्चरित्र लेख करने का आधार क्या है और उसकी मुअत्तली के समय का लगभग ३,००० रुपया वेतन व वादी द्वारा दायर २,२५० रुपये की नालिश का रुपया देने की जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर ही हेड कान्स्टेबिल, मालखाना, सदर के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ की कार्यवाही की गई और यद्यपि सामान के गायब होने में उनकी जिम्मेदारी सिद्ध नहीं हो सकी किन्तु उनका आचरण संदिग्ध पाया गया। अतः उनकी चरित्रपंजी में दुश्चरित्र लेख अंकित किया गया था। परन्तु यह सजा बढ़ाकर उनको दो वर्ष के लिये कांस्टेबिल के पद पर पदाच्युत कर दिया गया है। चूंकि वादी ने अदालत में आभूषणों की चोरी के बारे नालिश की है और मामला अदालत में विचाराधीन है अतः रुपया देने के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

जौनपुर जिले में उद्योग ऋण की वापसी

*५—श्री जगन्नाथराव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में लघु उद्योग प्रसार योजनानुसार लघु उद्योगों के विकास हेतु १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में, प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ तथा उसमें प्रत्येक वर्ष कितने धन की रिकवरी की आज्ञा दी गई तथा प्रत्येक वर्ष कितना धन रिकवरी द्वारा वसूल हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

पी० सी० एस० ऐन्ड कम्बाइंड सर्विस में हरिजन

*६---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० सी० एस० और कम्बाइंड सर्विस में कुल कितने लोग सन् १९६४ में लिये गये हैं और उसमें हरिजन तथा पिछड़ी हुई जाति के कितने हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

कुल ७९ जिसमें १५ हरिजन हैं। पिछड़ी जाति वालों का ब्योरा नहीं रखा जाता।

सेंट्रल हिन्दू कालेज, वाराणसी में रणजीतसिंह यादव को सहायता

*७---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, वाराणसी के रणजीतसिंह यादव एम० ए० प्रथम वर्ष अंग्रेजी की छात्रवृत्ति Jit के स्थान पर Jeet लिखा था इसलिये इन्कार कर दिया गया है जब कि उस कक्षा में केवल एक ही छात्र है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं।

*८---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त लड़के की छात्रवृत्ति का आदेश दिसम्बर, १९६४ में किस तिथि को प्राप्त हुआ और छात्रवृत्ति किस तिथि को दी गई ?

डाक्टर सीताराम---

इनको छात्रवृत्ति नहीं बल्कि ३०० रुपया अनावर्तक सहायता स्वीकार हुई।

मेरठ निवासी स्वर्णसिंह की शिकायतों की जांच

*९---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि दिल्ली के मासिक पत्र "दि इन्डियन डिटेक्टिव" दिनांक दिसम्बर, १९६४ के पृष्ठ १ व २ पर जो "A challenge to U. P. Government" 'I was attacked Brutally' तथा 'victim of injustice' नामक शीर्षक समाचार छपा है उसकी सत्यता क्या है और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिल्ली की मासिक पत्रिका "दी इन्डियन डिटेक्टिव", दिसम्बर, १९६४ के पृष्ठ १--२ पर नहीं, वरन २--५ पर प्रकाशित समाचार में मेरठ के श्री स्वर्णसिंह से संबंधित निम्नलिखित चार वारदातों का उल्लेख है :---

(१) स्त्री का अपहरण, (२) बच्चे का गायब किया जाना, (३) घर में चोरी तथा (४) पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने की शिकायत।

जांच से पता चला कि इनकी स्त्री का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि वह स्वेच्छा से एक अन्य सैनिक के साथ चली गई थी।

इनके कोई बच्चा नहीं था और न इनकी किसी भी रिपोर्ट में बच्चे का कोई जिक्र है। इन्होंने स्त्री को प्राप्त करने के लिए बाद में चोरी की रिपोर्ट लिखाई जिसकी जांच की गई। पुलिस ने कुछ सामान भी बरामद किया तथा अभियुक्तों का चालान किया। श्री स्वर्णसिंह अदालत में गवाही के लिये हाजिर नहीं हुए अतः अभियुक्त न्यायालय द्वारा बरी हो गए।

उपर्युक्त विवरण से सिद्ध है कि पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही न करने की शिकायत सही नहीं है।

बागपत तथा सरसवा चीनी मिल

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बागपत, जिला मेरठ तथा सरसावा, जिला सहारनपुर स्थित कोआपरेटिव शुगर मिल्स कब-कब बनाई गईं, उन पर जुदा-जुदा कुल खर्च किस-किस मद में कितना-कितना हुआ तथा उनमें प्रति वर्ष कितना घाटा या मुनाफा रहा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बागपत चीनी मिल का निर्माण कार्य वर्ष १९५९–६० में पूरा हो गया और दिनांक २९–११–६० से मिल पहली बार चली। किसान कोआपरेटिव चीनी फैक्टरी, सरसावा, जिला सहारनपुर का निर्माण-कार्य वर्ष १९६१–६२ में पूरा हुआ और दिनांक २६–११–६२ से फैक्टरी ने नियमित रूप से गन्ने की पेराई आरम्भ की। इन उपरोक्त मिलों में अलग-अलग जितना धन जिस-जिस मद में खर्च हुआ तथा वर्षानुसार लाभ हानि हुई वह संलग्न सारिणियों में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०३५ पर)

*११—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या बागपत स्थित चीनी मिल के वहां से हटाये जाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है? यदि हां, तो क्यों, और कहां?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, सम्पादक राष्ट्रदूत की शिकायतों की जांच

*१२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ से प्रकाशित होने वाले 'राष्ट्रदूत' समाचार-पत्र के प्रधान सम्पादक श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी ने प्रदेश के गृह मंत्री को ४ नवम्बर, सन् १९६४ को एक तार तथा ६ नवम्बर सन् १९६४ को एक रजिस्ट्री भेज कर आजमगढ़ ऐंड चन्द जिलाधीश पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणों के साथ शिकायत की थी? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, सम्पादक 'राष्ट्रदूत' आजमगढ़ का इस आशय का संबंधित तार तथा ६ नवम्बर ६४ का पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें अंकित आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने स्वयं जांच की परन्तु आरोप सही नहीं पाये गये।

*१३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रदूत के सम्पादक श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी को विजयदशमी से दो दिन पूर्व गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया और उन्हें २५ अक्तूबर, सन् १९६४ को छोड़ा गया। इस अवधि में उनको नियम विरुद्ध ढंग से जेल में बन्द रखा गया

था और उन्होंने अनशन भी किया था ? छूटने के बाद श्री त्रिपाठी ने दिनांक २६ अक्तूबर, १९६४ को गृह सचिव के पास प्रार्थना-पत्र भेज कर यह आज्ञा मांगी है कि नियम विरुद्ध जेल में बन्द रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मुझे मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी को १०-१०-६४ को जुडिशियल अफसर, फूलपुर, इलाहाबाद के कोर्ट से धारा १९३-१९९ भा० दं० विधान के एक विवाद के सम्बन्ध में जारी किए गए बिला-जमानती वारन्ट के आधार पर पकड़ा गया था। जेल दाखिला का समय समाप्त हो जाने के कारण उन्हें कोतवाली में रखा गया और दूसरे दिन ११-१०-६४ को सुबह मजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त कर उन्हें जेल भेजा गया। श्री त्रिपाठी को उसी दिन इलाहाबाद को रवाना कर दिया गया था। इस प्रकार उनके साथ कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई।

श्री त्रिपाठी के २६-१०-६४ के प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति एवं उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जांच की जा रही है।

*१४--श्री चन्द्रजीत यादव--

[सातवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में भर जातीय छात्रों को सहायता

*१५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के भर जाति विमुक्त जाति में गिने जाने के बावजूद उनके बच्चों से पढ़ाई की फीस क्यों ली जाती है ?

डाक्टर सीताराम--

भर जाति विमुक्त जाति होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति में नहीं आती है। अतः उनके बच्चों की फीस माफ नहीं की जा सकती है।

*१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भर जाति के बच्चों को चालू वर्ष में आजमगढ़ जिले में कितना रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--

दसवें दर्जे तक ५८५ रु० और दशमोत्तर कक्षाओं में १,२८७ रु० छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

चकिया तहसील में भूमिहीन हरिजन

*१७--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव नर्वदापुर, मझगवां, डोमरिया, परसिया, देउरा, तालुहा नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी, में सैकड़ों भर हरिजन, खरवार, कोल हैं, जो उस जमीन के हैं जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने इन गांवों की दरख्वास्तों को अपने पत्र के साथ दिनांक १३ नवम्बर, १९६४ को मुख्य मंत्री जी को भेजा था ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पूरे चकिया तहसील की जांच कराने जा रही है कि वहां वे जमीन वाले कितने हैं ?

डाक्टर सीताराम—

दिनांक १३-११-६४ का कथित पत्र मुख्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में सूचना देने, किसी कार्यवाही करने तथा चकिया तहसील की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*१८-१९—श्री चन्द्रजीत यादव—

[छठे गुरुवार के लिए प्रश्न ६५-६६ के अन्तर्गत स्थान्तरित किये गये।]

लखनऊ में रतनेश्वरप्रताप उपनाम ललिया की हत्या

*२०—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

कृपया गृह मंत्री को पता है कि श्री रतनेश्वर उर्फ ललिया नाम के व्यक्ति की, जो कि मेडिकल कालेज में नौकर था, दिनांक ५ जनवरी, १९६५ की रात्रि को रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थाना हजरतगंज, शहर लखनऊ के इलाके में? यदि हां, तो अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, श्री रतनेश्वरप्रताप उपनाम ललिया, जो मेडिकल कालेज में काम करते थे, की हत्या ५/६-१-६५ की रात्रि में हुई थी। यह घटना थाना हजरतगंज के क्षेत्र में नहीं बल्कि हसनगंज थाने के क्षेत्र में हुई। दो अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अभी जांच जारी है।

*२१—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा राजा विक्रमशाह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मामले में तीन आदमी थाना हजरतगंज में बन्द किये गये किन्तु बाद में जयनारायण नाम का व्यक्ति छोड़ दिया गया जब कि उसकी तौलिया लाश के पास बरामद हुई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त हत्या के सम्बन्ध में दो व्यक्ति पकड़े गये जो जेल भेज दिये गये हैं। जयनारायण नामक कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। अतः उसके छोड़े का प्रश्न नहीं उठता। लाश के पास कोई तौलिया नहीं बरामद हुई थी।

समाजकल्याण विभाग, बहराइच से हटाये गये कर्मचारी

*२२—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिला अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग में कौन-कौन से कर्मचारी वर्ष, १९५९ से अब तक अपने पद से हटे या हटाये गये हैं और कब-कब?

*२३—यदि हां, तो उनकी जमानतें तथा अन्य फंड उन्हें वापस मिल चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम—

†सूचना संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

खीरी जिले में गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य का भुगतान

*२४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने गन्ना उत्पादकों को वर्ष, १९५८-५९, १९५९-६० पिराई सीजन का चीनी मिलों द्वारा अतिरिक्त मूल्य का भुगतान देने का आदेश किया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। मिल वार ब्यौरा तालिका "अ" में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ १०३६-१०३७ पर)

*२५—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या राज्य सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कथित अतिरिक्त गन्ने के मूल्य हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला, अवध शुगर मिल्स, हरगांव तथा गोविन्द शुगर मिल्स, ऐरा, जिला खीरी द्वारा कब तक भुगतान किया जावेगा और प्रति क्विंटल कितना ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अवध शुगर मिल्स, हरगांव तथा गोविन्द शुगर मिल्स, ऐरा के संबंध में यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन दोनों मिलों के अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण शुगर केन (एडिशनल) प्राइस फिक्सेशन अथारिटी द्वारा अभी नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला, पर १९५८-५९ के लिए शून्य तथा १९५९-६० के लिए २४ पैसे प्रतिमन अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है। परन्तु इस मिल के द्वारा इस अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का प्रश्न रुक गया है। क्योंकि इस मिल ने शुगर केन (कंट्रोल) आर्डर, १९५५ के खण्ड ३ उपखण्ड ५ (अ) के अन्तर्गत अथारिटी के मूल्य निर्धारण के विरूद्ध भारत सरकार को अपील कर दी है।

चीनी मिलें

*२६—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे इस वर्ष तथा गत वर्ष के हों :—

(१) प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिलों के चलने की तारीख तथा ३१ जनवरी तक गन्ने की पेराई,

(२) ३१ जनवरी तक गन्ने की कीमत क्रय-कर कितनी आय हुई और कितनी अदायगी हुई,

(३) चीनी कितनी बनी और रिकवरी प्रतिशत,

(४) कौन-सी मिल कितने दिन बन्द रही ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(१) इस वर्ष तथा गत वर्ष प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिलों के चलने की तारीख तथा ३१ जनवरी तक की गन्ने की पेराई के आंकड़े संलग्न तालिका (क) में दर्शाये गये हैं।

(२) इस वर्ष १९६४-६५ एवं गत वर्ष १९६३-६४ के जनवरी, ३१ तक गन्ने की कीमत एवं क्रय-कर के मद में कितनी आय हुई और कितनी अदायगी हुई उसे संलग्न तालिका (ख) एवं (ग) में क्रमशः देखा जा सकता है।

(३) उक्त समय तक जितनी चीनी बनी और चीनी की प्रतिशत मात्रा के आंकड़े भी †तालिका (क) में निहित हैं।

---

†छापी नहीं गई।

(४) दोनों सीजनों (१९६४–६५ एवं १९६३–६४) में ३१ जनवरी तक जो मिल जितने दिन तक बन्द रही उसकी सूचना तालिका †(घ) पर अंकित है।

मुरादाबाद तथा नैनीताल जिलों में करघा सहकारी समितियों के रिबेट क्लेमों का भुगतान

*२७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद तथा नैनीताल जिलों की करघा सहकारी समितियों के किस-किस महीने के रिबेट के क्लेमों का भुगतान नहीं किया गया है ? और उसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) मुरादाबाद एवं नैनीताल जिलों की करघा सहकारी समितियों को विभिन्न महीनों के जिन रिबेट क्लेमों का भुगतान नहीं हुआ है उनकी विस्तृत सूचना उप-मंत्री उद्योग के कार्यालय में किसी भी समय देखी जा सकती है।

(ख) रिबेट क्लेमों का भुगतान निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सका :—

(१) वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में उत्तरीय क्षेत्र को रिबेट के मद में केवल तीन लाख रुपया दिया गया था जिसमें से समस्त प्राप्त रिबेट क्लेम का भुगतान न हो सका। फलतः कुछ रिबेट क्लेम भुगतान के लिए रह गये।

(२) समितियों से जो रिबेट क्लेम के बिल प्राप्त हुए, वे संदेहात्मक प्रतीत हुए अतः उनके संबंध में विस्तृत जांच करनी पड़ी और कुछ के संबंध में अभी भी जांच हो रही है। इन कारणों से भुगतान रुका रहा।

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अधिकांश सहकारी समितियां सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा से सूत क्यों नहीं खरीदतीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहकारी समितियां सुविधानुसार सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा का सूत खरीदती हैं। जिन समितियों को वहां से सूत खरीदने में सुविधा नहीं है वह वहां से सूत नहीं खरीदती।

उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर

*२९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर (कानपुर) की कालोनी में कुल कितने विमुक्त जाति परिवार इस समय रह रहे हैं तथा इनमें से कितने परिवार पक्के क्वार्टर तथा कितने कच्चे क्वार्टरों में रह रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

इस समय राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर, कानपुर में विमुक्त जाति के २२१ परिवार रह रहे हैं। जिनमें से ७४ परिवार पक्के तथा १४७ परिवार कच्चे क्वार्टरों में रह रहे हैं।

*३०—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर के कच्चे क्वार्टर बहुत पुराने होने के कारण रहने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो उन्हें पक्के बनवाने की व्यवस्था कब तक कर रहे हैं ?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम---

राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर, कानपुर के कच्चे कवार्टर पुराने होते हुए भी रहने के योग्य हैं। इनको पक्का करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

*३१---श्री मुरलीधर कुरील---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर (कानपुर) में कितने ऐसे विमुक्त जाति के परिवार हैं जिनके प्रति कोई शिकायत नहीं है तथा उनकी आय व रहन-सहन इस योग्य है कि स्वतंत्र रूप से उन्नयन बस्ती से बाहर साधारण नागरिकों के साथ रह कर जीवन-यापन कर सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम---

राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर (कानपुर) में विमुक्त जातियों के ६० परिवार ऐसे हैं जिनके प्रति शिकायतें नहीं हैं। इनमें से ५० परिवारों की आय व रहन सहन इस योग्य है कि वे स्वतंत्र रूप से बस्ती से बाहर साधारण नागरिकों के साथ रह कर जीवन यापन कर सकते हैं।

होम गार्ड्स

*३२---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में होम गार्ड्स की स्थापना की गई है और उसको डी० पी० ओ० के अधीन जिलों में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस प्रदेश में होम गार्ड्स की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर होम गार्ड्स संबंधित जिलाधीश के संपूर्ण नियंत्रण तथा निदेश के अधीन है।

*३३---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या होम गार्ड्स में भर्ती किये गये सदस्यों, अधिकारियों के चाल-चलन की जांच पुलिस से कराई गई ? यदि हां, तो जो चोरी या राहजनी आदि में रहे हैं उन्हें इससे पृथक किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां। रिपोर्ट विपरीत होने पर ऐसे व्यक्तियों को होम गार्ड्स संगठन में नहीं रखा जाता है।

*३४---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिले-स्तर के शासन में होम गार्ड्स को पुलिस के अधिकारियों के पास रखे जाने में क्या कठिनाई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

होम गार्ड्स की रूप रेखा केंद्रीय शासन द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार प्रदेश में गठित की गई है।

एम० एस० परमार, इंजीनियरिंग वर्क्स, सहारनपुर का प्रार्थना-पत्र

*३५---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एम०एस० परमार, इंजीनियरिंग वर्क्स, लेबर कालोनी, सहारनपुर का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २७ जनवरी, १९६५ का उद्योग मंत्री को बावत

दिये जाने उद्योग कर्जा ८०,००० रु० मिला है ? यदि हां, तो उस में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेज दिया गया है ।

न्योली चीनी मिल, जिला एटा

*३६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न्योली शुगर फैक्टरी, जिला एटा में किसानों की बैलगाड़ियों आदि के ठहरने हेतु अब तक टीन शेड क्यों नहीं बने जब कि यह आदेश सन् १९६३ में गया था ? किसानों को कमरा तथा बैलों आदि को लढौरी आदि की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

न्योली शुगर फैक्टरी, जिला एटा में किसानों तथा बैलों के ठहरने की पर्याप्त सुविधा है किन्तु बैलों को खिलाने के लिए लढौरी की कोई व्यवस्था नहीं है और न इसकी व्यवस्था करने के लिए चीनी मिल नियमतः बाध्य ही है ।

न्योली चीनी मिल द्वारा गन्ने की खरीद

*३७—सर्वश्री बेदराम, गंगाप्रसाद वर्मा तथा राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्योली चीनी मिल, एटा जिला से गन्ना, बिना गन्ना सोसाइटी बनाये खरीद रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चीनी मिलें गन्ना समितियां नहीं बनातीं । इनका गठन कृषकों की प्रार्थना पर गन्ना विकास विभाग द्वारा किया जाता है । न्योली में भी अन्य स्थानों की भांति एक गन्ना समिति है परन्तु उसकी व्यवस्था ठीक न होने के कारण, कृषक गन्ना सीधे चीनी मिल को बेच देते हैं ।

*३८—सर्वश्री बेदराम, गंगाप्रसाद वर्मा तथा राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त मिल का मैनेजर बिना सोसाइटी बनाये सस्ता गन्ना खरीदवा कर मिल मालिकों को लाखों रुपया का मुनाफा कराकर गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय बना रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मिल के मैनेजर सस्ता गन्ना खरीद रहे हैं । हर फैक्ट्री को गन्ने के नियंत्रित मूल्य देना अनिवार्य है और ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि न्योली फैक्ट्री नियंत्रित मूल्य से किसानों को कम दाम दे रही है ।

नियोजन अन्वेषणालय का प्रगति विवरण

*३९—श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार नियोजन, अनुसंधान तथा कार्य-संस्थान ने गत दस वर्षों में क्या कार्य किये हैं ? क्या सरकार उनका विवरण तथा लेखे-जोखे सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

नियोजन अन्वेषणालय ने गत १० वर्षों में जो प्रगति की है व विशेषतः १९६४-६५ में कार्य किया है वह संलग्न पुस्तिका (विकास अन्वेषणालय प्रकाशन संख्या, ३३७) में दिया है। यह पुस्तिका १९६५-६६ में प्रस्तावित बजट के समय समस्त विधान सभा के सदस्यों में बांटी गई है। अन्वेषणालय के लेखे-जोखे का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०३८ पर)

*४०--श्री किशोरीलाल अग्रवाल--

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इस संस्थान द्वारा जो चिनहट पंचायत उद्योग चलाया जा रहा है उसके गत पांच वर्ष के हिसाब का आडिट किया गया कि नहीं ? यदि हां, तो हर वर्ष की आडिट रिपोर्ट के अनुसार क्या लाभ हुआ या हानि ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*४१-४२---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

ग्वालदम में पर्वतारोहण प्रशिक्षण कन्द्र खोलने का आयोजन

*४३--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी (जिला चमोली)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार की ओर से कुछ माह पहले उन्होंने चमोली जिले के ग्वालदम नाम के स्थान में जिस पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र के खोले जाने की घोषणा की थी, वह कब तक खुलेगा और अभी तक उसके न खुल पाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि वे इस केंद्र को स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता दें। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

रामनगर थाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४४---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के थाना रामनगर की शांति और व्यवस्था संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र सरकार और जिला अधिकारियों को दिसम्बर, १९६४ ई० में प्राप्त हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, दिसम्बर, १९६४ में दो प्रार्थना-पत्र जो एक ही घटना के बारे में थे, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्राप्त हुए थे। उक्त पार्थना-पत्र देने वाले व्यक्तियों में से एक का प्रार्थना-पत्र सरकार को भी प्राप्त हुआ था।

*४५---श्री गिरजाप्रसाद--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त थाना से संबंधित कोई पत्र पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को जनवरी, १९६५ में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य क्या बातें थीं ? और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, तीन पत्र पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को जनवरी, १९६५ में प्राप्त हुए। इनमें रामनगर थाने पर रिपोर्ट न लिखे जाने और अपराधों के बारे में कार्यवाही न किये जाने तथा थानाध्यक्ष द्वारा दुर्व्यवहार और डरा धमका कर तहरीर लिखाने की शिकायतें की गई हैं। समस्त शिकायतों की जांच की गई। थानाध्यक्ष का जिले से स्थानान्तरण कर दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले में सहायक थानेदारों की पदोन्नति

*४६--श्री सुबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के वर्तमान एस० पी० महोदय ने अपने कार्य-काल में जिले के कितने छोटे थानेदारों को थाना इंचार्ज बनाया? इन लोगों की पृथक-पृथक कितने वर्ष की सर्विस थी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वर्तमान पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद ने अपने कार्य-काल में अब तक तीन सहायक थानेदारों को थानाध्यक्ष बनाया है।

एक की--२३ वर्ष ८ माह।

दूसरे की--१६ वर्ष ११ माह।

तीसरे की--१६ वर्ष ३ माह।

*४७--श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि नियुक्त किये गये थाना इंचार्जों से कई थानेदार सीनियर हैं और उनका सर्विस रिकार्ड भी अच्छा है, फिर भी वे छोटे थानेदार ही हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, कुछ सीनियर थानेदार हैं परन्तु उनके सर्विस रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए उनको थानाध्यक्ष के पद के लिए योग्य नहीं समझा गया।

*४८--श्री सूबेदारसिंह--

क्या यह सही नहीं है कि थाना इंचार्ज बनाते समय पक्षपात और जातीयता का अधिक ध्यान मौजूदा एस० पी० द्वारा रखा जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सही नहीं प्रतीत होता है।

हरिजन छात्रावास

*४९--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३-६४ में हरिजन छात्रावासों के निर्माण हेतु कितने रुपये की धनराशि थी, यह छात्रावास कहां-कहां पर बन गये और धन का व्यय कितना हुआ?

डाक्टर सीताराम--

१९६३-६४ में हरिजन छात्रावासों के निर्माण हेतु धन का कोई प्राविधान नहीं था। प्रश्न नहीं उठता।

*५०—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर यह धनराशि छात्रावास बनाने के काम में नहीं लाई गई ? यह धनराशि कितनी शेष है ? क्या यह धन ३१ मार्च से पूर्व मंगा कर दूसरे छात्रावासों के निर्माण में तुरन्त सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता ।

*५१—श्री जसरामसिंह—

इस धनराशि से जहां छात्रावास बने हैं वह हरिजन छात्रों के काम में नहीं आ रहे हैं और बहुधा ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहां पर छात्रावास की आवश्यकता ही नहीं है। क्या शेष बची धनराशि का सदुपयोग करने के हेतु सरकार अपने अधिकार से व्यय करने का आदेश देगी, जिससे हरिजन गरीब छात्र लाभ उठा सकें ?

डाक्टर सीताराम—

सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। प्रश्न नहीं उठता ।

*५२-५४—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[सातवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

एच० बी० टी० आई०, कानपुर से निदेशक की नियुक्ति के सम्बन्ध में रिट

*५५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर में प्रिंसिपल के होते हुए निदेशक का पद क्यों और किस तारीख में बढ़ाया गया तथा निदेशक की नियुक्ति किस तारीख में और किस आधार पर हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

डाक्टर ऋषीकेश त्रिवेदी, भूतपूर्व प्रिंसिपल, एच० बी० टी० आई०, कानपुर ने इसी प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट पीटीशन (writ Petition) में रखा है। अतः न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस प्रश्न पर और कुछ कहना जनहित में न होगा।

*५६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निदेशक पद के लिए आवश्यक योग्यतायें क्या हैं तथा वर्तमान निदेशक की क्या योग्यता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के निदेशक के पद पर नियुक्ति काम चलाऊ आधार पर की गई थी। ऐसा करने में प्रिंसिपल, एच० बी० टी० आई० के पद की योग्यतायें ध्यान में रखी गई थी क्योंकि दोनों पदों का वेतन क्रम एक ही था। निदेशक के पद के लिए स्थाई रूप से योग्यतायें निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान निदेशक की योग्यता, विवरण पत्र १ के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०३९-१०४० पर)

*५७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसे उक्त निदेशक तथा एच० बी० टी० आई० में चल रही अव्यवस्थाओं के विरुद्ध कोई स्मृति-पत्र प्रांतीय विद्यार्थी परिषद् तथा स्टाफ की ओर

से प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनके विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। प्रांतीय विद्यार्थी परिषद् की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जांच हो रही है।

भेलसर थाने में बालक का शव मिलना

*५८—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेहीघाट, थाना भेलसर के ग्राम लुलुवापुर में दिनांक १ फरवरी, १९६५ को किसी बालक का शव पाया गया ? यदि हां, तो उस संबंध में पूरी घटना क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ३१ जनवरी, १९६५ को ग्राम लुलुवापुर जिला, बाराबंकी के श्री मिश्रीलाल की पत्नी अपने पुत्र त्रिभुवन जिसकी आयु १ वर्ष ११ महीने थी, को उसके भाई व बहिनों के पास छोड़कर हाट में काम करने चली गई। वह जब लौट कर आई तो त्रिभुवन न मिला। उस दिन तलाश से त्रिभुवन का पता न चला। १ फरवरी, १९६५ को लुलुवापुर के श्री मेवालाल ने थाना भेलसर पर इसकी लिखित रिपोर्ट दी कि त्रिभुवन की लाश उसी दिन प्रातःकाल ७ बजे गांव के पूर्व एक तालाब के किनारे पड़ी मिली।

*५९—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त लाश बरामद होने की सूचना थाने में कितने बजे मिली तथा पुलिस अधिकारी तफतीश के लिए घटनास्थल पर कितने बजे पहुंचे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

शव प्राप्त होने की सूचना थाने में १ फरवरी, १९६५ को १२ १/२ बजे दिन के समय दी गई। जांच अधिकारी जी एक कत्ल की जांच के सबंध में गये हुए थे, थाने से सूचना पाने पर घटनास्थल पर ५ बजे शाम को पहुंचे।

*६०—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या उक्त बालक का पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, पोस्टमार्टम परीक्षा कराई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि मृत्यु डूब कर दम घुटने के कारण हुई।

पनियाली ग्राम में रेशम उद्योग के लिये भूमि

*६१—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९६१ ई० के माह मार्च में जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली में रेशम उद्योग विभाग, देहरादून ने हजारों में रजिस्ट्री-बैनामे द्वारा जो भूमि खरीदी है उस भूमि को अब तक उपयोग में न लाये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त गांव में १०,११६ रु० की १० एकड़ जमीन १९६२ में खरीदी गई। चूंकि इस जमीन पर कानूनी अड़चनों के कारण विभाग को, अभी नियमित अधिकार नहीं मिल सका है। इसलिए उसे उपयोग में नहीं लाया जा सका।

*६२—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि रेशम उद्योग विभाग के किये गये रजिस्ट्री बैनामे में कुछ ऐसी भूमि अंकित की गई है कि जिससे अब तक विभाग के नाम कागजात माल भी दुरुस्ती न हो सकी ? यदि हां, तो इस किस्म की फर्जी कार्यवाही करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्यों कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के मालिक ने माल विभाग से सर्टिफिकेट आफ अलीनेशन नहीं लिया था अतः उक्त भूमि के कागजात की दुरुस्ती अभी तक नहीं हो पाई। इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया गया है। इस संबंध में जो त्रुटि हुई है उसकी जांच हो रही है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि जरूरत हुई तो कार्यवाही की जायगी।

*६३—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रेशम उद्योग विभाग ने उल्लिखित ग्राम में रजिस्ट्री-बैनामे से असल कितने बीघा भूमि खरीदी और जाहिरा कितनी है, इसका कोई सही प्रमाण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुल १० एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। चूंकि इस जमीन पर अभी विभाग को नियमित अधिकार नहीं मिला है अतः उसकी नाप जोख नहीं हो सकी है और उसका जाहिर रकबा बता सकना संभव नहीं है।

इलाहाबाद कुम्भ मेले पर हुये फसाद की जांच

*६४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद कुम्भ मेले के अवसर पर बसन्त पंचमी दिनांक ६ फरवरी, १९६५ को किले के समीप फौजी नौजवानों तथा पुलिस के बीच झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप बहुत से पुलिस तथा फौजी जवान हताहत हुए ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी तथा इसमें कितने आदमी घायल हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इलाहाबाद कुंभ मेले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार ६ फरवरी, १९६५ को सुबह पुलिस द्वारा ट्राफिक कंट्रोल के सिलसिले में लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों से असन्तुष्ट होने के कारण किले की ई० एम० ई० वर्कशाप के कुछ सिविलियन कर्मचारियों के रोकने पर ईटें व ढेले चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में एक मैजिस्ट्रेट, १० पुलिस कर्मचारी तथा जिले के तीन सिविलियन कर्मचारियों को चोटें आई। घटना की एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

सेरामऊ थाने में कैटिल लिफ्टर शेरनी

*६५—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

सन् १९६५ के १ले गुरुवार के लिए तारांकित निर्धारित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने बतलाया है कि इस समय कोई कैटिल लिफ्टर टाइगर नहीं है किंतु प्रश्नकर्त्ता को यह निश्चित जानकारी है कि जिलाधीश, शाहजहांपुर द्वारा ग्राम केसरपुर कला थाना सेरामऊ उसडी में शेरनी दिनांक ३० मई, १९६४ को कैटिल लिफ्टर घोषित की गई थी जिसकी मियाद २९ मार्च, १९६५ तक है और जिस पर ५० रु० इनाम भी है और जो कि अभी मारी नहीं गई है ? ऐसी दशा में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कौन-सी बात सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह सही है कि ग्राम केसरपुर कलां, थाना सेरामऊ उसडी, में शेरनी दिनांक ३० मई, १९६४ को कैटिल लिफ्टर घोषित की गई थी जिसकी मियाद २९ मार्च, १९६५ तक है, लेकिन इस समय कोई कैटिल लिफ्टर वहां पाया नहीं गया है ।

सम्भल में जनरल अयूब की विजय का कथित उल्लास प्रदर्शन

*६६--श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ७-८ या ९ जनवरी, १९६५, को आर्य समाज, संभल, मुरादाबाद, के अध्यक्ष द्वारा कोई ऐसी सूचना मिली कि संभल में ४ जनवरी, १९६५, को जनरल अयूब की विजय के उल्लास में कोई जलूस निकाला गया तथा पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हर गोविन्दसिंह--

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना गृह मंत्री के कार्यालय में नहीं आई ।

चमोली जिले की बिजली योजनायें

*६७--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार की चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की कोई योजना है जिससे गांवों का आर्थिक विकास व औद्योगिक उन्नति हो सके ? यदि हां, तो कितने गांवों को सरकार योजना के प्रथम चरण की अवधि में ले रही है और जिले के संपूर्ण ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण हो जाना संभव है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिला चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई योजना तैयार करने व स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की बहुत सी योजनायें हैं । प्रथम चरण के आदि में १३ योजनायें ली गई हैं । इनमें से ४ योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ४ ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

इनके अतिरिक्त ९ योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है और इनमें से ६ योजनाओं के प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स बन चुके हैं तथा ३ के प्रायोजना अनुमान (प्रोजेक्ट एस्टीमेट) बन रहे हैं और ८ योजनाओं पर सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

चमोली जिले के संपूर्ण ग्रामों का विद्युतीकरण करना तो संभव नहीं है परन्तु उपरोक्त योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर चमोली जिले के २२ ग्रामों का विद्युतीकरण हो जायगा ।

*६८--श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)---

[हटा दिया गया]

कर्णप्रयाग-ग्वालदम सड़क में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*६९--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में कर्ण प्रयाग-ग्वालदम मोटर सड़क के निर्माण में ग्राम कुलसारी, लोल्टी-थराली तलवाड़ी आदि की जमीनें ली गई है ? उपरोक्त ग्रामों के संबंधित क्षतिग्रस्त ग्रामीणों के द्वारा अनेकों बार प्रशासन से विभिन्न उच्च स्तरों को प्रार्थना-पत्रों के दिये जाने पर भी उन ग्रामीणों को जमीन का मुआविजा क्यों नहीं दिया जा रहा है और यह

कार्य क्यों रुका पड़ा है ? क्या सरकार अब अविलम्ब जांच करवा कर उन गरीब ग्रामीणों को, जिनकी जमीनें ली गई हैं, शीघ्र ही जमीन का मुआविजा देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बामपन्थी कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी

*७०--श्री झारखण्डेराय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत दिसम्बर, १९६४, के अंतिम सप्ताह में कुछ प्रतिद्वन्द्वी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और नेताओं की आम धर-पकड़ की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

दिसम्बर, १९६४, के अंतिम सप्ताह में डिफेंस आफ इंडिया रूल्स, १९६२, के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, जिनका संबंध वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी से है ।

*७१--श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस जिले से कितने-कितने कुल व्यक्ति इस प्रकार गिरफ्तार किये गये हैं और वे क्यों गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर संलग्न सूची में दिया है । इन व्यक्तियों की कार्यवाहियां भारत सुरक्षा व जन सुरक्षा के हित में हानिकर समझी गई ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०४१ पर ।)

*७२--श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उनके साथ जेल में उच्च श्रेणी का व्यवहार नहीं किया जा रहा है और क्या सरकार उनके प्रमुखों पर केस चलाने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । सभी व्यक्तियों को उच्च श्रेणी में रखा गया है। चूंकि इन व्यक्तियों को डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, १९६२, के नियम ३० के अन्तर्गत नजरबन्द किया है, अतएव उनके प्रमुखों पर केस चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये उचित-मूल्य-दूकानें

*७३--सर्वश्री कमलासिंह यादव तथा माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिये सब्सिडाइज्ड स्टोर्स खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सरकारी कर्मचारियों के लिये उचित मूल्य दुकानें (fair price shops) खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है । यह दुकाने शीघ्र ही खुल जायेंगी ।

इलाहाबाद में स्वर्णकार संघ की मांगें

*७४---श्री कल्याण चन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के स्वर्णकार संघ ने स्वर्ण नियंत्रण विरुद्ध १ दिसम्बर, १९६४, को जिलाधीश के बंगले के सामने प्रदर्शन किया था ? यदि हां तो उसमें उनकी कौन-कौन सी मांगे जिलाधीश को दी गई थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां, इलाहाबाद के स्वर्णकार संघ ने स्वर्ण नियंत्रण के विरुद्ध १ दिसम्बर, १९६४, को जिलाधीश के बंगले के सामने प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०४२-१०४३ पर।)

*७५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में स्वर्ण नियंत्रण होने के बाद सरकार ने स्वर्णकारों को सलाह कमेटी बनाने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो यह कमेटी किन-किन जिलों में बनी तथा इलाहाबाद में उसकी मीटिंग कितनी बार हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां, स्वर्णकारों के पुनर्वासन के लिये प्रत्येक जिले में एक जिला परामर्शदात्री समिति बनाने के लिये सरकार ने आदेश दिए हैं। यह समिति नैनीताल तथा चमोली के अतिरिक्त सभी जिलों में बन गई है। इलाहाबाद में इसकी अभी तक तीन बैठकें हुई हैं।

निर्यात प्रोत्साहन निगम

*७६---श्री मन्नालाल---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या शासन ने किसी निगम को स्थापित करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो---

(अ) उसकी पूरी रूप रेखा क्या है,
(ब) कितनी पूंजी से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है, तथा
(स) संबंधित पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये निगम स्थापित करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। कोई निश्चय अभी नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

सूरजपुर निवासी कृष्णकुमारसिंह उर्फ गोपाल जी पर हमला

१---श्री झारखण्डे राय---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरजपुर निवासी (थाना मोहरी घाट जिला आजमगढ़) श्री गोपाल जी को दिन दहाड़े लगभग ९ बजे दिन में गत ९ जनवरी को कतिपय घातक हथियारों से लेस गुन्डों ने हमला कर मरणासन्न घायल और अधमरा कर छोड़ दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गोपाल जी, ग्राम सूरजपुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़, को ९ जनवरी को नहीं वरन ८ जनवरी, ६५ को ९-३० बजे दिन में कुछ लोगों द्वारा रंजिश के कारण मारपीट कर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई।

२—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस विषय में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई और किन-किन की ?

हर गोविन्दसिंह—

उक्त घटना से संबंधित निम्नलिखित १३ व्यक्ति अदालत में हाजिर हो गए, जिनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में बिचाराधीन है।

१—बच्चन राम, २—मुन्ना राम, ३—मदन गोपाल राम, ४—पूजन राम, ५—विश्वनाथ, ६—श्यामा चरन, ७—बलभद्र, ८—गिरजा शंकर, ९—मुक्ता राम, १०—सहदेव, ११—जगन्नाथ, १२—देव नारायन और १३—राम बचन ।

आजमगढ़ जिले में औद्योगिक विकास योजनायें

३—श्री बजविहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के औद्योगिक विकास की कोई योजना सरकार बना रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आजमगढ़ जिले के औद्योगिक विकास के लिये निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें कुछ नई योजनाएं हैं तथा कुछ वर्तमान योजनाओं को ही बढ़े पैमाने पर कार्यान्वित किया गया है।

१—लघुस्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष १९६४–६५ में ऋण एवं अनुदान के लिये ५,६४,००० रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

२—रेशम की रंगाई व छपाई के लिये विशेष अर्थ व्यवस्था की गई है तथा गैरसरकारी उद्योग क्षेत्र में २ कारखाने शीघ्र लगने की संभावना है ।

३—प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत १९६४–६५ में १,२०,५०० की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत एडवान्स ट्रेनिंग कोर्स में प्रत्येक ट्रेनी को ५० रु० प्रति मास वृत्ति दी जायेगी ।

४—औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत नई औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की व्यवस्था की गई जिनमें समस्त सुविधायें, जैसे कारखाने की इमारत जल, विद्युत आदि, उपलब्ध हैं । इस योजना के लिये सरकार ने वर्ष १९६४–६५ में २,७०,००० रु० की धनराशि की व्यवस्था की है।

५—हस्त करघा उद्योग के विकास के लिये ४,२०,००० रु० की धनराशि की व्यवस्था वर्ष १९६४ –६५ में की गई है । इसके अतिरिक्त हस्त करघा सहकारी समितियों को चालू पूंजी देने हेतु वर्ष १९६४–६५ में १२.१३८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

६—पाइलेट वर्कशाप सेन्टर आजमगढ़ के विस्तार योजना के अन्तर्गत ७० व्यक्तियों को प्रति वर्ष विभिन्न धन्धों में प्राविधिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इसके लिये ६७,००० रु० की व्यवस्था है ।

७—इसके अतिरिक्त उद्योगों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु कुछ अन्य विशेष सुविधायें जैसे बिक्री-कर व चुंगी में रियायत, घटी दर पर ऋण तथा कच्चे माल की प्राप्ति में प्राथमिकता देने आदि की योजनाओं पर भी सरकार बिचार कर रही है जिससे कि अन्य स्थानों से उद्योगपति इस पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये आकृष्ट हो सकें ।

४---श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार उक्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में, जहां बहुत अधिक पटसन उत्पन्न होता है, कोई ऐसी औद्योगिक योजना बनाने की कृपा करेगी ताकि उस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अतरौलिया क्षेत्र के लिये पटेल आयोग ने विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की है। केवल व्यक्तिगत क्षेत्र में टाटपट्टी व सुतली उद्योग को स्थापित करने का सुझाव दिया है। उस सिफारिश के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में एक इकाई को ढाई हजार रुपया अतरौलिया क्षेत्र में ऋण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एक अन्य इकाई को भी २५०० रु० का ऋण स्वीकृत हो चुका है ।

नोट--१९६५-६६ वित्तीय वर्ष का परिव्यय अभी निश्चित नहीं है। अतः इसकी सूचना नहीं दी जा रही है ।

लोहा मंडी आगरा में श्री आई० पी० सिंघल का मकान अध्याप्त करना

५--श्री लखीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा लोहामन्डी मकान १८/२ को सिविल डिफेंस कार्यालय के लिये ले लिया गया है? यदि हां, तो उसका मकान मालिक कौन है और क्या उनके पास रहने के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां। इस मकान के मालिक श्री आई० पी० सिंघल है । मकान मालिक का कुछ सामान दो कमरों में बन्द है जिनको सील कर दिया गया है। श्री सिंघल इस मकान के एक बरामदे का उपयोग कर रहे हैं जिसमें उनके चारपाई, बरतन इत्यादि कुछ घरेलू सामान रखे हुए हैं ।

६---श्री लखीसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मकान को २ मई, सन् १९६४, को लेकर अधिकारियों ने ताले डाल दिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मकान का कब्जा अधिकारियों ने २ मई, १९६४, को ले लिया।

७---श्री लखीसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस मकान को श्री इन्द्रपाल सिंघल ने सरकार से ८,००० रु० कर्ज लेकर बनवाना शुरू किया था और जिस समय यह लिया गया उससमय तक पूरा बना भी नहीं था ? क्या यह सत्य है कि ८ महीने से इनके बच्चे मकान से बाहर पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो जिस पर रहने के लिये दूसरा मकान नहीं उसका मकान लेने का क्या विशेष कारण था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जांच द्वारा ज्ञात हुआ है कि श्री सिंघल ने किसी कोआपरेटिव सोसाइटी से लो इनकम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ७,५०० रुपया कर्ज लिया था। जिस समय इस मकान का कब्जा लिया गया था तो यह पूरा बना हुआ था। यह सत्य नहीं है कि उनके बच्चे ८ महीने से मकान के बाहर पड़े हुए हैं।

आगरा शहर के 'इ' सिविल डिफेन्स डिवीजन के दफ्तर के लिये यह मकान उपयुक्त पाया गया। श्री सिंघल ने मौखिक रूप से इस मकान को किराये पर देना मंजूर किया। बाद में उनके मुकरने पर जिलाधीश ने इसे डी० आई० आर० के अन्तर्गत रिक्वीजीशन कर लिया।

बहराइच में औद्योगिक ऋण का वितरण

८—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर बहराइच में उद्योग विभाग द्वारा दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना किस-किस उद्योग के लिये कर्ज दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

विविध जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आज समाचार-पत्रों में माननीय छागला जी का बड़ा सहृदयतापूर्ण बयान निकला है, उन्होंने कल लोक सभा में यह बराबर कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के टीचर्स के केस को स्पेशल अटेन्शन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, तो उचित यह होगा कि उस दल के नेता के द्वारा वह प्रस्तुत किये जायं, न कि यह कि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग प्रस्तुत करे। इसमें बड़ी कठिनाई होती है। जो प्रश्न उठाया जा रहा है, उसके संबंध में मेरे पास कामरो को प्रस्ताव भी है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मेरे ३ और ४ पर थे, इन प्रश्नों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला फतेहपुर में कत्ल, चोरी और डकैती बहुत बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जो उत्तर दिया गया है, उससे परिस्थिति स्पष्ट नहीं हुई, वह संतोषजनक नहीं है, तो उसको आप और तरीके से ले सकते हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

श्रीमन, मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला, नियम ५० के अन्तर्गत उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप उसको दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

प्रदेश के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास एक काम-रोको प्रस्ताव श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री उग्रसेन, तथा श्री गया प्रसाद जी का है, और एक इसी संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत श्री राधेश्याम शर्मा, श्री काशीनाथ मिश्र और श्री दौलतलाल जी की सूचना भी मेरे पास आई है, इस का संबंध छागला जी का जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में छपा है, उससे है। इस विषय पर मैं समझता हूं, काफी विवाद हो चुका है, और नियम ५३ में भी उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर किसी नई परिस्थिति पर माननीय। मुख्य मंत्री कुछ प्रकाश डालना चाहती हैं, तो डाल दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं और क्या-नया प्रकाश डालूं छागला जी का बयान पेपर में मैंने देखा है, दिल्ली में कैलाश जी उनसे मिले भी हैं, और आज वह वहां ठहर भी गये हैं। यह बात सारे शिक्षकों को सर्वविदित है कि सरकार उनकी मांगों पर काफी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। हमारे पास साधन होते तो इतनी देरी भी न लगती, साधन की कमी है, इसीलिए विचार किया जा रहा है। हमने बहुत दफा उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह बाईकाट करना शोभा नही देगा, आज भी हम उन्हें यही समझा रहे हैं। परिस्थिति कुछ सुलझ रही है। इसलिए, जैसा कि छागला जी ने कहा है, शिक्षकों को बाईकाट समाप्त कर देना चाहिए, तो मसला बहुत सुलझ सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, हमारा-काम रोको प्रस्ताव आप देख लें, सरकार की ओर से स्पष्ट बयान न होने की वजह से सारी गलतफहमी फैलती जा रही है। छागला साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को ५० फीसदी देने का वादा किया है, और लिखित दे दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यह नहीं कहती, उसका उत्तर आप दिलवा दें, तो झगड़ा ही खत्म हो जाय कि केंद्रीय सरकार क्या कहती है, और इस सरकार का क्या कहना है।

श्री अध्यक्ष---

आप अगर कोई प्रश्न करना चाहें, तो प्रश्न कर लें।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि क्या उनके पास केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री श्री छागला का कोई पत्र इस प्रकार का आया है कि प्रदेश के अध्यापकों की महंगाई के संबंध में वह ५० प्रतिशत देना चाहते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मेरी जानकारी में ऐसा कोई स्पष्ट पत्र आया हो, यह नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगी कि उन्होंने जो अभी प्रश्नोत्तर बताया कि ऐसा कोई स्पष्ट पत्र श्री छागला से उनके पास नहीं आया है, तो क्या भारत सरकार से या श्री छागला जी से ऐसी कोई बात उनके पास आई है कि अगर सूबा सरकार तैयार हो जाय शिक्षकों की मांग पूरा करने के लिए तो उसका कुछ अंश भारत सरकार देने को तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जब २ सरकारों के बीच में बातचीत होती है तो इतनी डिटेल की बात करना संभव नहीं होता, उन्होंने जनरली राय दी है कि सिमपेथी है, कोशिश करेंगे लेकिन इस वक्त ५-१० या ५० प्रतिशत की बात कहना मुश्किल है ।

बर्मा से विस्थापित भारतवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आया है जिसे मैं केवल वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं । यह श्री झारखण्डेराय, श्री ऊदल, श्री रघुवीर राम तथा श्री रघुनाथ राम ने भेजा है । इसे सचिव पढ़ देंगे ।

एक यह श्री ब्रह्मदत्त मायर का है, इसको भी मैं शिक्षा मंत्री जी को उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

एक श्री देवेन्द्र सिंह का है, उपल वृष्टि के सम्बन्ध में । वह मैं माल मंत्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं, वह इस को भी अपने वक्तव्य में शामिल कर लेंगे ।

इनके अलावा जो हैं उनको स्वीकार करने में मैं असमर्थ रहा हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण दिया था....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा भी एक है ....(व्यवधान) नियम ५२ का, आप सुन लें....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमको आप अपने चेम्बर में ही सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

अच्छी बात है ।

सचिव, विधान सभा--

बर्मा सरकार की राष्ट्रीयकरण नीति....

एक सदस्य---

आप पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं ही पढ़े देता हूं । "बर्मा सरकार की राष्ट्रीयकरण नीति के कारण हजारों भारतवासी विस्थापित होकर भारत आये हैं । हमारे प्रदेश में भी लगभग कई हजार व्यक्ति दर-दर ठोकर खाते फिर रहे हैं । अकेले फैजाबाद जिले में लगभग २ सौ परिवार असहाय, निराश्रित जीवन बिता रहे हैं । उनका वहां कुछ भी नहीं है ।

मद्रास सरकार ने अपने प्रदेश के ऐसे विस्थापितों के पुनर्वास हेतु ५ करोड़ रुपया स्वीकृत किया है । हमारे प्रदेश की सरकार इस विषय पर पूर्ण उदासीन है ।

उनके पुनर्वास हेतु कदम उठाना चाहिये ।"

अब जिस-जिस ने नियम ५२ के अन्तर्गत दिये हैं वे आज मुझसे कार्यालय में मिल लें ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें आपके समक्ष आती ह और आप उन पर विचार करते हैं तो जिनको आप अस्वीकार करते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप उन आदेशों को जो उन पर देते हैं, हाउस में ही पढ़ दे,

श्री अध्यक्ष—

मैं बड़ी खुशी के साथ यह करता अगर मेरे पास १ या २ आते लेकिन जब १०–१० या १५–१५ आते हैं तो मुश्किल होती है। लेकिन उसके साथ निवेदन है कि प्रत्येक सूचना पर मेरे हाथ से लिखे हुए आदेश होते हैं कि मैं क्यों अस्वीकार कर रहा हूं। अगर आप तकलीफ करके पढ़ लें और अगर आपको असंतोष हो तो आप मुझसे मिल लें। हम विचार कर सकते हैं। अब यह विषय समाप्त हो गया।

२ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२–१४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २ मार्च, १९६५ को कुंवर रुकुम सिंह राठौर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२–१४ के सम्बन्ध में कुंवर रुकुम सिंह राठौर ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था:—

"क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियमानुसार बिना अभियोग पत्र दिये ही क्यों निलंबित कर दिया गया ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि:—

"अभियोग पत्र दिया गया। सिर्फ एक चीज यह हो गयी कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर देने के पहले उनको नोटिस दिया गया कि आपके खिलाफ यह आरोप है, आप क्यों न निलम्बित किये जायं। उसका जवाब नहीं दिया तो निलम्बित कर दिया।" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—"अभियोग पत्र निलम्बित करने के बाद भी दिया जा सकता है।"

मल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०४४ पर।)

कतिपय विषय

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, हमने सुना था कि नगर महापालिकाओं के चुनावों की डेट घोषित हो गयी है लेकिन ऐसे समाचार मिले हैं कि यह सरकार टालने की कोशिश कर रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में २–३ प्रश्न होने पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने स्पष्ट घोषित किया है कि २५ अप्रैल को हम अवश्य चुनाव करवायेंगे। यदि आपको उस सम्बन्ध में कोई शंका है तो आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं और आपको उत्तर मिल जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, ३०-३१ को आपने जुडिशियरी वाले मामले पर विचार करने का निश्चय किया है। अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि उन दिनों पर आप महाधिवक्ता, श्री कन्हैयालाल जी को भी आमंत्रित करें जिससे उनकी भी राय हम लोग सुन सकें ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा का जो विवाद तय हुआ है उसकी प्रति हमें अभी तक नहीं मिली है, वह मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

सबको मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय के खड़े होने पर) उस पर हम विचार करेंगे।

स्टेट हेल्थ बोर्ड के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में, जिसका कार्यकाल दिनांक ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त हो जायगा और जिसको पुनस्संघटित करने का प्रस्ताव है, कार्य करने के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में, जिसका कार्यकाल दिनांक ३० अप्रैल, १९६५, को समाप्त हो जायगा और जिसको पुनस्संघटित करने का प्रस्ताव है, कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो और निर्वाचनों के लिये मैंने तिथियां निश्चित की हैं वही इसमें भी निश्चित किये देता हूं।

(१) नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	२९ मार्च, १९६५, को सायंकाल ५ बजे तक।
(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	१ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।
(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	५ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक।
(४) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो	८ अप्रैल, १९६५, को विधान भवन के कमरा नं० ५० में, १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, मैं कई बार खड़ा हुआ और आपने डांट दिया। मैं वह जानना चाहता हूं कि यह जो फैसला बांटा गया है तो कब बांटा गया। मुझसे दस्तखत कराये गये। मुझ यह फैसला नहीं मिला है और बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। मुझे कब दिया गया और किस तरह से दिया गया, इसकी जानकारी मुझे कराने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह मैं देख लूंगा।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

नियम १०६ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव था। उसकी चर्चा आपने नहीं की ?

श्री अध्यक्ष---

उसका जिक्र करने का सवाल नहीं है। आदेश दे दिये हैं, आप देख लीजियेगा।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,४४, १४,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन-के अन्तर्गत ११,४०,९९,६०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

इन दोनों मांगों को पेश करते हुये मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि सामान्य प्रशासन के बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, जब हम लोग जनरल डिसकशन कर रहे थे। अब आप सदस्यगण की राय जानने के बाद ही मैं कुछ कहूंगी। इस समय मुझे यही कहना है कि ग्रान्ट नं० ९ जो है वह ज्यादातर हेड आफ स्टेट, मिनिस्टर्स, सेक्रेटेरियट और सम्बन्धित आफिसेज, इंस्पेक्टोरेट आफ आफिसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन और बोर्ड आफ रेवेन्यू से सम्बन्ध रखती है। इसमें २५ लाख ७५ हजार रुपया ज्यादा खर्च हुआ है बनिस्बत पिछले साल के और मद नं० १० जो है इसमें २ करोड़ ८ लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। इस खर्चे का कारण कुछ तो यह है कि उत्तराखंड में ज्यादा पैसा खर्च किया गया सड़कों तथा इमारतों को बनाने में और ५६ लाख रुपया पे-रेशनलाइजेशन में खर्च हुआ। कुछ रुपया खर्च हुआ सामान्य प्रशासन को ज्यादा एफिशियेंट बनाने में, सेक्रेटेरियट को स्ट्रीमलाइन करने में, विभागों को रिआर्गनाइज करने में, जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सके। सामान्य प्रशासन में दो चार बातें खास खास हैं जिनकी तरफ में सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी।

एक बात यह कि कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए चारों तरफ से यह कहा जा रहा है, और हम लोग भी महसूस करते थे, कि ज्यादा कोआर्डिनेशन होना चाहिए उन विभागों के बीच में जो उत्पादन से सम्पर्क रखते हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में राम सुभग जी की मातहती में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

एक कमेटी बैठाई गयी थी और उसने सिफारिश की थी सब प्रान्तों को। उसके अनुसार हमनें एग्रीचकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर बनाया है। इसमें ३, ४ विभागों का समन्वय होता है। मुझे इतना कहना है कि यह जो समन्वय किया गया है इसमें किसी आफिसर की संख्या नहीं बढ़ाई गयी है बल्कि एक आप आफिसर घट ही गाए हैं। जो आफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे उनको एडजस्ट कर दिया है और इससे काम सुचारु रूप से चल रहा है। एक माइनर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट बनाया है। पहले माइनर इर्रीगेशन डेवलपमेंट कमिश्नर के मातहत एक सेल के रूप में काम करता था, उसको डिपार्टमेंट की शक्ल दे दी है और आफिसर कोई नहीं बढ़ाया है। अब यह खुद अपने आप काम कर सकता है और जल्दी काम हो सकता है, नहीं तो नीचे के मातहतों के जरिए आर्डर्स लेने में बहुत देर लग जाती है। इसलिए देर न हो और काम जल्दी हो सके, इसके लिए हमने यह एक डिपार्टमेंट बनाया है।

दूसरे, हमने एक टेक्नीकल एजूकेशनल डिपार्टमेंट भी बनाया है। इसमें डिपार्टमेंट में तनख्वाह वगैरा कुछ नहीं बढ़ी है। यह डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट्स में बंटा हुआ है। जैसे लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और एजूकेशन डिपार्टमेंट, इनमें यह बंटा हुआ है। अब भी इसका बजट इन्हीं डिपार्टमेंट्स में आता है, लेकिन इन सबका समावेश करके एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इसलिए किया गया है जिससे ओवरलैपिंग हट जाय, इनकंसिसटेंसी हट जाय और कोआर्डिनेटेड तरीके से काम चल सके। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम टेक्नीकल एजूकेशन को काफी बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हमारे यहां टेक्नीकल एजूकेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे पास काफी ट्रेंड आदमी नहीं होंगे तब तक हम अपने प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पावर डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं।

फिर सेक्रेटेरियट का काम रुका न रहे और बहुत-सी शिकायतें लाल फीताशाही की होती हैं—यह हो जाता है जब डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं--इसमें स्ट्रीम लाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फाइल्स को हमने अपनी अपनी जगह पर रखा है। जैसे कि मैंने पहले बतलाया है, तीन लाख फाइल्स को रिकार्डेड कर दिया है, दो लाख फाइल्स को वीड आउट कर दिया है और एक लाख ७५ हजार फाइल्स को रिकार्ड रूम में कंसाइन कर दिया है। पिछले साल केवल २४ हजार फाइल कंसाइन हुई थीं। इसके माने यह हैं कि पिछले साल से ६ गुनी फाइल्स हमने कंसाइन कर दी हैं। हमने नए कानून बनाए हैं जिससे काम जल्दी हो सके और यह मालूम हो सके कि एक महीने में फाइल पर काम हुआ है या नहीं, यदि नहीं हुआ है तो उस पर फौरन कार्यवाही हो सके।

फिर खर्चे को कम करने का भी प्रयास हमेशा किया जाता है। पिछली दफा भी खर्च कम करने का प्रयास किया गया है। हमने कुछ इकोनामी की थी लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जो इकोनामी हमने सजेस्ट की थी वह फिर से रिस्टोर हो गई है। इस समय हमने एक इकोनामी कमेटी चीफ सेक्रेटरी की मातहती में बनाई है, जो डिपार्टमेंट के काम को स्क्रूटनाइज करेगी और इस कमेटी की सिफारिशों से काफी इकोनामी होने की उम्मीद है। इकोनामी के जो प्रपोजल्स आयेंगे उनको सख्ती के साथ लागू करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट्स में बहुत-सी जगह ज्यादा आदमी हैं। उनकी वजह से काम में देरी होती है क्योंकि फाइल के दो तीन जगह पास होने में काफी देर लग जाती है। कुछ डिपार्डमेंट्स ऐसे हैं जहां काम नाकाफी है। इसलिये सरप्लस आदमियों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे ताकि एफीशियेंटली और अफेक्टिवली काम हो सके।

इसके अलावा काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए हमने एक आर्गेनाइजेशनल मैथेड्स सैल बनाया है, जो यह देख रहा है कि मैन पावर वैस्टेज न हो, इसको कैसे रोका जाय। इस पर वह विचार कर रहा है और अपनी सिफारिश वह देगा। यह भी कोशिश हो रही है कि सही आदमी को सही जगह लगा देंगे जिससे काम जल्दी और एफीशियेंटली हो सके।

इस बात की भी बहुत शिकायतें थीं कि सेक्रेटेरियट में बहुत दिनों से लोग पड़े हुए हैं। हमने इसके लिए प्रयत्न किया है कि ज्यादा दिन तक कोई आदमी नहीं रहना चाहिए, उसका टांसफर होना चाहिए। लेकिन किन्हीं एक्सेपशनल केसेज में जहां टेक्नीकली एक्सपर्ट आदमी हैं उसको न हटा कर थोड़े समय और रखेंगे। यह भी देखना है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बहुत जल्दी ट्रांसफर्स हो जाते हैं और कभी-कभी बहुत दिनों तक नहीं होते हैं। इसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर कुछ नई सर्विसेज हमने बनाई थीं, कुछ नई पोस्ट्स हमने क्रिएट की थीं, उनके बारे में अब तक कोई कानून नहीं था। उसे अब हम बना रहे हैं ताकि वे भी रूल्स में आ सकें और उनको एक डिसिप्लिन में रख सकें।

जब जांच की गई तो यह देखने में आया कि आफिसर्स जितना टूरिंग करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनका जनता से सम्पर्क नहीं होता था और जनता को जितनी रिलीफ मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने सख्ती के साथ हिदायतें भेजी हैं कि जितना टूरिंग करना है वह जरूर करें। और वह करें या न करें इसका भी ध्यान रखना चाहिये। इसलिए हर हाफ ईयरली वे अपनी रिपोर्ट दें कि उन्होंने किस ढंग से टूरिंग किया है और नहीं किया है तो क्यों। हमारे हिदायत के बाद इसमें कुछ प्रगति हुई है।

एक शिकायत साधारण तौर पर होती है और आप लोग भी करेंगे, करप्शन की। करप्शन तो सारे भारत में और सारी दुनिया भर में थोड़ा बहुत फैला हुआ है लेकिन प्रयास हमारा है कि उसको रोका जाय। उसके लिए सेक्रेटेरियट लेविल पर जो आदेश हैं, नियम हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। जब वह उन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं तभी करप्शन होता है। तो हमने नियम बना दिया है कि अगर कोई आफिसर पर इतना खर्च हो रहा है कि जो उसकी तनख्वाह है उसको उसका काम जस्टीफाई नहीं करता तो सुपीरियर आफिसर्स निगरानी रखेंगे कि क्यों खर्च हो रहा है। साल के अन्त में एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट देने की भी बात है। इसी तरह से ऐसे-ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं कि इनके ऊपर भी सख्ती की जाय।

आपको मालूम है कि एक नया विजिलेंस कमीशन बना है। उसके बारे में मैं सदन में कह चुकी हूं; अब उस पर विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। उसके दो विंग हैं एक तो इन्वेसटीगेशन और दूसरा प्रासीक्यूशन। इसका काम चालू हो गया है और ६९ केसेज उनके सामने हैं जिसकी वह जांच कर रहे हैं और उनमें से बहुत से अब फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के पास भी बहुत से केसेज आते हैं। जिला स्तर पर जो ऐंटी-करप्शन कमेटी है उसके अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वे भी सक्रिय हो सकें। पहले उनके पास जांच की रिपोर्ट नहीं आती थी। अब जांच रिपोर्ट उसके पास आने का कानून बना दिया गया है ताकि काम ठीक से वे देख सकें और आगे की कार्यवाही भी कर सकें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या आपने उनको कुछ अधिकार भी दिये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ बढ़े हैं। कुछ हमने यह भी प्रयास किया है और जिसको कहने में मैं थोड़ा हिचक रही हूं लेकिन मैंने कहा था कि प्लान प्रोग्रेस जो हो हर डिपार्टमेंट में उसकी कुछ निगरानी हम लोग कर सकें। तो मैंने प्रयास किया कि हर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल बड़े-बड़े आफिसर्स हैं वह देखें कि प्लान प्रोग्रेस क्यों रुक रहा है, और अगर है तो किस कारण से है, कहीं कोआर्डिनेशन की कमी तो नहीं है, फाइनेन्स विभाग, सिंचाई विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० या अन्य विभागों के जिसकी वजह से वह रुक गया है। तो मिनिस्टर के स्तर पर हम प्लान रेव्यू कर रहे हैं वैसे तीन महीने से। सेक्रेटेरियट लेविल पर चीफ सेक्रेटरी हर महीने प्लान रिव्यू

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

करेंगे। हेडक्वार्टर्स लेविल पर हमने एक आफिस रखा है जो हर महीने रिव्यू करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आज जितने प्रयास चल रहे हैं खेती के लिए या अन्य चीजों के लिए उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हमने एक ऐक्शन कमेटी बनायी है और उसमें कन्सर्न्ड आफिसर्स हैं, डी० एम० उसके चेयरमैन हैं, डी० एफ० ओ०, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर जरूरत पड़े, डी० सी० डी० एफ० के रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में हैं। यह लोग देखते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। एक कमेटी कमिश्नर लेविल पर भी है कारस्पांडिंग आफिसर्स को लेकर ताकि काम ठीक से हो और तेजी से हो।

ऐसा कहा जाता था कि ट्रेजरी का काम बहुत खराब है। इसलिये एक डाइरेक्टर बनाया गया है जो सारे ट्रेजरी के काम को संभाले। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा है। इसी तरह से इरीगेशन में, पी० डब्ल्यू० डी० में हमने टेक्नीकल सेल को बढ़ाया है जो यह देखेगा कि कोई काम हुआ भी है या नहीं।

एक शिकायत काफी बाहर होती थी कि हरिजन भाइयों को जो १८ फीसदी संरक्षण मिला है वह नहीं मिलता है। इसके लिए आपको मालूम है कि अब १८ के स्थान पर २५ और ४५ फीसदी कर दिया है उस वक्त तक, जब तक कि वह संरक्षण १८ प्रतिशत पर न आ जाय। शिड्यूल्ड कास्ट गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से भी एक्जामिनेशन ट्रेनिंग सेन्टर्स का इलाहाबाद और बंगलौर में प्रबन्ध है जहां ये लोग ट्रेनिंग लें और ज्यादा ऐप्वाइन्टमेंट मिलने में उनको सहूलियत हो।

फिर इसी तरह से उत्तराखंड का काम आता है। उत्तराखंड के काम में खास तवज्जह दी जा रही है और केन्द्रीय सरकार ने उस जगह के लिये खास पैसा मंजूर किया है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिये पहले दो सालों में तीसरी योजना में जितनी हम कामयाबी चाहते थे उतनी नहीं मिली क्योंकि सब तरह से वहां पर आर्गनाइज नहीं कर पाये थे। साधनों की भी कमी थी मगर इस साल मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि १०० फीसदी उसका बजट हमने खर्च कर दिया है बल्कि कुछ और भी कर दिया है सड़कों के इम्प्रूवमेंट में। वहां पर ३७९ मील सड़कें इकानामिक महत्व की बनाई हैं। ९६ मील लम्बी हमने मोटर की सड़कें बनाई हैं। १६३ मील लम्बे हमने ब्रिडल पाथ भी इम्पार्टेन्ट इम्प्रूव किये हैं। ३, ४ मोटर ब्रिजेज भी बनाये हैं ताकि वहां पर सब तरह से डेवलपमेंट हो सकें और पूरे उत्तराखंड में काम हो सके। उत्तराखंड का जो महत्व है वह आप सब लोग समझते हैं। इसमें सीमेंट की कमी से कुछ काम रुका पड़ा है लेकिन फिर भी हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अब ऐसी वहां के लिये बन गयी है कि कहीं से उस काम के लिये सीमेंट निकाल कर उनको देते हैं। इसी तरह से हमने फिजिकल टारगेट हार्टिकल्चर, इंडस्ट्रीज, एनीमल हसबैंडरी, फारेस्ट और स्वायल कंजरवेशन में भी एचीव कर लिये हैं। यह सब थोड़े से आंकड़े मैंने आपको बताये जिनको हमने एचीव किया है।

इसी तरह से मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जो हमारा तीसरे प्लान का पैसा मंजूरशुदा है वह हम कम खर्च नहीं करेंगे बल्कि उसको पूरा खर्च करेंगे और अब हम उससे ज्यादा पैसा भी खर्च करने के लायक हो गये हैं। मसलन बिजली का जो हमारा पैसा था वह हम खर्च कर चुके और २० करोड़ रुपया हमने केन्द्रीय सरकार से मांगा है ताकि और भी काम कर सकें। हमको १,५०० गांव में रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में लेकर काम करना था वह हमने कर दिया है और अब करीब ५ हजार गांव हो जायेंगे लेकिन ५ हजार गांव कुछ नहीं हैं इतने बड़े सूबे में, लेकिन फिर भी जितना काम किया गया है वह सराहनीय काम है और इस डिपार्टमेंट ने बहुत तेजी से काम किया है तभी हम यह कर पाये हैं। जो भी हमारा काम बाकी है वह भी हम पूरा कर लेंगे।

कुछ ऐडवान्स एक्शन हम ले रहे हैं और उस ऐडवान्स ऐक्शन के लिये हमने सेन्टर से रुपये की मांग की है जिससें ९० हजार बिजली के कुओं की जो हमारी स्कीम है वह पूरी हो जायगी। पिछले दो साल में ८० हजार करने की स्कीम थी और इस साल ९० हजार कुवें बनाने थे। उसमें कुछ दिक्कत है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि सीमेंट की कमी की वजह से कुछ दिक्कत है जिसके लिये हम परेशान हैं। उसके लिये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीमेंट डाइवर्ट करके वहां भेजें क्योंकि हम समझते हैं कि सिंचाई का काम बहुत महत्व रखता है। इसलिये कुंवें ज्यादा से ज्यादा बनाकर हम काश्तकारों के हाथ में देना चाहते हैं ताकि पैदावार प्रदेश में बढ़ सके।

एक आंकड़ा और मैं देना चाहती हूं फैमिली प्लानिंग का। यह उत्तर प्रदेश ऐसा है जो फैमिली प्लानिंग के काम में बहुत महत्व रखता है। हम हिन्दुस्तान में एक बटा छः संख्या में यहां रहते हैं। अगर यही रफ्तार बढ़ती रही तो हमारी प्रगति बहुत मुश्किल बात है। फैमिली प्लानिंग के लिये पिछले सालों में बहुत कम आपरेशन्स होते थे मगर इस साल दिसम्बर तक २४ हजार आपरेशन्स हो चुके हैं। वैसे ये २४ हजार आपरेशन्स पौने आठ करोड़ के प्रान्त में कुछ नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और मार्च के आखिर तक जब आंकड़े आयेंगे तो वे और भी अधिक होंगे। अगले साल के लिये हम आशा करते हैं कि एक लाख आपरेशन्स तक हो जायंगे। इन बातों को कहकर मैंने इशारा किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन तेज चले, हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में स्फूर्ति आये और हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी और एफिशियेन्सी आ जाय। इस समय मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं क्योंकि आप लोग सारे दिन अपनी राय देंगे और उसके बाद मुझे जो कुछ कहना होगा और जवाब देना होगा, वह मैं दूंगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—यह सरकार प्रदेश की जनता को एफिशिएंट, ईमानदार, स्वच्छ, सरल, इम्पार्शल, वरसेटाइल, सेंसेटिव, रेस्पोंसिव और किफायतशार प्रशासन देने में असफल ही नहीं, वरन् पूर्णरूपेण विफल हो गयी हैं।

प्रदेश के प्रशासन, मंत्रिपरिषद् की नीतियों, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को सही रूप में कार्यान्वित करने और नये उत्तरदायित्वों को निभाने में भी पूर्णतः विफल हो गये हैं। मंत्रि परिषद् में आपसी फूट है और.....

श्री अध्यक्ष—

क्या सारा पढ़ियेगा ?

श्री नेकराम शर्मा—

अगर आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष—

तो यह पढ़ा हुआ समझा जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

[प्रशासन मंत्रिमंडल पर हावी होता जा रहा है, सुरक्षा कानून का दुरुपयोग रोज की बात हो गई है। समय-समय पर कानून बनाकर और उनमें संशोधन करके इस मंत्रिमंडल ने प्रशासकों

[] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री नेकराम शर्मा]

को और भी सुरक्षित और शक्तिशाली कर दिया है। जितनी सुविधायें आज प्रशासकों को हमारे प्रदेश में प्राप्त हैं उतनी विश्व के अन्य किसी देश में उपलब्ध नहीं हैं। प्रशासन पर प्रतिवर्ष जिस तेजी से खर्चा बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही तेजी से प्रशासन निकम्मा, खर्चीला, भ्रष्ट और अनुशासनहीन होता चला जा रहा है। प्रशासकों में न तो शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता ही रही है और न शीघ्र कार्य की क्षमता ही उनमें रह गई है और साथ ही साथ उनमें न शीघ्रता से निर्णयों को कार्यान्वित करने की भी क्षमता रह गई है। प्रशासक सदन द्वारा स्वीकृत धन भी सम्पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाता है। फलस्वरूप निर्माण कार्यों में विलम्ब ही नहीं होता बल्कि इस विलम्ब से प्रोजेक्ट्स के निर्माण के खर्च तो बढ़ ही जाते हैं। साथ ही इन्फ्लेशन में भी काफी इससे बल मिलता है। फल स्वरूप प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

आज प्रदेश की ग्राम जनता में प्रशासन में न श्रद्धा रही है न विश्वास। साथ ही यह भी भावना घर कर गई है कि बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, बिना स्पीड मनी और बिना पहुंच के कोई भी कार्य इस प्रदेश में नहीं हो सकता है। ऐसी भावना स्वस्थ्य प्रजातंत्र के लिये भारी घातक है।

प्रशासन का वही पुराना ढांचा, वही पुराने रूल्स और रेगुलेशन्स आज भी प्रदेश में प्रचलित हैं, फलस्वरूप समाजवादी समाज की स्थापना में तथा प्रगति में, प्रदेश की बाधक हैं, तो साथ ही साथ भ्रष्ट अफसरों, पंचमांगियों और साम्प्रदायिक तत्वों को दंडित करने में नाकाफी हैं। इस प्रकार के कानूनों, नियमों और रेगुलेशन्स में, जो प्रदेश की प्रगति में बाधक हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होना अति आवश्यक है।

सचिवालय उस विशाल सरकारी मशीन का केन्द्र बिन्दु है जहां से सारे प्रशासन की गति-विधियों का संचालन होता है किन्तु सचिवालय की कार्य-क्षमता, मितव्ययिता, विलम्ब को दूर करके कार्य की शीघ्र करने की क्षमता, विभिन्नता, विभागों का समन्वय, विभागों का डुप्लीकेशन, व्यर्थ पद, स्पेशल वेतन, टाप हेवी प्रशासन, लाल फीताशाही का खात्मा आदि कार्यों को करने में कतई विफल रहा है। चपरासियों को डोमेस्टिक नौकरों की तरह प्रयोग करना जनतंत्र और प्रशासन के लिये कलंक की बात है। आज प्रदेश के हजारों सरकारी चपरासी, बेलदारी आदि सरकारी कार्य न करके अफसरों के घर पर कार्य करते हैं। ऐसी प्रथा विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी, अतः इस प्रथा को अविलम्ब समाप्त किया जावे।

गोंडा चुनाव की मतगणना में प्रदेश की नौकरशाही ने जानबूझ कर जो कुछ किया वह इस प्रजातंत्र के इतिहास में एक भारी कलंक है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश की सारी चुनाव मशीनरी जिलास्तर के प्रदेशीय स्तर पर कार्यपालिका के नियंत्रण से निकाल कर एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण कर केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाय। साथ में यह भी आवश्यक हो गया है कि मतगणना के बाद मतपत्र पेटी बोरों में बन्द न कर स्टील के बक्सों में बन्द किया जाय और उम्मीदवारों के हस्ताक्षरोपरान्त सील लगाकर उसकी तालियां हेडक्वार्टर पर आ जायं। मतदान सूची साइक्लोस्टाइल और हस्तलिखित होने के कारण जो भ्रष्टाचार होता है उसको बन्द करने की दिशा में मेरा सुझाव है कि मतदाता सूची प्रिंटेड बनाई जायं जिससे नाम निकालने और जोड़ने की गुंजायश न रहे।]

मैं आभारी हूं आपका कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को बताया कि प्रशासन मेंउन्होंने सुधार के लिये क्या-क्या कदम उठाए हैं और बतलाया कि सामान्य प्रशासन में क्या-क्या हुआ है। यह सही है कि उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं सुधार के लिये और इसके लिये वे बधाई का पात्र हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर वह यह भी मान लेतीं कि जो आज प्रदेश में असंतोष फैल रहा है गवर्नमेंट

सर्वेन्ट्स में, जुडिशियरी में, लेजिस्लेटर्स में, खासकर अध्यापकों में और लेबर में तथा दूसरी जगह उसके कारण क्या हैं तो अच्छा रहता। यह सही है कि वह जोरों से कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है, और हो सकता है, कि उनके सामने भी हो, कि हमने एक कंसेप्ट अपनी सोसाइटी के पोलिटिकल सिस्टम का अपनाया और वह यह है कि हमारी सोशलिस्टिक डिमोक्रेसी मोनार्कल स्टेट में विल आफ दि किंग ला था। उसकी इच्छा ही कानून था। अंग्रेज और मुगलों के समय में उनकी इच्छा ही कानून रही। वह राज्य जनता के लिये नहीं था लेकिन आज हमने समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय किया है। डेमोक्रेसी के चार एसेंस हैं—लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और चौथा मैं प्रेस को मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप माइक को नजदीक कर लें।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, इन थोड़े दिनों में जिस तरह से लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी को ठेस लगी है और खास-तौर से माननीय मुख्य मंत्री के समय में, यह एक खतरनाक बात है। श्रीमन्, इस सदन ने वारंट जारी किया जजों को गिरफ्तार करने का, यह दुख की बात है कि वह वारंट यहां की एक्जीक्यूटिव तथा प्रशासक इम्प्लीमेंट नहीं करा पाये। अपर हाउस ने एक प्रस्ताव पास किया। दुख की बात है कि वह प्रस्ताव जहां था वहीं रह गया है। श्रीमन्, इतना ही नहीं, लेजिस्लेचर्स के लिये तथा जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रशासकों का एक निगेटिव ऐटीट्यूड हो गया है जिसे इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य काफी अच्छी तरह से जानते हैं और मुख्य मंत्री के पास समय-समय पर इस बात की शिकायतें रोज पहुंचती रहती हैं। श्रीमन्, यही नहीं, सदन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिये आप स्वयं जानते हैं कि उसमें गलत सूचनायें दी जाती हैं। अफसर लोग उसे प्रेस्टीज प्वांइट बना कर सही सूचनायें सरकार को नहीं देते और सरकार अफसरों द्वारा दी गयी सूचना ही सदन में दे देती है। सदन में कई बार इस प्रकार का प्रश्न उठा कि डी० एम० की सूचना गलत है, उसके लिये सी०आई०डी० से जांच करायी जाय और आपने देखा कि कई मामलों में जांच से अफसरों द्वारा सदन को दी गई सूचना गलत निकली। मुख्य मंत्री जी ऐसे केसेज छांटें कि जिनमें गलत आन्सर दिये गये हैं और जांच करने पर उनको गलत पाया गया। ऐसे अफसरों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ कर गलत सूचना दी थी सरकार ने क्या कार्यवाही की? इन सबके विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों की एक मेंटेलिटी बन गयी है। सदस्यों के विरुद्ध यह निराशा लेजिस्लेचर्स में हो जाय कि न उनकी मान है न इज्जत और न उनकी बात सुनी जाती है, यह एक खेद की बात है और इस प्रकार की भावना रखकर वे प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते।

आज उत्तराखंड से मांग हो रही है कि वह प्रदेश, सेंटर द्वारा नियंत्रित हो और उसे सेंटर के अधीन रहना चाहिये। श्रीमन्, आज वहां से मांग हो रही है लेजिस्लेटर्स की। सदन में पहाड़ी सदस्यों ने कहा कि हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाय। इसी सदन में मांग हुई कि पश्चिमी जिले पूरब से अलग हों। प्रदेश का बटवारा हो। क्यों यह भावना सदस्यों की बढ रही है? ये कारण मुख्यमंत्री ढूंढें। प्रदेश में बहुत से अफसर तो अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों के कारण, मैं 'नौकरशाही' शब्द इस्तेमाल करता हूं, आज असंतोष का वातावरण और अनरेस्ट का वातावरण पैदा हो रहा है जो प्रजातंत्र के लिये घातक है। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो आपको अफसरों पर सख्त नियंत्रण करना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी खुद नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। मैं उनका ध्यान उस समय की ओर ले जाना चाहता हूं जिस समय वह पार्लियामेंट की मेम्बर थीं तो उस नौकरशाही के प्रति उनकी क्या भावना थी। उन्होंने कहा था—

"The people don't feel ; the man in the street does not feel that he is a citizen of a free state and that there is our Government."

[श्री नेकराम शर्मा]

यानी आज देश का नागरिक यह मालूम नहीं कर सकता कि वह एक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के समय का एक नागरिक है और उसकी सरकार है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा कि—

"The attitude of bureaucracy towards people is one of contempt and suspicion and not of friendliness. It is the attitude of the superior to the inferior...."

श्री अध्यक्ष—

यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह जिस समय मुख्य मंत्री पार्लियामेंट की सदस्या थीं १९५३ में तब की कार्यवाही की रिपोर्ट है, पेज १,८२० पर उनका भाषण दिया है। श्रीमन्, जब मुख्य मंत्री की यह विचार धारा थी और अब श्रीमती सुचेता कृपलानी को अवसर मिला है कि अपने विचारों को कार्यान्वित करायें और जब कि वह सबसे बड़े प्रदेश की मुख्य मंत्री हों तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके विचार आज भी वही हैं या उनमें परिवर्तन हुआ है ? अगर वही हैं तो सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिये आपने क्या कदम उठाया ? सही है कि उन्होंने कुछ कदम उठाये, लेकिन उस से पूर्व कि मैं तथ्यों में जाऊं मैं बताना चाहता हूं कि उनकी दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री शिप के लिये जो उम्मीदवार थे जिनकी वास्तव में फालोइंग हैं, माननीय चन्द्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी जी, वह तो एम० एल० ए० बने घूम रहे हैं, दोनों जिनकी फालोइंग नहीं, वे मुख्यमंत्री बनी बैठी हैं। श्रीमती सुचेता कृपालानी वास्तव में मुख्य मंत्री हैं, अच्छा काम करना चाहती भी हैं, उनके विचार बड़े पवित्र हो सकते हैं लेकिन आज एक सिंडीकेट उनके पीछे लगा हुआ है। उसकी कैदी हैं। इसलिये जो कुछ करना चाहती हैं वह उन्हें करने नहीं देता, यह मेरी सही सूचना है। अभी इधर स्टेटमेंट हुआ माननीय नवलकिशोर जी का, एक स्टेटमेंट हुआ प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी माननीय गोविन्द सहाय जी का। जब कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों में ही आपस में फूट है तो कैसे प्रशासन ठीक तरह से काम कर सकता है। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि १९६७ का आम चुनाव कांग्रेस को जीतना है तो जिनकी वास्तव में फालोइंग है वही प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें। मुख्य मंत्री के विरुद्ध जो सहाय साहब तथा अन्य कांग्रेसी सदस्यों की भावना सदन में रही है, आदरणीय सदन जानता है। उन्हीं लोगों से आप को काम लेना चाहिये, जो सन् १९६७ का इलेक्शन जीत सकें। इसी तरफ से कांग्रेसी सदस्यों में यह कहा गया कि ब्योरेक्रेसी हावी हो गयी है शासन पर और माननीया मुख्य मंत्री को शासन का अनुभव नहीं है। तो जब माननीया मुख्य मंत्री को शासन का अनुभव नहीं है तो अन्य मंत्री कैसे काम कर सकते हैं ? आपके अधिकारी कैसे काम कर सकते हैं ? आपकी राय जानकर कि आपको ज्ञान नहीं है प्रशासन का उनको तो यही भय लगा रहेगा कि इनके बाद कौन-सा मुख्य मंत्री आये। जो आने वाला होगा उसी के पीछे यह लोग चलेंगे। भावी मुख्य मंत्री के यहां फिर से अफसरों का आनाजाना शुरू हो गया है। इस तरह की अनसर्टेण्टी में कोई कार्य हो सकता है, प्रशासन ठीक चल सकता है ?

एक तरफ आप श्रीमन्, नवलकिशोर जी का बयान देखें, दूसरी तरफ माननीय गोविन्दसहाय जी का बयान देखें—मालूम होता है कि मंत्रिमंडल में विस्फोट हो गया है, कलेक्टिव जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। सुचेता जी चाहती हैं कि आने जाने से पहले टीचर्स के लिये कुछ कर जायं, उनकी यह निश्चित धारणा है, और वे करेंगी भी यह भी मुझे विश्वास है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अधिकारियों की भावनाओं और एम०एल०ए० मैनेजरों की भावनाओं के आगे झुकें नहीं। आपको चाहिये था कि आप टीचर्स के लिये एक कमेटी बना देतीं। जब भी कोई मामला टालना होता है सरकार द्वारा एक कमेटी बना दी जाती है, मामला टल जाता है। २-३ साल तक टल जाता है। लेकिन ऐसा तो कुशल मुख्य मंत्री ही सोच सकते हैं, वे कहां जिन्हें कुछ अनुभव ही प्रशासन का नहीं। परन्तु यह सरकार कमेटी तक बनाने को तैयार नहीं हुई। इससे अधिक अफसोस की

और बात क्या हो सकती है। माननीय सुचेता कुछ करने की इच्छा रखते हुये भी, अपने पीछे बैठने वाले, कुछ साथियों की गलत राय के आगे भी सही कदम नहीं उठा पाती हैं। मैं चाहता हूं कि वे सदन में यह आश्वासन दें कि वे टीचर्स के लिये कुछ न कुछ अवश्य करेंगी और एक कमेटी बिठला देंगी जिससे कि यह एजीटेशन समाप्त हो।

श्रीमन्, कई मंत्रियों के खिलाफ सदन में आरोप लगाये गये। माननीय हरीशकुमार गंगवार ने माननीय राममूर्ति जी के खिलाफ भारी आरोप लगाये, माननीय गया प्रसाद जी ने माननीय मुजफ्फर हसन और माननीय बनारसी दास जी के खिलाफ आरोप लगाये, माननीय काशीनाथ मिश्र ने माननीय अर्ल जहीर के विरुद्ध, श्री ब्रह्मदत्त मायर ने श्री दाऊदयाल खन्ना के खिलाफ आरोप लगाये, माननीय केशरीप्रसाद पांडेय ने माननीय हरगोविन्द सिंह के खिलाफ आरोप लगाये, माननीय गोविन्द नारायण तिवारी ने माननीय चतुर्भुज शर्मा के खिलाफ कुछ कहा। तो जब यहां सदन में इतने मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाये गये तो जो-जो भी चार्जेज लगाये गये, या तो माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से, क्योंकि कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सदनमें यह कहना चाहिये था कि चार्जेज गलत हैं या जिन्होंने यह आरोप लगाये थे उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लाना चाहिये था। अगर आरोप सही थे तो उनसे त्यागपत्र मांगना चाहिये था। जिन मंत्रियों के विरुद्ध प्राइमाफेसी केस साबित हो गये हैं, उन्हें तो मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उस दिन सुचेता जी ने कहा कि माननीय सम्बन्धित मंत्री अपना-अपना बयान देंगे, मैं तो माननीय रामायणराय और माननीय गेंदासिंह के बारे में कह सकती हूं। जब कलेक्टिव जिम्मेदारी है तो आपको स्पष्ट तरीके से मंत्रियों की रक्षा करनी चाहिये थी और जवाब देना चाहिये। या तो चार्जेज को कन्ट्राडिक्ट करिये, या प्राइमाफेसी केस इस्टेब्लिश हो जाय तो उनसे इस्तीफा देने के लिये कहिये, अगर आरोप गलत हों तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ विशेषाधिकार का मोशन लाइये। लेकिन आज तक दोनों बातें नहीं हुईं। मंत्रियों ने इस्तीफे नहीं दिये और न आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हुई।

जवाहरलाल जी ने एक बार इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में भाषण करते हुये कहा था कि जो भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, और हैं भी, उनकी रेमेडी क्या है? श्रीमन्, स्वीडेन में वहां की पार्लियामेंट ने एक पब्लिक आथारिटी की स्थापना की है। उसको इतनी पावर्स हैं कि वह हाईकोर्ट के जजेज तक के कन्डक्ट के बारे में जांच कर सकती है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके जूरिस्डिक्शन के बाहर हो। नेहरू जी ने खुद वहां की इस चीज को कोट करते हुये कहा कि हमारे यहां भी इसी तरह की लेजिस्लेचर की एक पब्लिक अथारिटी होनी चाहिये जो सभी प्रकार के भ्रष्टाचार आदि के मामलों की जांच कर सके। यहां पर जो चार्जेज हम प्युपिल्स रिप्रेजेन्टेटिव के खिलाफ लगाते हैं उनकी जांच माननीया मुख्य मंत्री अपने अफसरों को दे देती हैं। अगर आपको प्रजातंत्र और उनके प्रतिनिधियों का मान रखना है तो आपको इस तरहकी जांच अपने अफसरों के द्वारा नहीं करानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार में जो कुछ हुआ, किस तरह से जनप्रतिनिधियों की सरकारी कर्मचारियों से जांच कराई, वह तरीका प्रजातंत्र के लिये ठीक नहीं। नौकरशाही से जांच कराई गई, वह सब गलत हुआ। ऐसे चार्जेज के लिये आप सदन की एक पब्लिक अथारिटी बनाइये और उसके सामने इस तरह के केसेज को भेजिये जो अपना निर्णय किया करें। किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध आरोप हैं तो मुख्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय तथा उस ग्रुप के नेता की कमेटी बनाकर आरोपों की जांच हो, सही आरोप पाये जायें तो उसको जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकारी कर्मचारियों से जांच करा कर जनप्रतिनिधियों को अपमानित न करिये। जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध जांच सरकारी कर्मचारी नहीं करेंगे उसका आप निर्णय लें और सदन की पब्लिक अथोरिटी बनाने की घोषणा करें। किसी भी माननीय मंत्री जी का मामला विजिलेन्स कमीशन को या सरकारी कर्मचारी को इन्क्वायरी के लिये सौंप दिया जावेगा तो क्या हालत होगी उस माननीय मंत्री और जन प्रतिनिधि की उस कर्मचारी के सामने?

[श्री नेकराम शर्मा]

आपने कहा कि हमने विजिलेन्स कमीशन कायम किया है। परन्तु मैं कहता हूं, अगर मैं गलत होऊं तो आप मुझे खंडित कर दें। डायरेक्टर, विजिलेन्स कमीशन ने कुछ अफसरों के ट्रान्सफर के बारे में लिखा परन्तु वे ट्रान्सफर नहीं किये गये। आप डायरेक्टर को बुलाइये और पूछिये कि आपने किन किन अफसरों के ट्रांसफरों के लिये लिखा था। यह क्यों नहीं हो पाया? आपने विजिलेन्स कमीशन में छांट-छांट कर ईमानदार आफिसर्स रखे हैं। ठीक है। लेकिन कोई मामला किसी उच्च अफसर का अगर आपने एस० पी० का डी० वाई० एस० पी० के सामने इन्क्वायरी के लिये रखा और उसने उच्च अधिकारी के खिलाफ इन्क्वायरी करके उसकी रिपोर्ट कर दी और उसके बाद उसका अगर ट्रान्सफर हो जाता है विजिलेन्स कमीशन से जहां वह एस० पी० मौजूद हो तो उस अफसर की क्या हालत होगी। विजिलेन्स कमीशन बना है तो वहां के स्टाफ की सुरक्षा का प्रबन्ध कीजिये, अच्छी तनख्वाह, अच्छे स्टेटस और सब साधनों से सम्पन्न बनाना चाहिये। अगर आप शासन को अच्छा करना चाहते हैं तो जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने सी० आई० डी०, आई० जी० की पोस्ट को अलग बनाया था उसी तरह सी० आई० डी०, आई० जी० की पोस्ट को अलग करके अपने से सीधा सम्पर्क रखें। उसी तरह आपने जो विजिलेन्स कमीशन का फारमेशन किया है ठीक है, लेकिन उसे निष्पक्षता से कार्य करने दें। इसके अलावा पहिले जैसा कि आपने कम्प्लेन्ट आफिसर्स बनाये थे, उनमें लाखों रुपया खर्च किया गया परन्तु बाद में वह स्कीम ही ड्राप कर दी गई। आपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया था वह भी नाकामयाब हुआ। यही दशा उस कमीशन की न हो। अगर आपने विजिलेन्स कमीशन बनाया है तो आप उसको ताकत दीजिये और ऐसी शिकायतें ही नहीं जिन्हें आप भेजें, परन्तु एक नागरिक द्वारा भेजी गई शिकायतों पर भी उसे जांच करने का पूरा अधिकार दीजिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि जुडिशियरी में जो ट्रेड यूनियन की मेन्टेलिटी बढ़ती जाती है उसके नियंत्रण के बारे में आपने क्या कदम उठाए? प्रदेश में २५ जज ब्रेन्च बना कर, बैठ कर प्रजातन्त्र के प्रमुख अंग विधान सभा के प्रस्ताव को स्टे करें, यह शर्म की बात है। जिस मेन्टेलिटी से लेजिस्लेचर में और जुडिशियरी में कानफ्लिक्ट हो जाय। हम जजेज को बात उतनी ही कहना चाहते हैं कि वे ईमानदारी से काम करें। हम दखल नहीं देना चाहते। परन्तु लेजिस्लेचर की जो सुप्रीमेसी है वह उन्हें मिलनी चाहिये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज जजेज बढ़ते चले जा रहे हैं और आप देखिये जजेज को जितनी सुविधा और छुट्टियां दी जाती हैं, ये शायद ही कहीं दी जाती हों। इसके अलावा यहां पर भी एक जूडीशियरी डिपार्टमेंट है। मैं आपसे कहता हूं कि उसकी आप रिपोर्ट मंगा लीजिये कि उनके ड्राफ्ट कानून कितने वैलिड कितने इनवैलिड और कितने अल्ट्रा वायरस हुए। जो आउटसाइडर्स लायर्स हैं वे यही कहते सुने जाते हैं कि यहां कोई कानून ऐसा नहीं बना जिसमें संशोधन की जरूरत न हुई हो। आज कानून हमने पास किया और दूसरे दिन से ही संशोधन शुरू हो जाते हैं। आपका जूडिशियरी डिपार्टमेंट निकम्मा है। इसको आप रिआर्गेनाइज करिये। एक मेहरा थे, उनको ड्राफ्ट और लेजिस्लेटिव वर्क लिये अमेरिका भेजा गया, परन्तु ट्रेनिंग के बाद में उनको जज बना दिया गया बजाय ड्राफ्ट का काम लेने के। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यहां सचिवालय की मोनोपाली को हटाया। उसके लिये अब काफी काम रह गया है। अब भी बहुत से अफसर लखनऊ में सालों से रह रहे हैं और आज तक जिलों में नहीं गए हैं। ऐसे अफसरों को यहां से हटाइए। अफसरों की गुटबन्दी को समाप्त कीजिए। अफसरों ने आप तक पहुंच कराने के लिए नई-नई तरकीबें निकाली हैं, उनसे बचिए। कुछ अफसर आपके पास भी पहुंचते हैं, कुछ उनकी मिसेज पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि आज आप बहुत अच्छा बोलीं तरह-तरह से आपको प्रभावित करना चाहती हैं। यह चीज बड़ी चल रही है। इन चीजों से बचने का प्रयत्न कीजिये और सावधान रहिये। इन्हीं बातों की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं। आपके पास ऐसे लोग आते जाते हैं, उनसे आप सावधान रहिये और गुमराह न हूजिये।

आज आप से प्रेस के बारे में भी कुछ कहना है। आज प्रशासकों और मिनिस्टरों की यह प्रवृत्ति हो गयी है कि प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डाली जाय। मिनिस्टर लोग प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डालने के लिये चिट्ठियां लिखते हैं सम्पादकों व मालिकों को। मैं उन मिनिस्टर का नाम भी बता सकता हूं लेकिन बताना नहीं चाहता हूं। वैसे करीब-करीब सब मिनिस्टर लिखते हैं, अधिकतर मिनिस्टर ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। पत्रों के एडीटर और मालिकों को लिखा जाता है कि आपके सम्वाददाता सरकार की इच्छानुसार रिपोर्टिंग नहीं करते, ऐसे सम्वाददाताओं के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाय। प्रेस की स्वतंत्रता के लिये यह जरूरी है कि इस तरह के पत्रों पर रोक लगायी जाय।

छात्र और टीचर्स के बारे में जो यहां हाउस में कार्यवाही हुई नियम ५२ के अन्तर्गत नार्दर्न इंडिया पत्रिका के सम्वाददाता ने उसके बारे में रिपोर्ट की तो डी० एम० ने उसको एक चिट्ठी लिखी है कि अगर आपने सम्वाद का खण्डन न किया और इस सम्वाद को देने वाले का नाम नहीं बताया तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही आपके खिलाफ की जायगी। जब कोई बात असेम्बली में डिस्कस होती है तब उसके लिये डी० एम० ऐसे धौंस भरे पत्र लिखें तो फिर किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता रह सकती है? अगर आपको जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को चलाना है तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा तथा डी० एम० द्वारा जो इस प्रकार पावर का मिस यूज हो रहा है, उसको रोकना होगा। पावर के दुरुपयोग अफसर किस हद तक करते हैं खास कर सुरक्षा कानून का मिसयूज जानबूझ कर सरकारी अफसरों ने किया है भारी शर्म और लज्जा की बात है। उसके एक, दो उदाहरण देता हूं––

लखनऊ में डी० आई० आर० के मातहत एक मकान डी० एम० ने सिविल डिफेंस के नाम से लिया। इसके बारे में चीफ जस्टिस देसाई का जजमेंट है, यह जजमेंट मेरे पास है, मैं उसकी एक कापी आपके पास भेज दूंगा, उसमें लिखा है कि सिविल डिफेंस के लिए यह मकान लिया गया था, जिसमें ४ कमरे हैं, सिविल डिफेंस ने कभी उसकी मांग नहीं की। डी० एस० ओ० ने अपने एक रिश्तेदार के लिए उस मकान की आवश्यकता थी, जब वह नहीं मिल सका तो मकान मालिक को तंग करने को डी० एम० ने डी० आई० आर० में उसको इस तरह से ले लिया गया, उसने रिट कर दी, जिस पर जस्टिस देसाई ने लिखा है––

"For the above reasons I am satisfied that the accommodation was not required for civil defence and that the claim made by the District Magistrate that it was so required is malicious and nothing but a gross abuse of the power vested in him." उसके आगे लिखते हैं––"The order is malafide and has been found to be guilty for gross misuse of the power vested in him, I order that the petitioner shall get the costs of this petition from him."

यह केस साफ जाहिर करता है कि अफसरों द्वारा किस तरह से पावर का मिस्यूज होता है। इसी प्रकार का एक केस लखीमपुर या और कहीं का है, उसने शिकायत यह की है कि लखीमपुर के एस० डी० एम० ने शिकार खेलने के लिए एक हाथी किसान से लिया, मालिक ने कहा कि जंगल में दलदल होता है, वहां न फंस जाय, लेकिन वह हाथी, ले जाया गया, और दलदल में फंस गया। ७ रोज तक हाथी दलदल में फंसा रहा, चिंघाड़ता रहा लेकिन दलदल से निकाला नहीं जा सका, मर गया। उस व्यक्ति ने जब रुपया मांगा तो कहा कि परमिट दिलवा देंगे, इस पर भी जब वह किसान सैटिसफाइड नहीं हुआ, तो अफसर ने उसको भी डी० आई० आर० में गिरफ्तार करा लिया, अपनी बात को छिपाने को।

हजरतगंज में डी० आई० आर० में एक दूकान ४५० वी० आई० पीज० के लिए ली गई है, आम जनता के लिए नहीं, सेक्रेटरियट के चपरासियों के लिए गरीबों के लिए ली होती तब तो ठीक भी था लेकिन मुझे अफसोस तब होता है, जब कि बड़े-बड़े आफिसर्स के लिए जिनकी तनख्वाह डेढ़ हजार रुपया से लेकर ३ हजार रुपया तक है, उनकी सुविधा के लिए ऐसा काम किया जाता है, और उसके द्वारा उनको सस्ती चीज उपलब्ध की जायगी। अगर आप

[श्री नेकराम शर्मा]

यह चीज छोटी तनख्वाह वालों के लिए करते जो उनकी सेवा की भावना से होती, तो आज मैं विधान सभा में सर्वसम्मति से आपके लिए बधाई का प्रस्ताव पास कराता। लेकिन दुकान उच्च अफसरों की सुविधा के लिए खुली तो दुःख की बात है। इस प्रकार आपको बी० आई० पी० क्लास पर अवश्य नियंत्रण करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज आइन्दा नहीं होनी चाहिए कि प्रिविलेज्ड क्लास को तो दिन प्रति दिन सुविधाएं मिलती जायं, लेकिन अनप्रिविलेज्ड क्लास को कोई सुविधा न मिले। एक और उदाहरण यह है टिकट लेजिस्लेचर्स को नहीं दिये गये, सीट्स खाली पड़ी रहीं, लेकिन उसके पासेज आफीसर्स को इशु किये गये।

सदस्यों को तो टिकट खरीद लेने पर भी स्थान न मिले अफसरों को पास मिले तब भी न आये और सीटें खाली पड़ी रहीं। श्री गजेन्द्र गडकर ने ठीक ही कहा है कि कर्मचारियों के ऐक्शन का असर सरकार पर पड़ता है और उनके खराब ऐक्शन से सरकार की बदनामी भी होती है। अतः इन चीजों को आपको सख्ती से रोकना चाहिए।

सूचना विभाग की १९६२–६३ की रिपोर्ट के पेज ७३ पर एक अजीब चीज है। कृष्णामेनन के निकाले जाने का जिक्र किया गया, मानो इससे विभाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। कांग्रेस का एक वरिष्ट मेम्बर मंत्री-पद से हटा दिया गया जो आज भी वर्किंग कमेटी का सदस्य है, इसकी खुशी हुई। इन्फारमेशन विभाग की हिम्मत तो देखिये और मनोवृत्ति को समझिये। इस प्रकार की बात उसमें लिखी जाये। गुप्ता जी निकाले गये, इसके बारे में भी उसे लिखना चाहिए था सूचना विभाग का पार्टी पालिटिक्स में पड़ कर किसी विशेष मंत्री को खुश करने के लिए ऐसा करना कहां तक उचित है? इस प्रकार की चीज आपको रोकनी चाहिए।

जिस समय एन० डी० एफ० इकट्ठा किया जा रहा था, उस समय किसी मिलिटरी के रिटायर्ड सज्जन ने एक रिवाल्वर भी दान में दे दिया। वहां के एस० डी० एम० ने उसको अपने नाम से ६–७ रुपये में नीलाम कर दिया। किसी बिजनौर के पत्र ने उसको पत्र में छाप दिया। उसको भी सुरक्षा कानून में बन्द कर दिया गया। जब यहां की प्रेस कमेटी ने इस मामले को अपने सामने रखा तो आपने डी० आई० आर० से उसको छुड़वा दिया लेकिन बाद को रेन्ट कंट्रोल वगैरा में फिर से बन्द करा दिया गया। सरकारी कर्मचारियों का इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न को अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न बना लेना और इस प्रकार से विन्डिक्टिव एटीट्यूड लेना कितना निन्दनीय है, यह आप स्वयं ही समझ सकते हैं। इन चीजों को आपको रोकना चाहिये कि यह प्रतिशोध की भावना बन्द हो। समय कम है सरकारी अफसरों की ज्यादतियों की अनेकों केस हैं।

इसके अलावा एक सबसे बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि यहां सरकारी कर्मचारियों को परसनल पैट्रोनेज दिया जाता है। आप नियम बना दें, कि फलां तरह के कर्मचारियों को एक्सटेंशन दिया जायगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एप्रोच कर लेते हैं, उनको तो एक्सटेंशन दे दिया जाता है, और ५–५, ६–६ साल तक दे दिया जाता है और जो अप्रोच नहीं कर पाते, वह बेचारे रह जाते हैं। दुबारा नौकरी देना, उनको एक्सटेंशन देने के लिए कुछ नियम बनें उन्हीं के अनुसार एक्सटेंशन मिले न कि मंत्री की खुशी और नाराजगी पर निर्भर रहे।

इसी प्रकार की चीज जजों के बारे में भी है। जजों को आज यह उम्मीद रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उनको या तो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जायगा या किसी इन्क्वायरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जायगा। गवर्नमेंट की ओर से इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि रिटायरमेंन्ट के बाद जजों को कोई इस प्रकार का काम या पोस्ट नहीं दी जायगी। इस प्रथा का अन्त होना चाहिए। रिटायर्ड व्यक्तियों को कोई भी नया रोजगार नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा कोई पद पाते हैं तो उनको पेंशन उस समय तक नहीं देना चाहिए जब तक वे पुनः नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रलोभन उनके सामने आपकी तरफ से होता है, इसी से वे काम के साथ न्याय नहीं कर पाते। हमारा बजट कितना बढ़ता जा रहा है...

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, अभी तो मैं बजट पर आया ही नहीं और लाल बत्ती जल गयी। कम से कम १० मिनट मुझे और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप सवा बजे तक खत्म कर दें। ७ मिनट में आप खत्म कीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि हमारा प्रशासन का बजट कितना बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि सन् १९२१ में सेक्रेटेरियट में आफिसर या सेक्रेटरी ५० थे जब कि आज १३२ सेक्रेटरीज हैं और कुल आफिसरों की संख्या २७३ है। इस सरकार के सारे कर्मचारियों की संख्या ४ लाख ८७ हजार है और इनमें गजटेड आफिसरों की संख्या ९–१० हजार है। आई० सी० एस० व आई० ए० एस० आफिसरों की संख्या भी सेक्रेटेरियट में दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आज १९६५ में उनकी संख्या १११ है। पहले यहां सेक्रेटरी होते थे लेकिन अब उनको रखने के लिये अधिक पैसा देकर कमिश्नर–कम सेक्रेटरी बना दिया जाता है। आज कमिश्नर–कम सेक्रेटरी ३ से बढ़कर ७ हो गये हैं और कमिश्नर, सेक्रेटरी तथा एडिशनल सेक्रेटरी १७ से बढ़कर २१ हो गये हैं। माननीया मुख्य मंत्री से मैं कहूंगा कि कमिश्नरों की पोस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाय। आजादी के पूर्व पहले कमिश्नर थे तो हमेशा कांग्रेस ने तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि कमिश्नर की पोस्ट खत्म कर दी जाय लेकिन आज बजाय उनको खत्म करने के उनकी संख्या और अधिक बढ़ गयी है। आपको चाहिये कि कमिश्नर्स की पोस्ट को खत्म कर दें और उनसे जो पैसा बचे उससे अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को दीजिये। सचिवालय का बजट पहले १९३१ में जहां करीब ४ लाख ६२ हजार रु० का था, आज १९६५ में वह करीब १ करोड़ ३१ लाख ८३ हजार रु० का है। इस तरह से सचिवालय का बजट २१ गुना बढ़ गया। वेतन की मद में जहां १९२१–२२ में ४ लाख ३७ हजार था, वह १९६५–६६ में ६७ लाख से अधिक हो गया, यानी १७ गुना वेतन में बढ़ा। भत्ते की मद में सन् १९२१–२२ में जहां ७४,२०० रु० था वहां आज २० लाख रु० हो गया। कंटिन्जेंसी में जहां १९२१–२२ में करीब एक लाख रुपये का खर्चा था वहां आज ११ लाख है।

यह सही है कि दास साहब ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया है और वे कुछ कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप देखें कि सन् १९६१–६२ से लेकर आज तक करीब ३ मुख्य सचिव बदल गये हैं। पहले श्री गोविन्द नारायण जी थे, फिर जैन साहब आये, फिर भार्गव साहब आये और आज दास साहब हैं। दास साहब के जाने की भी चर्चा है। इस तरह से बार बार मुख्य सचिव का बदलते रहना प्रशासन के लिये ठीक नहीं होता है। यदि आप अपनी नीति को ठीक से चलाना चाहते हैं लेकिन अगर रोज-रोज मुख्य सचिव को बदलते रहे तो प्रशासन का काम नहीं चल सकता है। आपको ऐसे चीफ सेक्रेटरी को रखना चाहिये जो सही ढंग से आपकी नीतियों पर चलता रहे या उनका संचालन कर सके।

दास साहब ने कलेक्टरों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट लिखी है। उससे मालूम होता है कि लगभग ११६ अथोरिटीज आदेश निकालती हैं। लखनऊ में २०हजार आदेश प्राप्त है और मुजफ्फरनगर में २५ हजार लेटर प्राप्त हुए। यह सही है कि माननीया मुख्य मंत्री ने तमाम फाइल्स को कंसाइन किया है और १८ हजार जो लेटर आये थे उनमें से १७ हजार के उत्तर गए हैं। यह सही है कि इस पर ऐक्शन लिया गया है और कुछ प्रगति हुई है लेकिन आप देखें कि बजट आज कितना बढ़ता जा रहा है।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर सन् १९५७–५८ में जहां २६.७३ करोड़ व १९६०–६१ में ३१.५९ करोड़ था वहां १९६४–६५ में ४१.६६ करोड़ हो गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि अनप्राडेक्टिव खर्चा हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनप्रोडेक्टिव खर्चा ८ करोड़ प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, वह बढ़कर १९६३–६४ में ८६ करोड़ हो गया। श्रीमन्, पी० ए० सी०

[श्री नेकराम शर्मा]

की रिपोर्ट में तथा एस्टीमेट कमेटी की शिफारिश हैं कि प्रशासन का खर्चा कम हो सकता है बिना एफीशियेंसी कम हुए । यह साफ है कि करोड़ों रुपया प्रशासन द्वारा सेविंग हो सकती है जिसको प्रोडक्टिव कामों में खर्च किया जा सकता था । इसका रिजल्ट यह है कि इस तरह से अब तक करीब-करीब ८००--९०० करोड़ तक खर्चा करने के बाद भी इस प्रदेश की जनता भूखी है । करोड़ों रुपया प्रशासन पर खर्च करके योजनाओं में खर्च करने के बाद प्रदेश सब से पीछे है, यह शर्म और लज्जा की बात है । हम इस तरह से पिछड़े हुए हैं, इतना रुपया खर्च करें, इतने बड़े वेतन दें और फिर भी सूबे की हालत भारत भर में आखिरी रहे तो इसके लिये हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी कि कौन जिम्मेदार है । जो कुछ हम सदन में पास करदें उसमें 'कट' और 'बट' लगाने का अधिकार फिर वित्त विभाग को नहीं होना चाहिये, जब तक सदन में बजट न आये फाइनेंस विभाग जो चाहे आबजेक्शन करे लेकिन जब हम सदन से पास कर दें उसके बाद वित्त विभाग को रोड़े अटकाने का कोई हक नहीं होना चाहिये । इसका नतीजा यह होता है कि पैसा विभागों में बच जाता है । जो आदमी आन दि स्पाट है उसको डेलीगेटेड पावर खर्च करने के लिये होनी चाहिये । यूगोस्लाविया में जो सही खर्च नहीं कर पाता उसको सजा दी जाती है । हमें इस मामले में सख्ती बरतना चाहिये । ऐसे अफसरों को हम सजा दें उनके करेक्टर रोल में एन्ट्री करायें जो समय से पैसा खर्च नहीं करा सकते । लेकिन यहां तो सिंडीकेट न स्वयं कार्य करती है न करने देती है अफसरों को । रोज ही फोन से ट्रान्सफर होते हैं और दूसरी तरफ फोन चलते हैं कि इसका ट्रान्सफर रोक दिया जाय । अगर ५ साल तक अफसर का ट्रान्सफर नहीं होना चाहिए कोई अफसर ठीक काम नहीं करता तो उसको सजा दी जानी चाहिये । एक मामूली से क्लर्क असिस्टेंट डायरेक्टर हो गये प्लानिंग एण्ड रिसर्च एक्शन इंसीटयूट में एक पी० ए० की पचासवीं पोजीशन थी, चौथी पोजीशन कर दी गई । जब इस तरह से फेवरटिज्म होगा, खास लोगों को पेट्रनेज मिलेगा, जब अपने आदमियों को सब कुछ करने की खुली छूट दी जायगी, तो स्वस्थ प्रजातंत्र यहां नहीं चल सकता । सरकारी सेवाओं और कर्मचारियों पर कंट्रोल तभी हो सकता है जब उस घोड़े का घुड़सवार मजबूत होगा, जब सवार ही ठीक नहीं तो घोड़ा क्या चलेगा, अगर उस पर शान्ति प्रसन्न जी बैठ गये तो वह तो गड्ढे में जायगा ही । इतना ही नहीं...(लाल बत्ती देखकर) ५ मिनट और आप हमें दे दें....

श्री अध्यक्ष---

आपके केवल २ मिनट और हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---

एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च जो सन् १९५५-५६ में २ करोड़ ७५ लाख था वह १९६५-६६ में बढ़ कर ११ करोड़ ४१ लाख रुपया हो गया । आप देखें कि कितना अधिक बढ़ता जाता है । आप फिगर्स देखें तो आपको पता चलेगा कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसके नतीजे क्या हमारे सामने आ रहे हैं । गवर्नर साहब के पर्दों की मद में हर बजट में १८ हजार रुपया आ जाता है, पता नहीं पर्दे कब तक लगा पायेंगे । हर वर्ष १८ हजार पर्दों पर खर्च होना ठीक है, आप तय करें । मंत्रियों का वेतन और टी० ए० खर्च बढ़ता जाता है । इस समय माननीया मुख्य मंत्री नहीं है मैं आप से ही कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि आप मुख्य मंत्री जी से कहें कि मिनिस्टर तीसरे दिन रोज अपने घरों को जाया करते हैं, महीने में कितनी बार वह घर जाते हैं, कितने दौरे घर के करते हैं, इस पर कुछ रोक लगाई जाय । महाराष्ट्र में मैं गया था, वहां पर आप तो नहीं थे यादव जी थे उन्हें मालूम है हम वहां के मुख्य मंत्री के पास बैठे थे वह गृह मंत्री को फोन कर रहे थे तो हम सुन रहे थे उन्होंने होम मिनिस्टर को कहा कि सब मंत्री ७ दिन नागपुर में रहेंगे लेकिन कोई उद्घाटन और आडम्बर पर खर्च न हो और वह जनसम्पर्क वहां स्थापित करें । हमारे यहां हालत यह है कि जब मंत्री जी उद्घाटन के लिये जाते हैं तो ६८-६८ गेट बनाये जाते हैं । जब मंत्री जी जाते हैं तो जिले के सारे काम बन्द हो जाते हैं, कचहरी बन्द हो जाती है, एस० डी० एम०, डी० एम० और पुलिस उनकी ड्यूटी में लग जाती हैं । अगर आज आप इमरजेंसी की बात करते हैं तो इन उद्घाटनों

को बन्द किया जाए, यह नाचरंग बन्द करो। इस वक्त अगर संकट है तो हमें जुटकर सब बन्द कर के आजादी की रक्षा करना चाहिये। आज हम पर हमला है, आज आप यह घोषणा सदन में करें या मुख्य मंत्री करें या आप ही करें कि अगर सरकार में स्टेबिलिटी है, अगर प्रशासन में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं तो इस बात की घोषणा हाई कमान्ड को करना चाहिये कि श्रीमती सुचेता कृपालानी यहां की मुख्य मंत्री रहेंगी या नहीं ताकि सुचारु रूप से शासन चल सके। यह अनसरटेंटी का वातावरण समाप्त हो जाय। सुचेता जी जा रही हैं गुप्ता जी आ रहे हैं, इनके रहते प्रशासन भी ढीला हो जाता है।

बिजिलेंस कमीशन की बात मैं कह चुका। बोर्ड आफ रेवेन्यू बिल्कुल बेकार व बाडी है। इस पर सन् ६३ में ५ लाख का खर्च था वह अब ६ लाख हो गया है। इस सफेद हाथी को समाप्त करिये यह पोलीटीकल पैट्रेनेज है। श्रीमन्, आखिरी बात मैं पौलिटिकल पैट्रोनेज की बताता हूं। जिस व्यक्ति से कुछ काम नहीं होता है उसे बोर्ड आफ रेवेन्यू में भेज दिया जाता है या पब्लिक सर्विस कमीशन में।

श्री अध्यक्ष––

अब आपका समय बहुत थोड़ा है, शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री नेकराम शर्मा––

श्रीमन्, मैं बीमार हूं। अगर बीमार न होता तो आप से और समय देने की प्रार्थना न करता।

श्री अध्यक्ष––

हम तो चाहते हैं कि आप अधिक बीमार न हों।

श्री नेकराम शर्मा––

पब्लिक सर्विस कमीशन की पैट्रोनेज की बात आप लोगों को बताता हूं। पालिटेक्नीक में एक पोस्ट ५००–८०० की थी उसके लिए ३ क्वालिफिकेशन रखी गयीं। एक पोस्ट ग्रेजुएट, मैकेनिक एक, पोस्ट ग्रेजुएट (साइन्स) और पोस्ट ग्रेजुएट (होम साइन्स) इंजीनियरिंग के कार्य के लिए। पहली और दूसरी क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार को नहीं लिया गया बल्कि तीसरी क्वालिफिकेशन से उम्मीदवार को ले लिया गया और उसे पांच सौ के बजाय आठ सौ का ग्रेड देकर रख लिया, योग्य उम्मीदवार नहीं लिए गए यों कि उनकी पहुंच नहीं थी। उन्हें इस स्केल में रख दिया गया। आज आपके ऊपर सारे आफिसर हावी हैं क्यों कि सिंडीकेट रोज टेलीफोन करके नाजायज काम करवाते हैं। अगर आप उन्हें ईमानदारी से काम करने दें तो वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यदि मंत्री उनसे अनुचित कार्य न करवायें। आप उनके काम में इन्टरफियरेंस न करें।

डी० आई० आर० का जहां तक सम्बन्ध है वह आपने प्रेस के खिलाफ, दूकानदारों के खिलाफ और लेजिस्लेचर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या यह कानून आपने किसी ब्लैक मार्केटियर के खिलाफ भी प्रयोग किया? किसी ट्रेडर के खिलाफ भी लगाया, जिसने इस जनता को भूखों मार दिया? जब हमारे देश पर हमला हुआ और खतरे के बादल मंडराये उस समय भी धनिकों ने सुरक्षा चन्दा नहीं दिया और न कोई सहायता ही की। उनके खिलाफ कोई डी० आई० आर० में कार्यवाही नहीं की गयी, जिनके ऊपर हमारे करोड़ों रुपये बाकी हैं। दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में यह कहा गया था कि किसानों से खर्राफ में न वसल किया जाय फसल खराब होने के कारण और अब कहा जाता है कि खर्राफ की वसूली रबी की फसल आने के पूर्व ही वसूल कर ली जाय। जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनसे जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है लेकिन जिनके ऊपर ३ सौ करोड़ रुपया बाकी है उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है।

[श्री नेकराम शर्मा]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्माण-कार्यों के लिए सचिव इंजीनियर हो न कि आई० सी० एस० या आई० ए० एस० । जहां पर कन्सट्रक्शन का वर्क होता है वहां पर आप आई० सी०-एस० न रखें बल्कि उन स्थानों पर आप इंजीनियरों को रखें तो आपका काम सुचारु रूप से हो सकता है । इंजीनियर्सकान्फ्रेंस ने प्रस्ताव किया है कि सचिव पद पर इंजीनियर्स ही रखे जायें । क्योंकि निर्माण कार्य आई० ए० एस० अफसरों के कारण समय पर सम्पन्न नहीं हो पाते दिल्ली में आपने एक लिएजों आफिसर १८ सौ रुपये में रख रखा है । जिसका काम लियजों को कायम रखना है । वह बिल्कुल बेकार निकम्मा है । वहां पर किसी इंजीनियर को रखिये जो निर्माण-कार्य और आंकड़े जानता है और केन्द्र में सफल हो सके । वह वहां पर रुपये बर्बाद कर रहा है, केवल दावत देता है । आपको उसे वहां से तुरन्त हटाना चाहिये । दिल्ली के चीफ इन्जीनियर से प्लान के मामले में बातचीत हुयी । उन्होंने भी कहा कि यहां पर किसी इन्जीनियर को होना चाहिये । वहां पर लिएजों आफिसर का गलत एप्वांइन्टमेन्ट हुआ है । क्या जरूरत है इस तरह के प्रदेश में खर्चे बढ़ाने की और उस रुपये को लगान बढ़ा कर वसूल करने की । ये लियाजा अफसर लाखों रुपये दिल्ली में दावतों आदि में खर्च कर रहा है । रोकिये और शीघ्र उठाइए उसे....

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, ये जो दो अनुदान सामान्य प्रशासन और आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत माननीया मुख्य मंत्री ने पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, माननीय नेकराम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं उनको इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी स्पीच को माननीया मुख्य मंत्री को बधाई देते हुये शुरू किया जो उन्होंने कुछ सुधार सामान्य प्रशासन में किये हैं और करने की चेष्टा कर रही हैं ।

सबसे पहले जो उनकी आपत्ति हुई वह सुप्रीमेसी आफ लेजिस्लेचर की बात थी । विधायिका को, जो सार्वभौमिक सत्ता है उसमें उनको ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान मुख्य मंत्री के कार्य काल में कुछ धक्का लगा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया तब फिर उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर डालना उचित नहीं मालूम होता । वह बात उन पर लागू नहीं होती । उसके बाद के वाकयात माननीय नेक राम जी को और सारे सदन को ज्ञात हैं । इस सदन में जो इंटरफिरेंस हुआ हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ आवाज उठाई और वह आवाज उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि सारे देश ने उसको उठाया और वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया । सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन और अब हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे सामने है । इतना ही नहीं आज जो हमारी लोक सभा है उसके अन्दर भी इस बात की मांग है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाय ताकि जो सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर की है वह अपनी जगह बनी रहे । मैं समझता हूं कि यह कोई आरोप की मुनासिब बात उन्होंने नहीं कही ।

सन् ५३ की एक स्पीच को माननीय नेकराम ने कोट किया, जब मुख्य मंत्री विरोधी पक्ष में थीं । मैं उसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता । मैं इतना ही कहूंगा माननीय नेकराम जी से कि जब आदमी रूलिंग पार्टी में होता है और जब विरोधी पक्ष में होता है तो उसके दृष्टिकोण तथा ऐप्रोच में काफी अन्तर होता है । नेकराम जी हमारे साथ कांग्रेस में बहुत दिनों तक रहे हैं । उनका दिलो दिमाग आज भी हमारे साथ रहता है और वे खुद महसूस करते हैं कि अपोजीशन में तथा रूलिंग पार्टी में रहने से क्या फर्क होता है । माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है

कि जब कोई गवर्नमेंट के अन्दर होता है और जब बाहर होता है तो उसकी एप्रोच में अन्तर हो जाता है। इसको वे स्वयं मानती हैं। इसलिये उस स्पीच को कोट करने से स्थिति में ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है।

नेकराम जी ने टीचर्स की बात कही। इतना मैं कह सकता हूं कि जहां तक टीचर्स की हमदर्दी का सवाल है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, अथवा उधर के बैठने वाले हों उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज छागला साहब का भाषण आया है। वह कहते हैं कि पहले यह जो आन्दोलन चल रहा है उसे वापस ले लिया जाय। मुझे एक शिकायत है कि विरोधीपक्ष उसे हवा दे रहा है वरना अब तक मसला तय हो गया होता।

श्री उग्रसेन--

जरूर देंगे। वह वापस नहीं लेंगे।

श्री नवलकिशोर--

इस तरह से आप सबसे ज्यादा उनकी डिससर्विस कर रहे हैं। मैं नेकराम जी से कहूंगा कि अगर वह हमसे कहते हैं तो टीचर्स से भी कहें कि पहले वे अपना आन्दोलन वापस ले लें। फिर विचार अवश्य होगा।

श्री उग्रसेन--

आप आश्वासन दे दीजिये तो हम वापस करवा देंगे।

श्री नवलकिशोर--

मेरे आश्वासन की क्या बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, एजूकेशन मिनिस्टर्स केन्द्र व प्रदेश, फायनेन्स मिनिस्टर व चीफ मिनिस्टर तक के आश्वासन को नहीं माना। मैं भी कहता हूं और कहा भी है कि मेरी सहानुभूति तो उनके साथ ही है।

श्री नेकराम शर्मा--

व्यक्तिगत है या सरकार के नाते है ?

श्री नवलकिशोर--

व्यक्तिगत भी है और आश्वासन पार्टी के नाते भी है।

नेकराम शर्मा जी ने एक आक्षेप यह लगाया कि नौकरशाही बड़ी मजबूत होती जा रही है। यह एक एकेडेमिक डिबेट बन गयी है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के अन्दर दो हिस्से होते हैं। एक तो इंडिविजुअल आफिसर्स और दूसरा सिस्टम जिसके द्वारा वह काम करते हैं। इंडिविजुअल आफिसर्स का जहां तक संबंध है मैं तो स्पष्ट रूप से इस राय का हूं कि यह ज्यादातर काम्पीटेंस की प्रतियोगिता की बात है। आपने खुद भी कही घोड़ा और घुड़सवार की बात तो मेन टु मेन यह बात है जो भी अधिक योग्य अथवा क्षमता वाला होगा वही हावी हो जायेगा। मेरा मतलब उनकी जेनरेल काम्पीटेन्स से है। केवल गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की ऐकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स से नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि अगर देश की लीडरशिप संगठित है, उसमें एकता है और वह मजबूत है तो ब्यूरोक्रेसी उसके सामने झुक जाती है। चीन के प्रधान नेता माओ ने और रूस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री क्रुश्चेव ने कई बार इस बात को माना कि रूस में ४५ और ४७ साल तथा चीन में १५ साल क्रान्ति के बाद भी नौकरशाही को पूर्ण रूपेण नियंत्रण में नहीं ला पाये हैं। वहां तो श्रीमन्, जनतंत्र गवर्नमेंट नहीं है, वहां तो तानाशाही है फिर भी कठिनाई महसूस होती है क्योंकि यह तो एक सिस्टम यानी काम करने की पद्धति है जिसको बदलना आसान नहीं होता।

[श्री नवलकिशोर]

इंगलैंड में श्रीमन्, एक आसानी है कि वहां दो पार्टीज हैं उन्हीं की गवर्नमेंट होती है और वहां हर मौके पर आलटरनेट गवर्नमेंट और आल टरनेट लीडरशिप मौजूद रहती है। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में और प्रदेश में अभी तक कोई आल्टरनेट लीडरशिप नहीं बन पाई है, आल्टरनेट गवर्नमेंट की बात का क्या कहना है। यह इतना बड़ा वैकूम है। हजारों झगड़ों के होते हुये भी अगर हमारे देश में कोई संगठित पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल किया जाय तो माननीय नेकराम शर्मा को यह भी देखना पड़ेगा कि विरोधी दलों की ओर से जब मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आक्षेप होते हैं तो उससे देश में यह धारणा पैदा हो सकती है कि राजनैतिक लीडरशिप बेईमान है और जब राष्ट्रीय लीडरशिप ही बेईमान है तब उसपर आस्था कम होती है उस दशा में आप नौकरशाही पर हावी कैसे हो सकते हैं ?

मान्यवर, यह बात सही है मैं इसको मानता हूं कि अगर कोई बेईमान है तब उस पर आक्षेप होने चाहिये। लेकिन उनका तरीका होता है। मैं इस बात का हामी हूं कि हम में से यदि किसी इन्सान में कुछ खामियां हैं तो उनका सुधार होना चाहिये और आपको चाहिये कि उसके लिये आप मुख्य मंत्री को लिखें। मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि इसकी इन्क्वायरी गवर्नमेंट सरवेंट्स के जरिये नहीं होनी चाहिये। इसके लिये मुख्य मंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में एक पोलिटीकल मशीनरी होनी चाहिये। अगर कोई प्राइमाफेसी केस बनता हो तो संबंधित व्यक्ति से इस्तीफा मांगा जाय और इसके बाद इन्क्वायरी हो। लेकिन माननीय उग्रसेन जी, जो हर मंत्री पर आरोप लगा देते हैं, वह अपनी इस आदत को बदलें। इससे आप जनतंत्र को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि इस तरह से आप नौकरशाही पर कभी भी हावी नहीं हो सकते हैं।

मान्यवर, जहां तक सिस्टम का सवाल है, माननीय नेकराम जी जानते हैं कि केन्द्र में इस संबंध में चेष्टा की गई .....

श्री उग्रसेन--

हमने क्या आदत खराब की ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, ऐसा होता है कि बहुत से आदमी शाक-प्रूफ (shock proof) होते हैं। मैं भी एक प्रूफ हूं, इसलिये उनकी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है मैं कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई कमेटियां बैठाई और उनकी बहुत सी रिपोर्ट्स उसके पास आई ऐपिल जी, गोटवाला और आयंगर साहब की रिपोर्ट्स आई लेकिन समस्या कुछ ज्यादा सुधर नहीं पाई। यह बात सही है कि इस देश के प्रशासन में किस प्रकार के आमूल परिवर्तन हों, उसमें देश के नेता ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाये हैं। क्योंकि समस्याओं की बेड़ी टूट ही नहीं पा रहीं हैं और यह इसमें ही फंसे हुये हैं जो ढांचा हमें अंग्रेजों से मिला, चाहे वह आइरन फ्रेम हो या वुडन फ्रेम हो या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह भी बतला दूं कि इसमें ज्यादा परिवर्तन होने वाला भी नहीं है जब तक कि दूसरा आल्टरनेट ढांचा सोच न लिया जाय। उस समय तक कुछ होने वाला नहीं है। इधर-उधर की थोड़ी बहुत टूट-फूट या तब्दीली से काम चलने वाला नहीं है।

यह सवाल जो हमारे सामने बार बार आता है, यह बड़े महत्व का सवाल है। जनतंत्र के अन्दर ब्यूरोक्रेसी इंडिसपेंसिबिल है। मगर उसको जनता के प्रति रिसपांसीबिल होना चाहिये। लोगों की जो आकांक्षायें है जो उनका सामाजिक लक्ष्य है उसके अनुरूप उसे होना चाहिये। समाजवाद का ढांचा नौकरशाही के जरिये नहीं आयेगा। उसको तो देश की लीडरशिप को लाना पड़ेगा। पहले जब उसका अपना दिमाग साफ होगा तो वह गाइडेंस और सही मोड़ व दिशा दे सकेगा तब ही समाजवाद आयेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो मशीनरी ला एन्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिये बनाई गई थी उसी को नेताओं ने बिना खास तोमरम

किये हुये बड़े पैमाने पर प्लानिंग के काम में इस्तेमाल किया और काफी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, नेकराम जी ने रशियन बैलेट की बात कही, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन यह बात सही है और मैं भी महसूस करता हूं कि १५–१७ साल की स्वतंत्रता के बाद भी आज तक जनप्रतिनिधियों को यह पता नहीं है कि उनका स्थान कहां है। कोई फंक्शन होता है और उनको पता नहीं होता कि उनको कहां बैठना है। यह संकट एकाध दफा मेरे सामने भी आया यह बात दूसरी है कि वह अपने आप हल हो गया। इसलिये मैं डिटेल में तो नहीं जाता लेकिन सारा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों के मुकाबले अगर इन्फार्मेशन के बाबुओं की तरजीह दी जाय तो वाकई यह शर्म की बात है। मैं इस बात की मांग करता हू कि अभी तक हमारा कोई वारन्ट आफ प्रिसिडेंस नहीं बना है। पार्लियामेंट के मेम्बर्स का है लेकिन हमारा नहीं है। १३ या १४ बार मैं इस चीज को कह चुका हूं पन्द्रहवीं बार फिर कहता हूं कि प्रदेश का मंत्रिमंडल और उसके मुख्य मंत्री एक वारन्ट आफ प्रिसिडेंस बनावें। यह मांगें पार्लियामेंटरी ग्रुप की तरफ से भी की गयी है। उसको बनाना चाहिये क्योंकि अगर आप जनप्रतिनिधियों की इज्जत नहीं करेंगे तो इसमें आगे चलकर और बहुत सी कटु बातें पैदा हो सकती हैं।

मुख्य मंत्री जी ने प्रशासन के स्ट्रीमलाईनिंग की बात कही उसके लिये मैं बधाई देता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आपके आर्गनाइजेशन ऐन्ड मेथड्स डिवीजन के प्रयास के द्वारा काम हुआ है और २ लाख ८ हजार १४६ फाइलें नष्ट कर दी गयीं, कुछ फाइलें रिकर्ड रूम में भेज दी गयीं, कुछ डिस्पोज आफ हो गयीं। अच्छी बात है लेकिन यह कोई प्रदेश के प्रशासन के इम्प्रूवमेंट का मेजरमेंट नहीं है। मैं इसे फिर वही ब्यूरोक्रेसी ऐप्रोच की बात मानता हूं और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब की प्रेस कान्फ्रेंस जो १४ नवम्बर, ६४ को छपी थी उस में यह आंकड़े पढ़े थे। एक कदम उठाया गया उसमें भी जो फाइलें नष्ट करने का उठाया गया उसमें भी दो राय हो सकती है कि जो फाइलें नष्ट की गयी हैं वे कैसी थीं कैसी नहीं थीं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन इतना कहता हूं कि एफिशियेंसी लाने का सही इम्तिहान यह है कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं जो जनता की शिकायतें जिला और प्रादेशिक स्तर पर आती है उनमें विलम्ब होता है या नहीं। मैं श्रीमन् पी० एस० सी० का मेम्बर हूं और आपकी दुआ से कई साल तक मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं। मैं कहता हूं कि कई-कई साल तक हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिले। इसको मैं क्या कहूं? आफिसरान की केयरलेसनेस कहूं या इनकाम्पीटीनेंस कहूं या क्या संज्ञा दूं? एक साल की बात नहीं है, १४ साल मुझे देखते हुये हो गये पी० एस० सी० और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आती हैं और वह फाइल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण में कोई आमूल परिवर्तन हो। वही बात आपकी एफीशियेंसी का सबूत हो सकती है कि कितना जल्दी आपने उन पर ऐक्शन लिया। यह भी इस बात का सबूत होगा कि कितने प्लान आपके शिड्यूल्ड टाइम और ऐस्टीमेट्स के अन्दर एक्जीक्यूट होते हैं। यह हमारी एफीशियेंसी का मापदंड है। यह भी मापदंड होगा कि जो यहां शिकायतें आयी हैं उनमें कमी आई या नहीं।

करप्शन की बात बहुत होती है। आपने विजिलेंस कमीशन बनाया है। खुशी है मगर हुआ क्या? कुछ तो लीगलाइज्ड करप्शन है जैसे हममें से कौन नहीं जानता कि जो ईमानदार ओवरसियर है वह ५ परसेंट लेता है और जो बेईमान है उसका परसेंटेज तो ईश्वर जाने। (लालबत्ती होने पर) आपने लालबत्ती कर दी। हमें कुछ समय और दीजिये और इसे बन्द कर दीजिये। तो यह जो विजिलेंस कमीशन बना उसके पहले एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था। जब यह कमीशन बना तो महीनों तक उसके लिये कोई स्टाफ नहीं दिया गया। उसके बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू का एक सीनियर मेम्बर उसका चेयरमैन बनाया गया और कोई आई जी० ग्रेड का डाइरेक्टर बनाया गया। पता चला है कि चेयरमैन का पद डिमोट किया गया है। अब पता चला है कि चेयरमैन जो बनाये गये हैं अब या बनाये जा रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और

[श्री नवलकिशोर]

डी० आई० जी० रैंक का आदमी एक डाइरेक्टर होगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ लेकिन जो उनकी आफिशियल पोजीशन थी वह डिमोट हो गयी। इसके अलावा यह भी था कि गजटेड या नान-गजटेड का मामला कहां जा सकता है, मालूम नहीं वहां कितने गये और कितनों पर कार्यवाही हुई और कितने पड़े हैं मगर हमारा खयाल है कि आई० सी० एस० और आई० पी० एस० का मामला इसके अन्दर नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि विजिलेंस कमीशन के अन्दर बड़े से बड़े आफिसर को, चाहे वह आल इंडिया सर्विसेज का हो और चाहे प्रांविशियल सर्विसेज का हो, आना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उसके चेयरमैन हैं वह नान-आफिशियल होने चाहिये चाहे वह रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज ही क्यों न हों। ऐसा न हो कि मुख्य सचिव के अधीन एक विभाग ही बनकर रह जाय।

मान्यवर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की बात आई। नेकराम शर्मा जी ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। यह बात सही भी है और गलत भी है। अगर आंकड़ों के हिसाब से इसको देखा जाय तो मान्यवर, यह देखें कि जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर सन् १९६१–६२ में १५.९५ परसेंट था और सन् १९६४–६५ में वह १२.६३ परसेन्ट हो गया। इसमें कमी हुई, लेकिन जहां लाखों और करोड़ों रुपये के मानी में खर्च की धनराशि का सवाल है उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। जहां तक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का सवाल है दो स्टेट को छोड़कर--उड़ीसा और बिहार, हमारे यहां सब से कम है, लेकिन फिर भी खर्च बढ़ा है। जहां तक इन सारी सर्विसेज पर खर्च होता है वह ३५–४० परसेन्ट बजट का खर्च होता है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर खर्च अधिक पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन पर खर्चा कम होना आवश्यक है। मैंने खुद देखा कि जो हमारी चीफ सेक्रेटरी की सांच है उसमें २० आदमी थे और अब उसमें २९ आदमी हो गये। कमिश्नर की तादाद भी बढ़ी है। वे पहले ३ थे जो अब ८ हो गये हैं। यह जो विभागों का मर्जर हुआ है और तीन विभाग मिलाये गये हैं प्रोडक्शन अधिक बढ़ाने की गरज से उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें पहले १६ थे जो अब २१ हो गये हैं। गजेटेड पी० ए० की संख्या भी बढ़ी है जो दुगुनी और तिगुनी हो गई है और इसके साथ स्टेनोग्राफर की संख्या भी बहुत बढ़ी है। इसके साथ साथ यह भी देखने की बात है कि जो डिपार्टमेंट के हैंड हैं उन स्थानों पर आई० ए० एस० को बैठाने की कोशिश की जाती है। मुझे शिकायत नहीं है। वे काबिल आदमी होते हैं लेकिन मुझे डर है कि कहीं इन्हीं का प्रभुत्व न हो जाये। अभी देखा कि आई० जी० प्रिजन्स में भी आई० ए० एस० को बैठा दिया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंन्ट्स में भी देखा कि वहां पर अतिरिक्त डाइरेक्टर की जगह आई० ए० एस० बैठा दिया गया। एजुकेशन एडीशनल डाइरेक्टर के मामले में भी इसी बात की कोशिश की जा रही है कि वहां पर आई० ए० एस० हो जाय। मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आई० ए० एस० को अप्वाइन्ट आप करते हैं तो क्या आई० ए० एस० को आप सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं? क्या उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं जिससे सेक्रेटेरियट में ज्यादा एफिशियेन्सी पैदा होती है, क्या इसी कारण उसको प्रायोरिटी देते हैं? मैं यह समझता हूं कि इसको स्टाप किया जाय, क्योंकि इससे विभाग के लोगों में मायूसी पैदा होती है। एक खबर यह भी सुनने में आई है कि यह कोशिश की जा रही है कि जो मिनिस्टर साहब के पी० ए० हैं उनकी जगहों पर भी पी० सी० एस० और आई० ए० एस० बैठा दिए जायं। इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा मैंने सुना है और शायद अभी यह प्रपोजल फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ा है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको अभी से स्टाप करें नहीं तो आगे चलकर यह चीज खराबी पैदा करेगी।

एक बात यह भी निवेदन करूंगा कि तीसरी प्लान में काम का कोई अभी तक इवैल्युएशन नहीं हुआ है। ब्लाक से रिपोर्ट आ जाती है कि कुएं बन गए और इतनी पैदावार बढ़ गई। मैंने ब्लाकों को जाकर देखा है। जो उनका डेटा है, जो उनका फूड प्रोडेक्शन का बेसिस है

वह गलत है। कुएं बन गए और कुएं के हिसाब से कागज पर अनाज पैदा हो जाता है। चाहे उससे इर्रीगेशन हुआ या नहीं। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर भी, जैसे कि और जगह है, वर्किंग को जांचने के लिए उसी तरह से यहां भी एक प्लानिंग कमीशन ऐसा बनाना चाहिए जो प्लान बनाने के साथ-साथ उसकी वर्किंग की जांच किया करे।

खर्चे की कमी की बात मैंने कही। कोई ऐसा समय नहीं आता कि जिसमें कहा जा सके कि खर्चा कम हुआ है। इकोनामी का जो प्रोसेस है उसमें कुछ कमी है, लेकिन जो प्रयत्न किए गए हैं उनसे कुछ लाभ हुआ है और यह खुशी की बात है। लेकिन इस के लिए जरूरत है कि कमेटी बैठ कर विचार करे और कोशिश की जाय कि और बचत हो। सरकारी अफसरों को जो एलाउन्स दिए जाते हैं उन की भी जांच की जाय। इसके अलावा जो सेक्रेटरीज के कैडर हैं उनमें असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, आदि थे, अब एक स्पेशल सेक्रेटरी का पद और बढ़ रहा है। मैं चाहता था कि इस कैडर को सिम्प्लीफाई किया जाता, उसके स्थान पर यह बढ़ाया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स के रेशनलाइजेशन की बात मुख्य मन्त्री जी ने कही है, वह यहां भी लागू होनी चाहिए। एक स्थायी इकोनामी कमेटी बैठना चाहिए।

इसके अलावा आल इंडिया सर्विसेज की एक नयी दौड़ शुरू हो गई है। यह मेडिकल और इंजीनियरिंग से शुरू हो कर अब एजुकेशन और इन्फार्मेशन में पहुंच रही है। किसी भी कन्ट्री में इस तरह की बात नहीं दिखायी देती। यह ठीक है कि सेन्टर से यह सब स्टार्ट होता है. उस हम रिजिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस पर रोक लगाना चाहिए। यह भी खुशी की बात है कि हमारा पे कमीशन बैठ गया है और वह काम कर रहा है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सब से बड़ी चीज हमारी समाजवादी पैटर्न की है। जब तक हम एजुकेशन का पैटर्न और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के पैटर्न में आमूल परिवर्तन की बात नहीं करेंगे तब तक एक ओवरनाइट में इस तरह का कोई चेंज सम्भव नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, कटौती के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सामान्य प्रशासन के बारे में दो बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

शासक वृन्द और मन्त्रिमण्डल के बीच जो बन्धन है वह एक घोड़े और एक सवार का है। जिसे हम नौकरशाही कहते हैं और जिस के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि नौकरशाही राज्य कर रही है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसमें सरकारी नौकरों की केवल गलती नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सवार की है। कभी ऐसा नहीं सुना जाता कि जो घोड़ा काम करता है उस के लिए घोड़ा ही जिम्मेदार है, सवार जिम्मेदार नहीं है। जब घोड़े का सवार ठीक होगा, अच्छा होगा तब घोड़े की चाल भी ठीक होगी। सारे प्रदेशों में जो नौकर भर्ती किए जाते हैं वह लियाकत पर भर्ती किए जाते हैं। उनकी योग्यता एक सी है। अगर किसी शासन की नौकरशाही खराब हो जाती है या उस पर आरोप लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसका कारण यही होता है कि उसका सवार ठीक काम नहीं करता।

आज उत्तर प्रदेश शासन पर मुझे दो आरोप लगाने हैं। एक तो इनएफीशियेन्सी का, कार्य अक्षमता का और दूसरा दुर्बल मनोधैर्य यानी पुअर मोरेल का। कार्य अक्षमता के लिए हमारा पुराना तरीका जिम्मेदार है। इसे दुरुस्त करने के लिए न सिर्फ नौकरशाही जिम्मेदार है बल्कि मन्त्रिमण्डल भी जिम्मेदार है। मैं इसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूं।

किसी बजट में जो एस्टीमेट दिए जाते हैं उनके पहले उनकी जांच फाइनेन्स डिपार्टमेंट करता है। जांच के बाद वह बजट पेश होता है और पास किया जाता है। बजट पास होने के बाद विभागों को कोई अधिकार नहीं है कि वे उस धन को व्यय कर सकें। फिर दुबारा

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

फाइनेन्स डिपार्टमेंट उनकी जांच करता है और हर आइटम की दुबारा जांच होती है। आक्षेप पर आक्षेप निकाले जाते हैं, उनकी श्रृंखला चलती जाती है और नतीजा यह होता है कि कई दफा ग्रान्ट एक्सपायर हो जाती है, रुपया लैप्स हो जाता है और उपयोग में नहीं आता। पब्लिक धन का दुरुपयोग होता है और काम भी नहीं होता। ऐसी स्थिति न सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रशासन में है बल्कि और शासनों में भी रही, केन्द्रीय शासन में भी रही। उसके लिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा। वह यह है कि हर डिपार्टमेंट के साथ फाइनेन्स डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रतिनिधि रखा जाता है। उनका कार्य है कि जो फाइनेन्शियल सेंक्शन या जो ब्रेकिंग होना चाहिए वह उसी जगह कर देते हैं और आक्षेप पर आक्षेप की श्रृंखला नहीं लगती है, कार्य जल्दी हो जाता है और ग्रान्ट लैप्स नहीं होती। दूसरे, जो आक्षेप पर आक्षेप लगाने वाले हैं वह ज्यादातर कुर्सी पर बैठने वाले हैं जिनको फील्ड कंडीशन्स से कोई वाकफियत नहीं है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने एक उपाय और निकाला है। कई कैडरों के अफसरों को, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी हैं दो-दो डेढ़-डेढ़ वर्ष के लिए जिलों में भेज कर मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव आफिसर बनाकर ट्रेनिंग देते हैं और जब वह सेक्रेटेरियट में वापस जाते हैं तो उनको कुछ ज्ञान हो जाता है कि फील्ड कंडीशन्स क्या हैं, क्या परेशानियां होती हैं। उसके बाद वह इस तरह के ऐकैडेमिक आब्जेक्शन्स फिर नहीं लगाते। मैं समझता हूं कि हमारे शासन के लिए पब्लिक के समय का दुरुपयोग न हो, पब्लिक का काम आगे बढ़े, इसके लिए ये उपाय या ऐसे ही कोई उपाय ढूंढने चाहिए।

दूसरी बात मुझे सदन के सामने जो रखनी है वह है पुअर मोरेल, यानी दुर्बल मनोधैर्य। मनोधैर्य तीन गुणों के ऊपर निर्भर है--पहला साहस, दूसरी सत्यता और तीसरी निष्पक्षता। इन तीनों के लिए नौकरशाही के सामने जो मिसाल मन्त्रिमण्डल रखेंगे उसी के ऊपर नौकरशाही चलेगी। संस्कृत में एक वाक्य है--"यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः"। जो काम एक श्रेष्ठ आदमी करता है वही दूसरे करते हैं। "स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते"। जो प्रमाण वह रखता है दूसरे लोग उनका अनुकरण करते हैं। हम लोग जरा ढूंढ़ लें इस शासन में कि क्या प्रमाण रखे गए। मन्त्रियों की आलोचना मैं नहीं करूंगा। सामान्य प्रशासन की जिम्मेदार अपनी मुख्य मन्त्री की वाणी और करनी से ही दो तीन मिसाल मैं रखूंगा और वह भी पुरानी नहीं, हाल की ही।

सब से पहले मैं साहस का परिचय दूंगा जिस परिचय से कि नौकरशाही अपने कन्डक्ट को सुधारेगी। यहां पर जिस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत था उस वक्त मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हां यह बात सही है कि मैं पी० एस० पी० छोड़ कर कांग्रेस में आयी हूं और साथ ही साथ यह भी कहा कि एक पार्टी छोड़ कर दूसरी में आने के लिए करेज की जरूरत है। मैं मानता हूं कि करेज की जरूरत है--सत्तारूढ़ दल को छोड़ कर विरोधी दल में जाने के लिए करेज की जरूरत है। पराजयी दल से सत्तारूढ़ संस्था में जाकर पद को लेने में करेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग दूसरा लफ्ज ढूंढ़ेंगे, दूसरा पथ ढूंढ़ लिया जायगा। मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री यह कहेंगी कि अगर शिवाजी औरंगजेब से न लड़ता, हथियार छोड़ देता और औरंगजेब की सेना में सैनानी हो जाता तो करेज का परिचय देता। लेकिन लोकमत अन्यथा रहेगा। मैं समझता हूं कि अगर राणा प्रताप हथियार छोड़ कर अकबर की सेना में सैनानी हो जाता तो वह भी मुख्य मन्त्री की राय में करेज का परिचय हो जाता। मगर लोकमत अन्यथा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

अकबर और राणा प्रताप का रिश्ता ही क्या?

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—९८३ सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर—

जो बात मैं कहता हूं वह आपकी समझ में इस वक्त नहीं आएगी। इसको लिख कर घर पर जाकर अध्ययन कीजिए। साथ-साथ यह भी कहा जाएगा कि मानसिंह जो अकबर का सेनानी बना, उसने भी करेज का परिचय दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की करेज का परिचय आप कृपया अपनी नौकरशाही को मत दीजिए।

यही नहीं, करेज का और दूसरा उदाहरण देखिए। मुख्य मन्त्री से मेंहदावल क्षेत्र की १० हजार जनता ने लिख कर यह मांग की कि हम लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं कम से कम हमको अपना दर्शन तो दे जाइए, हम लोगों ने आपको चुना है, मगर माननीया मुख्य मन्त्री वहां नहीं गयीं, क्या यही साहस का परिचय है ? मेंहदावल क्षेत्र की ५० हजार जनता ने अपने दस्तखत करके यहां मांग की कि आप इस्तीफा दीजिए, उसके बरअक्स एक फर्जी अर्जी ८० हजार आदमियों के दस्तखतों से यह दिलवा दी गयी कि वह अर्जी गलत है। साहस का परिचय देना था तो चाहिए यह था कि इस्तीफा देकर दुबारा वहीं से चुनाव लड़कर आकर कहतीं कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है।

अब सत्यता का परिचय दूंगा। इसी विधान सभा में, जिस वक्त अध्यापकों का प्रश्न पेश था, उस वक्त एक परिपत्र के विषय में यहां सवाल उठाया गया था। उसकी नकल भी पेश हुई थी और यह कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। यहां पूछा गया था कि वह जारी किया गया है या नहीं। जवाब में कुछ अपवंचन हुआ, कुछ माना गया, आखिर में यह कह दिया कि हम इसको न तो कन्फर्म ही करेंगे और न डिनाई करेंगे। सदन तो जान ही गया, जनता भी जान गयी, जो नौकरी वाले हैं वे तो पहले से ही जानते थे, और इस अपवंचन में किसी को किसी तरह का भ्रम नहीं हुआ, इस अपवंचन से सिर्फ इतनी बात जाहिर हुई कि माननीया मुख्य मन्त्री को अपनी करनी को तस्लीम करने का डिफेंड करने का साहस नहीं रह गया और यह उनकी सत्यता और साहस का नमूना था।

अब मैं निष्पक्षता का परिचय देता हूं। वह भी इन्हीं के बारे में। हाल ही में एक उप चुनाव में, बांसी क्षेत्र में, माननीया मुख्य मन्त्री गयीं थीं और वहां इलेक्टोरेट के सामने उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी उम्मेदवार का समर्थन करने आयी हूं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री हूं। आप अगर कांग्रेसी उम्मेदवार को जितायेंगे तो वह जब आप लोगों के काम के लिए मेरे पास आएगा तो मैं उसका काम करूंगी, विरोधी दल का आएगा तो करने वाली मैं ही तो हूं। एक बार नहीं दो बार दो स्थानों पर यह कहा गया। मैं पूछता हूं कि क्या यही आपका सिद्धान्त है और निष्पक्षता का नमूना है। क्या जिस क्षेत्र से कांग्रेस का समर्थन होता है उसी क्षेत्र से आप टैक्स वसूल करती हैं ? उसी क्षेत्र की जनता को यह हक है कि सरकारी पैसा वहीं पर खर्च हो ? क्या आप सदन में यह घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि शासन सारा खर्चा उन्हीं लोगों पर करेगा जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है ? क्या नौकरशाही के सामने यही निष्पक्षता की मिसाल आप रखेंगे और क्या वह उन्हीं का काम करेगे जो आपके समर्थक हैं ? हमारा तो आरोप शुरू से ही यह है कि कांग्रेसी लोगों का काम ही होता है और इस देश में जो सत्तारूढ़ दल है वह पार्टी के लिए ही काम करता है। देश से बड़ी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बड़ी कांग्रेस पार्टी के नेता—क्या यही रहेगा ? हम लोगों ने तो जनतन्त्र में दूसरी ही शिक्षा पायी है। हम लोग यही समझते हैं कि देश सबसे बड़ा है। पार्टी उसके बाद है, पार्टी के नेता उसके बाद हैं। इसके बरअक्स जो आप मिसाल रखते हैं उसका असर नौकरशाही के ऊपर क्या है ? आप इस द्वैतवाद को छोड़ दीजिए। जनता के सामने एक वाणी, सदन में दूसरी और अफसरों में तीसरी बात कहते हैं। अगर आप यही करेंगे तो अफसरों के ऊपर क्या असर होगा। वे यही समझेंगे कि यह उनकी पालिसी का अंग हो गया है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बजट के अनुदान का प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी कुछ शब्द माननीय मन्त्री जी के नेकराम जी ने इस सदन के सन्मुख उदाहरण के लिए रखे। नवल किशोर जी ने ताईद की इस बात की कि जब विरोधी दल में व्यक्ति होता है तब और जब सरकारी दल में होता है तब, कुछ विचारों में बड़ा भेद होता है। मैं नवलकिशोर जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा निजी अनुभव है कि वह जब सदन में सरकारी या विरोधी दल में होता है तब बड़ा भारी फर्क आ जाता है और उसके बाद विचारों में इतनी जल्दी परिवर्तन होने के बाद यह आशा करना कि सरकारी नौकरशाही हमारे अनुशासन में रहेगी, जनता की सेवा करेगी, जनतन्त्र की रक्षा होगी, यह एक निरा स्वप्न है। मैं इसका कायल नहीं हूं। एकमात्र कारण, नौकरशाही के हावी होने का, जनतन्त्र की समाप्ति का, पब्लिक की कठिनाइयों के बढ़ने का, यह है कि इस कुर्सी के खतरे से हमारा दिल और दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। जब तक हमारी मन्त्रिपरिषद् के व्यक्ति दिल और दिमाग के सही नहीं होंगे, उनके जो जनता के प्रति कर्तव्य हैं, उनको अगर वे अमल में नहीं लायेंगे, तब तक मेरा अनुभव है कि शासन सही नहीं चल सकता।

मैं मुख्य मन्त्री जी के उस शब्द को जिनको शर्मा जी ने कोट किया कि सड़क पर चलने वाला व्यक्ति यह कहता है कि "अपनी सरकार नहीं है।" मैं आज यह कहना चाहता हूं कि गांव की पगडंडियों पर चलने वाला व्यक्ति भी भुखमरी की हालत से यही कहता है कि आज कोई सरकार नहीं। इस तरह की हालत आज जनता की है और फिर मन्त्रियों के उपदेश चाहे इस सदन में और चाहे सदन के बाहर, लगातार उसी रूप में जारी हैं। जब आदमी डूबता है पानी में, तब उपदेश बन्द हो जाते हैं। उस वक्त केवल उस आदमी की जान बचाने की फिक्र करते हैं। आज यहां समस्याएं सरकार के सिर से गुजर चुकी हैं, लेकिन सदन में और सदन के बाहर मन्त्रियों के उपदेशों में कोई कसर नहीं, चाहे वे यहां हों या बाहर हों। मैं नहीं समझता, १७ साल या १८ साल के स्वराज्य के बाद भी उपदेश से मन्त्रियों का मन ऊबता है या नहीं ऊबता। बल्कि कोशिश यह की जाती है कि खास तौर से हमारे उपदेश का प्रबन्ध किया जाय, पब्लिक बुलाई जाय और फिर इमर्जेंसी का नाम भी ले लिया जाता है। ये सारी बातें साथ नहीं चलतीं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आज मशीनरी हमारे काबू के बाहर है। सरकारी अफसरों की तो रोज-रोज ट्रेनिंग्स हुआ करती हैं, परन्तु मन्त्रियों की ट्रेनिंग ही नहीं आज तक। अनट्रेन्ड लोग ट्रेन्ड लोगों पर हावी नहीं हो सकते। इनकी ट्रेनिंग में मैं कोई स्कूल की बात नहीं कहता। कोई मैं बहुत बड़ी डिग्रियों की बात भी नहीं कहता। मैं कई दफा कह चुका हूं कि आदमी का दिल व दिमाग साफ चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि कई लोग ऐसे हुए हैं पुराने और आज भी जिनकी शिक्षा की योग्यता चाहे इतनी न रही हो लेकिन वे शासन में अद्वितीय रहे हैं। आज हो यही रहा है कि कुछ हमें कहने की आदत हो गई। हमें मन्त्रियों को सुनने की आदत हो गई। अमल नहीं होता। एक ही रास्ता है।

अभी सारे देश के सामने सवाल है राष्ट्रभाषा का। अभी सुबह मुख्य मन्त्री महोदया भी उत्तर दे रही थीं। इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ जानकारी रखता हूं। ऐसी घटनायें सुनने या पढ़ने को मिलती हैं कि हमारा मस्तक नीचा हो जाता है। अभी मेरे जिले में सेन्टर के एक मिनिस्टर का दौरा हुआ। उनके साथ रूस के कल्चरल सेक्रेटरी थे। जितनी मीटिंग्स में उन्होंने अपना भाषण दिया उन्होंने हिन्दी में ही भाषण दिया। मगर हमारे केन्द्र के मिनिस्टर ने अंग्रेजी में ही भाषण देना प्रारम्भ किया। काफी हुल्लड़ हुआ। उनको हिन्दी में ही भाषण देने को बाध्य होना पड़ा और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण का सवाल उठाकर लोग बहाना लेते हैं। सौभाग्य से मुझे कई बार मद्रास जाने का अवसर हुआ है। मेरी मुस्लिम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बच्चों से बात हुई। मुस्लिम बच्चों का यह इरादा था कि वे हिन्दी पढ़ेंगे और जिस तरह हम अंग्रेजी में सर्विसेज में तेज आते हैं उसी तरह हम हिन्दी में आयेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा हिन्दी के प्रस्ताव के समर्थक हैं। इसी तरह गोहाटी कांग्रेस के अन्दर हिन्दी का प्रस्ताव था। वहां भी इस भाषा को समर्थन प्राप्त हुआ। आप केन्द्र की बात कहते हैं। तो आपको केन्द्र में हिन्दी में खत भेजने चाहिए। केन्द्र में करोड़ों रुपया हिन्दी के ऊपर खर्च हो रहा है। हिन्दी के प्रचार के लिए सत्रह वर्ष के बाद भी यह कहना कि केन्द्र में अंग्रेजी पढ़े हैं इसीलिए हम अंग्रेजी में खत भेजते हैं, यह बिलकुल गलत बात है उत्तर प्रदेश से हिन्दी का ही पत्र व्यवहार होना अत्यन्त आवश्यक है। यह कहना कि हमारे सैन्टेन्सेज ठीक नहीं बनते, कोई माने नहीं रखता। यह राष्ट्रभाषा का सवाल ऐसा है कि उत्तर प्रदेश ने अगर ढील की, है दक्षिण में विरोध है, विदेशों में भी सम्मान है, हमारे राजनीतिक लोग कभी-कभी इसका विरोध कर बैठते हैं, तो यह बड़ी अनुचित बात होगी। उत्तर प्रदेश में खास तौर से राष्ट्र भाषा का सम्मान होना चाहिए।

मैं दूसरा निवेदन यह भी करना चाहता हूं और जिसकी चर्चा मुख्य मन्त्री जी ने की कि हम खेती की तरक्की के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं उसका उदाहरण दिया कि विकास आयुक्त का नाम बदलकर कृषि विकास आयुक्त रख दिया। हो गया कृषि का विकास। उन्होंने यह तो मालूम किया होता कि किसानों को बीज मिले या नहीं, अगर मिले तो वे वक्त से भी मिले या नहीं और फिर कैसे मिले मैं उग्रसेन जी की बात भी जोड़े देता हूं। साथ ही किस भाव पर दिया, बाजार के आम भाव के मुकाबिले। अगर किसानों को तरक्की देना चाहते थे तो आपको अच्छे और सस्ते बीज की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो जहां खेती और किसान की समस्याओं का सवाल है वहां खाली अफसरों के नाम बदल देने से तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की तब होगी जब कुछ किसान दिमाग के अफसर लोग खेती के काम में लगाए जावेंगे। उसके विपरीत हो यह रहा है कि जो हमारे सरकारी अफसर इस विभाग में हैं उनको खेती के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। वे जानते नहीं कि कौन से समय कौन सी फसल बोई जावेगी। खेती की तरक्की के लिए यह भी जरूरी है कि बीज समय पर दिया जाय। पानी की व्यवस्था की भी जरूरत है। उसमें ज्यादा कोताही नहीं करेंगे।

हमारे शान्ति प्रपन्न शर्मा जी बिजली के कनेक्शन देने में बहुत होशियार हैं। किसानों की समस्याओं को समझने में शान्ति प्रशन्न जी एक ही आदमी हैं। इन्होंने ही किसानों की समस्याओं को ठीक समझा है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे मेरा निवेदन यही है कि आप भी अपने विभाग में, सौभाग्य,वश, आज आप मुख्य मन्त्री जी के साथ भी हैं, सिंचाई विभाग के द्वारा, ऐसा प्रबन्ध करवा दें कि किसानों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायं। किसानों की समस्याओं को महकमे के अफसरों को भी साथ लेकर पालिटिकल कांग्रेसमैनों को कम से कम मिलकर देखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है मौके पर जाकर।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक निवेदन और करना है कि मैं एक ही दफा बोल रहा हूं। थोड़ा सा समय और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके अब १५ मिनट हो जावेंगे।

श्री राम चन्द्र विकल--

प्रदेश के अध्यापकों की समस्या आसानी से हल हो सकती थी, आज भी हो सकती है। हमारे शिक्षा मंत्री जी हठधर्मी के कारण उसे सुलझाना नहीं चाहते हैं। मेरी अध्यापकों से बातें हुई, उनकी बहुत ही मीटिंगों में मैं गया, मैं भी अध्यापकों में से हूं। मैंने कहीं भी उनकी इस

[श्री रामचन्द्र विकल]

बात का समर्थन नहीं किया कि बच्चों के इम्तहान न दिलाओ। अध्यापक होने के नाते वे मुझे बुला ले जाते हैं। मैं गाजियाबाद में और बुलन्दशहर में उनकी मीटिंग में गया। जब उनकी बातों को प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री भी उचित बताती हैं तो क्यों नहीं उनको हल किया जाता है? माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने सुझाव रखा था कि सब लोग मिलकर इसे हल करें। शिक्षा मंत्री बैठे थे और माननीय नवलकिशोर जी जवाब दे रहे थे। जब हाउस के जिम्मेदार और लीडर मांग करते हैं कि एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर इस समस्या का हल निकाला जाय तो सरकार को सबसे पहले उदारता का कदम उठाना चाहिये। लेकिन वह नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बने, भले ही उसमें नवलकिशोर जी भी हों। मुझे उनसे व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री उसमें हों तो समस्या हल हो सकती है और सम्मानपूर्वक हल हो सकती है। सब लोग सम्मान के भूखे होते हैं। मैं फिर दावत देता हूं सरकार को कि अध्यापकों की समस्या को निबटा देना सरकार के हित में, जनता के हित में और अध्यापकों के हित में है। इसमें देर नहीं करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इसका समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेकराम जी शर्मा के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं केवल फर्ज-अदायगी के लिये नहीं, बल्कि ईमानदारी से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सामान्य प्रशासन में अवश्य कटौती की जाय।

हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने नौकरशाही की चर्चा की। माननीय नायर साहब ने भी कहा कि नौकरशाही तो घोड़ा है, अगर उसका सवार कुशल है तो हट्ठी घोड़े को भी ठीक करके काम ले सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गत वर्ष इस पर विचार व्यक्त किया था, जिसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा था कि जब राज्य चलाने वाले पोलिटिकल लोग आपसी झगड़ों में पड़े रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत लेने पर तुले रहेंगे, अफसरों से नाजायज काम करावेंगे, तो जरूर वे लोग (नौकरशाही) हमारे कन्धों पर चढ़े रहेंगे। माननीय विकल जी ने भी ठीक ही कहा। नौकरशाही बलशाली और प्रभावशाली होती जा रही है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज नौकरशाही का सर्वाधिक जोर है। हमारे पोलिटिकल मित्र जो आज सरकारी पक्ष में हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और उनकी आपसी लड़ाई इतनी तेज हो चुकी है कि आज हमारे प्रदेश की दूकानों पर और गलियों में चर्चा है कि वर्तमान सरकार में कोई तब्दीली होने वाली है। कांग्रेस पक्ष के ही लोग इसकी चर्चा करते हैं। यह पोलिटिकल कशमकश का कारण है कि नौकरशाही बलशाली होती जा रही है। यह सरकार उस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है।

मान्यवर, यह नौकरशाह की श्रृंखला अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुई है। सरकार चलानेवाले लोग एवं, देश के नियोजकों ने भी, इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई है, ताकि सरकारी नीतियां कार्यान्वित हो सकें। भारत सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना की किताब में कहा गया है कि प्रशासन के सभी काम कुशलता और शीघ्रता से करने की आवश्यकता और जहां कहीं जनता से वास्ता पड़े, वहां प्रशासन में उसका अधिक से अधिक विश्वास प्राप्त करना ऐसी समस्याएं हैं जिनका आर्थिक विकास के क्षेत्र में गंभीर महत्व होता है। विकास कार्यों की गति और सरकार के कर्तव्य बढ़ जाने के कारण, प्रशासन में सुधार के इन पहलुओं को और भी जरूरी समझा जाने लगा है। प्रशासन के सुधार में प्राप्तव्य प्रधान लक्ष्य ये हैं—पहला सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण स्पष्ट शब्दों में कर दे और उनका निरन्तर पालन होते रहने का ध्यान रखे। दूसरा, नीतियों का पालन करने में, मंत्री, सचिव और विभागाध्यक्ष सहित हर स्तर पर किसकी जिम्मेदारी क्या है, इसे स्पष्टतः निर्धारित कर दिया जाय और किस नीति का लक्ष्य क्या है, इसे भलीभांति समझ लिया जाय। तीसरी बात यह है कि रोज का काम रोज, तुरन्त

और फुर्ती के साथ निबटा कर प्रशासन की कुशलता की रक्षा की जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि सब कर्मचारी ठीक प्रकार प्रशिक्षित हों, कार्य–प्रणाली सरल हो, और प्रत्येक स्तर पर काम की निगरानी चुस्ती से हो। चौथा यह कि बड़ी-बड़ी निर्माण-परियोजनाओं पर होने वाले खर्च के परिणाम उत्तम निकले हैं या नहीं और हर कदम पर हर काम ईमानदारी और किफायत से किया गया है या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उसने क्या किया है ? मैं समझता हूं कि अभी पिछले चन्द वर्षों में बहुत भ्रमात्मक विचार हमारे मंत्रियों द्वारा रखे गये हैं। एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। नीतियों के बारे में मंत्रि-परिषद् के सदस्य ही साफ नहीं हैं। ऐसी हालत में नौकरशाही किस नीति पर अमल करे ? इसलिये इस सरकार के प्रति मेरा अभियोग है कि इसकी नीतियां साफ नहीं हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की तीसरी योजना की किताब में सरकार ने स्वयं लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हाल में किये गये एक अध्ययन में प्रोफेसर मसालदान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक संगठन और प्रणालियों में सरकारी विकास प्रयत्नों के साथ साथ उन्नति नहीं हुई। आर्थिक विकास के लिये जो उत्साह दिखाई पड़ता है उसका शतांश भी प्रशासनिक सुधार की दिशा में नहीं है। इसलिये इस पुराने ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार के प्रशासन का व्यय बढ़ता जा रहा है। हमारे सचिवालय में नित्यप्रति सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव के पदों का सृजन होता जा रहा है। अभी माननीय विकल जी ने ठीक ही कहा कि विकास आयुक्त का पद रखा गया और उन्हें कई विभागों का सचिव बना दिया गया। जब उनसे बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमको और विभाग की जानकारी नहीं, केवल कृषि की बात कीजिये और उसके लिये और सेक्रेटरी है। जब उनको जानकारी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं, तो वह क्यों अनेक विभागों के सेक्रेटरी बने पड़े हैं ? विशेष सचिव फिर क्यों बना रखे हैं ? अन्डर, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के इतने पदों के बढ़ाने से प्रशासन का खर्च बहुत बढ़ गया है। मान्यवर, इस सचिवालय के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी कठिनाइयां है, उनके वेतन की सुविधा और महंगाई भत्ता आदि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इस बात का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि सचिवालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके लंच का कोई समय निर्धारित है या नहीं। उनके कार्यालय आने का और उनके कार्यालय छोड़ने का कोई समय निर्धारित है या नहीं। वे लोग समय के बाद कार्यालय आते हैं और समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं। केवल चन्द आफिसर्स इस सचिवालय के ऐसे हैं जो कि कार्यालय समय से पूर्व आ जाते हैं, और समय हो जाने के कुछ समय बाद कार्यालय छोड़ते हैं। मान्यवर, मैं इस बात को भी बता देना चाहता हूं कि इस सचिवालय के कुछ ऐसे भी आफिसर्स हैं, जो कि २–२–, ३–३ घंटे का लंच लेते हैं। इस लंच की बीमारी को सरकार को समाप्त करना चाहिये और समय की पाबन्दी करनी चाहिये। कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यह जाय कि किसी अधिकारी के पास इतना काम हो। एक सचिव, या विभाग का अध्यक्ष कितना काम करे, इसका लिखित हो मूल्यांकन सरकार को करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आज का प्रशासनिक ढांचा विकास के कार्यक्रमों के अनुकूल नहीं है। अभी पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि नियोजन अधिकारी के पद पर वही, प्रदेशीय सेवा के अधिकारी रखे जायं, जिनको कम से कम ८–१० साल का अनुभव हो। ऐसे से ही पी० सी० एस० को डी० पी० ओ० बनाया जाय। आजमगढ़ ले में जो जिला नियोजन अधिकारी रखे गये हैं वे पटेल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध रखे गये हैं। डी० पी० ओ० ऐसे आफिसर बनाये गये हैं, जो गुड़ और मिर्चा तक लेते हैं। उससे आजमगढ़ का क्या विकास हो सकता है ? वहां तो निष्पक्ष और लगन वाले अधिकारी ही जिला नियोजन अधिकारी होने चाहिये। आयुक्त का पद समाप्त हो जाना चाहिये। यह पद एक अनावश्यक पद है। १२ लाख रुपया इस पद को समाप्त करने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से महामान्य राज्यपाल का पद है, इस पर भी अनावश्यक रूप से १०–१२ लाख रुपया खर्च हो रहा

[श्री मैनेजरसिंह]

है, उसको भी तोड़ दिया जाना चाहिये । सवा लाख रुपया तो भत्ते और गाड़ी में ही खर्च हो जाता है । ऐसे पदों को तोड़कर शिक्षकों को भत्ता दिया जाय ।

यदि आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो गांवों में जो विभिन्न प्रकार के पद जैसे ग्राम सेवक, पंचायत मंत्री, नलकूप आपरेटर, कोआपरेटिव सुपरवाइजर वगैरह हैं, उनको समाप्त करके, एक एक गांवों में एक एक कार्यकर्ता दे दीजिये, जिसके पास यह सब काम हो । इसी प्रकार से आपको तहसील के ढांचे को भी बदलना होगा । जैसे बिहार में माल संबंधी तहसीलदार के अधिकार बी० डी० ओ० को दे दिये गये हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं । कानूनगो और नायब तहसीलदार के पद के बजाय, ए०डी० ओ० (माल) आप रख सकते हैं और इस प्रकार से इस विभाग से विकास के कार्यक्रम को बहुत सहायता मिलेगी ।

दूसरी बात श्री जनेश्वर मिश्र के संबंध में कहना चाहता हूं जिन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम में बन्द कर दिया गया है, जो बहुत ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हैं । इस प्रदेश में ब्लैक मार्केटियर्स और देश द्रोही तो पनप रहे हैं और जनेश्वर मिश्र जैसे ईमानदार और देश प्रेमी व्यक्ति को जेल में बन्द कर दिया गया है । मैं चाहूंगा कि माननीय सुचेता जी इस बारे में व्यक्तिगत जांच करायें । माननीया सुचेता जी की सरकार ने नालायक अधिकारियों की रिपोर्ट पर नजरबन्द कर दिया होगा, इसको वे स्वयं देखें ।

एक बात यह भी है कि कर्मचारियों को एक्सटेंशन दे दिया जाता है । यदि कोई टेक्निकल अधिकारी नहीं है तो उसको एक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिये । आपके इस प्रकार एक्सटेन्शन के प्रलोभन से सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाते हैं । माननीय मंत्रीजी ने बताया कि बिजली में हमने अपना काम पूरा कर लिया और अभी और भी ज्यादा मांग कर रहे हैं । ऐसे प्राविधिक विभाग के चीफ इंजीनियर को जिसने समय से पहले ही अपने काम को पूरा कर लिया है, उसको तो आप कह रहे हैं कि तुम हटते हो या नहीं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जायगी । पी० डब्ल्यू० डी० का काम क्या बिना जगदीश प्रसाद के चलेगा नहीं ? उनको आप एक्सटेन्शन देते जा रहे हैं । यह पक्षपात कुनबापरस्ती आप बन्द कर दीजिये । प्राविधिक अधिकारियों के अलावा और दूसरे लोगों को एक दिन का भी एक्सटेन्शन न दीजिये । दफ्तर के बाहर लोगों को एक्सटेन्शन क्यों दिया जाता है । इस प्रकार के कार्य से लोग ईमानदारी से हटते हैं और निराशा उत्पन्न हो रही है ।

बलिया में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को नियोजन अधिकारी बना दिया गया है जो बिलकुल भी लगन से काम नहीं करता है । विकास मंत्रीजी उसको अपने यहां बरेली ले जायं । ऐसे अधिकारियों को नियोजन अधिकारी के पद पर नहीं रखना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामायणराय—

उपाध्यक्ष महोदय, नायर साहब जिस समय अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रहा था । मुझे उन जैसे अनुभवी व्यक्ति से यह आशा थी कि आज नौकरशाही का जो देश में स्थान है उसके बारे में वे अपने विचार व्यक्त करेंगे और सुधार करने में हमारी सहायता करेंगे । उन्होंने नौकरशाही को घोड़े की मिसाल दी और शासन अथवा मंत्रिमंडल को सवार की मिसाल दी, जिसको सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया । यदि किसी के विचारों को समझना हो तो उसके दृष्टिकोण के दर्शक धरातल को देखकर उनको समझा जा सकता है कि आखिर वह आदमी क्यों इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर रहा है । मान्यवर, स्वाधीन भारत में रूल आफ ला है, कानून का राज्य है, किसी को सवार और किसी को घोड़े की मिसाल देना मैं समझता हूं कि वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस पुरानी मनोवृत्ति का द्योतक है जिस मनःस्थिति पर चल कर कुछ लोग यह समझते हैं कि पुनः ऐसा युग आयेगा जब राजा होंगे, मुसाहिब होंगे, घोड़े होंगे, सवार होंगे और उनके पास वही पुरानी तलवार होगी ।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आज हम नौकरशाही के संबंध में कि उनका आज क्या स्थान है, ठीक ढंग से उसके ऊपर विचार करना चाहें तो उनकी संविधान में क्या स्थिति है, उधर हमें ध्यान ले जाना होगा । नौकरशाही शब्द के लिये एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है "पब्लिक सर्वेन्ट" या "जन सेवक" । जन सेवक का सीधा सीधा तात्पर्य होता है, जो जनता की सेवा के निमित्त संगठित किया गया हो, जिसके ऊपर जनता के कार्यों को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो । मान्यवर, विधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा जो कुछ हम नियम, कानून बनाते हैं उन कानूनों को जनजीवन में कैसे उतारना है, यह उत्तरदायित्व नौकरशाही के कंधों पर होता है । उनका रिश्ता घोड़े और सवार से जोड़ना मैं समझता हूं कि आज जो नये विचार हैं, उन नये विचारों से आंख मूंदना होगा । उन्होंने अपने तर्क को और विस्तृत करते हुए यह कहा कि आज प्रशासन में जितनी भी ढिलाई है, जो कुछ भी कमियां हैं, उन कमियों का मुख्य कारण यह है कि जो आज घोड़े पर सवार हैं वे स्वयं यह मानते हैं कि वे घोड़े की सवारी कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि घोड़े की सवारी हर आदमी नहीं कर सकता । घोड़े की सवारी करने के लिये जिस रियाज की जरूरत होती है, संभवतः माननीय नायर जी ने यह रियाज अभी तक नहीं किया है । यह मानने के बाद भी उन्होंने कहा कि जिस साहस और मनोबल की आवश्यकता थी आज वह मनोबल और साहस मुख्य मंत्री में नहीं है और इस बात को विस्तृत करते हुए उन्होंने एक दो उदाहरण भी प्रस्तुत किये ।

उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई परिपत्र निकला था जिसकी सदन में चर्चा पर माननीया मुख्य मंत्री से यह पूछा गया कि परिपत्र निकला या नहीं निकला, इसके बारे में हां या नहीं में जवाब दीजिये । मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि जब कोई माननीय सदन का सदस्य मंत्री के पद पर सुशोभित होता है तो उसे तीन प्रकार की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती हैं । ओथ आफ आफिस, ओथ आफ सिक्रेसी तथा ओथ आफ मेम्बरशिप । तो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि वह किन अवसरों पर किन प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर दे, इसके लिये उसकी अपनी सीमा होती है, उसकी मर्यादा होती है । यदि उस मर्यादा के भीतर रह कर माननीया मुख्य मंत्री ने कोई उत्तर दिया है तो उस उत्तर को ले करके माननीया मुख्य मंत्री को ऐसा कहना कि उनमें साहस का अभाव है, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे उनका तर्क इस सीमा तक जाता है ? एक दूसरा उदाहरण उन्हों दिया गौर कहा वि अमुक निर्वाचन क्षेत्र से वह चुन कर आयी हैं, वहां के लोगों ने चिट्ठी भेजी तो वे वहां तशरीफ नहीं ले गयीं । अपने ही भाषण में आगे चल कर माननीय सदस्य ने कहा कि उनके चुनाव के पहले बस्ती जिले में माननीया मुख्य मंत्री वहां तशरीफ ले गयीं और उन्होंने अमुक सभा में भाषण दिया, प्रवचन किया ।

(व्यवधान)

मैं मान्यवर, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । आप धैर्य के साथ सुनें । आज इस सदन में एक ऐसे व्यक्ति के साहस और मनोबल के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया है जिनकी प्रशासनिक खूबियों से हम सभी अवगत हैं । इस प्रशासन को सुधारने के लिये उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया है, उससे हम सभी अवगत हैं । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय नायर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि स्वाधीनता संग्राम के जमाने में क्या वह यह भूल जाते हैं कि माननीया सुचेता कृपालानी जी का कितना ऊंचा स्थान रहा है ? नायर साहब जैसे लोग जब सरकारी दफतरों में क्लर्की और अफसरी करते होंगे उस जमाने में वह बंगाल में महात्मा गांधी के साथ जब कि भारतीय ललनायें पाकिस्तान में कैद की गई थीं उस समय उनको

[श्री रामायणराय]

छुड़ाने के लिये वह पहली नारी थीं जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया था और उनके लिये आज दुःस्साहस की बात कही जाती है । आज जनतंत्र है, कानून का राज्य है, जिस राज्य में इस तरह की थोथी दलील देने का कुछ लोगों को अवसर मिलता है । इसके पूर्व और भी तर्क दिये गये, उनके बारे में मैं क्या कहूं । कुछ लोग समझते होंगे कि कुतुबमीनार से कूदना ही साहस का परिचय देना है, कुछ लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी को मार डालना ही साहस का परिचय देना है, लेकिन सारा देश मान चुका है कि यह साहस नहीं है, ऐसे साहस को देशद्रोह कहते हैं और उसने ऐसा करने वालों को सदा ही पंचमांगियों की श्रेणी में रखा है और उनसे घृणा की है । एक दो जीत अगर इत्तफाक से हो गई तो सब हारों को भुलाने की कोशिश की गई, यह क्या बात है ।

मैं और बातों की चर्चा करना चाहता था, लेकिन माननीय नेकराम जी इस समय सदन में नहीं हैं । उन्होंने एक तथ्य को उद्धृत किया, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा । यह ६२-६३ की वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें एक स्थान पर लिखा हुआ है कि "नेफा की असफलताओं के पश्चात् तत्कालीन सुरक्षा मंत्री श्री बी० के० कृष्णामेनन की काफी आलोचना की गई तथा प्रधान मंत्री द्वारा उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने का सामान्यतः स्वागत हुआ । जिन परिस्थितियों में श्री मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा उस पर कतिपय पत्रों ने दुख प्रकट किया और कुछ पत्रों ने इस पर मंत्रि मंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की चर्चा की । लेकिन यह पत्रों की समीक्षा है जिसमें जिन समाचारों को प्राथमिकता मिली, एडीटोरियल लिखे गये उनका एक संकलन इसमें प्रकाशित हुआ है । एक ओर तो वह प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं और कहते हैं कि वह छीनी जाती है और दूसरी ओर देश में जो आये दिन राजनीतिक हलचल होती है उसका अगर कोई संकलन निकल गया तो उस पर सामान्य प्रशासन के बजट के अवसर पर ऐसे विचार प्रकट करना मैं तो समझता हूं कि फेलेसी आफ लाजिक है। यह ऐसी चीज थी कि जिसका आज के वादविवाद में कोई स्थान नहीं था । मैं उन माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में मौजूदा सरकार के चलते जो नये काम हो रहे हैं, प्रशासन में जो चुस्ती आ रही है उसको अगर वह नहीं देखते यह तो वस्तुस्थिति से आंखमूंदना है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि क्या आज के पहले भी उन्होंने कभी सतर्कता आयोग का नाम सुना था ? क्या इससे पहले भी आपको ज्ञात था कि यह दल ऐसे मकसद रखता है जिनके चलते चौथी योजना के द्वारा यहां की गरीबी हमेशा के लिये हम मिटाना चाहते हैं ? आज नई चेतना का संचार इस प्रशासन के द्वारा हो रहा है, उसकी आपको प्रशंसा करना चाहिये थी। मैं समझ गया था जब नेकराम जी खड़े हुये थे कि आज कुंवर श्रीपाल सिंह को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनको विवश होकर बोलना पड़ेगा कि उन्होंने हिन्दी की हिमायत दिल्ली में की । आज उन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा जो माननीया मुख्य मंत्री की तारीफ करेंगे । यह उन्हीं माननीया मुख्य मंत्री के प्रशासन के अन्दर है कि आज लड़कियों की फीस १० वें दर्जे तक माफ हो गयी है । अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे दल के लोग आलोचनाओं से, स्वस्थ आलोचनाओं से नहीं घबड़ाता है । हम हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह का कीचड़ उछालने का प्रयास, मैं समझता हूं, इस सदन में नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीया मुख्य मंत्री ने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि उन्हें शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत सहानुभूति है । उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद में एक फ्री इक्जामिनिंग सेन्टर खोल रखा है। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के कैन्डिडेट को पी० सी० एस० और आई० ए० एस० की परीक्षाओं

में सम्मिलित होने की ट्रेनिंग दी जायगी । आपने कहा कि इससे एफिशियेन्ट हरिजन आयेंगे, लेकिन हमारा कुछ अनुभव है कि उस ट्रेनिंग सेन्टर में ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जायगी जो सोर्सेज से जायेंगे, जो सरकार के नामजद वालों में से होंगे, चापलूसी करने वालों में से होंगे। मैं समझता हूं, मान्यवर, उन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा योग्य समझना चाहिये जो किसी सरकार की ज्यादा से ज्यादा बुराइयों को उसके सामने प्रकट करें, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती । अभी अभी हमारे माननीय सदस्य, रामायण राय जी ने, जिनकी मैं बहुत ज्यादा कद्र भी करता हूं, माननीया मुख्य मंत्री की बहुत बड़ी तारीफ की कि स्वतंत्रता के संग्राम में वे अग्रणी रहीं । श्रीमन्, अब समय बदल गया है, आज जो अच्छे हैं, वे कल बुरे हो सकते हैं । आज आपके प्रशासन में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है और उस ओर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । अंग्रेज हमारे देश में रहे । वे विदेशी थे । उनका शासन नौकरशाही का शासन था । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ । हमारे भारतवासियों के हाथ में आजादी की बागडोर आयी, लेकिन अंग्रेजों से भी बुरी निकली । मैं कांग्रेस हुकूमत को संबोधित करते हुये यह कहता हूं और सही बात कहता हूं ।

भारत मां के लुटेरे सर्वस्व छीनते जा रहे हैं और मां को डंडे भी लगा रहे हैं । मां के पास जो भी पूंजी है वह देती भी जा रही है और चोट से चीत्कार भी कर रही है। यदि भारत मां के ये सच्चे सपूत हैं तब तो इन्हें लुटेरों की संज्ञा देना नाजायज है और यदि ये मां की अस्मत को, मां की सम्पत्ति को और पूंजी को लूटते जा रहे हैं, और मां की चित्कार को यह महसूस नहीं करते, बल्कि दिल पसीजता तक नहीं तब तो ये मां के सच्चे सपूत नहीं । यदि मां के सच्चे सपूतों को जो कमजोर हैं, दुःखी हैं, परेशान हैं, उन्हें ये लुटेरे और परेशान करते हैं, मारते हैं और उन सच्चे दुखी सपूतों की चिंघाड़ को सुनकर मां और खून के आंसू बहाती है तब तो इसकी और पुष्टि हो जाती है कि ये लुटेरे भारत मां के सच्चे सपूत नहीं, नकली सपूत हैं । अब भी समय है । ये लुटेरे अपनी लूट बन्द करें, कमजोर एवं दुःखी भाइयों को गले से लगायें ताकि मां के चेहरे पर मुस्कान आवे और वह खुशी खुशी आशीर्वाद दे ।

आज सारे प्रदेश के शासन में भ्रष्टाचार का बोल बाला है । इसी भ्रष्टाचार को मैं लूट की संज्ञा देता हूं और भ्रष्ट लोगों को लुटेरों की संज्ञा देता हूं । अंग्रेजों के जमाने में भी भ्रष्टाचार था पर वर्तमान हुकूमत ने उसको मात कर दिया है । अंग्रज केवल गवर्नर जनरल, गवर्नर और कलेक्टर द्वारा देश प्रदेश में शासन करते थे, शहरों तक भ्रष्टाचार सीमित था । पर वर्तमान हुकूमत में शासन के एजेन्ट गांव-गांव में घर-घर में फैल गये हैं। शायद इस हुकूमत ने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर घर-घर में दो-दो-तीन-तीन कांग्रेसी बना कर दम लेंगे । यथा राजा तथा प्रजा । यदि राजा बुरा है, निकम्मा है, करप्ट है तो उसका प्रतिविम्ब जनता पर पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्यामलाल जी पढ़ने का कायदा नहीं है ।

श्री श्यामलाल—

मैं तो नोट्स देख रहा हूं । ऐसे मंत्रियों को कुर्सियों से चिपकाये रखने की क्या आवश्यकता है जो सठिया गये हैं और इनएफिशियेंट हो चुके हैं । सरकारी कर्मचारी ५८ व ६० साल में रिटायर हो जाते हैं इसलिये कि उनको समझा जाता है कि वह इनएफिशियेंट हो गये, लेकिन मंत्रियों के लिये यह लागू नहीं होता । उनको मारेल ग्राउन्ड्स पर रिटायर हो जाना चाहिये जिनके खिलाफ आरोप हैं। मेरे जिले में जिला परिषद् के अध्यक्ष ने ११ कर्मचारियों को निकाल दिया इसलिये कि वे मुसलमान थे और सवर्ण ६० साल के ऊपर हैं उनको खुली छूट है । इस सबके लिये मंत्रियों की जिम्मेदारी है । हम उन्हीं के कान पकड़ सकते हैं ।

[श्री श्यामलाल]

सामान्य प्रशासन सुन्दर होगा यदि शासन ईमानदार और सच्चा होगा। यदि प्रशासन में भाई भतीजाबाद, बिरादरीबाद है और अपने आदमियों को प्रशासन में भरा जाता है तो फिर प्रजातंत्र के लिये यह बड़े कलंक की बात है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय पंत जी के जमाने में चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण थे। डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने में चीफ सेक्रेटरी जातीयता के नाम पर कायस्थ था। भूतपूर्व गुप्ता जी के जमाने में चीफ सेक्रेटरी गुप्ता थे और आज भी मुख्य मंत्री के जमाने में चीफ सेक्रेटरी बंगाली हैं। .....

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

वह बंगाली नहीं क्रिश्चियन हैं।

श्री श्यामलाल—

हमारे प्रदेश में जातीयता का मर्ज बहुत बढ़ गया है। असेम्बली में समय-समय पर इस प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि अछूतों का, हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो सका क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाये। आई०ए०एस० और आई० पी०एस० तथा अन्य कम्पीटीटिव एक्जामिनेशंस में खुलेआम डकैती होती है। कोई सुनने वाला नहीं है। "बराबर अवसर सबको मिलता है" यह बात कही जाती है, लेकिन यह केवल संविधान तक ही सीमित है। सत्तारूढ़ दल भाई बिरादरीबाद के नाम पर उसे कार्यान्वित नहीं करने देता और सर्वहारा वर्ग अपने अधिकार से वंचित रह जाता है। सस्ता न्याय शोषित सर्वहारा को नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं आज के शासन में शोषित सर्वहारा वर्ग का आदमी स्वाभिमानी हुआ तो शोषकों द्वारा पीटा जाता है, उल्टे फंसा भी दिया जाता है। एक उदाहरण पेश है। ९ मई, ६४ को एक बहुत बड़े जिम्मेदार स्वाभिमानी नागरिक को जो शोषित था, मुंडेरवा थाने के अन्तर्गत, बस्ती जिले में कैथवलिया में दिन दहाड़े एक भूमिहार ने मारा जिसका नाम शंकरसिंह है। किसी तरह से पुलिस ने मुकदमा ३२५ में चलाया। वह मुकदमा जुडीशियल आफिसर, खलीलाबाद के यहां पहुंचा। वह भी बेचारे भूमिहार ठहरे। उस भूमिहार मुल्जिम को उन्होंने छोड़ दिया। यह भी कोशिश की कि ऐसे प्वांइंट मिल जायं जिससे वह विक्टिम को ही फंसा कर उसका कंविक्शन करें। ऐसे फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट को जनहित में डिसमिस करना चाहिये, उनको बरखास्त करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जल्दी ही समाप्त कीजिये।

श्री श्यामलाल—

५ मिनट और दे दीजिये। मैं इस बजट सेशन में पहली बार बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों को नहीं। आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, अब प्रश्न यह आता है कि देश में और प्रदेश में सब जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। उसका उपचार क्या है? उसको दूर कैसे किया जा सकता है? हमारे दिमाग में एक चीज आई है उसको हम आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सामने रख देना चाहते हैं। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने विजिलेंस कमीशन की बात कही और ऐंटी करप्शन कमेटी की बात कही। लेकिन आजकल जो विजिलेंस कमीशन और ऐंटी करप्शन कमेटी है उसकी आज के युग में मांग नहीं है। उसको पुनर्संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा अपना सुझाव है कि अपने यहां ३०–३५ आदमियों का एक पैनल बनाया जाय। उसमें हाईकोर्ट के रिटायर जज या उनके समकक्ष व्यक्ति होने चाहिये और वे हाइली पेड होने चाहिये। यह चीज बड़े मार्के की है कि जितने हमारे प्रदेश में

जिले हैं उनमें से हर जिले में दो-दो, तीन-तीन आदमी इस पैनल में आयं और जितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें हों उनको वे व्यक्तिगत रूप से सुनें। अन्तिम बात यह है कि वे बदल-बदल कर जिलों में आयं।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की बहस के सिलसिले में मुझे माननीय नायर साहब के व्याख्यान को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माननीय नायर साहब ने एक अर्से तक प्रदेश में एक जिम्मेदारी के स्थान पर शासन में रहकर जनता की सेवा की है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वे यदि अपने पुराने तजुर्बे को लेकर के कोई ऐसा अनुभव जो जनहित में होता उसका वे उद्धरण करते तब वह हमारे लिये एक उपदेश की भी बात हो सकती थी और उदाहरण की भी हो सकती थी। एक चीज वह कहते हैं कि नौकरशाही की जो प्रथा है, उसमें जितने भी लोग आये हैं और सेवा की है वह अपनी कार्यकुशलता, दक्षता, पांडित्य और योग्यता के आधार पर ही। यह सही बात है, लेकिन जो उन्होंने उपमा दी है और एक उदाहरण पेश किया, घोड़ा और सवार का, उसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। आजकल जो नौकरशाही बनी हुयी है उसमें हमारे ही परिवार के लोग हैं और शासन में भी उसी परिवार के लोग हैं, तो किसको घोड़ा कहा जाय और किसको सवार कहा जाय? यह तो अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार जितना भी उसका विकास होता है उसको स्पष्ट तथा व्यक्त करता है। चाहे कोई बड़ा भाई हो, कोई छोटा भाई हो, लेकिन वह सहोदर है। लेकिन यदि उनकी उपमा मान ली जाय तो पंगु घोड़ा हुआ तो क्या परिणाम होगा? तो सवार की उसमें कोई खामी नहीं कही जा सकती। उन्होंने उद्धरण संस्कृत से भी दिया। मालूम हुआ कि वह संस्कृत भी पढ़े हुये हैं, ठीक कहा है।

अश्वं शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च,
पुरुषविशेषं प्राप्यं योग्यायोग्यश्य भवन्ति ॥

अगर कहीं पर खराबी है तो यह विशेष परिस्थितियों में और विशेष पुरुष की संगति में रहकर अयोग्य भी योग्य बन सकता है। अगर कोई राग का सुन्दर ज्ञाता है तो वह नाना प्रकार के रागों को सुना सकेगा और अगर कोई गुणी शास्त्र कार है तो वह शास्त्रों में तरह-तरह की ऋचाओं को निकाल सकता है। इसी तरह से अगर शासक योग्य हैं तो वह मार्ग दिखाता रहेगा। अतः मैं इस समय इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि हमारा और उनका अर्थात् कथित नौकरशाही का चोलीदामन का साथ है, ज्वाइंट रिस्पांसिबलिटी है। आपने अपने तजुर्बे से यह बतलाया था कि अधिकारियों को यहां पर शासन में कुछ दिनों तक सेक्रेटेरियेट स्तर पर काम करना होता है और उसके बाद उसको फील्ड में जाना होता है ताकि ऊपर से नीचे तक का अनुभव प्राप्त हो जाय। तब उन लोगों के तजुर्बे के आधार पर हमें यह देखना है कि शासन का काम क्या सही हो रहा है या नहीं। हम तो जानते हैं कि जो भी कर्मचारी हैं वह ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। शासन ने जो नीति बनायी है उसका वे अनुकरण करते हैं अथवा नहीं।

एक बात और उन्होंने पेश की माननीया मुख्य मंत्री जी के सम्बन्ध में। आपने १० हजार कथित हस्ताक्षरों का हवाला दिया। नायर साहब ने इस प्रदेश में काम कई स्थानों पर किया है, लेकिन अगल-बगल के सवाजियात से मेरी वाकफियत उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने १० हजार सिग्नेचर कैसे बनवाये? एक बेलहर का इलाका है और वहां के एक जनसंघ के आदरणीय सदस्य हैं, उनके पूर्वजों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और उनके कार्यों को भी अच्छी तरह से जानता हूं। आपने प्रदेश की जो सेवा की है वह भी जानता हूं। मैं कोई अश्लील बात आदरणीय सदन के सामने नहीं रखना चाहता कि किस प्रकार से फर्जी दस्तखत बना करके तमाम अखबारों में मुख्य मंत्री के खिलाफ शोहरत की गयी। जिस सभा में मैं था नायर साहब तशरीफ उस सभा में

[श्री रामकुमार शास्त्री]

नहीं रखते थे, वहां ८९ हजार आदमियों ने दस्तखत करके यह पेश किया था कि मुख्य मंत्री में उनका कितना जबरदस्त विश्वास है। मेंहदावल का इलाका है जहां की सभा को संबोधन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। मैंने कहा था कि जब इस दुखी जिले को पनपने का अवसर आया, पूर्वी अंचल के भुखमरी से ग्रस्त इलाके के वासियों के आर्थिक उत्थान को जब हाथ में लेने का अवसर आया, जितने भी मतदाता थे जब मुख्यमंत्री जी को विधायक बनाकर उन्होंने भेजा और वह सौभाग्य से मुख्य मंत्री हुईं और जब उनके द्वारा जनता की तखलीफ हटने वाली थी तब कुछ लोगों ने भ्रामक प्रचार करके वहां ऐसी स्थिति पैदा की और लोगों को भड़काया कि उनके प्रति लोगों में विश्वास नहीं है। विश्वास हमारा ही नहीं और इसी देश में नहीं बल्कि नेपाल के निकट उसी जगह पर उनकी योग्यता के बारे में विश्वास कैसा होना चाहिये, मुख्य मंत्री के ऊपर, उसको पूर्णिमा में अन्धेरी अमावस्या की रात की तरह से ८९ हजार जनता ने वहां पर प्रकट किया जिसको आप फरमाते हैं कि मालूम नहीं कि कैसे देखते रहे। नायर साहब उसी जगह पर उनकी मातहती में काम कर रहे थे। मैं ही इस सदन का सिर्फ सदस्य था और उन्होंने फर्जी कागज को ले कर वहां दिया। उनके जमाने में ही ऐसे फर्जी इन्दराजात हुआ करते थे। इसलिये वह ५० हजार की बात ले कर कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिये। इस्तीफा तो उनको देना चाहिये जिन लोगों ने गलत बयानी की और जिन्होंने कहा कि इनके प्रति अविश्वास है। इस्तीफा उनको देना चाहिये जो गलत बात यहां पर आकर आदरणीय सदन में कहा करते हैं। आप फरमाते हैं कि वह ऐसे इलाके से चुनकर आये हैं और न मालूम क्या-क्या करके आये हैं। ऐसे बहुत लोग यहां पर आये हुये हैं उसी इलाके से। आज से नहीं, बल्कि सन् १९३७ से यह अदना सेवक उसी छोटी-सी संस्था, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसके टिकट पर चुनकर बराबर आ रहा है। यह कांग्रेस आज अपने त्याग और तपस्या के आधार पर यहां पर शासन कर रही है। आज तक मुझे हराने का मौका नहीं मिला। ७५ हजार वोट से जीता हूं और इनके उपनेता जनसंघ दल के माधवप्रसाद जी उसी निर्वाचन क्षेत्र से हार गये थे। न मालूम ये नायर साहब धूल धप्पड़ में यहां कैसे आ गये ?

हमारी मुख्य मंत्री जी किस प्रकार से इस प्रदेश की सेवा कर रही हैं, इसकी वकालत करने मैं यहां पर नहीं आया हूं, लेकिन यदि कोई भ्रमात्मक बात कही जाती है और उसका स्पष्टीकरण यदि न दिया जाय तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैंने उनके भ्रमात्मक भावना के आधार पर कही गई बातों का जवाब दिया। प्रदेश में प्रशासन ढंग से चल रहा है। इसलिये प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के ऊपर जो बहस हुई, जहां तक मैंने उसको सुना था, बहुत अच्छी बहस हुई। बड़ी गर्मी थी। मगर बातें जो कही गईं वह बहुत ही अच्छी थीं और खासकर नेकराम जी शर्मा को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब से मैं इस सदन में आया हूं उनकी यह स्पीच, जितनी उनकी स्पीचें हुई हैं, उनमें सबसे अच्छी थी और बहुत ही तैयार हो कर वे बोले और सारी चीजों को बहुत खूबी के साथ उन्होंने सदन के सामने रखा।

सरकार की बहुत बड़ी वकालत की जाती है कि सरकार का सारा काम बहुत उम्दा ढंग से चल रहा है। सरकार का काम कैसा चल रहा है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ प्रमाण सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार कैसी चल रही है। यह तो सदन खुद ही निर्णय करेगा कि सरकार कैसे चल रही है। सरकार की रफ्तार के बारे में २–४ प्रमाण ही देना चाहता हूं, उस से सदन स्वयं निर्णय कर ले कि सरकार कैसे चल रही है। किसी के बारे में यह कह देना कि फलां आदमी ऐसा था यह व्यक्तिगत बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। नायर साहब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में, मैं यह कहूंगा कि वह भी ६०, ७० हजार रुपया अपना गवां चुके हैं और उन्होंने भी काफी सैक्रिफाइस किया है। सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिये लोग बाहर भेजे जाते हैं। सेक्रेटेरियेट लेविल के लोग बाहर भेजे जाते हैं। श्रीमान् जी, जिस विषय के प्रशिक्षण के लिये लोग बाहर भेजे जाते हैं और वापस आ कर उसका क्या नतीजा होता है यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, एक आर० एन० मेहरा, डी० एल० आर० थे। उनको अमरीका विधायिका कार्यों के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया। वहां से लौट आने पर उनको मुरादाबाद का जज मुकर्रर कर दिया गया। जब एक खास विषय में उनको प्रशिक्षण दिलाया गया तो जज बनाने की उनको क्या आवश्यकता थी? क्या यही रफ्तार सरकार की उम्दा कही जा सकती है? मोती बाबू उसी विभाग में थे। उनको केन्द्रीय सरकार में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया। वे वहीं रह गये और सरकार ने भी उनको बुलाया नहीं। तो उनको प्रशिक्षण क्यों दिलाया गया? इसका कारण सरकार बतलाये। श्री मिश्रा करके एक लेबर–डाइरेक्टर थे। वह विदेश भेजे गये अपने विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये। जब लौटे तो उनको इलाहाबाद का कलेक्टर बना दिया गया। यह क्या रफ्तार है? यह बात मैंने प्रशिक्षण के सिलसिले में कही।

पक्षपात किस प्रकार किया जाता है यह भी मैं निवेदन करूंगा। एक विजिलेंस कमीशन बना है। उसके चेयरमैन बनाये गये एक अहमद मिराजी साहब। उनसे सीनियर और पुराने जज मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। वह १,६०० रुपये तनख्वाह पाते थे, उसे बढ़ा कर २,२०० रुपये कर दिया गया और दूसरों को सुपरसीड किया गया। हाईकोर्ट ने इस पद के लिये कुबेरनाथ श्रीवास्तव का नाम रेकमेंड किया, लेकिन उस हाईकोर्ट की संस्तुति को नहीं माना गया और एक दूसरे आदमी को चेयरमैन बना दिया गया, क्यों? इसका कारण मैं सरकार से जानना चाहता हूं। यह पक्षपात की बात मैंने बतलायी।

अब जिले के स्तर पर आना चाहता हूं। जिला परिषद् के अध्यक्ष को डी० पी० ओ० और बी० डी० ओ० की चरित्र पंजिका में इंट्री करने का अधिकार दिया गया है। नतीजा यह है कि सारा प्लानिंग का जो रुपया आप देते हैं वह, जैसा कि विपक्ष में कहा गया है, केवल एक पार्टी के हित के लिये इस्तेमाल होता है।

एक सदस्य—

गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

बिलकुल सही है। एक दम सही है। इतना सही है जितना सही दिन और रात का होना है। श्रीमन्, जो चाहे जा कर देख ले। परिषद् अध्यक्ष लेटे हुये हुक्का पीते रहते हैं। मोटर उनको मिली हुई है। उस पर उनकी साग भाजी आती है। डी० पी० ओ० साहब रोजाना सलाम करते हैं नहीं तो वे बेचारे की चरित्र पंजिका में नोट कर दें। एक अफसर उनको मिल गया और सरकार का सारा प्लानिंग का काम एक तरफ हो गया। (व्यवधान) ठाकुर के माने होते हैं राजा और उस स्थान पर आप हैं, इसलिये आप ठाकुर हैं।

श्रीमन्, मैं ४–५ सुझाव देना चाहता हूं। एक यह है कि प्रशासनिक नियम सारे के सारे अंग्रेजी में बने हुये हैं क्योंकि आज भी आप अंग्रेजी के लिये जान दे रहे हैं, यह सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाता हूं। क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज नादर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिन्दी में अगर कोई भी परिपत्र आता है तो उसको फाड़ कर नाली में फेंक दो और आज भी मुख्य मंत्री ने कबूल किया कि एक हिन्दी में पत्र मद्रास गया था और मद्रास की सरकार ने वापस कर दिया। मैं तो अपनी सरकार से कहूंगा कि अगर हिम्मत है, देशभक्ति का दावा है, अगर स्वतंत्र लोगों में रहना है तो आवश्यक है कि जो गुलामी की तस्वीर अंग्रेजी के लिये प्राण दे सकते हैं ऐसों का मुकाबिला

[कुंवर श्रीपालसिंह]

करने के लिये हम अगर अंग्रेजी में कोई भी पत्र मद्रास का आवे तो उसको वापस न करके, फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दें। इस हद तक तैयार रहने की आवश्यकता है। तो पुराने जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के नियम बने हुये हैं। वह इसलिये बने थे कि अंग्रेजी सरकार का रौब कायम रखें। अब चूंकि प्रजातांत्रिक सरकार है इसलिये उन नियमों में परिवर्तन होना ही चाहिये।

तबादले के नियम जो हैं कि ३ साल से ज्यादा एक अफसर कहीं नहीं रह सकता है, उसका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये। उसमें यह होता है कि अफसर अगर इधर-उधर घूम कर कोशिश कर लें तो ३ साल के बजाय ५ साल रह सकता है वरना डेढ़ ही साल में हटा दिया जाता है। तो ३ साल के नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिये।

चरित्र पंजिका में प्रविष्टि के सम्बन्ध में ऐसा होता है कि ऊपर वाले अफीसर्स अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में हर साल प्रविष्टि नहीं करते हैं। ३-३ साल रखे रहते हैं। फिर तीन साल के बाद एक साल में सारी प्रविष्टियां कर देते हैं। अगर हर साल प्रविष्टि हो तो जिस कर्मचारी के विरुद्ध वह प्रविष्टि होगी वह अपने को अगले साल सुधार सकता है, उन गलतियों को छोड़ सकता है, मगर यह नहीं किया जाता है। इसलिये कि जो अधिकारी हैं वह कर्मचारी पर उसी ढंग से रौब रखना चाहता है। पहले, दूसरे साल अगर खुश है और तीसरे साल नाराज हो गया तो तीसरे साल तीनों साल की विरुद्ध प्रविष्टि वह कर देता है और कर्मचारी उसके अन्दर उलझा रह जाता है (लाल बत्ती होने पर)। श्रीमन्, दो मिनट और चाहूंगा। स्थायित्व के सम्बन्ध में एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। कोई कर्मचारी जो किसी स्थान पर आफिशियेट करता है और उस जगह तीन साल रह जाता है तो जिस काम पर वह लगा होता है उसमें उसकी तबियत नहीं लगती और काम में गड़बड़ी होती है।

विभागीय सचिवों को जिस विभाग के हों उसका विशेषज्ञ होना चाहिये, जैसा कि नेकराम जी ने भी कहा है। जैसे कि सिंचाई विभाग या पी० डब्लु० डी० विभाग का सचिव इंजीनियर होना चाहिये। एक कारखाने का सचिव इंजीनियर होना चाहिये वरना सरकार के पास आई० ए० एस० और आई० सी० एस० नाम के दो ऐसे पुर्जे हैं कि जिनको चाहे जहां जोड़ दीजिये। अगर टायर बर्स्ट हो गया तो टायर की जगह लगा दीजिये, इंजन खराब हो गया तो इंजन की जगह लगा दिया, अगर साइलेंसर की जरूरत हो तो साइलेंसर की जगह लगा दिया। जहां चाहे लगा दो, चाहे काम करे या न करे, लेकिन उम्मीद उस से यही की जाती है कि वह हर जगह फिट हो जाता है। यह उचित नहीं है।

कार्यों में देरी क्यों होती हैं, फायलें क्यों रुकती हैं? सामने बैठने वाले मंत्रिगण सेक्रेटरीज से आजकल, काल, ट्रांसफर, और रिट्रांसफर का काम लेते हैं। सेक्रेटरी इसी काम में पड़े रहते हैं कि एक को बुलाया, उसका ट्रांस्फर किया, फिर रिट्रांस्फर किया। वह अपने विभाग की फायल देख ही नहीं पाते हैं।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि मंत्री जी अपने उत्तर में बतलावें कि उन्होंने कितने हिन्दी टाइपराइटर खरीदे और हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है कि हिन्दी टाइपिस्ट को अंग्रेजी टाइपिस्ट से १० रुपया ज्यादा दिया जाय तब जाकर हिन्दी नीति पर आप कुछ कर सकेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इस अनुदान पर मुझ गरीब को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

अभी तक उन्नाव जिले का कोई भी सदस्य नहीं बोला है, ३-४ बार मैं उठा....

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद आप दोनों को भी मौका मिलेगा।

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो बहस हुई, मान्यवर, उसमें बीच-बीच में कुछ फुलझड़ियें भी छोड़ी गयीं। कहा गया कि माननीया मुख्य मंत्री शासन का काम कुशलपूर्वक नहीं कर सकतीं, इनको इस्तीफा देना चाहिये, आदि बातें कही गयीं। मेरी समझ में नहीं आता कि हर अवसर पर नो कान्फीडेन्स की बात करना कहां तक ठीक है, हर मौके को नो कान्फीडेन्स का मौका क्यों बना लिया जाता है। इस वक्त तो कुछ आवश्यक सुझाव आने चाहिये थे। मैं तो समझता था कि विरोधी पक्ष तथा अपने साथियों की तरफ से भी कुछ आवश्यक सुझाव आयेंगे जिससे कि प्रशासन को और अच्छा बनाने का मौका मिल सके। माननीय श्रीपालसिंह जी ने एक दो सुझाव दिये, उनकी एक दो बातों से मैं सहमत हूं। यह ठीक ही है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार किसी ट्रेनिंग के लिये भेजे तो उसको उसी जगह पर नियुक्त करना चाहिये जिस जगह की ट्रेनिंग के लिये उसको भेजा गया है।

यह आपत्ति उठायी गयी कि यह सरकार नौकरशाही से गाइड होती है। अभी-अभी माननीय श्रीपालसिंह जी ने कहा कि जिला परिषद् के अध्यक्ष को बी० डी० ओज की चरित्र पंजिका में एन्ट्री करने का अधिकार दिया गया है। एक तरफ वे इसकी आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि सरकार नौकरशाही के हाथों में चलती है। एक तरफ शिकायत आती है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं दिये जाते, दूसरी तरफ कहा जाता है कि तमाम काम आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के द्वारा ही होता है। एक दूसरे के भाषण में, एक दूसरे के आर्गूमेंट्स में कोई सामंजस्य दिखलायी नहीं देता। शिवजी महाराज वाला मामला हो गया, नादिया बैल पर चढ़ कर जायं तो क्रीटीसिज्म हो, उतर कर जायं तो क्रीटीसिज्म हो।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रशासन के काम में, मान्यवर, यह जरूर मानना पड़ेगा कि पहले से कुछ अवश्य ढिलाई कम हुई है और सुधार हुआ है, भले ही वह एक चौथाई ही हुआ हो। फिर भी बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो अपने पुराने तरीके से ही चलती चली आ रही हैं और जिनको बदलने की जरूरत है। उदाहरण के लिये यहां सदन में यह कहा गया था कि सरकार के दिमाग में क्यों यह नहीं आता कि कमिश्नर्स के पदों को समाप्त कर दिया जाय। यह इतना खर्चीला एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसको समाप्त कर देना चाहिये। यहां पर यह क्यों नहीं बताया जाता कि इसको अगर हम खत्म कर देंगे तो उससे यह नुकसान होगा। जिलाधीश जो नौजवान आफिसर्स हैं वे अच्छी तरह से जिले का प्रशासन चला सकते हैं और चला रहे हैं। अगर किसी में वह क्षमता नहीं है तो उनको वहां रखने की आवश्यकता नहीं है। जो ठीक प्रकार से वहां का शासन चला सकें उनको भेजिये। उनका सीधा सम्बन्ध सेक्रेटेरियट से रखिये। कमिश्नरों को बीच की एजेन्सी बनाने की क्या जरूरत है? यह बताया जाय कि कैसे उनके हटाने से प्रशासन में शिथिलता आ जायेगी? हां अलबत्ता यह बात है कि कुछ बड़े सीनियर जो आई० सी० एस० आफीसर्स हैं, जिनको आपने कमिश्नर बना रखा है, उनको आप कबालटाउन्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं, जहां अनेक प्रकार की प्राब्लम होती हैं, इससे उनका सदुपयोग भी हो जायगा, और रोज-रोज वहां की वर्किंग के बारे में जो आपके पास शिकायतें आती हैं, वह भी दूर हो जायंगी और ऐसे सीनियर आफीसर्स को बिला वजह रखने का जो लांछन आप पर लगाया जाता है, वह भी दूर हो जायगा। मैं उनकी इसमें कोई तौहीन करना नहीं चाहता हूं, वहां उनका नाम आप डी० एम० के बजाय कमिश्नर ही रख सकते हैं, जिससे आप उनका अच्छा यूटीलाइजेशन कर सकते हैं। अभी कमिश्नर्स क्या करते हैं? कुछ अड़ंगा भले ही लगा देते हों। किसी डी० एम० ने काम अच्छा किया और सरकार ने उसको शाबाशी दी और उसकी वजह से दूसरे डी० एम० की कुछ नीची हो गई और उसकी वजह से कमिश्नर से पूछा गया, तो कमिश्नर बजाय इसके कि नीचे वाले को ऊपर उठाए, वह ऊपर वाले को नीचे खींचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार आप इनको कबाल टाउन्स में डी० एम० की जगह पर रख कर उनका सदुपयोग कर सकते हैं और इन स्थानों को खत्म कर सकते हैं।

[श्री बृजभूषणशरण]

सेक्रेटेरियट के विषय में जैसा कि श्रीपाल सिंह जी ने जिक्र किया मैं उनसे इस बात में पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि सब जगहों पर विशेषज्ञ ही रखे जायं। फिर तो यह भी हो जायगा कि पी० डब्लू० डी० का मिनिस्टर भी इंजीनियर हो, और मेडिकल का मिनिस्टर सिविल सर्जन हो, लेकिन मैं उनसे इस बात में सहमत हूं, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में भी एक तरीका था, जिसको हम आज भी अपना सकते हैं, इर्रीगेशन और पी० डब्लू० डी० के चीफ इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर प्लस सेक्रेटरी बना दिया जाय और उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि मेडिकल विभाग के डायरेक्टर को डायरेक्टर-कम-सेक्रेटरी बना दें। इसी तरह से और भी विभागों में किया जा सकता है।

आज माननीया मुख्य मंत्री ने जब सामान्य प्रसाशन की मांग को पेश किया तो उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये, उन्होंने यह भी बतलाया कि हमने पिछले साल से कुछ इस तरह की व्यवस्था की है कि जो पुरानी फाइल्स हैं, उनका कंसाइनमेंट हो गया है। अगर ऐसी बात है, तो इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं कि फाइल्स को जल्दी डिसपोज आफ करने का उन्होंने एक तरीका अपनाया है। भ्रष्टाचार की आधे से ज्यादा शिकायत, इससे दूर हो जायगी। इस समय भ्रष्टाचार के संबंध में भी मैं कुछ कहना मुनासिब समझता हूं। जहां जहां भ्रष्टाचार है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जहां तक उसका ताल्लुक सेक्रेटेरियट से है, यह बीमारी व्यापक बीमारी नहीं है। जो कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनका अलाहिदा-अलाहिदा बजट के समय क्रिटिसिज्म हो गया है। यहां तो सिर्फ शिकायत इस बात की होती है कि किसी काम का डिस्पोजल देरी से होता है। तो उस देरी को आपको दूर करना चाहिए। ऐसे स्टेप्स आपको लेने चाहिए, जिससे काम और तेजी से हो।

एक खास चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। कल हम लोग किसी गोष्ठी में बैठे हुए थे, तो मेरे एक अजीज दोस्त ने मुझसे यह बात कही कि छोटा नागपुर का जिक्र गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट में आया हुआ है कि वह पिछड़ा हुआ है, मगर उसका सुधार किया जा सकता है क्योंकि वहां खनिज पदार्थ बहुत हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए यह भी नहीं लिखा गया। यह ऐसी चीज है जिसकी ओर सरकार की तवज्जह जानी चाहिए। खनिज पदार्थ की कमी तो हमारे यहां भी नहीं होगी, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ हमारी तवज्जह जरूर होनी चाहिए। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में एक साहब डाइरेक्टर के पद पर थे, उनको डाइरेक्टर तो कर दिया गया था, लेकिन डाइरेक्टर का ग्रेड उनको नहीं दिया गया। अब वह आपके यहां से इस्तीफा देकर कनाडा में यहां से तिगुनी तनख्वाह पा रहे हैं। इसका कारण भी है कि इस विभाग को केवल एक अंडर सेक्रेटरी देखता है। कोई मिनिस्टर अलग से भी इसकी देखभाल के लिए नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री के पास यह विभाग है, लेकिन उनको इस विभाग को देखने के लिए कितनी फुरसत हो सकती है। छोटी-छोटी डिटेल्स को वह कैसे देख सकती हैं? सेक्रेटरी लेविल पर उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है। जो सेक्रेटरी इस काम को देखते हैं वह स्वयं भी बहुत व्यस्त आफिसर हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश इस मामले में तरक्की करे, तो इस विभाग को तथा अन्य ऐसे दूसरे आवश्यक विभागों के लिए अलग से सेक्रेटरी होना चाहिए, तभी ऐसे विभागों में कुछ सुधार के कार्य किये जा सकते हैं, और उनसे हमारे प्रदेश की खुशहाली बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस जनतंत्र के युग में प्रजातंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए जनता में इसके प्रति आस्था पैदा करनी चाहिए। नौकरशाही के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। यह विधान मंडल और सरकार जो नीति निश्चित करती है, उसको पालन करने का काम नौकरशाही का ही होता है। जनता की भावनाओं की कद्र करके जनता में जाकर इसके दोस्त की हैसियत से काम करें, यही कर्तव्य सरकारी अधिकारियों का होता है। लेकिन मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि

आज हमारे देश और प्रदेश में गतिविधि उल्टी ही हो रही है। हमारे प्रदेश का प्रशासन इस समय बहुत ढीला हो गया है। प्रशासन का हर एक पुर्जा अपनी जगह स्वतंत्र है और उसमें तानाशाही की मनोवृत्ति पैदा हो गई है। मैं इसका सारा दोष नौकरशाही के ही जिम्मे नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि इस नौकरशाही में बहुत से ईमानदार आदमी भी हैं, जो ठीक तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इस प्रवृत्ति को पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर और रूलिंग पार्टी के ऊपर है। यह सही है कि हमारे देश में एक पार्टी की सरकार है लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी सही है कि उस पार्टी के अन्दर भी दो गुट हैं जिनमें से यह एक गुट की ही सरकार है। एक गुट की सरकार होने के नाते जो भी गुट सत्ताधारी होता है वह अपने गुट को मजबूत करने के लिये नौकरशाही का बराबर इस्तेमाल अपने हक में करता है। जब वह अपने स्वार्थ में या अपने हित में उससे कोई काम लेगा तो सरकार का यह नैतिक साहस नहीं होगा कि वह नौकरशाही के गलत कामों को भी रोक सके। आज आये दिन इस तरह की मिसालें सरकार के सामने आती हैं लेकिन सरकार के मंत्रिगण मजबूर हैं अपनी जगह पर। नीचे से जो रिपोर्ट लिख कर आ जाती है उसी को सदन में दुहरा देते हैं। उसके खिलाफ कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। यदि उसे चेलेंज किया जाता है तो उसके बारे में इन्क्वायरी कराने की हिम्मत नहीं होती। यह आज एक कटु सत्य है। हो सकता है कि जो कांग्रेस गुट आज सत्ता में है उसे हमारी यह बात सही न मालूम होती हो या उसे यह सही न दिखलायी देता हो, लेकिन उसी पार्टी के जो दूसरे गुट के लोग हैं उनको यह बात सही दिखलायी देती है। दूसरे लोगों ने इस सदन में जो भाषण दिये उनके भाषणों से यह ध्वनि निकलती थी कि यह सरकार एक गुट विशेष की सरकार है और अपने गुट को मजबूत करने के लिये नौकरशाही का इस्तेमाल किया जाता है। आज उसका नतीजा यह है कि हर अधिकारी अपनी जगह पर स्वतंत्र है, अपनी मनमानी करता है और सरकार उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है।

मेरी नजर से इसके दो दुष्परिणाम निकलते हैं। एक तो यह कि हम सदन में खड़े होकर नौकरशाही की आलोचना करते हैं, उस नौकरशाही की जो सरकार के मंत्रियों के इशारे पर काम करती है और उनकी मंशा को समझ कर उनकी मंशा को पूरा करने की कोशिश करती है। जब हम उनका यहां असेम्बली के अन्दर या बाहर उन सब कार्यों का भंडाफोड़ करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि नौकरशाही में एक पस्ती की स्थिति आती है। नौकरशाही का कोई भी ईमानदार व्यक्ति ऐसे वातावरण में एक घुटन सी महसूस करता है। दूसरा परिणाम यह है कि आज जनता में यह धारणा हो गयी है कि इस तरह से प्रजातंत्र की जड़ ही हिल जायगी। आज नौकरशाही के खिलाफ कोई भी शिकायत की जाय तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि नीचे का छोटे से छोटा आफिसर जो कुछ भी लिख कर भेज देता है, मंत्री उसी को सही मान लेते हैं। उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती।

इन दिनों इस तरह की बहुत सी बातें सामने आयी हैं। आये दिन रोज रोज इस तरह की बातें होती रहती हैं। माननीय सदस्यगण खुद जो बात सदन में कहते हैं मंत्री लोग उसको सही न मान कर कलक्टर या एस० पी० की रिपोर्ट को सही मान लेते हैं। अब तो थानेदार और तहसीलदार द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट को ही सही मान कर उसी को दोहरा देते हैं। मान्यवर, इससे जनता में और उन प्रतिनिधियों में एक पस्ती की भावना आती है।

अभी उसी रोज की बात है जब इस सदन में यह सवाल उठा था कि श्री रघुवीर राम जी जब कानपुर की एक सार्वजनिक सभा में पुलिस अत्याचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे तो गलत तरीके से दरोगा ने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया। जब इस असेम्बली में इस सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सवाल उठाया गया तो जिस समय माननीय अध्यक्ष उसको पढ़ रहे थे, सदन के सभी माननीय सदस्य उसे बड़ी गम्भीरता के साथ सुन रहे थे और बड़े चिन्तित थे, लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि उसे सुनकर माननीया मुख्य मंत्री हंस रही थीं। यह बड़े दुख की बात है कि एक माननीय

[श्री भीखालाल]

सदस्य के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया हो और उसे सुनकर माननीया मुख्य मंत्री हंसें और उसका मजाक उड़ायें। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। जब ऐसे गम्भीर प्रश्नों में मुख्य मंत्री की यह प्रतिक्रिया हो हम उनकी नौकरशाही से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर सख्त कदम उठावें। इससे जनता में और जन प्रतिनिधियों में पस्ती की भावना आती है।

अभी कुछ दिन पहले सदन में चर्चा हो चुकी है कि उन्नाव जिले के दरेहटा गांव को उन्नाव के डिप्टी कमिश्नर ने लुटवाया, सब घरों को उजड़वा दिया लेकिन जब उसके सम्बन्ध में पूछा गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर की तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जनता व जनता के प्रतिनिधियों में इसके प्रति काफी क्षोभ है। जहां तक जनता की बात है विरोधी पक्ष के नहीं कांग्रेस के लोगों ने सरकार से, मंत्रियों से, सेक्रेटरी से सब से, वहां की हालत को बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे जन प्रतिनिधियों में पस्ती पैदा हो रही है और वह इधर नहीं उधर ही पैदा हो रही है। वह पस्ती कैसी है, वह मैं बता दूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में हमारे जिले की संसद सदस्या श्रीमती गंगा देवी कहती हैं कि शासन निरंकुश हो रहा है और सरकार कुछ नहीं सुन रही है और उन्होंने कांग्रेस के बड़े संगठन से इसके प्रोटेस्ट में स्तीफा देने की अनुमति मांगी है और इसी तरह से वहां के अन्य संसद सदस्य श्री कृष्णदेव त्रिपाठी जी भी स्तीफा देने की बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे कदम उठाये जिससे उसमें जनता के प्रतिनिधियों की आस्था कायम रहे। जहां जन प्रतिनिधियों की भावनाओं की इज्जत होगी वहीं प्रशासन चल सकता है, मजबूत हो सकता है और प्रजातंत्र भी मजबूत हो सकता है।

आज बड़े अधिकारियों के पास काम बहुत बढ़ा हुआ है। आप किसी सेक्रेटरी के पास जायं वह हर वक्त फाइलों के बीच घिरे रहते हैं, अगर आप उनसे किसी काम के लिये कहिये तो वह कह देते हैं कि हम फाइल निकलवा लेंगे आप फिर आयें। दोबारा जाते हैं तो वह कह देते हैं कि फाइल तो निकलवा ली हैं यह आपकी लेकिन अभी हम इसे देख नहीं सके हैं क्योंकि काम बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन यह काम एक बनावटी तरीके से बढ़ा हुआ है और उसका खास कारण यह है कि कोई अधिकारी दफ्तर में ६ घंटे काम नहीं कर पाता। हमारी सरकार को मीटिंगों का मीनिया हो गया है, रोग हो गया है। हर काम मीटिंग से ही होता है, चपरासी की तकर्रुरी हो तो, किसी सेक्रेटरी का तबादला हो तो वह मीटिंग के द्वारा ही होगा, सारे बड़े अधिकारी रोज मीटिंगों में मशगूल रहते हैं और मुश्किल से वह १ घंटा काम करते होंगे। प्रजातंत्र में सामूहिक फैसले करने और सामूहिक विचार करने की परम्परा एक अच्छी और स्वस्थ परम्परा है लेकिन उसका एक स्तर है और उसका मतलब यह नहीं है कि हर काम मीटिंग के जरिये से ही हो। इसका कारण यह है कि किसी काम को करने के लिये कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है, मंत्री महोदय कहते हैं कि जिम्मेदारी कौन ले, ४ सेक्रेटरीज को बुला कर वह मीटिंग करके फैसला करते हैं। सेक्रेटरीज, ४ डिप्टी सेक्रेटरीज को बुला कर फैसला करते हैं कोई अपने ऊपर किसी चीज का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। इस तरह से एक कृत्रिम तरीके से काम बढ़ता है और प्रशासन ढीला होता चला जाता है।

यह जो नान-गजेटेड कर्मचारी हैं और कम वेतन वाले लोग हैं उनके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति निश्चित करे। यह ठीक है कि उनकी नौकरी भी सूबे भर की है लेकिन उनके छोटे वेतन को देख कर ऐसी नीति बनाना चाहिये कि उनके तबादले और तैनाती किसी एक हद तक, एक सर्किल के अन्दर ही होनी चाहिये। जब पच्छिम के रहने वालों का पूर्व में या पूर्व के रहने वालों का पच्छिम में तबादला किया जाता है तो उनके सामने दिक्कतें पैदा होती हैं और वह सिफारिश के लिए दौड़ा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौ रुपया पाने वाला बुलन्दशहर का रहने वाला है और उसको देवरिया भेजा जाता है या आजमगढ़ का रहने वाला है और सहारनपुर भेज दिया जाता है तो अवश्य ही वह परेशानी महसूस करता है। इन कम वेतन पाने वालों की कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं और इतने कम वेतन में उनको दूरी से पूरा करने में बहुत

परेशानी होती है। इस हालात में सरकार को कोई ऐसी नीति बनाना चाहिये कि ऐसे नान-गजेटेड निम्न वेतन भोगी लोगों का तबादला एक निश्चित दूरी या सर्किल में किया जाय ताकि उनकी परेशानी कम हो और तबादला करने के लिये सिफारिशों का भी चक्कर कम हो।

श्री जियाउर्रहमान—

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैं इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमान्डस पर बोला था और मेरी यह खुशनसीबी है कि आज फिर आपकी नजरेकरम हुई और मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिबेट पर बोलने का मौका मिला। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि मुझे सरकार की नेकनीयती पर कोई शुभा नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सरकार जो एक जनतांत्रिक सरकार है, जमहूरी सरकार है वह नेकनीयती के साथ अच्छी व्यवस्था कायम करना चाहती है, अच्छा प्रशासन चाहती है और खराबियों को दूर करना चाहती है। इसलिये मुख्य मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक सवाल है कि सरकार की इस नेकनीयती के बावजूद, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह क्या राज है कि कोई हकीकी तब्दीली सामने नहीं आती। एक शेर है, 'मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की', दवा हो रही है लेकिन मर्ज बढ़ रहा है। करप्शन को दूर करने के लिये विजिलेंस कमीशन मुकर्रर हो रहा है, लेकिन करप्शन बढ़ रहा है। इनएफिशियेंसी दूर करने के लिये मुख्तलिफ कमेटियां मुकर्रर की जा रही हैं, लेकिन इनएफिशियेंसी बढ़ रही है। इनएफिशियेंसी के लिये यह वजह करार दी जा रही है कि अफसरों के लिये जिलों में बंगले नहीं हैं तो जिला परिषद् की जमीन पर, पब्लिक इंस्टीटयूशन्स पर कब्जा करके बंगले बनवाये जा रहे हैं ताकि एफिशियेंसी बढ़ सके। हमें ठंडे दिल से सोचना होगा क्या आज का प्रशासन वही प्रशासन है जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने रामराज्य में देखा था या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्टक पेटर्न आफ सोसाइटी में देखा था? आवाजें हरगिज नहीं। क्या आज का प्रशासन वेलफेयर स्टेट के तकाजों को पूरा करता है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह प्रशासन इन तकाजों को पूरा नहीं करता और पूरा करने में नाकामयाब रहा। मैं यह समझता हूं कि कहीं न कहीं बुनियादी तौर पर कोई गलती जरूर है। वह खराबी मेरे नजदीक यह है कि नामों की तब्दीली तो हमने जरूर की जैसे कमिश्नर को बदल कर आयुक्त कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बदल कर जिलाधीश कर दिया और सेक्रेटरी की जगह सचिव कर दिया लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जो स्पिरिट नौकरशाही की थी उसको बदलने की हमने कोई कोशिश नहीं की। एक जमहूरी निजाम के अन्दर जमहूरी इंस्टीट्यूशंस की जो मान मर्यादा होनी चाहिये वह आज नहीं है। इसलिये हमको सोचना होगा कि ऐसा करने के लिये हमको क्या करना है।

कल हमारे एक पुराने माननीय सदस्य ने तिलक हाल में लेक्चर दिया अमेरिकन कांग्रेसनल सिस्टम पर और उसमें वहां की परम्पराओं का जिक्र किया। उनमें बहुत-सी ऐसी चीजें थीं जिनको हम अपने मुल्क में अपना नहीं सकते। लेकिन उसमें एक ऐसी चीज थी जिसको न सिर्फ अपनाना चाहिये बल्कि मेरा ऐसा खयाल है कि इस डेमोक्रेसी के युग में सही डेमोक्रेटिक परम्पराओं को कायम रखने के लिये वह जरूरी है और वह यह है कि जन प्रतिनिधियों का जितना अंकुश होना चाहिए वह आज यहां नहीं है। हाउस की कमेटी हो जो देखे कि हमारी बनाई गई पालिसीज पर अमलदरामद हो रहा है या नहीं और उनमें कोई बदउनवानियां तो नहीं हो रही हैं। इसलिए कि एक्जीक्यूटिव किसी डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर के सामने उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। मैं कह रहा था, श्रीमन्, कि इस किस्म की कोई कमेटी हो, जो प्रशासन के लिए एक कोड़े का काम करे, जो यह देखें कि शासन हमारी कायम की हुई नीतियों को अमल में ला रहा है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या तजकिरा किया जाय करप्शन का और दूसरी चीजों का, इस प्रशासन में। आपके प्रशासन का आउटलुक कम्युनल और सैक्टेरियन है और उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि एक विशेष वर्ग के लड़के बावजूद इसके कि वे रिटिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको इन्टरव्यू में पास करके ज्यादा नम्बर दे दिये जाते हैं और जो विशेष वर्ग के

[श्री जियाउर्रहमान]

नहीं होते हैं उनको बावजूद ६२–६२ या ७२–७२ प्रतिशत नम्बर पाने के उनको वाइवा वोसी में एक-एक नम्बर से फेल कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इस किस्म के एक मामले को माननीया मुख्य मंत्री के सिपुर्द किया था और उन्हें खुद लिखा था। मुझे खुशी है कि माननीया मुख्य मंत्री ने उसके ऊपर उचित कार्यवाही की है और किसी हद तक आंसू पोंछे। लेकिन सवाल यह है कि बदउनवानी करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई।

श्री काशीनाथ मिश्र––

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि विशेष वर्ग के लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है। तो क्या वे लोग गुप्ता हैं ?

श्री जियाउर्रहमान––

मैं काशीनाथ जी की तरह से कोई व्यक्तिगत बात करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री उग्रसेन––

माननीय काशीनाथ जी को बड़ी मायूसी होगी अगर आप नाम नहीं बतायेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री जियाउर्रहमान––

उपाध्यक्ष जी, अभी मुझे ५ मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष––

नहीं-नहीं, आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री जियाउर्रहमान––

अन्त में मैं उन्नाव जिले के प्रशासन के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा माननीय भीखालाल जी ने कहा उन्नाव का प्रशासन एक भ्रष्ट और निकम्मा है। २ साल पहले मैंने आवाज उस जिले के प्रशासन के खिलाफ बुलन्द की और आज इस वक्त मैं इस हाउस में एलान कर रहा हूं कि उस जिले के प्रशासन के खिलाफ आज हर एक जन प्रतिनिधि ने आलोचना की है। जहां पर जिलाधीश के खिलाफ बार एसोशियेशन रेजोल्यूशन लाया हो, जिसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी का युनेनिमस रेजोल्यूशन हो और जिसके खिलाफ हर जन प्रतिनिधि की राय हो, तो क्या ऐसा प्रशासन इस प्रजातंत्र के काबिल है ? इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्तहाई अफसोसनाक बात है सरकार गौर फरमायें कि जहां डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिले के दो एडवोकेट्स और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दफा ५०० में इस्तगासा दायर किया हो और दो एडवोकेट्स को फंसाने के लिये एक-एक कत्ल के मुकदमें में साजिश की जा रही हो, वहां पर कोई जमहूरी प्रशासन है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का बे नकेल प्रशासन आपको देखना है तो उन्नाव में देख लें। ऐसे प्रशासन के अन्दर करप्शन कैसे दूर होगा ?

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आप ने बहुत देर के बाद मुझे अवसर दिया है। सामान्य प्रशासन की बहस के सिलसिले में इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से असेम्बली से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। सेक्रेटरी बढ़ाये गये और कई हजार रुपये सरकार को देने पड़े। बहुत से सेक्रेटेरियों को कमिश्नर बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी का सरक्यूलर है कि पांच

क्लर्कों पर से चपरासी को हटा दिया जाय। चपरासी तो हटा दिया गया है लेकिन सेक्रेटेरीज बढ़ गये हैं और बहुत से सेक्रेटरी कमिश्नर बन गये हैं। यह आपकी हालत है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान इलाहाबाद के फारूक कांड की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले साल यह कांड हुआ था। उसमें कलक्टर और एस० एस० पी० दोनों के बारे में फैजाबाद के कमिश्नर ने जजमेंट दिया था कि दोनों नालायक हैं। लेकिन प्रदेशीय सरकार ने एस० एस० पी० को डी० आई० जी० बनाकर बनारस भेज दिया और कलक्टर को कमिश्नर बनाकर झांसी भेज दिया। आप जिसकी दुहाई देते हैं, मैं तो गांधी जी की पूजा करता हूं और चाहता हूं कि उनके कहने के अनुसार चलना चाहिये उनकी यह हालत है। जवाहरलाल जी का जहां आनन्द भवन बना हुआ है, उसके नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है। आप उसकी सही तरीके से व्यवस्था करें। माननीया मुख्य मंत्री जी इस बात को जानती हैं और वे जवाहरलाल जी के क्षेत्र में माननीय विजयलक्ष्मी पंडित के चुनाव के समय वहां गई थी, किस तरह से वहां वोट्स खरीदे गये हैं। आप जो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं किस तरह से सही हुकूमत चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते हैं।

मैंने विद्युत् उपमंत्री जी को लिखकर दिया कि कौड़िहार ब्लाक में बिजली लगवा दी जाय। उन्होंने जांच का वायदा किया। लेकिन पता नहीं चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट दी या नहीं, पता नहीं क्या किया। बार-बार आश्वासन दिया जाता है कि जरूर लगेगी। मैं चाहता हूं कि फिर से जांच कराई जाय। क्या वजह है कि इस तरह से पार्टीबन्दी चलाई जाती है? हमारे तहसील में मुबारकपुर में एक पुल बनना था। उसका ४७ हजार का एस्टीमेट मंजूर हुआ था और माननीय राममूर्ति जी ने उसको बनवाने का वायदा किया था जब वे चुनाव के सिलसिले में वहां गये थे। लेकिन वह बन नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है?

अभी हाल का किस्सा बताऊं। मैं अपने क्षेत्र में होली पर घूमने गया था। वहां पर मैंने देखा कि होलागढ़ ब्लाक के खिलाफ एक महिला की चिट्ठी मेरे पास आई है। यदि आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं। इस तरीके का भ्रष्टाचार जनतंत्र में सहन नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इसको सहन नहीं कर सकती है। यह स्वास्थ्य निरीक्षिका है। यह हमें चिट्ठी लिखी है। "श्रीमान् जी, आप से निवेदन है कि मैं जब ब्लाक आफिस में जाती हूं तो बी० डी० ओ० और क्लर्क गन्दी-गन्दी बातें और हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर पर हर तीसरे रोज आया करिये। बी०डी०ओ० और क्लर्क साहब, जब तनख्वाह लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आज नहीं कल आओ, कल जाते हैं तो कहते हैं परसों आओ। दस दस बार दौड़ाते हैं तो तनख्वाह के मामले में मुझ महिला कार्यकत्री को ये लोग परेशान करते हैं तो किस प्रकार क्षेत्र में काम किया जा सकता है। तारीख ४-१२-६४ को मेरी तबियत बहुत खराब थी...।"

श्री उपाध्यक्ष—

आप पत्र पढ़ चुके अब अपना भाषण कीजिये। जो कुछ कहना है उसको यों ही बता दीजिये।

श्री मेवालाल जायसवाल—

"लेकिन मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ।" यह है उस महिला का पत्र चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं।

यह तो है भ्रष्टाचार की हालत जो बी० डी० ओ० और क्लर्क साहब करते हैं और वह भी जवाहरलाल के क्षेत्र में जहां से अब विजयलक्ष्मी जी चुनकर आयी हैं। दूसरी बात मैं पुलिस विभाग के विषय में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पुलिस विभाग का अनुदान नहीं है। आप, सामान्य प्रशासन पर जो कुछ कहना हो. कहिये।

श्री मेवालाल जायसवाल—

अभी हाल में वहां मेरे क्षेत्र में होली के मौके पर गुंडागीरी की गयी। मैंने जाकर अपने कार्यकर्ता के घर पर एक झंडा लगाया और जरा देर के लिये हट गया था कि कुछ गुंडों ने जाकर उस हमारी पार्टी के झंडे को उतार लिया और एक दर्जी को उसका लंगोट बनाने के लिये दे दिया। जब मैं अपने क्षेत्र से लौटा तो घटना मालूम हुई तो मैंने जा कर थाना इंचार्ज नवाबगंज को चिट्ठी लिखी। लेकिन वह ऐयाश है और वह खुद नहीं आया और अपने चपरासी को भेजा कि देख आओ क्या हाल है। जब यह हालत पुलिस विभाग की है तो देश और प्रदेश का कार्य कैसे चल सकता है। अब मैं सिंचाई विभाग के बारे में बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये अगर आपको सामान्य प्रशासन पर कुछ कहना है तो कहिये, नहीं तो बैठिये (कुछ क्षण बाद) आप बैठ जाइये।

(श्री जे० पी० मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मेरी प्रार्थना है कि श्री गोविन्दसहाय जी चार बार खड़े हुये हैं, उनको भी मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, उनको मिलेगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

कब मेरे बाद में या पहले ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये और मिश्रा जी को बोलने दीजिये।

श्री मैजरसिंह—

आप गोविन्दसहाय जी को मौका क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

ठाकुर प्रबन्धकसिंह साहब बैठ जाइये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको हजार हजार धन्यवाद देता हूं कि २० दिन के बाद आपकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे किसी अनुदान पर मौका नहीं मिल पाया। मुझे सामान्य प्रशासन के संबंध में जो अनुदान प्रस्तुत है उसको समर्थन करना है। सामान्य प्रशासन और उसकी कार्यविधि को देखने के लिये मेरे पास एक दूरबीन है। जब उससे मैं इधर और उधर के साथियों की निगाहों को देखता हूं तो मुझे अन्तर प्रतीत होता है। सामान्य प्रशासन को मैंने जिन निगाहों से देखा है वह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है बल्कि औसत अच्छाई और बुराई दोनों का अगर मिलान किया जाय तो श्रीमन्, इसको विरोधी पक्ष के लोग भी और इधर के लोग भी मानते हैं कि प्रशासन में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई को सही ढंग से तौला जाय तो

आलोचना सही ढंग से नहीं है जो की जा रही है। वर्तमान सामान्य प्रशासन की अच्छाइयों और बुराइयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। सिद्धान्ततः अगर हम इस बात का प्रयत्न करें कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को समाजवाद की स्थापना करना है तो इस बात को देखना पड़ेगा कि समाजवादी दृष्टिकोण से सामान्य प्रशासन में जो समाजवादी तब्दीलियां होनी चाहिये वह आई हैं या नहीं। यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है। वर्तमान स्थिति में हम चाहते हैं कि समाजवाद स्थापित हो और देश प्रदेश सरकार समाजवाद की रचना करने की तरफ जिस दिन कदम उठायेगी, उस दिन उसके संबंध में हम कांग्रेस पार्टी के लोग, जो उनके सुझाव हैं, जो उनके विचार हैं, उनको सरकार के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मुझे यह कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश का सामान्य प्रशासन जिसका इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी आबादी है और इतने बड़े एरिया को मद्देनजर रखते हुये इस प्रदेश के सामान्य प्रशासन में जो चीज देखने में आई वह सराहनीय है। पाकिस्तान और चीन से संबंध बहुत खराब हैं लेकिन क्या हमारा सामान्य प्रशासन उस ओर गाफिल है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस इमरजेन्सी के डिक्लेरेशन के बाद से इस सदन के माननीय सदस्य इस तरफ के या उस तरफ के इस बात को प्रस्तुत नहीं कर पाये। इस चीन और पाकिस्तान के बार्डर पर चीन के एग्रेशन के बाद और पाकिस्तान की सब कार्यवाहियों के बावजूद भी किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो पायी। हमारा सामान्य प्रशासन बधाई का पात्र है। अगर ५ फीसदी कमी है तो वह कमी नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश का ला एन्ड आर्डर कैसा रहा है, इस पर भी हमको गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। हमारे यहां इतनी बड़ी अन्न की कमी होने के बाद भी, इतना बड़ा संकट होने के बाद भी सामान्य प्रशासन ने किसी किस्म की कोई बुराई नहीं पैदा होने दी और न कोई इस किस्म का कोई प्रश्न ही पैदा हुआ जिसका विरोध हमारे पक्ष के लोग कर सकते। १,२ मामले चाहे ला एन्ड आर्डर के ऐसे हुये हों लेकिन आमतौर पर सामान्य प्रशासन जिस ढंग से चला उसके लिये माननीय सुचेता जी की सरकार बधाई की पात्र है। जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्री ने इस एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप किया है वह खूबी भी कम नहीं है। श्रीमन्, बंगाल की निवासिनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा सहयोग इस पार्टी से और नायर साहब की पार्टी से मिला है। एक हमारे नेकराम जी शर्मा बड़े नेता हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन श्रीमन, वह फ़्रस्ट्रेटेड लीडरशिप को रिप्रेजेन्ट करते हैं। उनके दिमाग में परेशानी है। इसी वजह से श्रीमन्, ठाकुर हुकुमसिंह जी की सरकार अगर ऐसे कुछ फ़्रस्ट्रेटेट योग्य, नेकराम जी को उधर बैठने की दावत देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लेते तो बड़ा उचित होता और उनसे अच्छी अक्ल मिलती और अच्छी सलाह मिलती और उनका फ़्रस्ट्रेशन दूर होता। तीसरी बात मुझे यह कहना है कि यहां कास्टिज्म तथा सेक्टेरियनिज्म की बात उठायी जाती है। बनिया चीफ मिस्टर आ गया तो कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी बनिया हो गया, बंगाली आ गया तो कहा जाता है कि बंगाली चीफ मिनिस्टर हो गया। दास साहब पंजाबी हैं लेकिन कहा जाता है कि बंगाली हैं। तो यह निगाह का फर्क है, भावना गलत है, खयाल गलत है, सोचने का ढंग गलत है। (व्यवधान) आप परेशान न हों, परचे की बात भी बता दूंगा। मुझे आपसे कहना है कि कमी की एक अप्रिय बात मुझे कहनी पड़ रही है। कमी है हमारी पार्टी में, इस तरफ के मेम्बरों में। मेरा सुझाव है कि अपोजीशन के मेम्बर जो सुझाव देते हैं, जो शिकायतें करते हैं उनको मुख्य मंत्री जी यकजायी करें और जहां तक संभव हो उन पर कार्यवाही करें। इसमें सामान्य प्रशासन की उन्नति ही होगी। यह मेरा सुझाव है और इसे मुख्य मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करें।

हमारी पार्टी की एक अड़चन है, कांग्रेस पार्टी की एक अड़चन है और उसे मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं। हम एक ज्वालामुखी पर टंगे है। यहां असेम्बली का एक मेम्बर दूसरे असेम्बली के मेम्बर का प्राणों का घाती है। एक मेम्बर दूसरे की इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता। यह जो नुकसान हो रहा है वह यहां से, लखनऊ से हो रहा है। गवर्नमेंट अलग है, संगठन अलग है। टेलीफोन और ट्रंक काल्स गवर्नमेंट की तरफ

[श्री जे० पी० मिश्र]
से जाते हैं, संगठन की तरफ से अलग जाते हैं। अब बेचारा डी० एम० किसकी माने। मुकदमें हैं, कत्ल हैं, बल्वे हैं, उन के मुलजिम दबाव में छूट जाते हैं। श्रीमन्, सजायें ७, ८ साल की, लेकिन जेल का दर्शन नहीं किया। यह सब क्यों हो रहा है? इस सबके लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। इस तरफ सरकार को देखना पड़ेगा। इस समय इतना ही कहता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री विजयसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, ५ मिनट का समय मुझे भी दिया जाय।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेकराम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मिश्राजी ने ठीक ही बात कही और जिस बात का समर्थन उन्होंने किया वह ठीक ही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मुसीबत है कि वह किसकी बात माने कांग्रेस संगठन की या कांग्रेस के मिनिस्ट्रीरियल गुट की। इस सदन में अभी इस बात की भी चर्चा हुई कि नौकरशाही का दबदबा मिनिस्ट्री पर है। इसकी मिसाल एक सचेत घुड़सवार से दी गयी। यह मिसाल इस समय ठीक बैठी नहीं। अगर नौकरशाही और मंत्रिमंडल को दो टीमों के रूप में मान लिया जाय वह मिसाल ठीक होगी। इन दो टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी कारगुजारी दिखाते हैं पर नौकरशाही की टीम मंत्रिमंडल की टीम पर हावी हो जाती है। यह ठीक है कि इसमें मंत्रिमंडल की टीम को कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन इसके साथ ही जो असुविधा है वह नौकरशाही की टीम को नहीं है। मंत्रिमंडल की बड़ी असुविधा यह है कि उसका कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। दूसरे वह जनता के दबाव से काम करती है। यह बात नौकरशाही में नहीं है। नौकरशाही निश्चिन्त और नाम-मात्र को मंत्रिमंडल के अधिकार में हैं। वह ब्यूरोक्रसी की टीम क्यों हावी है, उसका मुख्य कारण वह है कि वह बौद्धिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और अनुभव की दृष्टि से तीनों दृष्टियों से आपके मंत्रिमंडल की टीम से अच्छी और बड़ी है। विशेष रूप से इसी कारण से नौकरशाही मंत्रिमंडल की टीम पर हावी हो गयी है। मंत्रिमंडल में चुनाव के समय देखना चाहिये कि वह सदस्य बौद्धिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और अनुभव की दृष्टि से ऊंचा होना चाहिये, पर इस टीम में ऐसे खिलाड़ी लिये जाते हैं जो अपनी हिकमत अमली से ज्यादा झंझट पैदा कर सकें। उस स्तर को नहीं देखा गया कि जिस स्तर से मंत्रिमंडल की टीम को लेना था और चुनना था। आज जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है उसका एक विशेष आधार हो सकता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से बहुत बढ़ा है और उसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि प्रशासनिक कार्य में डिले होती है तभी प्रशासन में भ्रष्टाचार घुस जाता है। उसका कारण जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री भी समझती हैं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ न कुछ डिले के लिये कारण निकाल लेती है। कोई अधिकारी अपने कन्धों पर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है और जनता हर आदमी चाहता है कि हमारा काम जल्दी हो। उसका काम यदि जल्दी और ठीक से नहीं होता है तो वह ऐसे साधन बना लेता है कि जिसमें कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैल ही जाता है। इसका अहिंसात्मक सुझाव मेरे पास है। पिछले वर्षों में केन्द्र में तथा अन्य बाहरी देशों में यह प्रयोग हुआ, केन्द्र में एक मंत्री ने एक ऐसा कार्य प्रारम्भ किया था जिससे कार्य में तो तेजी हुई और भ्रष्टाचार कम हुआ। उपाध्यक्ष जी, जरा आप सावधान रहें और कम से कम आप तो मेरी बात सुन ही लें मैं अपनी किस्म का अनोखा सुझाव दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन---

वह तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री विजयसिंह---

मैं भ्रष्टाचार में कमी और काम में तेजी लाने के लिये लाल स्याही का प्रयोग बताता हूं। लाल रंग बहुत खतरनाक होता है उससे सभी डरते हैं। आप जैसे लाल बत्ती जला देते हैं जो कि बहुत खतरनाक होती है और भाषण को समाप्त करना ही पड़ता है। ऐसे ही स्कूल में जब

लड़का ऐबसेंट होता है तो टीचर रजिस्टर में लाल स्याही से "ए" मार्क कर देता है और ज्यादा गैर हाजिरी स्पष्ट पन्ने पर दिखाई देती है और हिस्ट्री शीट पर भी एक लाल घेरा होता है। उसी तरह से सरकार भी यह आदेश कर दे कि जो फाइल किसी भी अधिकारी के यहां ७ दिन से अधिक रहेगी तो लाल स्याही से उस पर वह अपना उस पर आदेश लिखेगा, और कोई सजा नहीं होगी। तो इस प्रकार जहां अधिक डिले होती है वही अधिकारी पकड़ा जायगा अतः जनता में भी विश्वास होगा कि उसका केस १७ दिन या १५ दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। इससे काम में प्रगति भी होगी और जिनके काम में ढिलाई होगी, लाल निशान देख कर वह पकड़ा जा सकेगा।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपके प्रशासन में आई० ए० एस० लोग हैं, वही आपके आधार हैं। हर मर्ज की दवा और मास्टर आफ आल राउन्ड समझे जाते हैं जो भ्रमपूर्ण है। उन्हीं का अधिकार टेक्नीकल विभागों पर भी रहता है, यद्यपि वे उस विभाग की ए बी सी डी भी नहीं जानते। पहले सरकार ने एक जी० ओ० भी निकाला था कि बी० एस-सी० (एजी०) लोगों को बड़ी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी, टेक्नीकल जगहों पर जहां उनकी जरूरत हो, इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस कृषि प्रधान प्रदेश में शासन के लोग कृषि की ए बी सी डी भी न जानें, यह कितने दुख की बात है।

अब अपव्यय की एक बात और कहता हूं। बजट में देखा कि मोटरों की खरीद के लिए २,९६,००० रुपए का प्राविजन किया गया है। जिस तरह से आप अधिकारियों को मोटर एलाउन्स देते हैं, उसी तरह आपको मिनिस्टरों को भी मोटर एलाउन्स देना चाहिए।

मिनिस्टरों द्वारा जो उद्घाटन और दौरे होते हैं वे भी बन्द होने चाहिऐ। केवल जन-सम्पर्क स्थापित अधिकारियों से कराया जाय।

इस शासन व्यवस्था में जिस तरह से आपके यहां सेक्रेटरीज आपको सलाह देते हैं उनकी जगह पर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए। जिस तरह से रेलवे बोर्ड है, तीन आदमियों का आप भी बोर्ड बना लें जो मिनिस्टरों के काम को करे और उनको सलाह दें, नीति सम्बन्धी सलाह भी दें। सेक्रेटरी केवल एग्जीक्यूटिव काम देखें।

आपके यहां सेक्रेटरीज कैसी मनमानी करते हैं यह भ्रष्टाचार का दूसरा तरीका नहीं है तो क्या है? सेक्रेटेरियट में मनमानी होती है। मैं एक मिसाल देता हूं कि इस सेक्रेटेरियट के अन्दर अधीक्षकों की जिस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, उससे सचिवालय के अन्दर बड़ा डीमारेलाइजेशन हो रहा है। सेलेक्शन का आधार, जिस पर उनकी नियुक्ति की जाती है, यह बड़ा गलत तरीका है। आपके यहां से १९६३ में एक पुरानी सेलेक्शन लिस्ट बनी थी जिसमें कुछ अपर डिवीजन के सहायकों को सहायक अधीक्षक के लिए चुना गया और उन्हीं में से अधीक्षकों को चुना जाता है, उसमें मनमानी हुई। जब आपने स्थायी सहायक अधीक्षकों की १०० पोस्टें बनायीं तो नए तरीके से चुनाव होना चाहिए था, पर पुरानी ही लिस्ट से प्रोमोशन किया। जो स्टेट सर्विस में पदोन्नति का नियम लागू होता है वह यहां नहीं होना चाहिए था। मेरा समय कम है अतः मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी सहूलियत के लिए १५ मिनट का समय बढ़ाता हूं।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कई बार खड़ा होने के बाद आपकी निगाह मेरी तरफ न भी उठती, तब भी मुझे शिकायत न होती क्योंकि आपको सभी माननीय सदस्यों को देखना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज के विवाद को पूरी तरह से सुना और मुझे बड़ी मायूसी हुई। सामान्य प्रशासन हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी से सारे जिस्म का स्रोत चलता है, उसी तरह से सामान्य प्रशासन से सारे प्रदेश की भावनाओं का संचार होता है। इसलिए बहस का स्तर अगर कुछ बना रहता तो अच्छा होता। देखना यह है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारी नयी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं करता है और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, उसके रास्ते में क्या-क्या अड़चनें हैं। किसी भी प्रशासन के लिए यह काम आसान नहीं होता। मुख्य मन्त्री के अच्छे होने या न होने से मेरी राय में प्रशासन पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, व्यक्ति का असर उससे भी ज्यादा होता है। जो पार्टी होती है उसका वजन प्रशासन पर पड़ता है और एक पार्टी प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है। जब काम बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा और प्रशासन का आकार भी बढ़ेगा। केवल देखना यह है कि जो खर्चा बढ़ रहा है और जो आकार है वह मिल कर समूची जनता पर किस किस्म के भाव जागृत कर रहा है, किस किस्म की आकांक्षायें पैदा कर रहा है, क्या रुख पैदा कर रहा है। अगर वह अच्छा रुख पैदाकर रहा है, समाजवाद की तरफ बढ़ने वाला वह रुख है, नयी मान्यताओं को पैदा करने वाला वह रुख है, तब तो वह खर्चा ठीक है। अगर रुख उसके खिलाफ है, तो उस पर होने वाली आलोचनाओं को अलोचन न समझा जाय, यह समझना चाहिये कि मर्ज का जो डाइगनोसिस है वह गलत है। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब डाइगनोसिस गलत होने पर हर कीमती से कीमती दवा भी नुकसान पहुंचाने लगती है, और अगर डाइगनोसिस सही है तो मामूली दवा भी अपना असर दिखाती है। इसलिए प्रयत्न पहले यही होना चाहिए कि हम यह देखें कि डाइगनोसिस हमारा सही है या नहीं। अगर हमारा मर्ज का डाइगनोसिस ठीक है तो फिर दवा थोड़ी सी भी असर कर जाती है।

मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैं वक्त की सीमा भी जानता हूं। १७ साल के प्रयत्न करने के बाद मेरा विश्वास है जैसा कि सामाजिक कार्यकर्ता का विश्वास होता है कि आज हम तरक्की की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गये हैं। एक तरफ तो सरकार के लोग एक-एक दिल और दिमाग मोड़ रहे हैं और हमारा ध्येय दूसरी तरफ को मोड़ना चाहते हैं। सोसाइटी के किसी ध्येय में द्वन्द्व पैदा होता है तो समाज के वे विचार पैदा होते हैं लेकिन बात अच्छाई की करते हैं। वही प्रदेश की हालत भी है। समूचे देश के अन्दर आज हम प्रयत्न कर रहे हैं। समाज से हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं मगर भ्रष्टाचार ज्योमेट्रिकल प्रासेस की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। जितने यन्त्र हैं वे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को चेतावनी नहीं देते। सजा देने वालों की मशीनरी भी इतनी लम्बी-चौड़ी है कि उनको सजा नहीं मिलती है। जब किसी समाज के यन्त्र ईमानदार को ठोकर देते हैं और बेईमान को तरजीह देते हैं तो उस समाज में ऐसे आदमी पैदा होते हैं जो ईमानदारी की चर्चा करते हैं और बेईमानी के काम करते हैं। ये कान्ट्रा-डिक्शन्स हैं इस दौर में। हमें मजबूती से इनका पहले डाइगोनसिस करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह वह ऐडमिनिस्ट्रेशन है जो ब्रिटिशर्स की की धरोहर है, पुलिस स्टेट का मैकेनिज्म हमें मिला है। उसके कायदे-कानून इस ढंग से बने हुए हैं कि हर कदम पर रुकावट होगी चूंकि उनको कोई काम निर्माण का या समाजिक सुधार का नहीं करना था। हमको यह देखना होगा कि इन १७ साल में इन पुराने रूल्स और रेग्युलेशंस को बदलने की कोशिश की गई है या नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि १५ साल तो हमको यह जानने में लगे हैं कि गांवों में कर्जा प्रापर्टी के आधार पर न देकर पैदा करने की कैपेसिटी के आधार पर दिया जाय। यानी समाज कहता है कि हर आदमी उत्पादन के जरिए को बढ़ावें, लेकिन तकावी रूल्स कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास प्रापर्टी है तो ही तुमको कर्जा मिल सकता है वरना नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक इस पर पूरे तरीके से अमल हो गया है या नहीं कि कर्जा उत्पादन शक्ति पर दिया जाय। एक साधारण आदमी ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से देखता है कि मेरा काम इसमें जल्दी होता है या नहीं, मुझे इंसाफ मिल सकता है या नहीं, मेरी आकांक्षाओं को लोग समझते हैं या नहीं।

अभी नेकराम जी ने मुख्य मन्त्री की पार्लियामेंट में स्पीच का जिक्र किया। लेकिन मेरा खयाल है कि उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। इंसान के विचार, जिस वातावरण में वह रहता है उसके अनुसार बनते हैं। दो आदमियों के विचारों में अन्तर हो सकता है। एक घर में हसबेंड और वाइफ के विचारों में अन्तर हो सकता है और होता है। हसबेंड एक तरह से सोचता है और वाइफ दूसरी तरह से सोचती है। मेरे खयाल से ऐसी बात को कोई ज्यादा कैपिटल भी नहीं बनाना चाहिए कि आपने फलां दिन यह कहा था और फलां दिन यह कहा था। आदमी गरमी में कम कपड़े पहनता है, सर्दी में ज्यादा कपड़े पहनता है। इसकी ज्यादा दलील नहीं देनी चाहिए। दलील इस बात की देनी चाहिए कि आज हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की मैलेडीज क्या हैं। जाहिर है कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप-हैवी है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है रूल आफ दि ब्यूरोज। अब देखना यह है कि हमने इस सर को कुछ हलका किया है या भारी किया है। मैं कहता हूं कि सेक्रेटेरियट पहले से भारी हुआ है। अगर सर भारी हो जाय और पैर कमजोर रह जायं, तो हम किसी इलाज की तरफ नहीं बढ़े हैं। हमारे ढंग में पेचीदगियां बहुत हैं, जिनसे काम में बहुत दिक्कत होती है। रुपया जमा करने के बाद निकालने में ६ महीने लग जाते हैं और कहते हैं कि कभी यहां जाओ और कभी वहां जाओ। इस मशीनरी के कायदे कानून डिस्ट्रस्ट पर बने हुए हैं। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का सी के लिए मशकूर हूं कि बहुत सी उलझनों के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया। अब समय आ गया है जब हमें यह सोचना है कि कैसे इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में समय की देरी को बचाया जाय। एक ड्राफ्ट बनाने में १० दिन लग जाते हैं। इस डिले, कम्प्लेक्सीटी और सर भारीपन को दूर करना चाहिए। २४ घंटे में आदमी का एक्सेंट बदल जाता है। अगर लड़का आई० ए० एस० हो जाता है तो वह कहता है कि अरे कोई है, एक गिलास पानी मांगता है। खाना बदल जाता है, रिश्तेदारों की तरफ नजर बदल जाती है। इस मशीनरी में कोई गरीब का लड़का आ गया तो वह अपने बाप को बाप कहने में तकल्लुफ करता है। तो हमें यह देखना है कि इस मशीनरी को, इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को हमने कितना बदला है। अगर इसने उल्टे हमको ही बदल डाला तो हम लड़ाई हार जावेंगे। समय ने यह समस्या हमारे सामने रखी है कि नयी आवश्यकताओं के अनुकूल शासन में कैसे परिवर्तन किया जाय। नई आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा को कैसे बदला जाय। न्याय प्रणाली को कैसे बदला जाय, यह होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की बातों को इस तरह से देखेंगे कि अमुक बात, अमुक तरफ से कही गई है, इसलिए उसको नजरन्दाज कर दिया गया है, तो मेरा यकीन है कि वह चीज भी इस मुल्क में हो कर के रहेगी, जो जर्मनी में हुई थी, और दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक पायेगी। जर्मनी में जब हिटलर ताकत में आया तो उसने कहा—

"Democrates were dcmocrates to such an extent that they permitted the enemies to March triumphantly in Germany."

तो आजादी का मतलब हमें केवल यही नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें एक दूसरे की बुराई करने

[श्री गोविन्द सहाय]

की आजादी है। आजादी का मतलब यह है कि उससे एक-एक के मन में, गरीब से गरीब के मन में उसकी तड़प आ जाय कि वह भी इंसान है, वह भी इस देश का राजा है। यों राजा तो एक रोज होता है, और रोजाना की जिन्दगी में वह रगड़ा ही जाता है। इसलिए हमें इन मसलों पर गौर करना है और समूचे तौर पर गौर करना है और हमें गौर करने के बाद एक कदम उठाना है, और मजबूती से उठाना है। अगर हमने यह कदम नहीं उठाया और इधर उधर की बात सोची, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। मेरे एक दोस्त जो मेरे पास बैठे हैं, मुझे उनके शब्दों को सुनकर हैरत हुई, उन्होंने अपनी पार्टी को नालायक पार्टी कह दिया। अगर उनकी पार्टी नालायक है, तो वे उसमें क्यों बने हुए हैं? मैं भी उस पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन उस पार्टी इंडिवेन्डेस की स्ट्रगिल को जीता है और आधी बाजी हमने मार ली है, आधी और बाकी है। अपने कदम को बस हमें सही करना है। उसके लिए हमें विश्वास और हिम्मत की जरूरत है। यह भयंकर लड़ाई है और हमको उसे वीरता के साथ लड़ना है। मैं आशा करता हूं कि इतिहास हमारे साथ है, करोड़ों लोगों की तमन्नाएं हमारे साथ हैं दुनियां के लोगों का विश्वास हमारे साथ है, फिर भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, और छोटी-छोटी इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे, तो यह लड़ाई हारी जा सकती है। मैं चेतावनी के रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, दो-चार शब्द कहना चाहता था, मुझे खुशी है कि आपने मुझे उनको कहने का अवसर दिया।

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन—

यह कैसे होगा?

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, हमको तो बोलने दीजिए। हमारे तो अभी दो सदस्य ही बोले हैं, वही चीज कांग्रेस पर भी लागू होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

तादाद के हिसाब से आप लगा लीजिए और उनकी संख्या भी देख लीजिए।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई गोविन्द सहाय जी की राय से सहमत हूं कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि ईमानदार कौन है। उसमें लिखा था कि जो अपने देश के प्रति ईमानदार है, जो अपने पड़ोसियों के प्रति ईमानदार है, वह ईमानदार है और सबसे बड़ा ईमानदार वह है, जो अपने प्रति ईमानदार है। हमारे जो साथी अभी बोले, वे इस बात का ध्यान रखें। खास तौर से मिस्टर नायर ने तथा और जिन साथियों ने, जिन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं वे इस बात का ध्यान रखें। मैं यह मान सकता हूं कि लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अपने आप को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता।

सामान्य प्रशासन के तीन अंग हैं—सरकार जिसमें मन्त्रिमण्डल और विधान सभा भी शामिल है, हमारी सेवाएं और जनता। जब तक ये तीनों अंग आपस में मिलकर काम नहीं करते, गणतन्त्र नहीं चल सकता। हमारे यहां अन्न की कमी हुई थी, मन्त्रिमण्डल की तरफ से उधर के साथियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

को निमंत्रण दिया गया कि यह एक राष्ट्रीय संकट है, इस संकट में आप हमारा साथ दें, हमें सलाह दें कि हम क्या करें। हम ईमानदारी से उनकी सलाह से फायदा उठाना चाहते थे और सलाह दी तो क्या दी कि इस्तीफा दे दो, अगर इन्तजाम नहीं कर सकते हो। इस्तीफा का नतीजा क्या होता? क्या आप गवर्नमेंट बना सकते थे? इस प्रकार हमने आप से सहायता का हाथ बढ़ाया, लेकिन आपने कोई सलाह नहीं दी। आप सलाह देना भी नहीं चाहते थे, केवल आप इन्तजाम को और गड़बड़ करना चाहते थे और बदनाम करना चाहते थे, सलाह देने के लिए आप तैयार नहीं हुए।....

(व्यवधान)

गणतन्त्र का यह मतलब कभी नहीं है कि आपने हड़ताल करा दी। दो चार लड़कों को बहका दिया और बाजार बन्द करा दिया और कहा कि बाजार बन्द न करोगे तो पत्थर फेकेंगे, शीशों को तोड़ेंगे और उसके लिए अगर डी० एम० उन लड़कों को रोकता है, फिर भी वे नहीं रुकते, उसको लाठी से या गोली से उनको भगाना पड़ता है तो आप कहते हैं कि यह गोली क्यों चलाई। इसलिए यह बात सही है कि आप मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते और इस बात को बखूबी जानते हैं।

श्री उग्रसेन—

गोरखपुर में आपने गोली चलाई और हमीं तो उसमें मारे गये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं दूसरे विभाग की तो बात नहीं जानता, मैं अपने विभाग के बारे में थोड़ी सी बातें कहूंगा। आप करेप्शन की बातें कहते हैं, लेकिन यह करप्शन है क्या? नियमों को न मानना, और नियमों को न माना जाय, ऐसा बहुत से साथी प्रयत्न करते हैं और उन नियमों के खिलाफ कितने ही अपनी बातों को लेकर हमारे पास आते हैं। जब हम कहते हैं कि यह तो नियम के खिलाफ है, तो कहते हैं इसको तो कर ही दीजिए।

(व्यवधान)

विरोधी दल के एक भाई ने, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा मुझसे कहा कि किसी मिनिस्टर साहब से यह कह दो। यह गलती हो गई है। जब मैंने बताया कि यह तो नियमों के खिलाफ है, कैसे होगा, तो कहने लगे कि इसको तो करा ही दीजिए।

(व्यवधान)

कल ही की एक बात ले लीजिए कि आप लोगों ने वाक आउट कर दिया, तो उधर के एक साहब कहने लगे, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा....

श्री राधेश्याम शर्मा—

नाम न लेने से तो नाम लेना अच्छा है जिससे मालूम तो हो जाय कि कैसे-कैसे लोग हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप चाहेंगे, तो नाम भी बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो बड़े मीठे बोलने वाले हैं, आप क्यों ऐसी बात कहते हैं? चलिए नाम न बताइए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो भी हैं, वह अपने दिल में समझ गये हैं और दूसरे कुछ लोग भी इसको समझते हैं। तो यह जो वाक आउट हुआ था, उसके सिलसिले में एक साथी मेरे पास आए और यह कहने लगे कि

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

जब वाकआउट का यह सिलसिला शुरू हुआ तो आपकी तरफ के ही एक माननीय सदस्य अपनी पार्टी के ही एक सदस्य से पूछने लगे कि भाई पहले मुझे यह तो बतला दो कि यह वाक आउट किसलिए हो रहा है, यह टीचरों की सिम्पैथी में है या श्री हरगोविन्दसिंह के सम्बन्ध में है। इस पर दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहीं, आपको यहां से वापस चलना है। इस पर उन माननीय सदस्य ने कहा कि परसों तो मैं चला गया लेकिन आज बिना जाने हुए कि किसलिए यह वाकआउट हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं बजट पर आ रहा हूं।

सामान्य प्रशासन में विधान सभा के सदस्य, हमारी सर्विसेज और मन्त्रिमण्डल, जब तक ये तीनों मिल कर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे इस आदरणीय सदन के एक सदस्य ने कहा कि साहब हम सवाल इसलिए करते हैं कि सवाल करने से हमारा काम जरा जल्दी हो जाया करता है। अगर सवाल करने का यही मकसद है कि लाखों पया खर्च करके हम इनफार्मेशन मंगवावें और उससे आपका काम चल जाय तो यह तो जरा ठीक नहीं मालूम होता....

श्री उग्रसेन--

आपकी सरकार में इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि किसी सदस्य को सवाल न करना पड़े, भाषण न देने पड़ें।....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यही नहीं, आपका सबसे बड़ा सहयोग तो यह है कि आप यह भी सवाल करने लगे कि जो फोर्स यहां लगी हुई है....

श्री उग्रसेन—

श्री गोविन्दसहाय और श्री विकल ने जो सवाल किया है उसका भी तो जवाब दीजिए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक सवाल यह किया गया कि यह घास जो विलायत से आयी उसमें कितना खर्चा हुआ। सवाल करने से पहले माननीय सदस्य को सोचना था कि घास तो विलायत से आती नहीं, यहीं कहीं से घास आयी होगी, अब इतना पैसा खर्च करके हम उसकी सूचना एकत्र करें और इस तरह की बातें यहां पूछी जाय तो इससे तो काम नहीं चलने का।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी प्रार्थना है कि आप लोग बहुत शान्ति से सुनें। आपस में बातें न कीजिए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सबसे बड़ी बात यह कि एक नयी चीज भ्रष्टाचार की शुरू की गयी....

श्री उग्रसेन—

भ्रष्टाचार को जाने दीजिए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसे नहीं जाने दूंगा। हम सब यहां रहते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय उग्रसेन के घर में क्या खाना बनता है और माननीय राधेश्याम जी किस तरह से रहते हैं। आप भी सब जानते हैं और जानते हुये भी आप इस हाउस में यह कहना प्रारम्भ कर दें कि यह आदमी तो

भ्रष्टाचारी है, जब कि ईमानदारी से आप जानते हैं कि जिनके प्रति आपके किसी साथी ने चार्ज लगाया है, उनकी ईमानदारी को आप भी समझते हैं और जानते हैं कि वह भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो फिर आप किस तरह से इसे कहते हैं .....

श्री उग्रसेन—

मैं तो कुछ कहता नहीं। माननीय मुख्य मंत्री ने, जिन्होंने कहा कि उस मामले को इंक्वायरी के लिये एक जज के सुपुर्द कर दिया गया है, उनसे आप इसका उत्तर लें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनसे मैं उत्तर नहीं लूंगा, मैं तो आप से उत्तर लूंगा। आप और आपके साथी भी इस बात को जानते हैं और दिल से कहते हैं कि वे ईमानदार हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है फिर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। यहीं तक नहीं, हमारे एक बड़े भारी आफिसर केन कमिश्नर के खिलाफ यह कहा गया कि उन्होंने १० हजार रुपये ले कर गन्ना किसी मिल को ट्रांसफर कर दिया श्रीयाजसिंह जी, मुझे इस बात को सुन कर बड़ी तकलीफ हुई कि एक आफिसर जो यहां है नहीं, उसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कि उसने १० हजार रुपये ले कर किसी मिल को गन्ना ट्रांसफर कर दिया तो इस से उसका सिर तो झुका या नहीं लेकिन मेरा सिर अवश्य झुक गया क्योंकि मैं जानता हूं कि जो .....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा, श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ..... (व्यवधान)

(श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा के न बैठने पर)

मैं बिना पूछे नहीं बैठ सकता, मेरा व्यवस्था का सवाल है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका बीच में क्या व्यवस्था का सवाल है, वह बैठ नहीं रहे हैं।

(दोनों के न बैठने पर) (व्यवधान)

तो शर्मा जी अब आप ही छोटे भाई बन जाइये, आप ही बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं नहीं बैठ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का सवाल है, आपका ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि एक बार नहीं अभी २–३ दिन पहले इसी चेयर से व्यवस्था दी गई कि कोई सदस्य यदि बोलने खड़े हों तो वह व्यक्तिगत आक्षेप न करें, हम उनको बार-बार टोक रहे हैं कि इनके इस भाषण से क्या लाभ हो रहा है और वह उसी चीज को बराबर दोहरा रहे हैं, इस तरह के भाषण को आप बन्द करें, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

शर्मा जी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे अपील करूंगा कि अब वह इस तरह की बात भी न करें।

श्री उग्रसेन—

यह कीचड़ गोमती में नहीं है, यह तो गंगोत्री और जमनोत्तरी में ही है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पांडेय जी की परेशानी इसलिये है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं .....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष जी, यह जो कह रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बांकेलाल जी आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

उनका समय तो अब समाप्त हो गया, आप मजा लेते हों तो कोई बात नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे अफसोस है कि माननीय पांडेय जी को जोश आ गया .....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमें जोश नहीं है, हम होश में हैं लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप.....

(व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब शान्ति से उनकी बात सुनें, शोर बहुत हो रहा है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक आदरणीय सदन के सदस्य ने एक हमारे अफसर पर चार्ज लगाया कि उन्होंने १० हजार रुपये लेकर केन का हिस्सा दूसरे को दे दिया? मेरा सिर इस बात से शर्म से झुक गया, मैं समझ भी नहीं सका कि इतना सफेद झूठ भी हो सकता है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता मैं जानता हूं कि वह सदस्य स्वयं जानते हैं कि यह बात सही नहीं है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, शर्मा जी बिजली के मंत्री हैं वह ५० हजार ले लें हम नहीं कहेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अफसर जो यहां आते नहीं, उनको सफाई का मौका नहीं होता। इस तरह से फर्जी बात कहना उनके लिये मुनासिब बात नहीं है। मैं माननीय नेकराम शर्मा जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत से ऐसे सुझाव दिये और बहुत से अन्य साथियों ने सुझाव दिये उन पर हम गौर करेंगे और जो भी बातें ऐसी होंगी कि जिनको मानना चाहिये उन्हें हम मानेंगे। इसीलिये इस सदन में आपके सुझाव लिये जाते हैं, हम आपकी बातों पर विचार करेंगे और उचित चीजों को कार्यान्वित करने की भी कोशिश करेंगे।

हमारी सरकार की कभी भी यह मंशा नहीं है कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में एक मिनट भी रहे या फैले। जहां तक विजिलेंस कमीशन की बात आपने कही मेरे पास यह .....

श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस भाषण के बाद माननीय काशीनाथ जी को ५ मिनट बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी आप कृपया बैठिये । आप मेरी बात तो मानते नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जितनी बात आपकी हम मानते हैं शायद और कोई नहीं मानता है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि भारत सरकार का जो विजिलेंस कमीशन है वह एक आदमी का कमीशन है । हमारे यहां ऐसा नहीं है । अभी तक केरल, नागालैंड आदि में कोई विजिलेंस कमीशन नहीं बना है । यह बात वहां पर विचाराधीन है कि बनाया जाय या नहीं। जहां तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है वहां पर भी दिल्ली की भांति है । आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मैसूर में अभी तक कोई कमीशन नहीं है लेकिन हमने एक आदमी का कमीशन नहीं बनाया है । एक जुडिशियल मेम्बर है, एक डाइरेक्टर विजिलेंस हैं एक सीनियर आफिसर भी है । और जगह के फैसले में देरी होने की शिकायत आयी है हमारे यहां जो आजकल ट्राइब्युनल है और जो उन्होंने फैसले किये हैं उनसे किसी की भी शिकायत नहीं है । हमारी कभी भी यह इच्छा नहीं होती कि कोई बेईमान हो । जब कोई शिकायत आती है बेईमानी की तो उसे हम कमीशन के पास भेज देते हैं; लेकिन उसके साथ-साथ यह भी जानते हैं कि बहुत सी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई तथ्य ही नहीं होता है ।

श्रीमन्, एक शिकायत यहां पर यह भी है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनको जो मान मिलना चाहिये, वह मान नहीं मिलता है । माननीय नवलकिशोर जी ने भी कहा कि आर्डर आफ प्रीसीडेन्स अभी तक नहीं बनाया । मैंने पिछले दिनों कौंसिल में जवाब दिया था कि हम उस पर विचार कर रहे हैं लेकिन उसके कई पहलू हैं ।

श्रीमन्, हिन्दी के मामले में भी हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और हमको बढ़ना भी चाहिये । उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि हिन्दी को आगे बढ़ा सकता है आप (माननीय कुंवर श्रीपालसिंह की ओर इशारा करते हुये) जितना चाहते हैं हमारी सरकार उससे भी आगे गयी है उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं जो हिन्दी को आगे ले जाने में सक्षम हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध है मैं बहुत ही ईमानदारी से सोचता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई प्रशासन रह नहीं गया है । जितने मिनिस्टर्स हैं वे अपने आपसी झगड़े में लगे हुए हैं । कभी राममूर्ति जी के यहां निर्णय होता है कि सुचेता जी रहें और कभी दूसरे मिनिस्टर के यहां मीटिंग होती है कि अमुक मुख्य मंत्री बनाया जाय । जितने सेक्रेटरीज हैं सरकार के वे अराजकता फैलाने पर तुले हुये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जहां तक विजिलेंस कमीशन की बात कही गयी उस सम्बन्ध में के० के० दास जी का एक कांफिडेंशियल सर्कुलर है, जो मेरे हाथ में है कि यह विजिलेंस कमीशन कैसे बनेगा ? उसमें बतलाया गया है :

"The vigilance commission will consist of three members two of whom will be members of the Administrative Tribunal constituted under the U.P. Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947 and the third will be the Director of Vigilance."

(व्यवधान)

आप शोरगुल मचाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिये। आप करप्शन दूर करना चाहते हैं और आपके मुख्य सचिव इस तरह का कांफिडेंशियल सर्कुलर निकालते हैं कि जो विजिलेंस कमीशन बने वह उनकी पाकेट में हो। होम मिनिस्टर नन्दा ने जो नियम बनाये थे विजिलेंस कमीशन के सम्बन्ध में उनके खिलाफ दास साहब ने नियम बनाये और इस सबका लुब्बेलुआब यह है कि मुख्य सचिव जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसके मानी यह हैं कि मुख्य सचिव आलमाइटी गाड है, करप्शन के ऊपर हैं। यही वह के० के० दास हैं जिनकी जमीन बाराबंकी रोड पर थी और डिफेन्स के जरिये ५,५०० रुपये पर ली गई थी और आज उसकी कीमत २६ हजार रुपये हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष—

पर्सनल बातें आपको नहीं कहना चाहिये खासतौर से उसके सम्बन्ध में जो हाउस में न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब सारी ताकत आप विजिलेंस कमीशन के मुख्य सचिव के अधीन कर देंगे तो इससे करप्शन दूर कैसे हो सकता है ? इस प्रकार तो करप्शन चलता रहेगा।

शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि किसी मेम्बर ने कहा कि १० हजार रुपये किसी बड़े अफसर ने ले लिया, जो गलत है। हो सकता है कि कोई मेम्बर गलत शिकायत करता हो लेकिन आप सफाई जब देते जब आप ईमानदारी से कह सकते कि हमारे राज्य में रिश्वतखोरी नहीं है। एक आफिसर अगर रिश्वत नहीं लेता है तो दूसरे तो लेते हैं और यह आपको मानना भी होगा कि जब मिनिस्टरी के अन्दर रिश्वतखोरी है तो फिर सफाई आप किस बात की देते हैं ? मैं कहता हूं कि सामान्य प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जो विजिलेंश कमीशन बने उसके लिये विधान सभा में बहस होनी चाहिये और विधान सभा जो निर्णय करे उस आधार पर विजिलेंस कमीशन बने और उसमें दूसरे का हाथ न हो। उसमें जिस प्रकार केन्द्र में हाईकोर्ट के स्टेटस का आदमी रखा गया था उस तरह का निष्पक्ष आदमी रखा जाय और उसको इतने अधिकार दिये जायं जो मंत्रियों पर भी निगरानी रख सके, लेजिस्लेचर पर भी निगरानी रख सके। आपने रखा है कि यह विजिलेंस कमीशन मंत्रियों तथा लेजिस्लेचर पर कोई विजिलेंस नहीं रखेगा तो मेरा तो कहना है कि भ्रष्टाचार मंत्रियों के यहां से ही शुरू होता है। जब तक वहां से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जाता है तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है, मैं हृदय से उनका आभारी हूं। खासतौर से उन कांग्रेसी सदस्यों को जिन्होंने जिला प्रशासन के बारे में और आम प्रशासन के बारे में अपने विचार इस सदन में प्रकट किये हैं। अगर उनकी बात माननीय मुख्य मंत्री सुन लें और उन पर अमल कर लें तो उनको प्रशासन की कमियां मालूम हो जायंगी दूसरे में श्रीमन्, विरोधी दल के उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने सामान्य प्रशासन के ऊपर अपने सुझाव दिये और मुझे खुशी है कि सरकार ने उस पर गौर करने के लिये कहा है। माननीय बृजभूषणशरण जी ने कहा कि कोई सुझाव दीजिये। हम लोग सुझाव देने के लिये

तैयार हैं और मैं घोषणा करता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री मेरा सुझाव मान लें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा । मेरा सुझाव यह है कि अध्यापकों की मांग के बारे में वे आश्वासन दें या कोई कमेटी मुकर्रर कर दें। वे ऐसा स्वीकार कर लें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा और सदन की तरफ से मैं उनको बधाई दूंगा । मेरे २–३ सुझाव हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय शर्मा जी यह सुझाव देने का टाइम नहीं है, जवाब देने का है ।

श्री नेकराम शर्मा––

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री २–३ बातों की तरफ ध्यान दें। एक तो यह कि जिन सरकारी कर्मचारियों के स्वयं के मकान हैं उनको वे किराये पर उठाये हुये हैं और सरकारी मकानों में रहते हैं । मकानों की शार्टेज होती हैं । इसलिये यह प्रथा बन्द होनी चाहिये । अपने निजी मकान ऊंचे किराये पर उठाये हुये हैं सरकारी सस्ते मकानों में रहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य जो मंत्रिगण को पत्र लिखते हैं उसका कम से कम उत्तर जरूर दिया करें । एक प्रथा चल गई है कि छपवा कर कार्ड रख लिये गये हैं । उसमें लिखा हुआ है कि आपका पत्र मिला और उसको उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । इस तरह की चीज बन्द होनी चाहिये । जितने रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन सामाजिक व्यवस्था को कायम करने में बाधक हैं, उनके लिये सदन के माननीय सदस्यों की या एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाई जाय जो इनको देखे और आजादी लिये १८ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक हम इनमें संशोधन नहीं करवा पाये हैं । लेकिन अब समय आ गया है कि इनमें संशोधन होना चाहिये । जो नियम बाधक हैं हमारी प्रगति में, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिये ।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि प्लानिंग बोर्ड बनने का प्रश्न चल रहा है । मैं कहूंगा कि इस ह्वाइट ऐलीफेंट को न बांधें । आपने जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को विस्तृत होने से रेजिस्ट किया उसी तरह से इसको भी रेजिस्ट कीजियेगा । इसके ऊपर जो खर्चा हो उसे अध्यापकों को या दूसरे लोगों को दे दीजिये । इसके अलावा पावर्स का डेलीगेशन होना चाहिये ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत सी फाइलों को जल्दी निबटाया है । लेकिन देखा जाता है कि एक-एक फाइल पर नोटिंग करने में २०–२० दिन लग जाते हैं । इसका प्रबन्ध होना चाहिये । नया तरीका एक तो सैल सिस्टम का है और दूसरा वर्क स्टडी का है । माननीय जवाहरलाल जी से लार्ड माउंट बेटिन ने कहा था कि वर्क स्टडी को नेवी में लागू किया गया था जिस से हजारों पौंड की बचत हो गई है । जहां तक कंस्ट्रक्शन कार्य का सवाल है उसका सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर को या किसी इंजीनियर को सचिव बनायें जिससे कंस्ट्रक्शन के बारे में सही राय मिल सके और कार्य सही हो सके ।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी, प्लानिंग और डेवलपमेंट का भी सेक्रेटरी होना चाहिये । आज जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर कोआर्डिनेशन नहीं हो रहा है । इसलिये जरूरत है कि कोआर्डिनेशन होना चाहिये । इसलिये चीफ सेक्रेटरी के पास प्लानिंग और डेवलपमेंट होना चाहिये यही ऐसी शक्ति है जो जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर कोआर्डिनेशन कर सकता है । एक बात और है कि सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो संथानम कमेटी ने कहा है कि स्पीडी मनी बहुत काम करता है तो स्पीडी मनी की बात आप समाप्त करिये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सोशलिस्ट विचार धारा है जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जो चपरासियों से घरेलू काम लेते हैं उसको फौरन बन्द कर दिया जाय । कम से कम उसकी घोषणा आज कीजिये । किसी अन्य देश में कोई चपरासी

[श्री नेकराम शर्मा]

किसी सरकारी कर्मचारी का खाना नहीं बनाता और घर का काम नहीं करता । आज होता यह है कि सीक्रेट फायल तक ले कर चपरासी जाता है जबकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू इम्पार्टेन्ट मामलों में सेक्रेटरी के पास खुद फाइल ले कर जाते थे । अगर चपरासी के हाथ से फायल न भेज कर आपसी बातचीत से मामला हल हो तो ज्यादा अच्छा होगा ।

प्लानिंग के मामले में कम से कम विवेक डेसीजन्स होने चाहिये । जो आदमी कार्य करता है वहीं निर्णय करे । अगर उससे गलती हो तो उसको सजा दी जा सकती है लेकिन उसको निर्णय उसी को लेना चाहिये । यह नहीं कि कार्य का इंचार्ज कोई है और निर्णय लें सचिव । जो मौके पर कार्य कर रहा है उसको पावर देना चाहिये निर्णय लेने की ।

कैरेक्टर रोल की बात है । अगर आफिसर खुश हो गया तो कैरेक्टर रोल में अच्छी ऐंट्री लिखी गयी है अगर १० ऐंट्री अच्छी हैं और एक आफिसर नाराज हो गया तो उसने उसको खराब कर दिया । तो आप कोई ऐसा तरीका निकालिये, ए० बी०, सी० केटेगरी बनाइये कोई नया तरीका निकालिये ।

सिक्रेसी के बारे में आपको एक बात बताऊं । आपके एक मिनिस्टर साहब ने दूसरे मिनिस्टर साहब को एक परसनल लेटर लिखा और वह दूसरे रोज किसी दूसरी पार्टी के हाथ में पहुंच गया और उसने हाईकोर्ट में रिट कर दिया । यह तो कहिये कि उसमें कोई गलत चीज ऐसी नहीं थी और अगर जरा भी गलत चीज होती तो मिनिस्ट्री चली गयी होती । तो ऐसी फाइलें या सीक्रेट बातें बाहर निकल जाती हैं, उन पर ध्यान रखना होगा । गुप्तता की निगरानी रखें ।

इसके अलावा जो टेंडेन्सी है टु रिफर टु दि सुपीरियर आफिसर यह इतना चलता है कि इसकी वजह से फाइलों में डिले होती है । आप फाइनेंस से फाइलें मंगाकर देखिये ऐटरेंडम कितनी फाइल वहां पड़ी हैं, डिले हर जगह होती है । फाइनेंस की पावर तब तक होनी चाहिये जब तक कि रुपये सदन में स्वीकृत होने आये । उसके पश्चात् जब सदन स्वीकार कर दें वित्त विभाग को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि कैसे खर्च होगा । लेकिन सदन की स्वीकृति होने के बाद तुरन्त काम शुरू होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अध्यापकों के बारे में एक कमेटी या पे कमीशन के बारे में जरूर एनाऊंस करेंगी । जिस से गुरुजन संतुष्ट हो जावें ।

श्री रामायणराय—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इस अनुदान पर मतदान न हो जाय तब तक यह सदन बैठा रहे ।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं । रामायण राय जी ने ५ बजे के बाद यह प्रस्ताव किया है । यह तो ५ बजे के पहले होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैंने १५ मिनट के लिये समय बढ़ा दिया । प्रश्न यह है कि सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक कि अनुदान पास न हो जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन—

आप तो खुद सारी व्यवस्थाओं को बदलते रहते हैं और जब हम विरोध करते हैं तो आप हम लोगों को ही उल्टे डांटने लगते हैं । हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मतदान तो आपको ५ बजे के पहले कराना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समय बढ़ा सकता हूं।

श्री उग्रसेन—

ठीक है आप समय बढ़ा सकते हैं। आपको हक है लेकिन जो व्यवस्थाओं को बदल-बदल कर आप रोज अव्यवस्था पैदा करते रहते हैं उसी से यह सब कुछ होता है। फिर अगर हम विरोध करते हैं तो आप नाराज होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

हम तो बैठते हैं लेकिन आपकी इस कार्यवाही का सख्त विरोध करते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपाध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि मैं आज सारे समय हाउस में नहीं रही क्योंकि दूसरे काम से मुझे बाहर जाना पड़ा। तो जो प्रश्न सब लोगों ने उठाये उनका जवाब शान्तिप्रपन्न जी ने दे दिया। मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं बड़ी आभारी हूं माननीय नेकराम जी की उन्होंने आज जिस स्पिरिट से भाषण किया। उनका बड़ा रचनात्मक दृष्टिकोण था। उन्होंने कई बड़ी अच्छी बातें कहीं और उन्होंने ऐसे सुझाव भी दिये जो लेने के लायक हैं। जसा कि उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में ड्राफ्टिंग होती है वह ठीक नहीं होती है। उस ड्राफ्टिंग में बड़ी गड़बड़ी रहती है और वह लूज ड्राफ्टिंग होती है। एक-एक लब्ज का जो माने निकालना चाहिये वह निकलता नहीं है जिसकी वजह से जब वह कोर्ट के सामने जाता है तो वहां पर और भी परेशानी होती है। लोगों को टैक्निकल ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग चाहिये। कभी कभी हम केन्द्रीय सरकार से ट्रेन्ड लेते हैं लेकिन जब उनको फिर जरूरत होती है तो वह वापस बुला लेते हैं। तो यह अच्छा सुझाव है कि इसकी ड्राफ्टिंग में सुलझे हुये लोग हों और अगर जरूरत हो तो बाहर से लाये जायं। मैं इसको देखूंगी और अगर यह संभव हो तो करने की कोशिश की जायगी। यह अच्छी बात है।

और भी जो बात उन्होंने कही वह अच्छी कही। सरकार के काम में देरी होती है। वह कई कारणों से होती है। कई जगह से एक कागज पास होता है तो उसमें देरी हो जाती है। अगर जल्दी काम हो जाय तो रिश्वत लेने की गुंजायश ही कम हो जायगी। इसलिये जल्दी काम कैसे कराया जाय हमारा उस तरफ ध्यान है। प्रोसीजर को कैसे सुधारा जाय। इसको आर्गनाइज करने के लिये हमारे यहां एक आर्गनाइजेशनल मैथड शैल है वह देख रहा है कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाय। इस तरफ हमारा ध्यान है कि किस तरह से इस प्रोसीजर को काटा जाय ताकि देरी कम हो और काम जल्दी ही हो। इसमें पावर किसको कैसे डेलिगेट करें ताकि जल्द काम हो सके यह सोचने की बात है। जब मैं गवर्नमेंट में नहीं थी तो उस समय भी मेरा यह विचार था कि गवर्नमेंट का काम सिम्पुलीफाई किस तरह से किया जाय। अगर यह सरकार का काम सिम्पुल हो जाय तो काफी बुराई इसमें से निकल सकती है लेकिन ये बातें कहना तो आसान है मगर इनका करना मुश्किल है। सारी दुनियां की गवर्नमेंट दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। काम का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कोई जमाना था जब केवल पुलिस स्टेट थी जिसका काम केवल ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करना था। आज सारे डेवलपमेंट के काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिये हुये हैं, सारे वैलफेयर के काम सरकारों ने अपने हाथ में लिये हुये हैं तो उसी तरीके से उनका काम भी बढ़ता चला जाता है। अभी एक भाई ने मुझे बतलाया कि अमेरिका

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]
में डिफेन्स डिपार्टमेंट का काम पहले से ५, ६ गुना बढ़ा हुआ है। हमारे यहां भी यही हालत है। पहले से हमारे यहां भी ५,६ गुना काम बढ़ गया है। जब काम बढ़ता है तो उसके लिये नियम और कानून भी और बनाने पड़ते हैं। करप्शन को रोकने के लिये भी बहुत नियम और कानून बनाने होते हैं लेकिन जब नियम और कानून ज्यादा बनते हैं तो उनसे करप्शन के और रास्ते भी खुल जाते हैं। अब हमारे सामने सवाल यह है कि किस तरह से इसको सिम्पलीफाई किया जाय। उसके लिये हमें पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि जो लोग हमारे सम्पर्क में आते हैं वे बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं। वे सादे और सिम्पल होते हैं उनको कानून को देखना, पर्चों का दाखिल करना, इस तरह की बातें ज्यादा नहीं आती हैं और न वह समझते हैं। उसी बात में वह परेशान होते हैं और नीचे के कर्मचारी भी उनको इसी वजह से परेशान करते हैं और करप्शन का भी रास्ता खुलता है। इसलिये यह सारी चीजें सिम्पलीफाई होनी चाहिये जिसमें लोगों को राहत मिल सके। यह सब बातें आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। मैं आपको कह सकती हूं कि इसके लिये जो भी सुझाव आपके आयेंगे उनको हम स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। जो सुझाव आयेंगे उनको हम एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट का काम जल्दी हो सकता है। हम चाहते हैं कि बीच बीच में उस अड़चन को रोक सकें जिस अड़चन के कारण करप्शन पैदा हो सकता है। वह अगर दूर हो जाय तो करप्शन हट जायगा और करप्शन नहीं रहेगा, यह कहना तो छोटे मुंह और बड़ी बात वाली बात होगी। एडमिनिस्ट्रेशन से आप इस को बिलकुल हटा दें, यह नहीं हो सकता है। कोई और क्लेम करे, मैं नहीं कर सकती। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं तो अपने जीवन में सफाई से चलना चाहती हूं, उसी की कोशिश करती हूं। मैं कोशिश करती हूं कि करप्शन का मौका कम हो और उसे घटाया जाय। इस पर निगरानी रखने के लिये विजिलेंस कमीशन का सुझाव आया था। उसका दायरा केवल गवर्नमेंट सर्वेन्टस पर है। उसमें भी एक कैटेगरी के सर्वेन्टस नहीं आते। तो वह हमने बैठाया। नीचे वाले ट्राइब्यूनल में आते हैं। शान्तिप्रपन्न ने जी उसके बारे में बताने की कोशिश की। उसे भी कई प्रान्तों ने नहीं किया। केन्द्रीय सरकार ने एक चीज की है। अब मैं उसे क्या कहूं। दूर से देखने में हर चीज सुन्दर लगती है, नजदीक में होती है तो खराब नजर आती है। सब को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार का विजिलेंस कमीशन अच्छा है। हमको तो देखना चाहिये पास जा कर कि वह कैसा है। साल भर उन्होंने काम किया, उसमें उन्होंने कितने केसेज किये, कितने सही निकले और उनका कितना असर हुआ, यह देख कर ही हम उसके ऊपर कोई राय कायम कर सकते हैं इसके पहले नहीं। इस प्रान्त में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहले से चल रहा था उसके अन्तर्गत काफी अच्छा काम हुआ है। वह सराहनीय काम है आन दि होल। आपने देखा होगा कि ट्राइब्यूनल के फैसले पर कोई शंका किसी ने प्रकट नहीं की और उसकी रेकमेंडेशन को भी सरकार ने सदा माना है। उसमें कभी मतभेद नहीं हुआ। जब यह परम्परा थी और उसके लिये हमारे पास ट्रेंड लोग थे तो हमारे स्टेट की पृष्ठभूमि में मैंने यह समझा कि जो विजिलेंस कमीशन बने उसमें ट्राइब्यूनल का भी कुछ अंश आ जाय और कुछ दूसरा अंश रहे तो विजिलेंस कमीशन अच्छा काम कर सकेगा। उन का आग्रह था कि उसमें एक जज भी होना चाहिये। उसके लिये हमने एक जज भी मुकर्रर किया। अब वह काम कर रहे हैं।

नेकराम जी ने कहा था कि अगर पुलिस आफिसर्स इंडिपेन्डेन्ट न होंगे उसमें तो वे डरेंगे। यह बात मैंने स्वंय महसूस की। मैंने देखा कि जांच के सिलसिले में उनकी कलम लड़खड़ाती है और इसलिये हमने उनको मजबूत आदमी देने का प्रयास किया है, उसके लिये कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका काम ठीक नहीं होता है तो हमने कोई कसम नहीं खा रखी है कि वह काम चलता ही रहेगा। हम यह एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं और यह एक्सपेरिमेंट हम भी कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स भी कर रहे हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई है, दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से और उसमें बहुत से लोग दिल्ली के पैटर्न को ठीक नहीं समझते। मैं बतला सकती हूं कि दिल्ली के

पैटर्न में शुरू में काफी उलझन पैदा हुई, हमको वह उलझन नहीं हुई। हमने वह काम ईमानदारी से शुरू कर दिया है। अगर वह मशीनरी ठीक से काम नहीं कर सकती तो हम उसे बदलेंगे। यह तो अपने हाथ की बात है।

दूसरी बात मिनिस्टरी के बारे में नेकराम जी ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मिनिस्टरान अपना-अपना जवाब दे देंगे। मैंने जिस खयाल से वह बात कही थी उसे कुछ थोड़ा सा डिस्टार्ट किया गया है। उसमें बहुत सी डिटेल की बातें आ गयीं थीं। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं उसका क्या जवाब देती। इसलिये मैंने कहा कि यह बजट सेशन है, इसमें हर मिनिस्टर का अपना अनुदान होगा, उस सिलसिले में वह अपनी बात कह देंगे और उस मामले पर रोशनी डाल देंगे। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर पर अटैक हो उसे देखना तो मेरा काम है। ऐसा भी हुआ है कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात कही गयी और मैंने उनसे पूछा कि अगर आप चाहें तो मैं इंटरवीन करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जवाब दे दूंगा। इसमें भी कोई नुकसान नहीं था। अगर किसी मिनिस्टर के लिये मैंने नहीं कहा तो उसका मतलब यह नहीं है कि मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है। अगर ऐसा हो तो काम नहीं चल सकता।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि मिनिस्टरों के खिलाफ जांच नहीं करायी गयी। इसमें कुछ परेशानी मुझे है। जो विजिलेंस कमीशन कायम किया गया है उसके बाहर यह मिनिस्टर लोग हैं। मिनिस्टर अपने कलीग हैं। अफसरों से भी जांच करायी जा सकती है, लेकिन उनके केसेज कैसे जांच कराये जायें, यह एक समस्या है। केन्द्रीय सरकार ने एक कदम उठाया है। मैं कल दिल्ली में ही थी। वहां यह बात थी कि डाक में तो नन्दा जी हैं। तो यह एक दिक्कत-तलब बात है। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहती। आप लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री में फूट है। इस बात के होते हुये तो यह काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा मुश्किल काम हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे, लेकिन यह कम से कम कहना चाहती हूं कि मैं नहीं चाहती कि किसी तरह से बेईमानी हो तो वह सुरक्षित रहे। जो उचित कार्यवाही होनी चाहिये, वह होनी चाहिये। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतनी होनी चाहिये, देरी भले ही लग जाय, क्योंकि डेलीकेटली हैंन्डिल करने में समय लगता है। यह मेरी कमजोरी है।

मुझे माफ करियेगा जैसा वातावरण है कि उसने यह किया, वह किया उसमें सभी बातें गलत हैं। एक रोष है, आक्रोष है, द्वन्द-युद्ध है। तुमने फलां जिले में यह किया, मैं भी बताता हूं तुम भी बताते हो, ऐसे इल्जाम लगाने के वातावरण में कोई क्या समझेगा, साल भर में एक बार बात आये तो जांच हो, तो मजा आये। रोजाना हर एक के ऊपर इल्जाम लगाये जायं तो उसकी गम्भीरता चली जाती है कि ये लोग तो रोज ऐसा ही कहते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है।

श्री उग्रसेन––

आपने अपने दिमाग की बात कही।

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

मैं सही बात कह रही हूं। अगर मेरे मित्रगण माफ करेंगे तो जो मेरे पास शिकायत जबानी और लिखित आती हैं सब की जांच करने में बैठूं तो कुछ काम नहीं कर सकती, केवल जांच ही जांच करूंगी। मैं खास-खास जगह में ही करना चाहती हूं, रोजाना की चीज नहीं बनाना चाहती हूं।

फिर थीसिस की तरह रटा गया कि मिसेज कृपालानी तो बिलकुल बेसमझ हैं और उनपर बयूरोक्रेसी हावी हो गयी है और "सिंडीकेट" एक नया नाम आया है, वह जैसे बुला रहे हैं वैसे ही मैं चल रही हूं। मेरी उम्र की अधेड़ हो गयी, सारी जिन्दगी मैंने हिन्दुस्थान की पब्लिक लाइफ में ही काम किया है कि मैं क्या बताऊं ? उसमें पब्लिक के सामने मेरी इमेज अगर यह

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

आयी है तो यही आयी है कि जो सही समझती हूं वह करती हूं, किसी बात से चूकती नहीं। अगर कोई यह समझे कि मैं घबराहट के मारे दास साहब से दब गयी या फलाने सेक्रेटरी से दब गयी या उनके कहने में हो गयी, इतना भोलापन मुझ में है, यह मैं नहीं मानती। यह बात सही है कि उन लोगों से सलाह जरूर लूंगी, क्योंकि उनका तजुर्बा एक बिषय में ज्यादा हो सकता है। कोई लीगल प्वांइन्ट है, ऐडमिनिस्टेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन है वह उनको रटे हुए हैं। उनसे सलाह लेकर काम स्वयं करने का प्रयास करती हूं। यह गलत है कि कोई मेरे ऊपर हावी होता है या हो सकता है। मुझे सलाह ठीक लगती है तो करती हूं, नहीं लगती है तो नहीं करती हूं। वही बात मेरे साथियों के साथ है। न कोई सिन्डीकेट है और न कोई सिंडीकेट दबाता है। अगर दबाये तो मुझे यहां रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह मैं कहना नहीं चाहती थी। दुनियां में गांधी जी से ज्यादा मैंने किसी की इज्जत नहीं की और किसी से मुझे हिदायत लेनी होती तो उन्हीं के पास जाकर लेती थी। मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है कि मैं अन्धाधुन्ध अपना काम किये जा रही हूं। काम करके गांधी जी के पास पहुंची तो जो मैंने फैसला किया था वह उनको पसन्द नहीं आया। कहा कि तू तो ऐसे ही करती है, सब काम करके मेरे पास आती है। तो यह तो मेरी आदत है कि गलती भी हो जाय तो हो जाय। लोगों से पूछ जरूर लेती हूं। सलाह ले लेती हूं, लेकिन करती वही हूं जिसे मैं उचित समझती हूं। जहां तक ऐडमिनिस्टेशन की बात है वह बिना सलाह लिये चल नहीं सकता। यह कोई न समझे कि किसी ने मेरी तारीफ कर दी, मैं तारीफों से भी पिघलती नहीं हूं, क्योंकि तारीफ की क्या कद्र है वह भी मुझे मालूम है। जिन्दगी में ऊपर नीचे मैंने बहुत देखा है। अपोजीशन में भी और कांग्रेस में भी मैं बैठी हूं। सब कुछ मैंने देखा है, सब कीचड़ मैंने देखी हुई है। तो मैं पिघल नहीं जाती। इन बातों से जांच करने की हम कोशिश करते हैं यह नहीं है कि मिसेज कृपालानी किसी के दबाव में आकर काम करती हैं। गलतफहमी में कहीं कोई गलती हो सकती है।

यह कहा गया कि लेजिस्लचर के मेम्बरों की इज्जत कम है। मैं कहना चाहती हूं कि उनके लिये मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं भरसक प्रयत्न करती हूं कि हर मेम्बर का, चाहे वह उधर का हो या इधर का हो, उसका सम्मान हो। जब मंत्री लोग उनका सम्मान करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि अधिकारी लोग उनका सम्मान न करें। कहीं-कहीं कुछ उलझनें हो गयी हैं। कहीं किसी एम०एल०ए० के साथ अच्छा व्यवहार डी०एम० का नहीं रहा है। मैंने उनको वहां से हटाया है। एक जगह जब मैं गयी, मैंने स्वयं वहां देखा कि एक डी०एम० का रुख एम०एल० एज० के प्रति अच्छा नहीं था, जो इज्जत उनको देनी चाहिये थी, वह नहीं दी जा रही थी, तो मैंने वहां डी०एम० को डांटा और कहा कि आपको यह करना चाहिये था। आप लोगों की प्रेस्टीज को हटाकर कोई गवर्नमेंट अपनी प्रेस्टीज कायम रख नहीं सकती। सरकार आपसे ही अपनी प्रेस्टीज ड्राइव करती है। आपको हम रिप्रजेंट करते हैं, आपका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा भी सम्मान नहीं रह पायेगा। कहीं कोई इक्का दुक्का केस हो जहां सम्मान न किया गया हो, आप मेरी नोटिस में केस को लाइये, मैं उसे देखूंगी। एक बार मुझे याद है, सीतापुर में पुलिस के एक फंक्शन में मैं गयी थी। वहां मैंने देखा कि एम०एल०एज० के बैठने के लिये आगे कुर्सियों का इन्तजाम नहीं था। मैंने लोगों को डांटा और कहा कि आप लोगों के लिये सामने लाइन में बैठने का इन्तजाम होना चाहिये, आप लोगों के लिये कुर्सियां रखनी चाहिए, ऐसी मैंने हिदायत दी। फिर चाय के लिये मेरे लिये अलग व्यवस्था थी। मैंने उसको भी पसन्द नहीं किया और मैंने एम०एल०एज० के साथ बैठ कर चाय पी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सम्मान आप लोगों का चाहती हूं, कहीं गलती से कोई बात हो गयी हो तो माफी चाहती हूं।

कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी हो गया है। कहीं २–४ आफिसर्स बढ़े हैं। मैंने देखा कि आ०एस०डी० जो हमारे पास थे, इन दिनों ५ ही बढ़े हैं। सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज वगैरह सब मिला कर भी ज्यादा नहीं बढ़े हैं। १९५७ में उनकी संख्या ३५

थी, आज ३१ हैं । तो बढ़े नहीं हैं । पिछले दिनों २-३ बढ़े हैं । फिर भी हमने एक कमेटी नियुक्त की है जो जगह-जगह यह देखेगी कि कहां किस प्रकार एकोनामी की जा सकती है । प्रयास भी यह होता है कि कम से कम आफिसर्स रखे जायं । अगर कोई अधिकारी चला जाता है तो उसकी जगह भी नहीं भरती है । हमारा खर्चा भी एडमिस्ट्रेशन पर दूसरी सूबों के मुकाबले बहुत कम है । उत्तर प्रदेश सारे भारत वर्ष का एक छठा हिस्सा है । सभी सूबों से बड़ा है । बंगाल हमारे प्रांत के एक छोटे से हिस्से के बराबर है । वहां १३ जिले हैं । हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि यहां की अलग अलग समस्यायें हैं । इतनी बड़ी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काफी काम्प्लैक्सीटीज हैं । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर टोटल रेवेन्यू के अलग-अलग स्टेट्स में जो खर्चे हैं वे मैं आपके सामने पढ़े देती हूं ।

पंजाब	१.४६
वैस्ट बंगाल	१.७५
मद्रास	१.१३
महाराष्ट्र	१.८७
गुजरात	१.३५
उत्तर प्रदेश	.९४

सबसे कम हमारा स्टेट है । हम लोगों ने कोशिश करके सबसे कम रखा है । तो यह सब आंकड़े रखते हुए हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में एफीशियेंट एडमिनिस्ट्रेशन दें । एक बात इमानदारी से पूछना चाहती हूं कि बहुत खामियां हैं सब बातों में मगर इन दिनों में यह बात कान में आने लगी है कि अभी यू०पी० गवर्नमेंट में स्ट्रीमलाईनिंग हुआ है, अभी यू०पी० गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने लगे हैं । एक साल के प्रयास से यह नतीजा निकला कि यह बात नहीं है । आज के वातावरण में कुछ परिवर्तन आये हैं लेकिन लोग एडमिट करने लगे हैं कि 'थिंग्स आर मूविंग' । डेढ़ साल में दिन और रात एक करके काम किया गया है । वैसे जितना फल मिलना चाहिये था उतना जरूर नहीं मिला, फिर भी पांच परसेंट सही, दस परसेंट सही लेकिन यू० पी० में एफीश्येन्सी आई है । मैं आप सब को बहुत धन्यवाद देती हूं । आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें भी की और जो कटौती का मोशन है इन सबको नामंजूर करती हूं । टीचर्स को आप हमारी तरफ से कह दीजिये कि आज हम हर तरीके से उनकी दिक्कतें हल करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे इससे ज्यादा और क्या बात है ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद आप श्री नेकराम शर्मा को सादर पूछ सकते हैं कि उनको कटौती का प्रस्ताव नामंजूर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

शर्मा जी, वापिस ले रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा--

अगर यह वैसे आश्वासन दिला दें....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मगर कुछ नहीं ।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,४४,१४,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

नेकराम जी के कटौती के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कटौती का प्रस्ताव सारे सदन की प्रापर्टी थी और वह सदन की अनुज्ञा से ही वापिस हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

वापिस नहीं हुआ है। मैंने अनुदान रखा और वह स्वीकृत हो गया।

श्री उग्रसेन—

क्या आप रोज-रोज नयी प्रक्रिया चलावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई हर्ज नहीं है।

प्रश्न यह है कि अनुदन संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ११,४०,९९,-६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९६५।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तगर्त तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

तालिका "क"

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम जो बन्द रही	बन्द होने की तारीख		वह चीनी मिलें जो गन्ने के अभाव के कारण कम पेराई पर व रुक-रुक कल चलीं
			कब से	कब तक	
१	मेरठ	१—मवाना	८-१-६५	२८-१-६५	सखोती, दौराला, जसवन्त, मोहिउद्दीन पुर, बैरामाबाद, सिम्भावली, बाग-पत व मवाना।
२	मुजफ्फरनगर	१—खतौली	१४-१-६५	१४-१-६५	मंसूरपुर, शामली खतौली व रोहाना।
			१७-१-६५	१७-१-६५	
			२१-१-६५	२१-१-६५	
		२—रोहाना	१३-१-६५	१७-१-६५	
			१९-१-६५	२१-१-६५	
			२३-१-६५	२६-१-६५	
			२८-१-६५	२८-१-६५	
			३०-१-६५	२-२-६५	
		३—शामली	१-१२-६४	४-१२-६४	
			२७-१-६५	२८-१-६५	
			१-२-६५	२-२-६५	
		४—मंसूरपुर	१७-१२-६४	२१-१२-६४	
			२१-१२-६४	२३-१२-६४	
			२५-१२-६४	७-१-६५	
			८-१-६५	१३-१-६५	
			(पुरानी मिल)		
			१०-१२-६४	१०-१२-६४	
			१६-१२-६४	१७-१२-६४	
			(नई मिल)		
३	सहारनपुर	१—इकबालपुर	१९-१२-६४	२५-१२-६४	इकबालपुर
		२—देवबन्द	१७-१-६५	५-२-६५	देवबन्द।
		३—सहारनपुर	६-३-६५	अब तक	
४	बुलन्दशहर	१—बुलन्दशहर	२२-१२-६४	२४-१२-६४	बुलन्दशहर
५	देहरादून	१—डोईवाला	२०-१२-६४	२२-१२-६४	डोईवाला
६	बिजनौर	१—बिजनौर	२७-१२-६४	३१-१२-६४	बिजनौर, सिवहारा व धामपुर।
७	मुरादाबाद		२६-१-६५	२६-१-६५	अमरोहा।

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	तारीख जिससे बढ़ा हुआ मूल्य दिया जा रहा है	प्रति क्विन्टल, बढ़ा हुआ मूल्य		विशेष विवरण
				फैक्ट्री द्वार पर	अन्य बाहरी केन्द्रों पर	
१	२	३	४	५	६	७
				रु०	रु०	
१	मेरठ	१--सिंगौली	३-२-६५	०.३२	०·५०	
		२--बेगमाबाद	४-२-६५	०.३२	०.३२	
		३--मोहिउद्दीनपुर	४-२-६५	०.३२	०.३२	
			२०-२-६५	..	०.१९	केवल तीन केन्द्रों पर
			२१-२-६५	०.१९	०.१९	मिल द्वार पर व चार क्रय केन्द्रों पर।
		४-जसवन्त	३-२-६५	०.३२	०.३२	
		५-दौराला	३-२-६५	०.५१	०.५१	
			११-२-६५	..	०.३२	
		६-भवाना	३-२-६५	०.५१	०.५१	
		७-सखौटी	३-२-६५	०.५१	०.५१	
		८-बागपत	२१-१-६५	..	०.३२	
			१०-२-६५	०.३२	०.१९	
२	मुजफ्फरनगर	१-मंसूरपुर	१२-१-६५	१.१६	१.४८	
		२-रोहाना	३-२-६५	०.५१	०.८३	
		३-खटौली	३-२-६५	०.५१	०.५१	
			१२-२-६५	..	०.८२	
		४-शामली	३-२-६५	०.५१	०.५१	
			१२-२-६५	— —	०.३२	
३	बुलन्दशहर	१-बुलन्दशहर	८-२-६५	..	०.३२	
			१०-२-६५	०.३२	..	
४	देहरादून	१-डोईवाला	११-२-६५	०.५८	०.८६	
			१२-५-६५	..	०.३२	
५	सहारनपुर	१-इकबालपुर	६-२-६५	०.५०	०.५०	
			२२-२-६५	..	०.३२	केवल ७ क्रय केन्द्रों पर।
			२३-२-६५	..	०.३२	सब-क्रय केन्द्रों पर।
		२-देवबन्द	४-२-६५	०.५१	०.८३	
		३-सहारनपुर	१५-२-६५	०.५०	०५०	
		४-सरसावा	१६-२-६५	०.५०	०.५०	
		५-लक्सर	१२-२-६५	०.३४	०.४६	
			६-२-६५	..	०.३२	
६	बिजनौर	१-धामपुर	७-२-६५	०.१४	०.४६	
			११-२-६५	०.३२	..	
		२-सेवहारा	९-२-६५	०.३२	०.४६	
			८-२-६५	०.३२	..	
		३-बिजनौर	७-२-६५	०.३२	०.४४	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे ९२६ पृष्ठ पर।]

मड़ियाहूं तहसील में कालीन उद्योग के लिये दिये गये ऋण के प्राप्तकर्त्ताओं की सूची

ऋण-प्रात कर्त्ता का नाम व पता	वर्ष	उद्योग	उद्योग प्रारम्भ किया या नहीं तथा कहां प्रारम्भ हुआ
		रु०	
१—श्री त्रिभुवन नाथ तिवारी, मड़ियाहूं।	१९५८	१०,०००	उद्योग मड़ियाहूं में प्रारम्भ हुआ किन्तु काम बन्द कर दिया गया है।
२—श्री राज किशोर तिवारी, मडियाहूं।	१९५९	१०,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं किया।
३—श्री दल सिंगार तिवारी ग्राम जमालापुर, पो० नेवरिया।	१९६०	५,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं किया।
४—श्री मुर्तजा हुसैन, काजीपुर, दरगाह, पोस्ट—जमालापुर	१९६०	३,०००	उद्योग काजीपुर दरगाह में प्रारम्भ हुआ।
५—श्री शेख कुतुद्दीन ग्राम शेखपुर	१९६०	५,०००	उद्योग शेखपुर में प्रारम्भ हुआ।
६—श्री तुफेल अहमद, ग्राम—गोपालपुर।	१९६०	५,०००	उद्योग गोपालापुर में प्रारम्भ हुआ।
७—श्री जयदेव सिंह, जमालापुर।	१९६०	५,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ।
८—श्री फैयाज हुसैन, ग्राम—शेखपुर, पो० गोपालपुर।	१९६०	५,०००	उद्योग शेखपुर में प्रारम्भ हुआ।
९—श्री बाबूराम, पो० कजियाना।	१९६०	३,०००	उद्योग नहीं प्रारम्भ हुआ।
१०—श्री अब्दुल खालिक, ग्राम रानापुर, पो० गोपालापुर।	१९६१	१,०००	उद्योग रानापुर में प्रारम्भ हुआ।
११—श्री मुश्ताक अहमद, मानपुर।	१९६१	१,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ।
१२—श्री बेचनराम, ग्राम—दुवान, पो०—गोपालापुर।	१९६१	१,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ।

ऋण-प्राप्तकर्ता का नाम व पता	वर्ष	उद्योग	उद्योग प्रारम्भ किया या नहीं तथा कहां प्रारम्भ हुआ
		रु०	
१३—श्री शेषपति मिश्रा, परियत।	१९६१	१,५००	उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ।
१४—श्री दयाशंकर तिवारी, ग्राम—गहलई, पो० सुखलालगंज।	१९६१	२,०००	उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ।
१५—श्री अब्दुल समद चोरारी	१९६४	३,०००	ऋण सितम्बर १९६४ में दिया गया है। उद्योग प्रारम्भ करने की अवधि सितम्बर १९६५ तक है।
१६—श्री शीतलप्रसाद, सुखलालगंज बाजार।	१९६४	३,०००	,, ,,

विधान सभा मुद्रण

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२७ पर।]

प्रेषक,

रघुबीरसहाय कैथवार, एम० एल० ए०, फतेहपुर।

सेवा में,

माननीय श्री चन्द्रभानु जी गुप्त,

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

आप पुलिस विभाग के सर्वेसर्वा मंत्री हैं, आपकी लाड़ली भ्रष्ट और गिरोहबन्द गुन्डों, बदमाशों को बढ़ावा देने वाली पुलिस की वर्तमान कार्य-प्रणाली के कारण कत्ल, डकैती, चोरी, झगड़े आदि अपनी चर्म सीमा तक पहुंच चुके हैं और प्रदेश की बहुसंख्यक गरीब जनता को अरक्षित दशा में देख कर त्राहि-त्राहि कर रही है, जिसकी जानकारी न केवल आप के उच्च पुलिस अधिकारियों को ही है वरन् आपको भी है, परन्तु चूंकि कांग्रेस दल में पद प्राप्ति हेतु संघर्ष मचा होने के कारण आप जैसे उच्च नेताओं के पदों के लिए खतरा उत्पन्न है। इस लिए जनता की सुरक्षा की परवाह न करके आप व आपकी सरकार के मंत्रीगण केवल अपने पदों की रक्षा में ही तत्पर हैं। यही कारण है कि आपकी खुद मुख्तार पुलिस हर प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई से अपना घर भरने में व्यग्र है जिसके फलस्वरूप ही कत्ल, डकैती, चोरी आदि की भरमार है।

उदाहरण के लिये मैं खास शहर फतेहपुर, कस्बा बिन्दकी और थाना थरियांव की पुलिस के जारी कृत्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। अपने को पक्का ठाकुर और आम जनता को अपनी डाढ़ की बकरी मानने वाले ठाकुर सूर्यभान सिंह सर्किल इन्सपेक्टर, फतेहपुर द्वारा जो रिटायर्ड होने के करीब है, लगभग १५ माह पूर्व थाना कोतवाली फतेहपुर का चार्ज ग्रहण करने के कुछ समय बाद से भूतपूर्व व वर्तमान कप्तान एवं डी० आई० जी० कानपुर के उनके चंगुल में फंसे होने के कारण कोतवाली के अन्तर्गत देहात की जनता की कौन कहे पुलिस की नाक के नीचे शहर फतेहपुर गुन्डागीरी व झगड़ों की भरमार होने के अलावा, अनेक बड़ी छोटी चोरियां एवं कुछ दिन दहाड़े कत्ल हुए और चोरियों का तांता अब भी लगा है। यह चोरियां उन्हीं मुहल्लों में हुई हैं जहां के लिये रोजनामचे में पुलिस की गश्त लिखी हुई है और तरीफ की बात तो यह है कि गश्त के सिपाही सुबह रोजनामचे में लिखाते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई घटना नहीं घटी जब तक उनके बाद ही उन्हीं के क्षेत्र के लोग, कोतवाली जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनके यहां चोरी हो गई है पर असंख्य चोरियों में शायद एक भी चोरी खोली नहीं जा सकी।

यही नहीं कि उक्त प्रकार से उक्त श्री सूर्यभान सिंह, इन्चार्ज कोतवाली, फतेहपुर, ठकुरी के मद में अपने अनुयायी श्री मुक्ताप्रसाद व श्री पांडे सब-इन्सपेक्टरों के सहयोग से शहर फतेहपुर को लुटवाने व जन अरक्षा की कार्यप्रणाली को अपना कर अपना पौ बारा करने में तत्पर हैं वरन् असहायों, गरीबों विशेषतया हरिजनों व पागलों के विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके भी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, फिर भी अपनी स्वार्थ साधना हेतु जिस प्रकार श्री पी० सी० कक्कड़, भूतपूर्व कप्तान पुलिस फतेहपुर व डी० आई० जी०, कानपुर उक्त इंचार्ज कोतवाली फतेहपुर के इशारे पर चलते थे उसी प्रकार श्री महेशशंकर जी वर्तमान पुलिस कप्तान फतेहपुर व उक्त डी० आई० जी० उक्त इंचार्ज कोतवाली के एक-एक वाक्य को ब्रह्मवाक्य मान कर बिलबिलाती व चिल्लाती जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही कृत्य थाना बिन्दकी के इन्चार्ज पं० राम सिंह, जिनकी बिन्दकी में रिश्तेदारी भी है, व थाना थरियांव के इन्चार्ज तथा थानेदार श्री द्विवेदी हैं किन्तु उक्त पुलिस

अधिकारियों के उक्त जैसे कृत्यों के बावजूद उक्त पुलिस कप्तान व डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट मिस्टर तलवार एवं मिस्टर राय ने उन्हें बहुत ही योग्य ईमानदार एवं मान रक्षक घोषित कर रखा है और उनके विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस रहस्य की वास्तविकता पर विचार करने की आवश्यकता है।

चूंकि मैंने स्थानीय पुलिस व जिलाधीशों जैसे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें की हैं इसलिये दिनांक १३–१४ मई सन् ६२ की रात को मेरे घर वाले मुहल्ला पानी फतेहपुर शहर में रियाज अहमद पुत्र फैयाज अहमद, निवासी मुहल्ला चौधराना, फतेहपुर द्वारा की गई करीब २ हजार रुपये की चोरी पर लगभग सभी स्थानीय अधिकारी मग्न हो उठे और मेरे द्वारा रिपोर्ट करने के बाद जब उक्त इन्चार्ज कोतवाली ने भूतपूर्व कप्तान की मिली मदद से उक्त चोर को बचाने हेतु उसके बाप फैय्याज अहमद मुलाजिम नगरपालिका फतेहपुर को मिलाकर उक्त रियाज अहमद चोर को छिपा दिया तब मेरे द्वारा पुलिस के विरुद्ध दिनांक ३१–५–६२ को और बाद में कई प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में देने पर भी आप द्वारा कोई प्रभाव पूर्ण कार्यवाही न करने के फलस्वरूप उक्त पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। अस्तु मैंने उक्त इन्चार्ज कोतवाली फतेहपुर, भूतपूर्व पुलिस कप्तान फतेहपुर, उक्त डी० आई० डी० पुलिस कानपुर और श्री हरी शंकर जी तिवारी जिलाधीश फतेहपुर की मिली भगत का रहस्योद्घाटन आपकी सेवा में भेजे गये दिनांक १९–१–६३ के प्रार्थना-पत्र द्वारा किया जिससे उक्त अधिकारी मुझसे खीझ उठे।

फलस्वरूप जाड़े के दौरे के समय १ दिन उक्त जिलाधीश ने प्रथम तो वर्तमान पुलिस कप्तान से मुझे नीचा दिखाने की सलाह दिया द्वितीय मेरी कलेक्टरी की पिटीशन राइटरी की जगह पर जबरन बैठने वाले पं० शिवप्रसाद पिटीशन राइटर को जो उनका कलेक्टरी के क्लर्क श्री बसंत कुमार शुक्ला के परिवार के व श्री अमरनाथ द्विवेदी एवं श्री देवीदयाल द्विवेदी के संबंधी है, ६, ७ माह से वहीं पर बैठने का गुप्त बलदेकर झगड़ा कराने की स्थिति पैदा कर दी गई है और तीसरे कोतवाली फतेहपर के इन्चार्ज श्री सूर्यभान सिंह व पुलिस सब-इन्सपेक्टरों ने अपने उक्त अधिकारियों के बल पर शहर के गुण्डों को पूरी छूट दे रक्खी है जिसके कारण बन्ने, मुने, वहीद, हफीज, नजीर आदि ने दिनांक १४–६–६३ को मेरे लड़के से उसके ईटा ढुलाते समय झगड़ा किया व उसे घर में घुस कर मारा तथा मुझ से भी झगड़ा करने को आमादा हुए। मैंने व लड़के ने इस वाक्या की रिपोर्ट की किन्तु उक्त इन्चार्ज कोतवाली ने ५४२/१४७ की रिपोर्ट अदम तफतीश लिखी और उक्त कप्तान से मिलने पर उनके द्वारा तफतीश का कागजी आदेश देने पर भी अब तक तफतीश नहीं की गई। इसी प्रकार उक्त पुलिस का बल व बढ़ावा पाकर उक्त रियाज अहमद चोर के परिवार के फैय्याज अहमद, मुहम्मद सईद, बसीर, सब्बीर आदि ने दिनांक २२–७–६३ को जबकि मैं लखनऊ में था मेरे दरवाजे पर चढ़ कर मेरे बच्चों से झगड़ा करने का प्रयास किया तथा कल दिनांक २८–७–६३ को करीब ११ बजे दिन में जबकि मैं बाजार चला गया था फैय्याज अहमद के भाई आदि ने मेरी छत पर टीन रखवाया और जब मेरी स्त्री बच्चोंने मना किया तो आमादा फिसाद हुए।

उक्त प्रकार के कृत्यों से अधिकारियों व कोतवाली की पुलिस के उक्त जैसे प्रबन्ध इस जनता व मुझे विरोधी दल के विधायक को हरिजन वर्ग का जान कर तबाह करने वाले श्री सूर्य भान सिंह इन्चार्ज कोतवाली, फतेहपुर के जिनके विरुद्ध अनेक शिकायतें करने पर भी आप व आपके उच्च अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, उक्त जन धन घातक कृत्यों से आप भले ही मुग्ध हो परन्तु यह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। यही कारण है कि अब जहां तक मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकूंगा और करने का प्रयास करूंगा और अपनी रक्षा हेतु मुझे विवशता वश कुछ शुभचिंतक व्यक्तियों को भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार व जनता को स्थानीय पुलिस के कारनामों की वास्तविकता की जानकारी कराने हेतु मैं परचे छाप कर वितरित करने का प्रबन्ध भी कर रहा हूं।

अतः आपसे अब और अधिक आशा न करके केवल इतना ही चाहता हूं कि जिला फतेहपुर की ही नहीं वरन् पुलिस की नाक के नीचे शहर फतेहपुर की जनता की स्थिति अरक्षित व भयभीत करने वाले उक्त सभी अधिकारियों को साक्षात विक्रमादित्य राज्य के प्रतीक मान कर इस जिले में ही रखना चाहते है तो विश्वास दिलावें कि न केवल मेरा वरन् अन्य शांति प्रिय जनता का अनिष्ट न होगा। और जो चाहेगा अपनी रक्षा हेतु अपने आदमी रख सकेगा, पुलिस हस्तक्षेप न करेगी।

दिनांक २९-७-६३

विनीत

(ह०) रघुबीरसहाय कैथवार, एम० एल० ए०, फतेहपुर।

प्रतिलिपियां तात्कालिक कायवाही हेतु प्रेषित की गई हैं:--

१--शांति प्रसाद जी गुप्ता, आई० जी० पुलिस, उ० प्र०, लखनऊ।
२--श्री अजितप्रसाद जी जैन, कांग्रेस अध्यक्ष, उ० प्र०, लखनऊ
३--श्री हरीशंकर जी तिवारी, जिलाधीश, फतेहपुर।

विवरण

(प्रश्न संख्या ३ के उत्तर से संबंधित)

१-४-६२ से ३०-९-६३ तक हुए अपराधों में से १५-२-६५ तक कोतवाली फतेहपुर और बिन्दकी थानों के अन्तर्गत डकैती के ४, कत्ल के ३ तथा चोरी के ४९ और थाना थरियांव के अंतर्गत डकैती और कत्ल के १, १ तथा चोरी के १० मामले सजायाब हो चुके हैं

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के थाना कोतवाली फतेहपुर और बिन्दकी थानों के कत्ल के २ तथा चोरी के ५ मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं।

प्रश्न में उल्लिखित शेष अपराधों की असफलता निम्नलिखित मुख्य मुख्य कारणों से हुई --

१--समुचित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाया जाना।

२--न्यायालय द्वारा विभिन्न कारणों के मामलों की रिहाई।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३२ पर]

सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों की चीनी मिलों द्वारा प्राप्त वर्ष १९६४–६५ व १९६३–६४ में दिनांक तक पाक्षिक चीनी परता (Recovery)

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	१५–११–		३०–११		१५–१२		३१–१२		१५–१		३१–१		७–२	
		६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४
१	इकबालपुर	६–५६	६–९१	७–०८	७–३२	७–४६	७–७७	७–७१	८–१८	अ०प्रा०	८–४६	८–२०	८–७०	८–२८	८–७८
२	डोइवाला	–	–	७–८५	८–०७	८–२६	८–६५	८–३८	९–२०	८–६०	९–४५	८–६४	९–५७	८–६९	९–६०
३	देवबंद	७–३०	७–९२	७–२३	८–३४	७–७०	८–६९	७–८९	८–९९	८–०७	९–११	८–०३	९–१९	८–०७	९–२४
४	लक्सर	७–२५	–	७–७०	८–११	७–९६	८–५६	८–२३	८–८०	८–५५	९–०२	८–७८	९–२२	८–८४	९–२८
५	सहारनपुर	६–६०	७–२२	६–८७	७–८०	७–०९	८–४२	७–२२	८–६५	७–४३	८–७५	७–६०	८–८८	अ० प्रा०	८–९३
६	सरसावा	६–२१	७–१७	६–६१	७–१४	६–९७	७–७०	७–१६	८–००	७–३३	८–२८	७–५३	८–४६	७–६४	८–५२
७	मन्सूरपुर	६	६–७०	७–१०	७–२५	७–३२	७–५४	७–२०	७–८६	अ० प्र०	८–०६	७–७८	८–२२	७–९४	८–२६
८	खतौली	६–१०	७–००	६–५६	७–३०	६–७९	७–७१	६–९६	८–०८	७–१३	८–३३	७–२४	८–५२	अ०प्र०	८–५९
९	रोहाना	–	७–१६	६–२८	७–४०	६–६५	७–७३	६–८८	८–०३	७–०५	८–१७	७–०४	८–२६	७–१५	८–३१

अनुभव देवगंगा विधान सभा

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	१५–११–		३०–११		१५–१२		३१–१२		१५–१		१–१		७–२	
		६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४
१०	शामली	६–३९	७–१७	६–५८	७–६४	६–९७	७–९१	७–३०	८–१४	७–५३	८–२२	७–७२	८–२७	७–७८	८–२७
११	सखौती	६–०७	६–७८	६–५४	७–२९	६–६७	७–५७	६–७३	७–८१	अ०प्रा०	८–००	अ०प्रा०	८–१६	७–३०	८–२१
१२	दौराला	–	६–८५	६–८४	७–३१	६–९६	७–६४	७–०२	७–९१	७–२७	८–०५	७–५९	८–१८	७–७०	८–२१
१३	जसवन्त	५–४१	७–५९	६–०१	८–००	६–६२	८–३३	६–८९	८–५६	७–१८	८–७०	७–४७	८–८३	७–६०	८–८६
१४	मोहिदीनपुर	५–४५	७–००	६–०२	७–५९	६–४०	७–९८	६–५२	८–३४	६–९१	८–५०	७–११	८–५७	७–२२	८–६०
१५	बेगमाबाद	५–६१	७–१०	६–१४	७–५९	६–७४	७–९९	६–८५	८–४०	७–१२	८–५६	७–३४	८–७०	७–४७	८–२३
१६	सिम्भावदी	५–८२	७–४१	६–३३	७–४३	६–७६	८–१४	७–००	८–४७	७–२२	८–६३	७–४३	८–८१	७–५२	८–८५
१७	मवाना	५–८१	६–८३	६–४६	७–३३	६–७७	७–८६	६–६१	७–९७	६–६३	८–२४	६–६५	८–२१	६–७५	८–२८
१८	बागपत	६–४०	७–०७	७–२४	७–६९	७–५२	८–०३	७–५७	८–२८	७–७७	८–४१	८–०५	८–४५	८–१२	८–४७
१९	बुलन्दशहर	६–६४	७–१०	६–७६	७–५६	७–१७	८–२९	७–४०	८–६३	७–७०	८–८२	८–०१	८–९८	८–०९	९–०३

अ० प्र० —अप्राप्त।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३५ पर।]

सूची

रवीन्द्रालय का ठेका विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को दिया गया।

१—मेसर्स रामा बिल्डर्स, लखनऊ	कन्स्ट्रक्शन आफ बिल्डिंग, इत्यादि
२—मेसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, दिल्ली तथा कलकत्ता। मेसर्स जी० ई० सी०, कलकत्ता	लाइटिंग इक्विपमेंट
३—मेसर्स एयर कन्डीशनिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।	एयर कन्डीशनिंग आडोटोरियम
४—मेसर्स क्राम्पटन पार्किन्सन लि० ..	ट्रान्सफार्मर
५—मेसर्स बेस्ट्रेक्स इंडिया लि०, बम्बई ..	सिनेमा इक्विपमेन्ट
६—मेसर्स पेनवर्क्स, बम्बई ..	सीटिंग एकमोडेशन
७—मेसर्स चुन्नीलाल मूलचन्द, बम्बई ..	स्टेज तथा आडोटोरियम करटेन्स
८—मेसर्स एशियन बिल्डिंग तथा फरनिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली	प्लास्टर आफ पेरिस सीलिंग
९—मेसर्स ई० हिल ऐण्ड कं०, मिर्जापुर	प्ले फलोर कारपेट्स
१०—मेसर्स फिलिप्स इंडिया लि० ..	साउन्ड सिस्टम

स्टेज लाइटिंग, इन्टर टेलीकम्युनिकेशन एवं कुछ और फुटकर कार्य जैसे कि फर्नीचर, बागबानी आदि को छोड़कर उपरोक्त कार्य अधिकांश समाप्त हो चुके हैं।

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

बागपत तथा सरसावा सहकारी चीनी के मिलों के निर्माण पर विभिन्न मदों का खर्च

क्रम-संख्या	विवरण	मिलों का नाम बागपत (लाभ हानि चिट्ठा बैलेन्स-शीट) ३०-६-६१ के अनुसार	सरसावा (लाभ हानि चिट्ठा बैलेन्सशीट ३०-६-६२ के अनुसार
		रु०	रु०
१	भूमि	७९,६३९.८१	४१,५१८.०६
२	भवन	१६,६४,१९९.१२	८,५५,८९८.२५
३	भवन तथा यन्त्र	१,०२,७५,९६५.१३	६०,२२,३३६.२७
४	विद्युत् अधिष्ठान ..	४८,२८४.१५	२२,९४७.१३
५	नलकूप तथा पम्प ..	१८,६०४.१३	६६,६१७.०९
६	उपस्कर आदि	३४,५२३.९१	१९,३९६.६८
७	कार्यालय साज सामग्री ..	११,८९०.८७	६,५२५.००
८	मोटर, ट्रक, जीप तथा साइकिल ..	६५,७५०.४८	२७,९९८.६८
९	पुस्तकालय	९१०.५७	५७९.५५
१०	तुलाए	१,४२,८८०.६८	२६,७३८.८३
११	रेखांकन उपयन्त्र ..	२,८१६.५५	००
१२	प्रयोगशाला सात्रित्र ..	१३,३०२.१५	००
	योग ..	१,२३,५८,७६७.५५	७०,९०,५५५.५४

बागपत तथा सरसावा सहकारी चीनी मिलों का वर्षवार लाभ-हानि चिट्ठा

मिल का नाम	वर्ष	लाभ	हानि
बागपत ..	१९६०-६१	(-)४,९९,२८२.४३	००
	१९६१-६२	..	(-)२,८३,८८२.८७
	१९६२-६३	(-)४५,९८०.३९	००
	१९६३-६४	००	(-) ७,७४,६५५.७७ (अनुमानित)
सरसावा ..	१९६२-६३	००	(-)७,४४,०००.०० (अनुमानित)
	१९६३-६४		(-)१०,४३,०२७.४६ (अनुमानित)

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४२ पर)

तालिका—अ

शुगर केन (एडीशनल) प्राइज फिक्सेशन अथारिटी द्वारा निर्धारित सीजन १९५८–५९ तथा १९५९–६० के लिये अतिरिक्त मूल्यों का मिलवार ब्यौरा

क्रम-संख्या	शुगर मिलों का नाम	अथारिटी द्वारा मिलों को सूचना प्रेषित करने का दिनांक	निर्धारित अतिरिक्त मूल्य की दर (रुपया प्रति मन में)	
			सीजन १९५८–५९	सीजन १९५९–६०
१	इकबालपुर	१६–१२–६४	–	–
२	दोईवाला	२८–१२–६४	०-०१	०-१३
३	देवबन्द	२८–१२–६४	–	०.१०
४	लक्सर	२८–१२–६४	–	०.०९
५	सहारनपुर	२८–१२–६४	–	०.०२
६	मन्सापुर	१६–१२–५४	–	–
७	खतौली	२८–१२–६४	–	०.०८
८	रोहाना	१–२–६५	–	–
९	शामली	२८–१२–६४	०.०३	–
१०	सखौती	१६–१२–६४	–	–
११	दौराला*	–	–	–
१२	जसवन्त	२८–१२–६४	०.०१	०.०५
१३	सिम्भावली	२८–१२–६४	–	०.०२
१४	बेगमाबाद	२८–१२–६४	–	०.०२
१५	मोहिद्दीनपुर	१६–१२–६४	–	–
१६	भवाना*	–	–	–
१७	बुलन्दशहर	२८–१२–६४	–	०.०१
१८	काशीपुर*	–	–	–
१९	बाजपुर**	१६–१२–६४	–	–
२०	न्यौली	२८–१२–६४	–	०.०६
२१	अमरोहा	२८–१२–६४	–	०.०६
२२	बिलारी	२८–१२–६४	–	०.१०
२३	बहेड़ी	२८–१२–६४	–	०.०६
२४	बरेली	२८–१२–६४	–	०.०७
२५	पीलीभीत	२८–१२–६४	–	०.०९
२६	धामपुर	२८–१२–६४	–	०.०९
२७	स्यौहारा	१–२–६५	–	०.११
२८	बिजनौर	२८–१२–६४	–	०.१७
२९	रौजा	१६–१२–६४	–	–

१			२	३	४
३०—बुलन्दरजा	..	..	२८–१२–६४	–	०.१२
३१—हरदोई	..	..	२८–१२–६४	–	०.०५
३२—हरगांव*	..	..	–	–	–
३३—महोली	..	..	२८–१२–६४	–	०.२६
३४—गोला	..	..	२८–१२–६४	–	०.२४
३५—ऐरा*	..	..	–	–	–
३६—बाराबंकी	..	..	१६–१२–६४	–	–
३७—बुढ़वल	..	..	२८–१२–६४	–	०.०२
३८—मसोधा	..	..	२८–१२–६४	–	०.१२
३९—बिसवां	..	..	२८–१२–६४	–	०.२१
४०—शाहगंज	..	..	२८–१२–६४	–	०.०१
४१—खलीलाबाद	..	..	२८–१२–६४	०.०२	०.०६
४२—मुन्डेरवा	..	..	२८–१२–६४	–	०.११
४३—बस्ती	..	..	२८–१२–६४	०.०२	०.१४
४४—वाल्टरगंज	..	..	२८–१२–६४	०.०५	०.०४
४५—बभनान	..	..	२८–१२–६४	०.०९	०.१०
४६—तुलसीपुर	..	..	२८–१२–६४	–	०.०३
४७—बलरामपुर	..	..	१६–१२–६४	–	–
४८—नवाबगंज	..	..	१६–१२–६४	–	–
४९—जरवल रोड	..	..	२८–१२–६४	–	०.०१
५०—प्रतापपुर	..	..	२८–१२–६४	–	०.०५
५१—बेतालपुर*	..	..	–	–	–
५२—गौरीबाजार*	..	..	–	–	–
५३—देवरिया	..	..	१६–१२–६४	–	–
५४—कैप्टनगंज	..	..	२८–१२–६४	०.०५	०.०८
५५—खड्डा	..	..	२८–१२–६४	०.०१	०.०८
५६—छितौनी	..	..	२८–१२–६४	०.०७	०.१८
५७—लक्ष्मीगंज	..	..	२८–१२–६४	०.०६	०.०५
५८—रामकोला (पंजाबी)		..	२८–१२–६४	०.०८	०.०७
५९—रामकोला (खेतान)		..	२८–१२–६४	०.०६	०.०६
६०—पडरौना*	..	..	–	–	–
६१—कठकुइयां*	..	..	–	–	–
६२—सेवराही	..	..	२८–१२–६४	०.१२	०.०७
६३—भटनी*	..	..	–	–	–
६४—सरदार नगर	..	..	२८–१२–६४	०.११	०.११
६५—पिपराइच		..	१६–१२–६४	०.०१	–
६६—घुघली	..	..	१६–१२–६४	–	–
६७—सिसवाबाजार	..	..	२८–१२–६४	–	०.०९
६८—फरेन्दा ..		..	२८–१२–६४	–	०.०३
६९—कानपुर	..	..	२८–१२–६४	–	–

*उपर्युक्त तारांकित मिलों का "अतिरिक्त मूल्य" निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

**बाजपुर कोआपरेटिव फैक्ट्री "अतिरिक्त मूल्य" भुगतान से नियम नुसार मुक्त है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४६ पर)

नियोजन, अनुसंधान तथा कार्य संस्थान की स्थापना सन् १९५४--५५ में हुई और उस पर निम्न व्यय हुआ ।

वर्ष				व्यय	
				रु०	
१९५४–५५	..	..	..	३,०९,७१८	
१९५५–५६	..	..	..	३,५६,९१९	
१९५६–५७	..	..	..	३,७९,१२७	
१९५७–५८	..	..	..	४,७५,३०४	
१९५८–५९	..	..	..	५,८३,२५६	
१९५९–६०	..	..	..	६,०३,६९४	
१९६०–६१	..	..	..	५,८८,२५१	
१९६१–६२	..	..	..	५,३३,१२५	
१९६२–६३	..	..	..	५,३८,४८९	
१९६३–६४	..	..	..	५,३६,१८०	
१९६४–६५	..	..	..	६,४६,१००	अनुमानित
		कुल	..	५५,४०,१६३	

विकास अन्वेषणालय को भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं से अनुरक्षण हेतु १८.५०५ लाख रुपया अब तक प्राप्त हुआ है ।

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४८ पर)

वर्तमान निदेशक की योग्यतायें

१—डिग्री—	विषय	संस्था जिससे पास किया
(१) बी० एस-सी०	फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स इंगलिश	इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद।
(२) एम०एस-सी०	केमेस्ट्री	बाम्बे यूनीवर्सिटी
(३) डी०आई०एस-सी०	केमिकल इंजीनियरिंग	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर।
(४) एस०एम०	,, ,,	एम० आई० टी० केम्ब्रिज, मास, यू०एस०ए०।
(५) इंग० एस-सी०डी०	,, ,,	कोलम्बिया यूनीवर्सिटी, न्यू यार्क, यू०एस०ए०

२—क्रियात्मक प्रशिक्षण—

(१) गवर्नमेंट कौर्डाइट फैक्ट्री, अरुमानकादु, मद्रास,

(२) ईस्टर्न पेपर मिल्स, बांगौर, माइने, यू०एस०ए०,

(३) हर्क्यूलेस पाउडर कम्पनी, पारलिन, न्यूजर्सी, यू०एस०ए०

(४) बेथलेहम स्टील कारपोरेशन, लेकावाना, न्यूयार्क, यू०एस०ए०

(५) हास्टर व्हीलर कारपोरेशन, न्यूयार्क यू०एस०ए०

३—शोध कार्य—

विषय	क्षमता	जिस व्यक्ति के अधीन कार्य किया
(१) प्रीपेरेशन आफ पी० बेनजाकोनान बाई आक्सडीशन आफ बेंजना (पपर पविलिश्ड इन आ० एस-सी० एन्ड इंड रिसर्च ११, पेज ३५६।	एम०एस-सी० थीसीस	डाक्टर्स जे०सी०घोष तथा भट्टाचार्य
(२) रिडक्शन आफ आयरन और बाई को० इन कुलूडाइज बेड (रिपोर्ट सेंट टू यू०पी० गवर्नमेंट)	एम०एस० थीसिस	प्रोफेसर डब्लू०के० लेविस
(३) कोरोजन आफ पाइप लाइन बाई गैसोलाईन।	रिसर्च असिस्टेंट स्टैंडर्ड आयल कम्पनी प्रोजेक्ट	,,
(४) सिकिविड-लिकिविड डिफीयूजन	रिसर्च असिस्टेंट	प्रोफेसर टी०बी० दुबे

(५) सालूबिलीटी एन्ड स्टापिन्ग आफ रियर गैसस इन मोल्टन।	रिसर्च मेटलस असिस्टेंट, ई०सी० प्रोजेक्ट इन्ग एस०सी०डी० थीसिस।	प्रोफेसर सी०एच०बोनिला
(६) प्रीपेरेशन आफ इक्स्टरा हाई पिग्युरीटी ऐलाइज।	रिसर्च अशूसियेट	प्रोफेसर एम० जिनसामेर

४—अन्य:—

(१) टीचिंग असिस्टेंट एट एम०आई०टी० केमब्रीज, मास यू०एस०ए०।

(२) मेम्बरशिप इन सिगमा ११ एन्ड फाई लम्बडा अपसीलोन आनर सोसाइटीज़।

(३) रेडियो ऐक्टिव जेनीन इन बी डिटरमी नेशन आफ दी सालोबीलीटी आफ जनोन इन लिक्विड बिसमट (इंग० एस० सी०डी०थीसिस)

(४) कोस्सेज इन केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फयूल टैक्नोलोजी इलेक्ट्रो केमेस्ट्री, न्यूकीलियर इंजीनियरिंग अपलाइड फिजिक्स एन्ड अपलाई मैथमेटिक्स किये।

(५) प्रोसेस इंजीनियर इन दो केमिक्स प्लांस डिवीजन आफ कास्टर व्हीलर कारपोरेशन न्यू यार्क, यू०एस०ए० के रूप में काम किया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५२ पर)

गत दिसम्बर, १९६४ के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में वामपन्थी कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित सूची ।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
१	इलाहाबाद	१
२	अलीगढ़	२
३	आजमगढ़	७
४	मुजफ्फरनगर	१
५	बाराबंकी	४
६	बस्ती	३
७	बलिया	१
८	देवरिया	१
९	बहराइच	५
१०	देहरादून	१
११	फर्रुखाबाद	२
१२	फतेहपुर	२
१३	गाजीपुर	२
१४	गोरखपुर	१
१५	जौनपुर	१
१६	खीरी	१
१७	कानपुर	६
१८	लखनऊ	४
१९	मैनपुरी	३
२०	सुल्तानपुर	६
२१	उन्नाव	४
२२	वाराणसी	५
	योग . .	६३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५३ पर)

स्वर्णकार संघ, उत्तर प्रदेश---इलाहाबाद की मांग सरकार द्वारा लाइसेंस की सुविधा सम्बन्धी बातें

सरकार के आदेशानुसार स्वर्णकारों द्वारा लाइसेंस फार्म में फोटो तथा एक रुपये का सेंट्रल एक्साइज का टिकट लगा कर दिया गया । इसमें मुख्य परेशानियां पाई जो कि मुख्य हैं :---

(अ) सरकार द्वारा ग्रामीण जनता में इसका समुचित प्रचार न हुआ ।

(ब) तहसीलों द्वारा देहातों में लाइसेंस बनाने में उदासीनता दिखाई और अशिष्टता दिखलाई ।

(स) ग्रामीण जनता को पोस्ट आफिसों से टिकट भी न मिल सके ।

(द) २८ फरवरी, सन् १९६४ ई०, आवेदन की अंतिम तिथि निश्चित कर दी गयी है । हजारों की तादाद में अभी लोग बंचित हैं । लाइसेंस बनवाना चाहते हैं किन्तु बनाया नहीं जाता ।

(य) लगभग ४४५ आवेदन पत्र शहर में दिये गये है । किन्तु केवल २५० के लगभग वितरण किये गये है और बाकी के लिये कहा जाता है कि अभी कानूनगो की रिपोर्ट नहीं लगाई गयी है । साल खत्म होने को आ गया अभी दिये हुए लाइसेंस ही नहीं बनाये गये । यह है सरकार के आदेशों का पालन करने का सरकारी तरीका ।

प्रमाण-पत्र सम्बन्धी कुछ बातें

अ---सरकारी आदेशानुसार स्वर्णकारों ने तहसीलों से अपना अपना प्रमाण पत्र बनवाया जो कि कुछ समय बाद सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया और अब उसे रिवाइज्ड प्रोफार्मा का नया प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश दिया गया है ।

ब---कितनी तहसीलों में पहले का प्रमाणपत्र ही नहीं बना कर दिया गया है । प्रचार के अभाव के कारण हजारों लोगों ने अभी तक नया पुराना कोई भी नहीं बनवाया है ।

स---चायल तहसील में पुराना प्रमाणपत्र के लाने पर नया बना दिया जाता है लेकिन जिसके पास पुराना नहीं या पहले नहीं बनवाया था उन का नया नहीं बनाया जाता जब कि ऐसा कोई आर्डर नहीं है कि केवल पुराने का ही नया बनाया जाय । इस प्रकार नया न बनने से सरकार द्वारा बच्चे की फीस माफी छात्र वृत्ति तथा रोजगार संबंधी सुविधा से सभी बंचित रह जाते हैं ।

भूमि-कर सम्बन्धी बातें

भूमि-भवन कर के विरोध में इन लोगों ने एक सभा करके पिछले वर्ष मान पत्र में आप के पास आवेदन-पत्र प्रेषित किया तथा इस बेकारी व बेरोजगारी की हालत में इससे मुक्ति की जाने की प्रार्थना करते हुए अपनी असमर्थता प्रकट की थी किन्तु आज तक न तो कोई उसका समुचित उत्तर ही मिला न ही माफी की गई । इधर भूमि भवन कर वसूली वाले घेरे रहते है तथा कुर्की वारेंट का भी भय देते रहते हैं । अतः निवेदन है कि हम लोगों को माफ कर दिया जाय ।

इम्पलायमेंन्ट एक्सचेन्ज आफिस

इम्पलायमेंट आफिसर केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखते हैं जिनके नाम से सार्टिफिकेट बना होता है। सार्टीफिकेट में दर्ज परिवार के सदस्यों का जो कि नौकरी करने योग्य हैं उनका नहीं यह कैसे हो सकता है कि यदि एक लड़का केवल पढ़ता ही था और अवश्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी करना चाहता है तो उसका तहसील से अलग स्वर्णकारी का सार्टिफिकेट कैसे बन सकता है। इस प्रकार के कार्य से सरकार द्वारा प्रदान की हुई सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

यदि एक बूढ़ा स्वर्णकार जिसकी उम्र ५० और ६० वर्ष की है और अब वह नौकरी करने योग्य नहीं रह गया है। यदि उसको ५ वर्ष उम्र की छूट या अन्य सुविधा दी भी जाय तो वह उस उम्र की तालिका में नहीं आ पाते और इस प्रकार से सरकार स्वर्णकार बच्चों को छात्र वृत्ति तथा नौकरी में वर्ष की आयु की छूट तथा अन्य प्राथमिकता की घोषणा क्यों करती। इस प्रकार के कार्य से हम लोगों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।

५—सरकार द्वारा ऋण प्रदान करने की घोषणा करने पर संघ द्वारा लगभग २७५ फार्म लोगों से भरा कर डी० एस० ओ० साहब के यहां दिये गये जिसे दिए हुए लगभग ११ माह व्यतीत होने चाहते हैं उस पर आज तक कोई विचार न हुआ वह ज्यों के त्यों कार्यालय में पड़े हुए हैं। न तो उसे उद्योग कार्यालय में ही भेजा गया, न उसकी इन्क्वायरी की गई। जब कि गोल्डकन्ट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी श्री पी० सी० सक्सेना ने यह स्पष्ट शब्दों में डी० एस० ओ० साहब को हमारे प्रतिनिधियों के बीच कहा था कि डी० एस० ओ० आफिस से आप का काम शीघ्रता से किया जायेगा केवल एक काम के लिये साल भर से कुछ नहीं किया गया।

मजबूत कुछ लोगों ने अलग से अपना दूसरा फार्म ऋण के लिये उद्योग कार्यालय में भेजा उसकी कुछ की इन्क्वायरी भी हो गई कुछ को ऋण पाने के लिये स्वीकृति भी मिल गई है इस प्रकार संघ द्वारा भेजे हुए फार्म पड़े ही रह जायेंगे जो कि अनुचित ही होगा।

एडवाइजरी कमेटी द्वारा किये गये कार्य

स्वर्णकारों के पुनर्वासन हेतु श्रीमान् जिलाधीश महोदय की ही अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसके मंत्री डी० एस ओ० साहब हैं। पहली मीटिंग गलत और देर से सूचना भेजे जाने के कारण लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकी और मीटिंग स्थगित हो गई। दूसरी मीटिंग १७ अगस्त, सन् १९६४ ई० को श्रीमान् डी० दुबे, ए० डी० एम० की अध्यक्षता में हुई।

उस दिन डी० एस० ओ० साहब को आदेश दिया गया कि ऋण के आये हुये सभी फार्म उद्योग विभाग को भेज दिए जाय।

इम्पलायमेंन्ट आफिसर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रिवाइज्ड परफार्म सार्टिफिकेट में दर्ज परिवार के सभी व्यक्तियों को इम्प्लांयमेन्ट में सहूलियत दी जायेगी।

तहसीलदार द्वारा रिवाइज्ड परफार्म का सार्टिफिकेट के लिये समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह बराबर बनाता रहेगा।

उपरोक्त बातों में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया। आजतक डी० एस० ओ० साहब ने न तो ऋण फार्म उद्योग विभाग को भिजवाया और न तो इम्प्लायमेन्ट आफिस में सर्टिफिकेट में दर्ज लोगों का नाम ही नौकरी के लिये दर्ज किया गया और न तो तहसील-दार द्वारा ही नये सार्टिफिकेट ही बनाये गये। जब कि संघ द्वारा भरे हुए फार्म की संख्या लगभग ३०० के लोगों को नहीं लिया जाता है। केवल जिनके पास पुराना सार्टिफिकेट है उन्हीं का नया कर दिया जाता है।

अतः निवेदन है कि शीघ्र ही एक हफ्ते के अन्दर ही एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई जाय और उपरोक्त सभी कठिनाइयों की ओर ध्यान देकर उचित आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देने की कृपा की जाय।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९५९ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ४थे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री कुंवर मुकुम सिंह राठौर के तारांकित प्रश्न संख्या १२–१४ के उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
१२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप मंडल, मुरादाबाद में सन् १९६४ के उत्तरार्ध में कौन २ से ड्राफ्टसमैन कौन २ से अभियोग में निलम्बित किये गये ?	१२—ट्यूबवेल सर्किल, मुरादाबाद के अन्तर्गत नलकूप खंड, चन्दौसी में केवल एक ड्राफ्टसमैन को सन् १९६४ के उत्तरार्ध में निलम्बित किया गया । इस ड्राफ्टसमैन के विरुद्ध अधिशासी, अभियंता, ट्यूबवेल डिवीजन, बदायूं के कार्यालय की साइक्लोस्टाइल मशीन से बिना उचित अनुमति के कुछ अनधिकृत पत्रों के छापने का आरोप है ।
१३—क्या निलम्बित ड्राफ्टसमैन को अभियोग पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर ही प्रैस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा में दिये ? गये यदि नहीं तो क्यों ? तथा उनके केसों में क्या-क्या निर्णय किये गये ?	१३—जी नहीं । निलम्बित ड्राफ्टसमैन को अभियोग पत्र प्रैस्क्राइब्ड प्रोफार्मा पर १–२–६५ को दिया जा सका । बिलम्ब का कारण यह था कि ड्राफ्टसमैन और अधिशासी अभियन्ता के बीच पत्र व्यवहार होता रहा । ड्राफ्टसमैन से अभियोग पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय दिया जायगा ।
१४—इन ड्राफ्टसमैन को कितना २ जीविका भत्ता (सबसिस्टेंस एलाउन्स) किन-किन तारीखों में दिया गया ?	१४—निलम्बित ड्राफ्टसमैन को जो जीविका भत्ता दिया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है —

माह	भत्ता मिलने की तिथि	भत्ते की धनराशि जो दी गई ।
(१) १०/६४ (पूरे माह का)	२–११–६४	रु० ६९.९२ पैसे (–)रु० २०.०० (जी०पी० फंड)
		रु० ४९.९२ पैसे
(२) ११/६४ (१५ दिन का) ..	१९–१२–६४	रु० ३६.८७ पैसे
(३) १२/६४ (१२ दिन का) ..	७–१–६५	रु० २८.५५ पैसे
(४) १/६५ (३१ दिन का) ..	३–२–६५	रु० ७३.७५ पैसे

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८ एल ए०—१९६५—८६२ ।